खण्ड-370, अंक-3
मंगलवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1907
(16 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3–87
तहसील अकबरपुर, फैजाबाद में दरबान झील के पानी से फसलें नष्ट होने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87–88
लखनऊ स्थित विधायक आवास के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन घटाने आदि के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88–89
आगरा जनपद के दीवानी अदालतों के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89–90
पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों को आरक्षण न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बरती गई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
मोहल्ला बानखाना, बरेली निवासी श्री वीरेन्द्र पाल की मृत्यु में पुलिस की साजिश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय, डुमरियागंज, बस्ती का इन्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
जनपद सीतापुर में नारायण पैलेस सिनेमा को नगरपालिका क्षेत्र में घोषित न किये जाने तथा उसके मालिक द्वारा मनोरंजन कर न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91–92
नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न ..	92
तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विधायकों को निजी आवास उपलब्ध कराये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	92–93
विधायक निवास 5 की व्यवस्था अधिकारी श्रीमती मीर कुमारी के साथ विधायक द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में सदन का कार्य स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..	93–97

विषय		पृष्ठ संख्या
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	97–98
उत्तर प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	99–100
विधायक निवासों में दूषित वातावरण के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	..	100–143
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	143
वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)		P/09
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	
नत्थियां	..	145–161

प्रेस प्रति नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाजहसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी (एटा)
एहतिशाम वली खां, श्री (बहराइच)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (झांसी)
ओमवती, श्रीमती (बिजनौर)
काजी कलीमुर रहमान, श्री (आजमगढ़)
खरपत राम, श्री (वाराणसी)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भयपाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पशुपतिनाथ, श्री (कानपुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (इलाहाबाद)
प्रेमीला बद्धबार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
भोला शंकर मौर्य, श्री (बदायूं)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाबीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती (फर्रुखाबाद)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव की मांग

**श्री कल्यान सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहकारिता विभाग में लम्बित सभी चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया 3 अक्तूबर, 1985 से आरम्भ किए जाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। यह चुनाव फरवरी, 1986 तक पूरे हो जाने की आशा है।

श्री कल्यान सिंह--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, 3 अक्टूबर, 1985 से चुनाव प्रारम्भ होंगे और फरवरी, 1986 तक पूरे हो जायेंगे। सहकारिता विभाग में विभिन्न श्रेणियां हैं, तो क्या वह बतायेंगे कि किन-किन श्रेणियों के समयबद्ध चुनाव किस हिसाब से रखे गये हैं अर्थात् उनका टाइम-टेबुल क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

समस्त साधन सहकारी समितियां, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और वहां प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त है--3-10-1985 से 4-10-1985 तक। क्षेत्रीय सहकारी समितियां, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त है--6-10-1985 से 7-10-1985 तक। किसान सेवा सहकारी समितियां, जिसकी प्रबन्ध कमेटी के मनोनीत प्रथम संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त है--9-10-1985 से 10-10-1985 तक। समस्त निर्वाचन योग्य दीर्घकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यहां प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त है--15-11-1985 से 16-11-1885 तक। समस्त निर्वाचन योग्य सहकारी क्रय-विक्रय समितियां एवं शीतगृह समितियां, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासक अथवा प्रशासक कमेटी नियुक्त है--3-12-1985 से 4-12-1985 तक।

श्री हरिश्चन्द्र--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों में जो प्रशासक नियुक्त हैं उनके बारे में शासन द्वारा लिखित या मौखिक आदेश किये गये थे कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित नामों को ही इसमें रखा जाए ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

ऐसे कोई आदेश नहीं गये, यह डिप्टी रजिस्ट्रार और ए0 आर0 के द्वारा होते हैं और उन्होंने ही इसे किया है।

श्री कल्यान सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अब भी प्रदेश में क्या कुछ गैर सरकारी व्यक्ति प्रशासक बने हुए हैं ? और यदि हों तो क्या चुनावों को निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराने के लिए उनको समाप्त करके सारे प्रदेश भर में वह सरकारी प्रशासक नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

अब जो प्रशासक नियुक्त हैं, समय न होने के कारण जन-प्रतिनिधियों को प्रशासक तन्त्र के तहत रखा गया था। इस आधार पर यह किया गया था कि सहकारिता एक जन आन्दोलन है और वह जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का द्योतक है। उसको देखते

हुए यह कोशिश की गई कि यह चुनाव किसी कारणवश सम्भव नहीं हो पाए हैं तो वहां पर जन-प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में रहें और इसी आधार पर उनको रखा गया था ।

श्री कल्याण सिंह—

अभी मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया, यही तो प्रश्न की जान है । इन संस्थाओं में यह जो जन-प्रतिनिधि लोग प्रशासक हैं, ये किसी के द्वारा निर्वाचित नहीं हैं, नामांकित नहीं हैं । इनके रहने इनके द्वारा इन चुनावों में निश्चित रूप से पक्षपात होना है । जिस जनअन्दोलन को राजनीति से दूर रहना चाहिए था वह आज इस सरकार के रहते राजनीति के दलदल में फंस कर रह गया है । और यह महाराष्ट्र में इसीलिए सफल हो रहा है ।

मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके इसलिये सभी स्थानों से जहां पर गैर सरकारी प्रशासक नियुक्त हैं, उनको हटाकर आप उन स्थानों पर सरकारी प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य की भावनाओं को देखते हुय, वह यह विश्वास रखें कि चुनाव निष्पक्ष ही होंगे । केवल निवेदन यह है कि आप ही कहते हैं कि सरकारीकरण होता जा रहा है, किन्हीं कारणों से चुनाव सम्भव नहीं हो पाये और इसीलिये जन-प्रतिनिधियों को वहां पर नियुक्त किया गया था । आप विश्वास रखें कि चुनाव निष्पक्ष होंगे किसी ढंग की अनियमितता नहीं होगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चुनाव सम्बन्धी आदेश क्या जिलों को भेज दिये गये हैं और चुनाव से पूर्व जो तैयारी करनी होती है, जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या वोटर लिस्टों की तैयारी, क्या उसको तैयार करने के आदेश जिलों को भेज दिये गये हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । मान्यवर, चुनाव की तैयारी और जो कार्यक्रम है वह जिलों को भेजा जा चुका है और मान्यवर, उसी आधार पर कांस्टीट्यूएन्सी वगैरह का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है । जहां पर जन-प्रतिनिधियों, सम्मानित विधायकगण की कोई कम्प्लेन्ट है कि कांस्टीट्यूएंसीज का निर्माण करा दिया जाय तो उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नामजद लोगों को हटाकर निष्पक्ष चुनाव कराने में उन्हें क्या बाधा महसूस हो रही है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, बाधा कोई नहीं है । निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा सरकार की है । आप शंकाग्रस्त क्यों हैं, चुनाव निष्पक्ष होने जा रहे हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं है । अगर कहीं कोई गैर सरकारी व्यक्ति किसी प्रकार की अनियमितता किसी ढंग से कर रहा है तो उसको हटाने की बात कीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के दल के लोगों ने गलत ढंग से, जो कर्जदार थे उनको प्रशासक नियुक्त करवा दिया और बोर्ड का संचालक नियुक्त कराया है । जिसे डिफाल्टर कहते हैं मैं अंग्रेजी जानता नहीं हूं, तो ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है । तो क्या इनको हटाकर जिनकी संस्तुति पर उनको नियुक्त किया गया है उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, पहले तो मैं सम्मानित सदस्य बस्ती से निवेदन करूंगा कि कोई अधिकारी नहीं, जन-प्रतिनिधि रखे गये हैं। दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिफाल्टर हैं वह प्रशासक नहीं बने रह सकते हैं।

श्री सुखपाल पांडे—

मान्यवर, जो डिफाल्टर हैं और वे प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं, क्या उनके खिलाफ माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह जवाब दे दिया कि डिफाल्टर नहीं नियुक्त किये गये हैं।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि बहुत से ऐसे डिफाल्टर लोग हैं, जिन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है और माननीय मन्त्री जी का कहना है कि डिफाल्टर नहीं नियुक्त किये गये हैं। इसलिए मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री राम आसरे (हरदोई)—

मान्यवर, जो चुनाव की तारीखें माननीय मन्त्री जी ने घोषित की हैं, इसके पूर्व भी ऐसे दो मौके आये हैं, जब तारीख घोषित की गयी, पर्चे दाखिल किये गये, जमानतें जमा की गयीं। ऐसे दो मौके पर जिन अभ्यर्थियों से जमानतें जमा कराई गयीं, उन्हें वापस नहीं किया गया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस जमानत की धनराशि के बारे में शासन ने क्या विचार किया है, उसे वापस करने का या उसे किसी अन्य मद में इस्तेमाल करने का ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, पहले चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका था, परन्तु पार्लियामेन्ट और असेम्बली के चुनाव को देखते हुए उसे स्थगित करना पड़ा था। दूसरे यह देखा गया कि चूंकि उस समय वसूली का समय था, अदायगी ज्यादा से ज्यादा सोसाइटियों के सदस्यों ने नहीं की थी और बहुतायत में समितियां डिफाल्टर हो जायंगी, इसलिए इस चुनाव के माध्यम से चुनाव नहीं हो पायेगा, जिन माध्यम से प्रतिनिधियों का संकलन होना था, वह नहीं हो पायेगा। जो वर्मा जी ने कहा है कि जो धनराशि है, चूंकि चुनाव की प्रक्रिया में कागज और सारे पेपर्स वगैरह तैयार हो गये थे, वह नहीं वापस हो सकेगी तथा जो दूसरी धनराशि आप कह रहे हैं, वह जो लेना चाहेंगे, उनको वापस कर दी जायगी।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि जो बकायेदार हैं, वे चुनाव न लड़ें, उसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, नियमतः बकायेदार चुनाव में शिरकत नहीं कर सकते, ऐसे कोई बकायेदार चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अगर ऐसे बकायेदार चुनाव लड़ें, तो उसके लिए हम कहां पर अपील करेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि साधन सहकारी समितियों के चुनाव 3 अक्तूबर, 1985 से 4 अक्टूबर, 1985 तक होंगे, क्षेत्रीय समितियों के चुनाव 6 अक्तूबर, 1985 से 7 अक्तूबर, 1985तक होंगे तथा किसान सेवा सहकारी समितियों के चुनाव 9 अक्तूबर, 198 से 10 अक्तूबर, 1985 तक होंगे । इनको अलग-अलग करने का क्या कारण है ? क्या सरकार की यह मंशा है कि चुनाव लम्बे समय तक होता रहे ? क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि चुनाव एक साथ करा दिये जायें, जिससे जल्दी हो जाय ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, चुनाव की प्रक्रिया जब बनाई गई, तो जो जिस केटेगरी की थी, उस आधार पर कार्यक्रम बनाया गया था, ताकि अच्छे ढंग से चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाय । उसी आधार को देखते हुए यह कार्यक्रम बनाया गया है अगर आप कहते हैं, तो जो एक जैसी सोसाअटियां होंगी उनका एक साथ चुनाव हो जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं ।

मान्यवर, जब उधर के लोग इधर बैठे हुए थे जो उन्होंने चुनी हुई संस्थाओं को भंग कर सरकारी आदमी बिठाल दिए थे । मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी गलत मांगों को न मानकर जिन जनप्रतिनिधियों को प्रशासक के रूप में रखा गया है उन्हें चुनाव तक रहने दिय जाए ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं । इनके जो राज्य मन्त्री थे, सहकारिता विभाग के काशीनाथ मिश्र, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि सहकारिता विभाग के अन्दर जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं आठ हजार, उन आठ हजार में से बहुत से ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर रहे हैं, या सजा पा चुके हैं या उनका अतीत ठीक नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं ऐसे लोगों को प्रशासक बनाए रखने में मंत्री जी को कौन सी हित की बात दिखाई दे रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जो ने दो बातें कहीं—कहीं न कही तो गलत बयानी है । एक तरफ कहते हैं कि जन-प्रतिनिधियों को प्रशासक के रूप में मनोनीत कर दिया गया है दूसरी तरफ कहते हैं कि ए0 आर0, डी0 आर0 ने मनोनीत किया है । क्या इसका यह मतलब हुआ कि प्रशासक का चुनाव ए0 आर0, डी0 आर0 ने किया है । या तो यह कहें कि हमने अमुक-अमुक को प्रशासक नियुक्त किया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन प्रशासकों को हटा करके विधायकों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श करके उनका मनोनयन करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि क्षेत्र स्तर पर जन प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया में वहां के सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुए लोग जिनका सीधा सहकारिता विभाग से सम्बन्ध रहा है जो ए0 आर0 और डी0 आर0 से सम्बन्ध रखते हैं उन्हीं को नियुक्त किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इसे समाप्त करें मैंने इस प्रश्न पर 25 मिनट दिए हैं ।

उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने का प्रस्ताव

**2—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो प्रस्ताव का प्रारूप क्या है तथा इसे कब से लागू किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्यमन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

जी नहीं, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है इसमें लिखा है "क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? "मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी का जवाब आया है "जी नहीं" । दूसरा पैरा है यदि हां, तो प्रस्ताव का प्रारूप क्या है । इसका जवाब आया है मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है । तीसरे पैरे में जवाब दिया है "प्रश्न नहीं उठता" मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर गया ?

श्री प्रवीप कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तर दिया गया है और माननीय सदस्य ने खण्डों में बांटा है उसमें जी नहीं के बाद कामा लगा है विराम नहीं है । जो अध्यादेश लाया गया था 7 अप्रैल, 1982 को उर्दू को दूसरी भाषा बनाने के लिए, उस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन वालों ने रिट याचिका दायर की, 6-4-84 को उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । जो निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया उसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अप्रैल, 1984 में ए0एल0पी0 के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था । एस0एल0पी0 स्वीकार हो गई थी और जो विशेष अनुज्ञा याचिका थी उसको स्वीकार करते हुए उसके महत्व और आवश्यकता को देखते हुए 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच को मामला सुपुर्द कर दिया गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

पहला सवाल तो मेरा यह है कि हाई कोर्ट में जो रिट हुई थी वह उर्दू को दूसरी जबान बनाने के खिलाफ नहीं हुई थी । एक तो यह बता दें कि हाई कोर्ट में किन मुद्दों पर रिट हुई थी दूसरा वह कौन से हालात थे कि 2 बार हाउस में बिल पेश हुआ और दोनों पर सरकार सक्षम थी उसको पास करने में लेकिन नहीं पास किया । क्या सरकार को बहुमतीयती का दखल इसमें था या नहीं ? दूसरी बात आज के कौमी आवाज में मुख्य मन्त्री ने कहा है कि उर्दू को दूसरी भाषा बनायेंगे ।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका जो उदाहरण है मैं पढ़ देना चाहता हूं ।

इफ दि फैक्ट्स आन ह्विच दि सटिसफैक्शन वाज सेड टू बी बेसड वेयर सच फ्राम ह्विच नो रिजनेबुल परसन कुड कम टू सच ए सैटिसफैक्शन, दिस कोर्ट वुड बी जस्टीफाइड इन होल्डिंग दैट देयर वाज नो सैटिसफैक्शन इन दि आई आफ ला ऐन्ड ऐज सच दि कन्डीशन प्रीसिडेन्ट फार दि इक्सरसाइज आफ पावर डिड नाट एंट आल इक्सिस्ट ऐन्ड सो दि ऐक्शन टेकेन इज अनकान्स्टीच्यूशनल ऐन्ड स्टैन्ड्स विटिएटेड बाई लीगल मालाफाइडस ऐन्ड आलसो आन दि ग्राउन्ड दैट इट वाज कलरेबुल इक्सरसाइज आफ पावर ।

यह तो के0 एन0 गोयल साहब का विचार था और इसी से दूसरे जज मिश्रा ने सहमति व्यक्त की—

आई हैव केयरफुल्ली परसूड दि मेमोरन्डम कन्टेनिंग दि ग्राउन्ड आन दि कन्सीडरेशन आफ दि गवर्नमेंट फेल्ट सैटिसफायड टू दि नेसेसिटी आफ प्रोमलगेटिंग आर्डीनेन्स नं0 2 आफ 1984 । बट आई फाइन्ड सरकमस्टेन्सेज आफ अरजेन्सी आर सोन जस्टीफाइंग एलेज्ड सैटिसफैक्शन आफ दि गवर्नमेंट रिगार्डिंग इमरजेन्ट नेसेसिटी टू प्रोमलगेट दि इम्पून्ड आर्डीनेन्स ऐट दि टाइम हवेन आन सेम सब्जेक्ट मैटर ऐज बिल वाज आलरेडी इन्ट्रोड्यूस्ड इन दि करेन्ट सेशन ।

इन दीज सरकमस्टेन्सेज देयर वुड बी नो इस्केप फ्राम दि ..

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

सवाल का यह जवाब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं ।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य रामपुर ने सवाल पूछा कि हाईकोर्ट ने क्या किया मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैंने यह पूछा कि हाईकोर्ट ने क्या किया । हाईकोर्ट में रिट हुई थी यह सवाल ही नहीं है । सवाल यह है कि आप जब बिल पास करने में सक्षम थे, तो बिल क्यों नहीं पास कराया ?

श्री नारायन दत्त—

जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कान्स्टीट्यूशन बेंच के सम्मुख गया है । मामला सुप्रीमकोर्ट के जेरेगौर है ।

जो हमने यहां पर फैसला पढ़ा, उसको हमने बहरहाल रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है । हमारी अपील सुप्रीमकोर्ट में जेरेगौर है ।

श्री अध्यक्ष—

जब मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) ।

कृपा कर बैठ जायं आप सब खड़े होंगे तो मैं किसी को नहीं सुन सकता । आप लोग बैठ जायं मैं एक-एक करके सुन लूंगा ।

श्री फजलुल बारी—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 22 मार्च, 1981 को जो बिल इस सदन में पेश हुआ था क्या उस वक्त जो माननीय मंत्री ने अपना बिल पेश करते हुए बातें कही थीं, अपनी पालिसी बयान की थी, क्या आपकी सरकार उस पालिसी को अब भी मानती है कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजभाषा होनी चाहिए ? यदि हां, तो आप इसके लिए कब तक प्रयत्न करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, हमारी सरकार जिस चुनाव मैनीफेस्टो के आधार पर चुनी गयी है, उसी मैनीफेस्टो पर अमल करेगी । हमारी अपील सुप्रीमकोर्ट के सामने विचाराधीन है । उस पर जो यू0 पी0 कान्स्टीट्यूशन बेंच ने कहा है, उस पर फैसला होगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, अब इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा । आपके सवाल का जवाब आ गया है ।

(श्री अवधेश प्रसाद सदन के 'फ्लोर' पर आये और श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से वापस ले जाये गये ।)

तारांकित प्रश्न

आगरा के थाना पिनाहट की हिरासत में ग्राम उटसाना के श्री कोक सिंह की मृत्यु

*1--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थान पिनाहट के ग्राम उटसाना के युवक कोक सिंह को थाना पिनाहट पुलिस ने दिनांक 7-7-83 को हिरासत में लिया ? यदि हां, तो क्या उक्त कोक सिंह की दिनांक 14-7-83 को पुलिस हिरासत में हत्या हुई ? यदि हां, तो इससे क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कोक सिंह पुत्र पहलवान, निवासी ग्राम उटसाना, थाना पिनाहट, जिला आगरा को एक डकैती के मामले में पूछताछ के लिए दिनांक 7-7-83 को थाना लाया गया और उसी दिन पूछताछ के उपरांत उसको छोड़ दिया गया था।

श्री कोक सिंह की दिनांक 14-7-83 को पुलिस हिरासत में हुई कथित हत्या के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री मगरी लाल की लिखित सूचना पर दिनांक 15-7-83 को सी० ओ० बाह व 15-20 पुलिस कर्मी के विरुद्ध अपराध संख्या 73/83 अन्तर्गत धारा 342/302, भारतीय दन्ड विधान, थाना पिनाहट पर पंजीकृत किया गया।

इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच हेतु पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराई जा रही है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं (1) क्या कोक सिंह तथाकथित के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा, किसी भी प्रकार का जनपद आगरा में या पूरे उत्तर प्रदेश में, अपराध सम्बन्धी, पंजीकृत था या नहीं ? (2) क्या जब प्रागदर्शन में यह बात सिद्ध हो गयी कि कोक सिंह की हत्या थाने में हुई तो अब तक क्षेत्राधिकारी और एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, कोक सिंह की हत्या थाने में नहीं हुई थी। उसकी बाडी वहां कुएं में पायी गयी, इसकी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न यह है कि कोक सिंह को 7 तारीख को पकड़ कर ले गये, थाने में रखा और सात दिन थाने में रखने के बाद 14 तारीख को मृत्यु हुई, उसके बाद 15 तारीख को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मेरा सीधा सवाल है कि प्रागदर्शन में आने के बाद यह मामला सी० आई० डी० को भेजा गया। प्रागदर्शन में यह तो सिद्ध हुआ कि थाने में मौत हुई, तभी सी० आई० डी० को जांच दी गई, तो फिर क्षेत्राधिकारी बाह के खिलाफ और एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या बाधा रही ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह आरोप सही नहीं है कि कोक सिंह की हत्या थाने में हुई। इसके लिये निष्पक्ष जांच करवाई गयी, लेकिन कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया, उसके उपरान्त सी० आई० डी० की जांच का आदेश दिया गया। अब जो जांच के उपरान्त तथ्य सामने आयेंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा --

मान्यवर, इसमें परगनाधिकारी की जांच आख्या क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, उसको पढ़ दें ?

श्री जफर अली नकवी—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि चोट लगने से उसकी मौत हुई, मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट 4–5 पेज की है। उन्होंने कहा कि इसमें दोनों पक्षों के लोगों से यह प्रतीत नहीं होता है कि घटना क्या हुई, कैसे हुई। इस पर सी0 आई0 डी0 जांच की संस्तुति की गयी।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो बातें अलग-अलग कहीं कि कोक सिंह की हत्या थाने में नहीं हुई और सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कर रहे हैं। जब स्वयं ये हाउस में कह रहे हैं कि मौत थाने में नहीं हुई तो जांच सी0 आई0 डी0 क्या कर रही है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, हम जनता के प्रति पूरा विश्वास करते हैं और ईमानदारी की बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को संदेह हो सके कि नाइंसाफी हो गयी। मैजिस्ट्रेट जांच में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पायी इसलिये सी0 आई0 डी0 की जांच कराई गई, जो तथ्य सामने आयेंगे, तो जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री कोक सिंह की लाश किस तारीख को और किस स्थान से बरामद हुई ?

श्री जफर अली नकवी—

कुएं से बरामद हुई। कुएं में पायी गयी आगरा के।

श्री हरिश्चन्द्र—

यह कुंआ किस जगह स्थित है ?

श्री जफर अली नकवी—

यह घटना आगरा की है। कुंआ आगरा में स्थित है।

श्री बदन सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जिस कुएं का जिक्र आया है, क्या यह कुंआ थाने से बिल्कुल निकट लगा हुआ है और उस पर केवल थाने की पुलिस ही पानी आदि का उपयोग करती है और कोई नहीं करता है ?

श्री जफर अली नकवी—

यह कुंआ थाने की बाउंड्री में नहीं है। और, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जांच के आदेश की बात हो गयी है। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो वे चाहते हैं कि इसमें पूरा ऐक्शन लिया जाय, जांच रिपोर्ट आने पर, जो भी पुलिस कर्मी या कोई भी व्यक्ति जो इसमें शरीक होगा, दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही होगी। कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी को यह ठीक पता नहीं है कि यह कुंआ कहां स्थित है। मेरी इस जानकारी को सत्य मानकर कि यह कुंआ थाने में ही स्थित है और दरोगा ने उसको मारा, उसके पैर टूट गये थे, उसके जिस्म पर बहुत चोट लगी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है और प्राग्दर्शन में भी यह बात सिद्ध हो गयी कि मार से उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? दूसरे, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री जफर अली नकवी—

जब तक किसी के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, तब तक शासन किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता। इन्क्वायरी के बाद, जिसके खिलाफ तथ्य आयेंगे, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय, एक प्रश्न और पूछ लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे बढ़ गये हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों में जल निगम की शाखाओं की स्थापना

*2—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश जल निगम के कितने डिवीजन किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं ? इन डिवीजनों से कितना प्रशासनिक व्यय बढ़ा है ? और इनके खोलने का आधार क्या है तथा क्या इन्हें खोलने के लिए पर्वतीय विकास विभाग की सस्तुति है ? यदि नहीं तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम की कोई भी नई शाखा नहीं खोली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न 1980 से 85 के बीच म था, लगता है प्रश्न में गलती हो गई, जिस कारण से माननीय मंत्रीजी के पास उत्तर नहीं होगा । लेकिन फिर भी मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में जल निगम की जितनी भी डिवीजन शाखायें हैं, उनके खोलने का मुख्य आधार क्या है और उनके पास क्या-क्या काम है और आज सम्पूर्ण पवतीय अंचल में जल निगम की कितनी डिवीजन शाखायें कार्य कर रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, यह तो प्रश्न में नहीं है । माननीय सदस्य दुबारा प्रश्न कर लें ।

मथुरा जिले की छाता शुगर मिल के विस्तार की योजना

*3—श्री सरदार सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता शुगर मिल छाता, जिला मथुरा के विस्तार का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मिल की पिराई क्षमता को कब तक बढ़ा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी हां ।

इस मिल की पेराई क्षमता के विस्तारीकरण का कार्य अक्टूबर, 1988 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके विस्तारीकरण का कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, सितम्बर, 1986 से शुरू हो जायेगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह पूछना चाहता हूं कि छाता शुगर मिल का जो विस्तारीकरण किया जा रहा है, क्या उसमें मथुरा जिले से लगे हुए आगरा के किसानों को भी पिराई की सुविधा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस इलाके को वह गन्ना क्षेत्र घोषित करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छाता शुगर मिल का आप विस्तारीकरण कर रहे हैं, क्या और भी किसी चीनी मिल का विस्तारीकरण पर विचार किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां ।

हरदोई-लखनऊ मार्ग पर पुलिस चौकी, रहीमाबाद द्वारा श्री विनोद कुमार की गिरफ्तारी

*4—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1984 में लखनऊ जिले के रहीमाबाद थानान्तर्गत लखनऊ-हरदोई मार्ग पर प्राइवेट बस के ड्राइवर के साथ मार-पीट की कोई घटना हुई और उसमें कोई युवक तमंचे के साथ पकड़ा गया ? क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस ने अपने पास से तमंचा रखकर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धित पुलिस कर्मियों तथा सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त युवक को मुकदमे से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6 जून, 1984 को लखनऊ जनपद के थाना मलिहाबाद के अन्तर्गत रहीमाबाद चौकी क्षेत्र में हरदोई-लखनऊ मार्ग पर प्राइवेट बस संख्या यू0 पी0 जी0 2/66 के ड्राइवर, परिचालक के साथ मारपीट की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति विनोद कुमार तमंचे एवं कारतूस के साथ पकड़ा गया था ।

यह सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस ने अपने पास से तमंचा रखकर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया था बल्कि उक्त व्यक्ति को तमंचे एवं कारतूस के साथ बस के ड्राइवर, परिचालक एवं क्लीनर द्वारा थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया था । अतः पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं बठता । मामले में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे (हरदोई)—

मान्यवर, ड्राइवर, परिचालक और क्लीनर एक ही होते हैं । तीनों लोगों ने विनोद नामक एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे थाने ले गये । उसके साथ पिस्तौल और कारतूस अपनी तरफ से ले जाते हैं । विनोद के पास पिस्तौल और कारतूस बरामद की पहल की । पुलिस ने इस बात की छानबीन की कि दरअसल यह विनोद के पास थी या फिर ड्राइवर, कन्डक्टर और क्लीनर ने अपनी तरफ से जमा किया था ?

श्री जफर अली नकवी—

पुलिस ने इस बात से संतोष प्रकट किया कि पिस्तौल और कारतूस श्री विनोद के पास से निकली और जैसे लोगों ने गवाही भी दी थी ।

श्री राम आसरे (हरदोई)—

मान्यवर, अगर पुलिस ने इस बात की जानकारी कर ली थी कि पिस्तौल और कारतूस विनोद के पास से ही निकली तो क्या पुलिस ने इन तीन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी इन बात की जानकारी करने की कोशिश की ?

श्री जफर अली नकवी—

रिपोर्ट के लिए दो-तीन लोग जो गवाह थे, काफी थे, और की जानकारी की आवश्यकता नहीं थी ।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिले के न्यायपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन

*5--डा० दिनेश जौहरी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्र, खासकर जिला अल्मोड़ा व जिला पिथौरागढ़ में न्यायपालिका के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में वहां के दोनों जिलों के वकीलों की मीटिंग हुई और जिला पिथौरागढ़ के समस्त बार एसोसिएशन ने दिनांक 19 अप्रैल, 1985 को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया व काले झंडे दिखाएं ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कर रही है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

जिला जज, अल्मोड़ा ने सूचित किया है कि वहां पर वकीलों की कोई कथित मीटिंग नहीं हुई । जिला जज, पिथौरागढ़ ने सूचित किया है कि 16-4-1985 को पिथौरागढ़ नगर के अधिकांश बार एसोसिएशन के सदस्यों ने नव निर्मित न्यायालय भवन के गेट पर न्याय पालिका के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और उस समय माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रशासनिक न्यायाधीश प्रथम पिथौरागढ़ में आये हुए थे । जिला अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ के बार एसोसिएशन या जिला जजों या माननीय उच्च न्यायालय से कोई शिकायती पत्र या प्रस्ताव या सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई कि न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध क्या शिकायतें या आरोप लगाये गये थे । ऐसी स्थिति में शासन द्वारा किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । वैसे भी न्यायिक अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण माननीय उच्च न्यायालय का है तथा उनके विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

डा० दिनेश जौहरी--

जनपद पिथौरागढ़ की बार एसोसिएशन के सदस्यों ने 16-4-1985 को नवनिर्मित न्यायालय के गेट पर प्रदर्शन किया था तो उस का क्या कारण था, कोई जांच हुई इसकी या नहीं हुई ? तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

शासन को इसकी कोई सीधी जानकारी नहीं थी, जब प्रश्नकर्ता का प्रश्न आया तब इसकी जानकारी हुई, इसके बाद जांच की गई और उसमें यह तथ्य आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। यदि ऐसी कोई बात थी या है तो इसका सीधा ताल्लुक उच्च न्यायालय से है न कि शासन से ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह ठीक है कि पहले शासन को इसकी जानकारी नहीं मिली लेकिन जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया और जानकारी मिली तो माननीय न्यायाधीश जो हमारे यहां के हैं, माननीय हाईकोर्ट के तहत काम करते हैं लेकिन उनके दुराचार, भ्रष्टाचार के मामले, पद के दुरुपयोग के मामले तो शासन से सम्बन्धित हैं और इनकी जांच प्रशासन नियमानुसार करा सकता है तो मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो उसने इसकी जांच स्वयं क्यों नहीं करायी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जानकारी के बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय को पत्र भेजा है लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला । अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट जजों को लिखा है लेकिन शासन इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

दिनांक 16 को वहां पर प्रदर्शन हुआ था बार एसोसिएशन की ओर से तो

वहां के लोगों से पुलिस से तथा प्रशासन से मिलकर जानकारी करनी चाहिए थी और जहां तक माननीय मंत्री जी का यह कहना कि यह मामला उच्च न्यायालय के अधीन आता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन आ जाती है बार एसोसिएशन के साथ, तो क्या इसकी जानकारी प्रशासन के प्रतिनिधियों ने आपको नहीं भेजी ? अगर नहीं भेजी तो आपको एक्शन लेना चाहिए कि सारी जानकारी क्यों नहीं आयी । दूसरी बात यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

इतना लम्बा प्रश्न आप कर रहे हैं। आप संक्षेप में अपना सवाल कर लीजिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आप कर नहीं रहे हैं, "महत्व-पूर्ण", "महत्वपूर्ण" कह रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

ठीक है, मान्यवर, संक्षेप में प्रश्न कर रहा हूं । जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया, इसकी जानकारी क्या शासन को नहीं है ? क्या इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उनका स्थानान्तरण किस आधार पर हुआ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, पूरे प्रश्न में कहीं पर भी ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है और न कहीं पर ऐसा पता चला है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई हो । स्थानान्तरण की बात जहां तक आप कर रहे हैं, जनरल ट्रान्सफर्स में हुआ होगा, हमको नहीं मालूम ।

फैजाबाद, अकबरपुर की सब्जी मण्डी की दुकानों का किराया

*6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती प्रेमवती तिवारी तथा श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में स्थित सब्जी मण्डी की दुकानों का किराया कब से कितना-कितना बकाया है और उसकी वसूली न करने का कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका, अकबरपुर की सब्जी मण्डी की दुकानों का किराया 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक 944रु0 तथा 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक 2,464 रु0 बकाया है ।

नगरपालिका में चूंकि कर समाहर्ता का पद सृजित नहीं है अतः किराया वसूली का कार्य एक टोल चपरासी से लिया जा रहा है, जिसे अब सख्ती से किराया वसूलने के लिए निदेशित किया गया है । उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि—"उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है ।" तो किस तिथि को निर्देशित किया गया है, अवगत कराने का कष्ट करें ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

11 जुलाई, 1985 को निर्देशित किया गया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या उत्तरदायित्व निर्धारित होने पर प्रश्नकर्ता को माननीया मन्त्री अवगत कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जरूर कराया जायगा ।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं, उत्तर के संदर्भ में कि क्या इस बात की जानकारी है कि यह दुकानदारों की दूकानें कैसी हैं ? क्या टूटी-फूटी और पटरी दुकानदार हैं, जो टैक्स नहीं दे सकते हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इसकी भी जानकारी करा लेंगे ।

श्री सुरजन सिंह मनचन्दा, गोविंद-- गंज, जिला शाहजहांपुर का अपनी पुत्री श्रीमती सुरेन्द्र कौर की हत्या संबंधी शिकायती-- पत्र

*7--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरजन सिंह मनचन्दा पुत्र सरदार सरदूल सिंह गोविन्दगंज, थाना सदर, जिला शाहजहांपुर ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1985 या इसके आस-पास पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0, गृह सचिव, उ0 प्र0 मुख्य मंत्री व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय का दिया था कि उनकी पुत्री सुरिन्दर कौर की हत्या दहेज कम देने के कारण शादी के तीन दिनों के अन्दर ससुराल वालों ने कर दी है ? यदि हां, तो इस आवेदन-पत्र में क्या तथ्य है और इस काण्ड की जांच सरकार किस अधिकारी के द्वारा करा रही है और जांच कब तक पूरी हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी --

जी हां । आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी पुलिस हरीपर्वत द्वारा की गई। जांच से श्रीमती सुरिन्दर कौर की मृत्यु का मामला आत्महत्या का पाया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर ।)

श्री सत्यपाल सिंह--

आजकल देश और प्रदेश में जो लड़कियों की शादी होती है, उसमें दहेज कम देने या न देने के कारण लड़कियों की हत्या कर दी जाती है । जो मंत्री ने जवाब दिया है, उसमें भी इसे साधारण मौत न मानकर आत्महत्या बताया है, इसमें इस लड़की की मौत शादी के तीन दिन के बाद हुई है । कोई लड़की शादी के तीन दिन बाद ही आत्महत्या नहीं करेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या इस मामले की जांच कराई और मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम आपने कराया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें उसके घर वाले दोषी हैं या फिर वहां की पुलिस का दोष है ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसमें लड़के के घर वालों और लड़की के घर वालों की सहमति से उसका दाह संस्कार हुआ इसलिए कोई पोस्टमार्टम कराने की बात नहीं हुई । जब दोनों के घर वालों की सहमति से दाह संस्कार हुआ जो फिर उसमें पोस्ट-मार्टम की आवश्यकता नहीं रही ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, कानून यह है कि हत्या और आत्महत्या होने पर यह मैनडेटरी प्राविजन है कि पोस्टमार्टम होना चाहिये। लड़की के मां-बाप की सहमति नहीं ली गयी । उसकी लाश कुएं से प्राप्त हुई। सारा मामला ऐसा है जिससे लगता है कि स्थानीय पुलिस से मिल कर मामला

दबा दिया गया है। क्या मंत्री जी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 के द्वारा करायेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इस लड़की का दाह संस्कार दोनों घरों के मां-बाप की सहमति से किया गया था, इसके बाद फिर कोई पोस्टमार्टम कराने का प्रश्न नहीं उठता। इसमें आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री मनोहर लाल--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उनकी सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि जिसकी नई शादी होती है उसके 8 साल बाद तक यदि कोई हत्या होती है तो उसका पोस्टमार्टम केवल एक डाक्टर के द्वारा ही नहीं बल्कि दो डाक्टरों के द्वारा होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि हत्या हो जाय और उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। घर वालों की सहमति होने पर भी यदि शादी के आठ साल के अन्दर मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम दो डाक्टरों के द्वारा होना चाहिये। यदि इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, क्या मंत्री जी इस केस की इंक्वायरी सी0 आई0 डी0 के द्वारा करा कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी बताया है और माननीय सदस्य ने पोस्टमार्टम की बात की है, यह मामला जबकि आत्महत्या का है, यह हत्या का मामला नहीं है इसमें दोनों के घर वालों की सहमति से दाह संस्कार हुआ है। इसमें लाश दो दिन रखी रही, लड़की के मां-बाप को बुलाया गया, उनके आ जाने के बाद सबकी सहमति से अन्तिम संस्कार किया गया। उसके बाद लड़की के मां-बाप शाहजहांपुर वापस चले गये। उसके कुछ दिनों के बाद वे फिर आगरा आये। उन्होंने इस सम्बन्ध में कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है, यह उनका कर्त्तव्य था। यदि वे रिपोर्ट दर्ज कराते तो फिर उस पर कार्यवाही की जाती।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस लड़की की मौत की कोई पंचनामा में लिखित रूप से सहमति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस तारीख को प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो सारे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री जफर अली नकवी—

लड़की की मौत की रिपोर्ट कहीं पर भी किसी थाने में नहीं करायी गयी।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग पूरा उत्तर तो सुन लीजिये। आप उत्तर तो सुनना नहीं चाहते, बस प्रश्न करते हैं, उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़ा होने पर।)

आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, केवल आप प्रश्न करते हैं। माननीय मंत्री जी आप कृपा करके स्पष्ट जवाब दें।

श्री जफर अली नकवी--

मैंने तो स्पष्ट बताया कि जब किसी क्राइम के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो किसी इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं उठता है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह--

इस प्रश्न का उत्तर आप दिला दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इसी सवाल में रह जायेंगे, 12 बज रहे हैं।

अल्मोड़ा जिले की भवानी देवी पेय जल योजना

*8--श्री पूरन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत में भवानी देवी पेयजल योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी व उसमें कितने गांव सम्मिलित किये गये हैं तथा अभी तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां।

योजना वर्ष 1988 तक पूर्ण होने की आशा है।

योजना में कुल 21 ग्राम सम्मिलित हैं। योजना में प्रस्तावित सामग्री प्रबन्ध एवं जल शोधन संयंत्र के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री पूरन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य के लिए वहां पर कोई सर्वेक्षण किया गया। क्या आपके विभाग ने उस क्षेत्र में कोई कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, वहां पर जमीन लोकेट कर ली गयी है, उसका चयन भी कर लिया गया है। भूमि को क्रय करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री पूरन सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या जल संस्थान या जल निगम इस योजना हेतु सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं और उनका हेडक्वार्टर क्या उस क्षेत्र में है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, सर्वेक्षण हो गया है। अब भूमि अर्जन की कार्यवाही हो रही है।

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा महानगर के श्री शुबराती को भूमि का आवंटन

*9--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम सजीवन--

क्या नगर विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर अभियन्ता (विकास), नगर महापालिका, लखनऊ के पत्र संख्या 1088 महा0, दिनांक 20-2-71 द्वारा श्री शुबराती तथा इन्हीं के परिवार के अन्य दो श्री सिद्दीक एवं श्रीमती बरातन व्यक्तियों को, जो महानगर, लखनऊ के निवासी हैं, 1200-1200 वर्ग फुट क्षेत्रफल के तीन भूखण्ड प्लाट नं0 153-बी सेक्टर (ए) को उप-विभाजित करके आवंटित किए थे, किन्तु उनका कब्जा सम्बन्धित व्यक्तियों को आज तक नहीं दिया गया है और उन पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत अध्यासियों के नाम क्या-क्या हैं और उनका कब्जा अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों को न दिये जाने के सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों का दोष है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

नगर अभियन्ता (विकास), नगर महापालिका, लखनऊ के पत्र संख्या 1088-महानगर, दिनांक 20-2-71 के अन्तर्गत श्री शुबराती को 1200 वर्ग फुट के क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित किया गया था। अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं है कि श्री शुबराती के साथ अन्य दो व्यक्तियों को भी महानगर में 1200-1200 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के अन्य दो, भूखण्ड भी भूखण्ड संख्या 153-बी सेक्टर "ए" के अन्तर्गत उपविभाजित करके आवंटित किये गये थे। नगर अभियन्ता विकास के उपरोक्त पत्र में केवल शुबराती को भूखण्ड संख्या सी-क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट आवंटित किया गया। आवंटन पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह 1200 वर्ग फुट क्षेत्रफल भूखण्ड संख्या 153-बी को ही काटकर उपलब्ध कराया गया था। भूखण्ड संख्या 153-बी सेक्टर "ए" महानगर पर मौजूदा समय में श्री साबिर का अनधिकृत कब्जा है और इस पर श्री साबिर ने कुछ किरायेदार भी रख रखे हैं। श्री साबिर के विरुद्ध पी0 पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है। अनधिकृत कब्जा न हटाये जाने के सम्बन्ध में जिस अधिकारी ने उदासीनता बरती है इसकी जांच की जा रही है। जांचोपरान्त उत्तरदायी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि श्री शुबराती को 1200 वर्गफुट जमीन एलाट की गयी है तो इसका नम्बर क्या है। 153-बी है या अन्य कहीं पर है। क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है अथवा नहीं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, इसमें तो 153-बी महानगर, सेक्टर-सी दिया गया है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

उत्तर में दिया गया है कि 153-बी का अंग नहीं है जब कि मंत्री जी कह रही हैं कि अंग है। मान्यवर, पूरा जवाब इस तरह से दिया गया है कि कोई बात समझ में नहीं आती। यह मामला पुराने महानगर का है जिसमें शुबराती काफी वर्षों से रहता है और उसे निकाला जा रहा है। उसे नई जमीन एलाट की गई है। आज तक यह पता नहीं है कि उसका नम्बर कहां है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जब तक नये प्लाट का डिमार्केशन नहीं हो जाता, मौके पर कब्जा नहीं मिल जाता तब तक उसे पुराने मकान से न निकाला जाय। मैं यह आश्वासन चाहता हूं।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, इसको हम जल्दी दिखवा लेंगे और उन्हें कहीं दूसरी जगह दिलवा दिया जायेगा।

श्री राम आसरे (हरदोई)--

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

समय देखिये, कितना हो गया। कृपया बैठें।

*10—श्री दीप नारायण—

[17वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*11--श्री अवधेश प्रसाद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*12--श्री जयदीप सिंह बरार--

[16 शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

चुनाव में राजकीय वायुयानों एवं हेलीकाप्टरों का कथित प्रयोग

*13--श्री सूर्यप्रताप शाही--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव आयोग ने गत चुनाव में राजकीय हेलीकाप्टरों एवं वायुयानों पर चुनाव प्रचार में प्रयोग हेतु रोक लगा रखी थी ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इस रोक के बावजूद भी मुख्य मन्त्री ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कर चुनाव प्रचार में हेली-काप्टर एवं वायुयान का प्रयोग किया है ?

श्री जफर अली नकवी--

चुनाव आयोग ने चुनाव में मंत्रीगण व अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा राजकीय वायुयानों (एयरक्राफ्टों) का प्रयोग न करने की अपेक्षा की थी । मुख्य मन्त्री द्वारा गत चुनाव में चुनाव सभाओं हेतु कांग्रेस पार्टी द्वारा किराये पर लिये गये हेलीकाप्टर का उपयोग किया गया था । अतएव कथित उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस सवाल को टालने की कोशिश की है । प्रश्न यह था कि चुनाव आयोग ने गत चुनाव में राजकीय हेलीकाप्टरों एवं वायुयानों पर प्रचार हेतु रोक लगा रखी थी या नहीं ? इस सम्बन्ध में स्पष्ट कोई निर्देश प्राप्त हुआ था या नहीं ? इसको मान्यवर, टालने की कोशिश मन्त्री जी ने अपने उत्तर में की है और कहा है कि प्रयोग न करने की अपेक्षा की गई थी । क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या उन्हें चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुये थे या नहीं ? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इन वायुयानों के प्रयोग के लिये कितना रुपया अग्रिम दिया था, उन्हें कितने दिनों तक किराये में रखा गया था, उनका किन मंत्रियों ने उपयोग किया और उसकी कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था कि सरकारी हेलीकाप्टरों का उपयोग न किया जाय । हमारी सरकार और मुख्य मन्त्री जी ने किसी हेलीकाप्टर का उपयोग नहीं किया । मान्यवर, दूसरा सवाल जो किया गया है वह हमारी पार्टी से सम्बन्धित है । उसके सम्बन्ध में पूछने का उन्हें अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

अगर ये डकैती डालने लगेंगे तो क्या पूछेंगे नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि गत चुनाव में चुनाव सभाओं हेतु कांग्रेस पार्टी द्वारा किराये पर लिये गये हेली-काप्टर का उपयोग किया गया था । मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के वायुयानों और हेलीकाप्टरों के प्रयोग के लिये कांग्रेस पार्टी ने कितना रुपया अग्रिम दिया था कितने रुपये के किराये पर लिया था, किराया कितना हुआ और क्या पूरे किराये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य देवरिया को उनके प्रश्न के सम्बन्ध में सूचित करना चाहता हूं कि ये हेलीकाप्टर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने किराये पर लिये थे और वही यह व्यवस्था करती थी कि कब कौन हेलीकाप्टर कहां जायेगा । जिन तारीखों में उन्हें एलाट किया गया था उन्हीं तारीखों में उनका उपयोग हुआ । उसका हिसाब-किताब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ही रखा था ।

सचिवालय प्रशासन द्वारा लोक सेव आयोग को भेजे गये मामलों पर निर्णय

*14---कुंवर रेवती रमण सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 19/17/78-कार्मिक-1, दिनांक 19 मार्च, 1979 के क्रम में 1 जुलाई, 1983 से 31 जुलाई, 1984 तक कितने मामले सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु भेजे गए थे तथा उनमें से कितने मामलों का निस्तारण अब तक आयोग द्वारा नहीं किया जा सका ? क्या सरकार उपरोक्त मामलों में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रक्रिया अपनाने पर विचार करेगी कि यदि जो मामले आयोग द्वारा 3 महीने की अवधि में निस्तारित न हो, उन्हें शासन स्तर से निस्तारित किया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा 9 मामले आयोग की सहमति/परामर्श हेतु भेजे गये थे जिनमें से कुल 4 मामलों का निस्तारण आयोग द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है । वर्तमान नियमों/प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे मामलों पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि इससे लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चार मामले हैं कब से लम्बित हैं और अगर इस तरह के मामलों में देरी होती है तो उस प्रक्रिया को जल्द करने के लिए क्या सरकार आयोग से कोई स्टेटमेंट मांगती है ?

श्री हुकुम सिंह---

जिन मामलों के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है उसमें एक तो 3-5-84 से लम्बित है, दूसरा 16-11-84 से लम्बित है और तीसरा 5-10-82 से लम्बित है तथा अन्तिम मामला 6-7-83 से लम्बित है । जो स्टेटमेंट की बात कही है उसमें सरकार की ओर से बराबर प्रयास किया जाता रहा है कि जो भी इस तरह के मामले होते हैं उनमें जल्दी कराने के लिए अधिकारी जाते हैं और हमारे सचिव भी गये हैं, वहां बैठकें भी करते रहते हैं । हमारा प्रयास रहता है कि लम्बित मामलों का निस्तारण हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, आप देखेंगे कि कुछ मामले 1982-83 से लम्बित हैं । तो इस बात को देखते हुए सरकार आयोग से हर महीने यहां से स्टेटमेंट भेजेगी और उस पर उनकी रिपोर्ट मांगने का प्रयास करेगी ताकि लम्बित मामले शीघ्र निपटा दिये जायं ?

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, इस बारे में सदैव हमारा प्रयास सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा । लेकिन इसमें वस्तुस्थिति यह है कि लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं, प्रक्रिया जटिल थी वे इच्छा होते हुए भी निस्तारण नहीं कर पाये । 1985 में एक अध्यादेश जारी किया गया और उस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । अब उसके बाद जो पहले विलम्ब होता था वह नहीं होगा ।

मुरादाबाद रोडवेज वर्कशाप में रेडीएटरों की चोरी

*15---श्री मुहम्मद आजम खां---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1982 में मुरादाबाद रोडवेज

वर्कशाप से 66 रेडीएटर चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना कटघर, मुरादाबाद में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

श्री वाई0 पी0 सिंह वर्मा, फोरमैन द्वारा लगभग 22000 रुपये मूल्य के 66 पुराने रेडियेटर रोडवेज वर्कशाप, मुरादाबाद से दिनांक 4-10-82 को चोरी हो जाने की लिखित रिपोर्ट थाना कटघर पर दी गयी। जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 462, धारा 380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से माल व मुल्जिम का पता न लग सकने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर समाप्त कर दी गयी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सरकार की तरफ से जो जबाब आया है इससे आपको अन्दाजा होगा कि जो सरकार अपनी चोरी के माल का पता न लगा सके और माल न निकाल सके वह सरकार जनता को उसका क्या माल दिला पायेगी। मेरा सवाल यह है कि किस अधिकारी ने एफ0 आई0 आर0 लाज कराई है और फाइनल रिपोर्ट किस तारीख को लगी और किस वजह से लगी क्या कोई अधिकारी तो उसमें नही फंस रहा था ?

श्री जफर अली नकवी---

मान्यवर, मैंने बताया कि उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। हमने जब महसूस किया कि विभागीय कर्मचारियों की कुछ लापरवाही हो सकती है तो वहां के सीनियर फोरमैन वाई0 वी0 परमार को सस्पेन्ड कर दिया और दो कर्मचारियों को चार्जशीट दिया गया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

एफ0 आई0 आर0 किस तारीख को किसकी तरफ से लाज हुई और फाइनल रिपोर्ट किस तारीख को लगी दोनों के बीच कितना समय का अर्सा हुआ ताकि मालूम हो सके कि कितनी जल्दी यह मामला निपटा दिया गया ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 दिनांक 4-10-82 को 15·30 बजे दर्ज की गयी थी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

फाइनल रिपोर्ट क्यों लगी ?

श्री जफर अली नकवी--

माननीय सदस्य हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे निवेदन करुंगा कि इसमें वह पुलिस को सहायता कर दिया करें जिससे हमको जानकारी हो जाया करे।

अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में नशा विरोधी आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी

*16—श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के दिनांक 4 मई, 1984 के पत्र जिनमें सोमेश्वर अल्मोड़ा में नशा विरोधी आन्दोलनकारियों के साथ स्थानीय पटवारियों तथा पुलिस के दुर्व्यवहार तथा नैनीताल में असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की गयी थी और जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री (श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी) के पत्रांक सं0 एम0/9-359/सी0 एम0-2/84 मुख्य मंत्री कार्यालय अनु0-2 दिनांक 30 मई, 1984 द्वारा स्वीकार की गई थी, पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

मू0 पू0 विधायक श्री जसवन्त सिंह के चर्चित पत्र में की गयी शिकायतों की जांच करायी गयी जो सही नहीं पायी

गयीं । दिनांक 12-4-84 को सोमेश्वर मे विधि व्यवस्था बनाए रखने से लिए पुलिस ने युक्ति युक्त बल प्रयोग करके कुछ आन्दोलनकारी तत्वों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की थी । अब सभी लोगों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में चलाए गये मामले वापस ले लिए गए हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उस गिरफ्तारी में लाठी चार्ज हुआ और भैंस भी मरी थी, तो विधि व्यवस्था कायम रखने के लिये घर में घुसकर लाठी चार्ज करना और भैंस को मारना क्या आवश्यक था ?

श्री जफर अली नकवी--

कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए वह लाठी चार्ज नहीं हुआ बल्कि उनको वहां से हटाया गया और वह कार्यवाही हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, श्री जसवंत सिंह बिष्ट को आप और सदन के लोग जानते हैं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह अनर्गल आरोप लगाते । यदि आरोप सही नहीं थे तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोप लगाये गये थे उसकी जांच करायी गयी तो श्री बिष्ट को साक्ष्य के लिए क्या बुलाया गया था ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी से कोई बात पूछी नहीं गयी थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, शासन की यह नीति और निर्देश भी रहे हैं कि जब कोई माननीय सदस्य शिकायत करता है और उसकी जांच करायी जाती है तो उस माननीय सदस्य को सूचना दी जाती है । मंत्री जी ने स्वीकार किया कि श्री बिष्ट को सूचना नहीं दी गयी । इसलिए क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि श्री बिष्ट को सूचना देकर मामले की जांच करायेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, श्री बिष्ट जी से पूछा नहीं गया, वह इसका जबाब नहीं है बल्कि उनसे पूछा गया था किन्तु उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया था । इसलिये आपसी समझौता करके केस को समाप्त कर दिया गया ।

राज्य कर्मचारियों (तृतीय) को सरकारी आवास के आवंटन सम्बन्धी विधायकों का पत्र

*17--श्री फजलुलबारी--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि 20 मार्च, 1985 को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों (तृतीय) को सरकारी आवास के आवंटन नीति में कुछ महत्वपूर्ण सुधार सम्बन्धी माननीय सदस्य विधान सभा का संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सुझाव क्या थे तथा अभी तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जी हां ।

माननीय सदस्यों का सुझाव था कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित 10 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो, को वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करके प्राथमिकता के साथ सरकारी आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आवास के परिवर्तन सम्बन्धी मामलों को उनकी अपेक्षा द्वितीय प्राथमिकता दी जाय ।

उपर्युक्त सुझाव पर शासन द्वारा विचार किया गया, किन्तु उसे स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि 10 वर्ष की लगातार सर्विस वालों को वरीयता दी जाये, उसमें कौन-कौन सी खामियां थीं कि शासन ने उससे बेहतर तरीका अख्तियार किया । इसलिय खामियां बता दें और शासन ने जो प्रबन्ध किया है वह क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

शासन की जो वर्तमान प्रक्रिया है जिसे आप जाना चाहते हैं वह यह है कि जो लोग 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को आवंटन किया जाता है किन्तु प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जो कि अभी कहीं निवास कर रहे हैं और अपने निवास में परिवर्तन चाहते हैं । मैं माननीय सदस्य की बात को समझ रहा हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं, उनको यह भय है या यह आशंका है कि शायद ऐसे सेवारत कर्मचारियों को मौका नहीं मिल पाएगा जिनको मकान आवंटित नहीं हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री फजलुलबारी--

अभी मंत्री जी तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, अभी उनका उत्तर समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

हमें घड़ी भी तो देखनी पड़ती है । आप इसको बन्द करा दीजिये ।

*18--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

[दूसरे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश की यात्रा पर हुए व्यय

*19--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 15 अक्तूबर, 1983 से 22 अक्तूबर, 1983 के बीच राज्य सरकार के कौन-कौन मन्त्री महाराष्ट्र प्रदेश में किस-किस शासकीय कार्य से गये तथा इस यात्रा में सरकार को कितना व्यय भार वहन करना पड़ा ?

श्री नारायन दत्त--

अक्तूबर, 15 से 22, 1983 के बीच राज्य सरकार के निम्नांकित मंत्री, उनके नाम के सम्मुख अंकित शासकीय कार्य से महाराष्ट्र प्रदेश गये तथा उनकी यात्रा में सरकार को कुल 29,806.00 रुपये व्यय भार वहन करना पड़ा :

1--तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री श्रीपति मिश्र--की बम्बई यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करना तथा प्रदेश के विकास के लिए वहां के उद्योगपतियों से प्रदेश में उद्योग लगाये जाने के लिये एक बैठक का आयोजन करना था ।

2--तत्कालीन वित्त एवं नियोजन मंत्री, उ0 प्र0 श्री ब्रह्म दत्त--की यात्रा का उद्देश्य बम्बई में गवर्नर रिजर्व बैंक के साथ वार्ता करना था ।

3--तत्कालीन राज्य मंत्री, उद्योग उ0 प्र0, श्री मोहम्मद अमीन अंसारी--उनकी यात्रा का उद्देश्य भिवंडी (महाराष्ट्र) में पावरलूम और छपाई उद्योग का अध्ययन तथा प्रदेश के हज यात्रा से लौटने वाले यात्रियों का बम्बई बंदरगाह में स्वागत करने एवं हज की अन्य समस्याओं पर हज कमेटी बम्बई व मुगल लाइंस बम्बई से वार्तालाप करना था ।

4--तत्कालीन राज्य मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ0 प्र0, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा--की यात्रा का उद्देश्य महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के अवस्थित चीनी मिलों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना तथा वहां के अधिकारियों से विचार विमर्श करना था।

5--तत्कालीन राज्य मंत्री, सहकारिता, उ0 प्र0 श्री बच्चा पाठक--की यात्रा का उद्देश्य बम्बई में वासी स्थान पर उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के शीतगृह के शिलान्यास का आयोजन कराना था।

6--तत्कालीन राज्य मंत्री, राजस्व एवं न्याय, उत्तर प्रदेश श्री राम नरेश शुक्ल--की यात्रा का उद्देश्य महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री एवं न्याय मंत्री तथा न्याय विभाग के अधिकारियों से वहां की न्यायिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना था।

बस्ती जिले के थाना बांसी एवं खेसरहा द्वारा दिये गए बन्दूक राइफल एवं पिस्तौल के लाइसेंस

*20--श्री हरिशचन्द्र हरीश जी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1984 के बीच बस्ती जिले के बांसी और खेसरहा थाने के ऐसे कितने लोगों को बन्दूक, पिस्तौल और राइफल के लाइसेन्स दिये गये हैं, जिनके नाम थाने के रजिस्टर नं0 8 और 10 में दर्ज हैं ?

श्री नारायन दत्त--

थाने पर रजिस्टर नम्बर 10 शीर्षक का कोई रजिस्टर नहीं होता है।

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1980 से 1984 के बीच बस्ती जनपद के थाना बांसी के किसी ऐसे व्यक्ति को बन्दूक पिस्तौल और राइफल का लाइसेंस नहीं दिया गया, जिसका नाम थाने के रजिस्टर नं0 8 में अंकित है।

प्रश्नगत अवधि के बीच उक्त जनपद के थाना खेसरहा के ऐसे 6 व्यक्तियों को राइफल अथवा बन्दूक के लाइसेंस दिये गये जिनके नाम रजिस्टर नं0 8 में अंकित हैं। इनमें से चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम लाइसेंस स्वीकृत करते समय रजिस्टर नं0 8 में दर्ज नहीं थे।

अतारांकित प्रश्न

राजा कमलाकर सिंह द्वारा इलाहाबाद की टाउन एरिया शंकरगढ़ की तहबाजारी की वसूली

1--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शंकरगढ़ टाउन एरिया वर्ष 1981 में बनने के बाद वहां के बाजार की तहबाजारी टाउन एरिया लेती थी, किन्तु अब एक महिला अदालत से स्थगन लेकर आज तक अवैध एवं नाजायज रूप से वसूली कर रही है ? क्या राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार टाउन एरिया को तहबाजारी की वसूली करने का अधिकार दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद इलाहाबाद में शंकरगढ़ टाउन एरिया वर्ष 1977 में बनने के बाद वहां से बाजार की तहबाजारी टाउन एरिया नहीं वसूल कर सकी, क्योंकि तहबाजारी की नीलामी से विरुद्ध राजा कमलाकर सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी गयी थी। उक्त रिट याचिका में टाउन एरिया के विरुद्ध निर्णय दिया गया। इस निर्णय के

विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में टाउन एरिया द्वारा अपील दायर की गयी जो खारिज कर दी गयी। किसी महिला द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त करके तहबाजारी की वसूली नहीं की जा रही हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार टाउन एरिया को तहबाजारी वसूल करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय टाउन एरिया के विरुद्ध था।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के मोटर मार्गों हेतु
माइल स्टोन की खरीद

2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या लोक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1977 से 1979 तक मोटर मार्गों पर लगने वाले माइल स्टोन आगरा से मंगाए गए हैं? यदि हां, तो कितने मूल्य के कितने माइल स्टोन आगरा से मंगाए गए हैं और इन माइल स्टोन को आगरा से ही मंगाने का क्या कारण है? क्या जनपद पौड़ी में ही माइल स्टोन उपलब्ध नहीं थे?

श्री नारायण दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल की नवाड़ी अल्प
सिंचाई योजना

3--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना के सम्पूर्ण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किए जाने का आश्वासन गत विधान सभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था? यदि हां, तो क्या अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी हैं और कब तक इस योजना से ग्रामवासियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने की सम्भावना है?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी-गढ़वाल के ग्राम नगर
असवालस्यूं के चिकित्सालय

4--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम नगर असवालस्यूं में आयुर्वेदिक चिकित्सालय कब संस्थापित है? क्या यह सत्य है कि इसी ग्राम में एलोपैथिक चिकित्सालय भी स्थापित किया गया है? यदि हां, तो एक ही ग्राम में दो चिकित्सालय स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं?

श्री नारायन दत्त--

पौड़ी गढ़वाल जनपद के विकास क्षेत्र कल्जीखाल के ग्राम नगर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय वर्ष 1961-62 से कार्यरत है। यह सत्य है कि वर्ष 1981-82 में इसी ग्राम में एक एलोपैथिक औषधालय की स्थापना भी की गई थी। ग्राम नगर में एलोपैथिक औषधालय की स्थापना जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ही की गई थी। दोनों चिकित्सालय में से एक चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

पौड़ी-गढ़वाल के व्यासघाट,
दुगार खाल एवं रिखणी-
खाल में चिकित्सालय
की स्थापना

5--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल

में वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में किन-किन स्थानों पर चिकित्सालय खोलना प्रस्तावित किया गया है और कब तक यह चिकित्सालय स्थापित हो जावेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

पौड़ी-गढ़वाल में वर्ष 1984-85 में व्यासघाट (विकास खंड कोट) में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा डुवारखाल एवं रिखणीखाल में एक-एक महिला चिकित्सालय प्रस्तावित किये गये जो स्थापित किये जा चुके हैं।

वर्ष 1985-86 में कोई एलोपैथिक अथवा होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

बाराबंकी जिले के ग्राम किस्तीपुर एवं मजरा तीरगांव में अग्निकान्ड

6—श्री राम सागर—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी, तह0 नवाबगंज के ग्राम किस्तीपुर, मजरा तीरगांव में दिनांक 17-4-1985 को आग लग जाने से पूरा गांव जल कर नष्ट हो गया, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने तुरन्त थाना एवं तहसील को दे दी थी, किन्तु फायर ब्रिगेड दूसरे दिन तक गांव नहीं पहुंचा ? परिणाम स्वरूप गांव के लोगों ने दिनांक 18-4-1985 को 2 बजे जिलाधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र के साथ फायर ब्रिगेड की मांग की है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर फायर ब्रिगेड भेजने के अतिरिक्त शेष शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

दिनांक 17-4-1985 को ग्राम किस्तीपुर मजरे तीरगांव, जनपद बाराबंकी में आग लगी और आग से काफी क्षति हुई। आग लगने की सूचना फायर स्टेशन पर उक्त तिथि को 23.05 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के पहले ही फायर सर्विस की एक मात्र यूनिट जी0 डी0 नं0 14, समय 13.58 बजे थाना पटरंगा के अन्तर्गत ग्राम मल्लाहन का पुरवा, तहसील राम सनेही घाट पर लगी आग बुझाने हेतु जा चुकी थी और दिनांक 18-4-1985 को प्रातः 10.35 बजे ही वापस फायर स्टेशन आई। इसके पूर्व 17, 18 अप्रैल, 1985 की रात्रि में ग्रामवासियों के प्रयास से आग बुझाई जा चुकी थी। थाना सतरिख के सब-इन्सपेक्टर ने दिनांक 18-4-1985 को जी0 डी0 नं0 10 समय 10.15 बजे आग बुझने की रिपोर्ट दर्ज की है।

यह सही है कि दिनांक 18-4-1985 को 14.40 बजे एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड भेजने की मांग की गई थी। किन्तु इससे पूर्व आग बुझने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी। अतः फायर ब्रिगेड भेजे जाने का औचित्य नहीं प्रतीत हुआ।

शिकायती-पत्र में अन्य शिकायतें सही नहीं पायी गईं, अतः कार्यवाही उचित नहीं समझी गयी।

7—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

पौड़ी गढ़वाल की इसोटी इन्द्रापुरी पेयजल योजना एवं चांदपुर सुमेरसैंण पेयजल योजना का निरीक्षण एवं सरम्मत

8—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खंड, एकेश्वर के अन्तर्गत इसोटी-इन्द्रापुरी तथा विकास खंड द्वारीखाल के अन्तर्गत चांदपुर-सुमेरसैंण पेयजल योजना का निर्माण गढ़वाल जल संस्थान द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो इन

योजनाओं का निर्माण कब किया गया है और इन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है ?

श्री नारायन दत्त---

इन योजनाओं का निर्माण तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया था ।

इसोटी इन्द्रापुरी योजना का निर्माण वर्ष 1973-74 में किया गया था व इस पर 60,055 रु0 व्यय हुआ था ।

चांदपुर सुमेरसैंण योजना का निर्माण वर्ष 1974-75 में किया गया था व इस पर 94,503 रु0 व्यय हुआ था ।

9---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक एवं उपाध्यक्ष पेयजल एवं जलोत्सारण उप समिति (पर्वतीय विकास) द्वारा भी किया गया है ? यदि हां, तो यह निरीक्षण कब किया गया है और निरीक्षण में क्या-क्या त्रुटियां पायी गयी हैं ? इन त्रुटियों के निराकरण हेतु गढ़वाल जल संस्थान द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या योजना से लाभान्वित सभी ग्रामों को नियमित पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ? कब तक इन योजनाओं से ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा मिलनी सम्भव होगी तथा इनकी मरम्मत हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां ।

माह अप्रैल, 1983 के अन्तिम सप्ताह में किया गया ।

निरीक्षण में इसोटी-इन्द्रापुरी पेयजल योजना की बी0 एफ0 जी0, रफनिंग फिल्टर, इसौटी ग्राम स्थित सी0 डब्लू0 आर0 का वेन्टीलेटिंग कावल एवं ईड़ ग्राम स्थित सी0 डब्लू0 आर0 क्षतिग्रस्त तथा जलनाड़ अपूर्ण पायी गई । चान्दपुर सुमेरसैंण पेयजल योजना के अन्तर्गत सुमेरसैंण, जलाशय एवं जल स्तम्भ आदि क्षतिग्रस्त पाये गये ।

सीमेन्ट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण इसौटी-इन्द्रापुरी पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के कार्य गढ़वाल जल संस्थान द्वारा सम्पन्न नहीं कराये जा सके । चान्दपुर सुमेरुसैंण पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए 1,04,950 रुपये का प्राक्कलन बनाया गया है, क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत आरम्भ करदी गई है । आंशिक रूप से इसौटी-इन्द्रापुरी पेयजल योजना में पानी चालू कर दिया गया है तथा तदर्थ व्यवस्था कर ग्राम सुमेरुसैंण को भी पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ।

वर्षा ऋतु की समाप्ति के उपरान्त इसौटी-इन्द्रापुरी पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

चांदपुर सुमेरुसैंण पेयजल योजना के समस्त क्षतिग्रस्त कार्य लगभग दो माह में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

इसौटी-इन्द्रापुरी पेयजल योजना की मरम्मत हेतु रु0 1,13,000 की राशि प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत की गई है ।

पौड़ी गढ़वाल के ग्रामों का पेयजल हेतु सर्वेक्षण

10---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 1972 के सर्वेक्षण के अतिरिक्त कितने ऐसे अभावग्रस्त ग्राम हैं जिनमें पेयजल का संकट है और इन अतिरिक्त ग्रामों के पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक इन गांवों को पेयजल

संकट से मुक्ति मिल सकेगी ? वित्तीय वर्ष 1985-86 में किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ।

श्री नारायन दत्त--

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अतिरिक्त निर्धारित मापदन्ड के आधार पर 1148 अतिरिक्त समस्याग्रस्त ग्राम हैं ।

इन अतिरिक्त ग्रामों को सप्तम पंचवर्षीय योजना काल में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार वित्तीय वर्ष 1985-86 में जिन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की संभावना है उनकी सूची संलग्न है :

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 147 पर ।)

11--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

पौड़ी गढ़वाल जिले की पैंडुल पेयजल योजना

12--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पैंडुल पेयजल योजना में कौन-कौन ग्राम सम्मिलित है तथा इस योजना की सम्पूर्ण लागत क्या है और इसमें विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मैटीरियल का मूल्य क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

पडुल पेयजल योजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित हैं :--

1--पैंडुल ग्राम डंगल धार बाजार पुरवा को सम्मिलित करते हुये ।

2--भण्डालू ग्राम

3--बहेड़ा ग्राम

अभी प्रथम चरण की योजना ही बनायी है जिसकी अनुमानित लागत 19.42 रु0 लाख है ।

उपरोक्त योजना में जल निगम द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मैटीरियल की कुल लागत 12,12,534 रु0 है।

राजकीय पालीटेकनिक, गोचर (चमोली) नरेन्द्रनगर (टेहरीगढ़वाल), लोहाघाट (पिथौरागढ़), द्वाराहाट(अल्मोड़ा) तथा काशीपुर में छात्रों की संख्या

13--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेकनिक गोचर, उत्तरकाशी, नरेन्द्र नगर, लोहाघाट, द्वाराहाट और नैनीताल में प्रत्येक पाठ्य-क्रम में अलग-अलग कितनी प्रवेश क्षमता है और कितने छात्र प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष में निर्धारित तिथि तक वर्ष 1984 में प्रवेश लिए और इनमें से कितने छात्र 1-1-85 को संस्था के रोल में रहे ? क्या अब छात्रों की संख्या में गिरावट आई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस गिरावट पर रोक लगाने का प्रयास करेगी ?

श्री नारायन दत्त--

राजकीय पालीटेकनिक, गोचर (चमोली), उत्तरकाशी, नरेन्द्रनगर (टेहरी गढ़वाल), लोहाघाट (पिथौरागढ़), द्वारा-हाट (अल्मोड़ा)और काशीपुर (नैनीताल) में वर्ष 1984 में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता निर्धारित तिथि तक छात्रों के प्रवेश की स्थिति एवं दिनांक 1-1-85 को इन संस्थाओं के रोल में छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न प्रपत्र (अ) में अंकित है । प्रविष्ट छात्रों की संख्या में किसी-किसी पाठ्यक्रम में मामूली गिरावट आयी एवं किसी-किसी में बढ़ोत्तरी भी आयी है । इन संस्थाओं

के प्रवेश में जो भी गिरावट हुई है वह छात्रों द्वारा मैदानी क्षेत्र की संस्थाओं में स्थानान्तरण करा लेने, प्रवेश के बाद व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण संस्था छोड़ जाने तथा कुछ पाठ्यक्रमों में निर्धारित संख्या से कम संख्या में अर्ह छात्र उपलब्ध होने के कारण हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि इस सत्र में इन संस्थाओं हेतु और अधिक छात्र आवंटित कर इस गिरावट पर रोक लगाई जाय।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 150 पर।)

तरंग सिनेमा, फैजाबाद में 'गजलों भरी शाम' नामक कार्यक्रम का कथित आयोजन एवं श्री अरविन्द सिंह की गिरफ्तारी

14—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 19 नवम्बर, 1981 को तरंग सिनेमा फैजाबाद में आयोजित "गजलों भरी शाम" में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह के पत्र के आधार पर जांच कराने की बात सरकार द्वारा कही गयी थी ? यदि हां, तो अब तक जांच पूरी हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरी होगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

नवम्बर, 1981 को तरंग सिनेमा फैजाबाद में "गजलों भरी शाम" नामक किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

15—श्री कृष्ण कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरविन्द सिंह, फैजाबाद द्वारा 24 नवम्बर, 1984 को भेजा गया पंजीकृत पत्र जिसमें उन्होंने 1/2 नवम्बर, 1984 की रात में अपनी, धारा 107/16 में गिरफ्तारी की घटना का जिक्र करके जांच की मांग की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित मुख्य आरोप असत्य व निराधार पाये गये। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या में पेयजल का संकट

16—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सरकार को जानकारी है कि फैजाबाद तथा अयोध्या नगर में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? पेयजल की समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं तथा उसके समाधान के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के पत्रकार श्री अरविन्द सिंह पर हुए हमले की जांच

17—श्री कृष्ण कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 फरवरी, 1983 को बार एसोसिएशन फैजाबाद में पत्रकार श्री अरविन्द सिंह पर हुए हमले के सन्दर्भ में गुप्तचर जांच की क्या प्रगति है और वह कब तक पूरी होगी ? जांच में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

सी0 आई0 डी0 की जांच पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की गलतियां पायी गयी हैं। अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

नगर पालिका, बाराबकी में कार्यरत पी0 डब्लू0 डी0 के कर्मचारियों का वेतन

18—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बाराबंकी में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत पी0 डब्लू0 डी0 गैंग, जलकल, बेलदार व चुंगी व नाला गैंग में काम करने वाले लगभग 70 कर्मचारी जो कि स्थायी प्रकृति का काम करते हैं, को स्थायी नहीं किया गया है और न उन्हें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन ही दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

केवल पी0 डब्लू0 डी0 गैंग के 7 कर्मचारी पिछले 12 से 15 वर्ष से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। पद सृजन पर रोक लगी होने के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। इन कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक दैनिक वेतन दिया जा रहा है।

बाराबंकी के जोलिया–देवगांव मार्ग में ली गयी भूमि

19—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जोलिया बनारस–देवगांव मार्ग ग्राम माधोगंज के निकट पुराने गलियारे की जमीन छोड़कर किसानों के खेतों में बढ़कर पटाया गया है जिससे किसानों की काफी क्षति हुई है? क्या यह सही है कि यह काम ठेकेदार के द्वारा करवाया गया है, जिसने नक्शे के विपरीत मार्ग की पटाई की है? क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को प्रश्नकर्ता समेत अनेक शिकायती–पत्र दिये गए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना श्यामदेउरवा द्वारा पकड़ी गई गण्डक समादेश योजना की सीमेन्ट

20—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्यामदेउरवा (गोरखपुर) के थानेदार ने गण्डक समादेश का दो सौ बोरी सीमेन्ट, जो अनधिकृत रूप से जा रहा था, अभी हाल में पकड़ा है? यदि हां, तो मुख्य अभियोगी कौन–कौन लोग हैं एवं उनके विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। दिनांक 28–3–85 को 299 बोरी सीमेन्ट पकड़ा गया। तीन अभियुक्तों (1) सगीर अहमद, (2) राम प्यारे, (3) महमूद आलम अंसारी के विरुद्ध मु0 आ0 सं0 24/85 धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट थाना श्यामदेउरवा पर पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र दिनांक 26–6–85 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

मथुरा में पर्यटन केन्द्रों का निर्माण

21—श्री सरदार सिंह—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर को पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए सरकार कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजनाएं कौन–कौन सी हैं और कहां–कहां पर योजनाओं के अन्तर्गत कार्य शुरू हो गया है।

श्री गुलाब सिंह—

मथुरा में पर्यटन के विकास एवं संवर्द्धन हेतु निम्नलिखित योजनाएं विचाराधीन हैं:

1—यात्री निवास वृन्दावन का निर्माण।

2--यात्री निवास, गोवर्धन का निर्माण।

3--पोतरांकुण्ड का सुन्दरीकरण।

4--गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा रासलीला स्टेज का निर्माण।

उक्त के अतिरिक्त निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

1--यात्री निवास, राधाकुण्ड का निर्माण।

2--यात्री निवास, बरसाना का निर्माण।

मथुरा, गोवर्धन टाउन एरिया द्वारा यात्री कर की वसूली

22--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन टाउन एरिया (मथुरा) में प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 25 पैसे है? यदि हां, तो क्यों? अब तक इस शुल्क से टाउन एरिया को कितना धन प्राप्त हुआ है तथा जन सुविधाओं हेतु किस मद पर अब तक कितना-कितना व्यय शासन ने किया है?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यात्री कर लिया जाता है।

टाउन एरिया को दिनांक 25-5-80 से दिनांक 31-3-85 तक कुल 28,06,453·96 रु0 प्राप्त हुए तथा टाउन एरिया द्वारा विभिन्न मदों में 15,95,427·93 रु0 व्यय किया गया है जिस का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 152) पर।

महाबन टाउन एरिया, जिला मथुरा के कांजी हाउस द्वारा महसूल की वसूली

23--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि महाबन टाउन एरिया, जिला मथुरा के अन्तगत कांजी हाउस (मवेशीखाना) म अन्य टाउन एरियाओं की तुलना में अधिक महसूल जानवरों पर लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन इस महसूल को अन्य टाउन एरियाओं के बराबर करने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी नहीं। मथुरा जनपद के महाबन टाउन एरिया के अन्तर्गत कांजी हाऊस में उक्त जनपद की अन्य टाउन एरियाओं की तुलना में अधिक महसूल नहीं वसूल किया जाता है। परन्तु प्रदेश में अन्य टाउन एरियाओं की तुलना में दरें अधिक हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने सुविचारित ढंग से मथुरा की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय 7-10-1976 को लिया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मथुरा-इगलास-अलीगढ़ मार्ग पर रोडवेज की बस को लूट

24--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1985 के प्रथम सप्ताह में मथुरा-इगलास-अलीगढ़ मार्ग पर थाना इगलास के अन्तर्गत यू0 पी0 रोडवेज की अनुबन्धित बस लुटी थी? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? शासन ने पीड़ितों को क्या राहत दी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-4-1985 को अनुबन्धित बस के परिचालक द्वारा थाना इगलास पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई कि साधनी और बेतवा मोड़ के बीच में काले आम के पास उसी बस में सवार 6 आदमियों ने गाड़ी को रोक कर चाकू की नोंक पर लूट-पाट की तथा इस दौरान परिचालक सहित तीन व्यक्तियों को चोटें आई । इस सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान थाना इगलास पर पंजीकृत किया गया । इस अभियोग की विवेचना के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, एक अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्म-समर्पण किया गया तथा एक अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त के दौरान पहिचान न किये जाने के कारण धारा 169 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत रिहा किया गया । शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है । इस प्रकार के मामलों में शासन द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मांट, मथुरा में चीनी मिल की स्थापना की मांग

25--श्री सरदार सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की तहसील मांट के अन्तर्गत एक चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

मांट (मथुरा) में चीनी मिल की स्थापना की लाइसेंस प्राप्त करने का प्रस्ताव वर्ष 1980 में भारत सरकार को भेजा गया था जिसे भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया । भारत सरकार की वर्तमान गाइड लाइन्स के अन्तर्गत मांट (मथुरा) में चीनी मिल स्थापना का कोई आधार नहीं बनता ।

दि मथुरा डिस्ट्रिक्ट राइफल एशोसिएशन द्वारा सदस्यों से लिया गया सदस्यता शुल्क

26--श्री सरदार सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा में कोई राइफल क्लब है, जो आयुध लाइसेंसधारियों से नवीनीकरण के समय, नए लाइसेंस बनने के समय सदस्यता फीस वसूल करता है ? यदि हां, तो 1-4-1985 तक कितना शुल्क आयुध लाइससधारियों से इकट्ठा हुआ, वर्षवाइज विवरण देने की कृपा करें साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि आयुध लाइसेंसधारियों के हित में कितनी- कतनी धनराशि व्यय की गयी और राइफल क्लब उनको क्या सुविधा देत है ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचनानुसार मथुरा जनपद में राइफल क्लब नाम की कोई संस्था नहीं है बल्कि दि मथुरा डिस्ट्रिक्ट राइफल एशोसिएशन नाम की संस्था है । उक्त एसोसिएशन के सदस्यों से सदस्यता शुल्क वसूल किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दिसम्बर, 1956 से 31-3-1985 तक कुल 1,68,533.24 रुपया वसूल हुआ जिसका वर्षवार विवरण संलग्न है । उक्त धन में से संस्था के सदस्यों को निशानेबाजी के प्रशिक्षण और इस प्रयोजन हेतु राइफलों व कारतूसों के उपयोग राइफल शूटिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन तथ संस्था के संचालन और उसके कार्यालय निर्माण और रखरखाव पर अब तक कुल 1,44,404.92 रुपया व्यय किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 153 पर ।)

27--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[3रे सोमवार में अत' 0 प्र0 सं0 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कल्जी खाल मुण्डनेश्वर मार्ग के ग्रेडिएन्ट की बरम्मत

28--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड पौड़ी के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा कल्जीखाल मुण्डनेश्वर मोटर मार्ग के ग्रेडिएन्ट में सुधार करने हेतु कार्यवाही किए जाने की जानकारी अपने पत्रांक 541/13-सी, दिनांक 12-2-1981 के द्वारा तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दी गयी थी ? यदि हां, तो तब से अब तक इस सड़क के ग्रेडिएन्ट में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक इस सड़क के ग्रेडिएन्ट में सुधार किए जाने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29--श्री राम आसरे (हरदोई)--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मोतीझील सचिवालय कालोनी के भवनों का आवंटन

30--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की मोतीझील सचिवालय कालोनी भवन संख्या ई-डी 73 से ई-डी 97 तक के भवनों में दि0 30 जून, 1984 तक कौन-कौन व्यक्ति रह रहे हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उन्हें यह भवन किस तिथि को आवंटित किए गये ?

श्री नारायन दत्त--

राज्य सम्पत्ति विभाग की मोतीझील सचिवालय कालोनी में भवन संख्या ई-डी-73 से ई-डी-97 के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये अनुबन्ध 'च' आगे पृष्ठ 155 पर ।)

31--श्री राम आसरे (हरदोई)--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

कानपुर व लखनऊ, जल निगम के आशुलिपिकों का स्थानान्तरण

32--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की करेंगे कि 1 जनवरी, 82 से 30 जुन, 1984 तक कानपुर व लखनऊ जल निगम के कितने आशुलिपिकों का जनपद के बाहर स्थानान्तरण किया गया एवं उनके क्या-क्या आधार थे ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत अवधि में जल निगम के एक शाखा कार्यालय को इटावा स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप केवल एक आशुलिपिक का स्थानान्तरण कानपुर से इटावा किया गया । लखनऊ से किसी भी आशुलिपिक का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

वर्तमान पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल में अपराधों में हुई वृद्धि

33-- श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि वर्तमान डी0 जी0 पी0 के कार्यभार सम्भालने के उपरान्त प्रदेश में अपराध संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन अपराधों की वृद्धि रोकने हेतु कोई नये कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । वर्तमान पुलिस महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 1-4-84 से 31-12-84 की अवधि में वर्ष 1983 की इसी अवधि की तुलना

में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण उक्त अवधि में पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी अपराधों के सही पंजीकरण पर अधिक बल दिया जाना है। अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध योजनाबद्ध रूप से कार्यवाही की गयी है। सफेदपोश अपराधियों, गुन्डागर्दी के बल पर सरकारी ठेके हथिया लेने व दूसरों की जमीन-जायदाद पर कब्जा करने वालों, जुआ व वैश्यावृति के अड्डों के चलाने वालों, शस्त्रास्त्रों की दुकानों पर लूट व चोरी की घटनाओं की रोकथाम, विवाद-ग्रस्त जमीनों पर धार्मिक स्थल बना लेने की घटनाओं की रोकथाम, लगातार अपराध करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही, हत्या एवं उपद्रव के गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु बीट सूचनायें एकत्र करने तथा जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने सम्बन्धी आदेश दिये गये हैं और इन सभी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके आशातीत परिणाम सामने आये हैं और वर्ष 1985 में 1 जनवरी से 15 जून तक की अवधि में 1984 की इसी अवधि की तुलना में हत्या को छोड़कर सभी प्रमुख अपराधों की संख्या में कमी हुई है।

बरेली के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग

34—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक उस जिले में किस तिथि से तैनात हैं? क्या इस बीच उनके स्थानान्तरण के लिए सरकार के पास शिकायतें आ चुकी हैं।

श्री नारायन दत्त—

जिला बरेली ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने पद पर दिनांक 21-6-85 से तैनात हैं।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुभाग अधिकारी

35—श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री त्रिलोक चन्द्र —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे मंगलवार (28-2-84) को उत्तरित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

अग्रेतर की गयी कार्यवाही से विनांक 3-4-84 को सदन को अवगत कराया जा चुका है, तथा बाद में प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा आश्वासन समिति को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के पात्रता क्षेत्र के लिये सात वर्ष की अवधि

36—श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी अध्यक्षता में 27 अक्तूबर, 1984 को अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री जी ने इन जातियों के पात्रता क्षेत्र के लिए अहंकारी सेवा की शर्त पांच वर्ष करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 27 अक्तूबर, 1984 को हुई बैठक में तत्कालीन राष्ट्रीय एकी-

करण मंत्री जो द्वारा पात्रता प्रक्षेत्र के लिये अर्हकारी 7 वर्ष की सेवा की शर्त घटाकर 5 वर्ष किये जाने की जो बात कही गई थी वह उनका सुझाव मात्र ही था, जिसे विचारोपरान्त स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

फैजाबाद के ग्राम हरपुर कौडहा के श्री असलम अब्बास की मृत्यु सम्बन्धी पंचनामा

37—श्री सुखपाल पान्डे तथा श्री प्रमोद कुमार—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9-12-75 को ग्राम हरपुर कौडहा, थाना बेवाना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में असलम अब्बास पुत्र नान्हू के आकस्मिक निधन पर क्या कोई पंचनामा पुलिस द्वारा किया गया था ? यदि हां तो उक्त पंचनामा क्या है ? क्या उस पंचनामे पर श्री असलम अब्बास के पिता का नाम व जाति लिखा गयी है तथा उस पंचनामे पर किन-किन लोगों के पंच व साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर हैं ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत पंचायतनामा की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जिल्द पंचायतनामा वर्ष 1975 का दिनांक 10-7-78 को अभिलेखागार से नष्ट किया जा चुका है । इसके रखने की मियाद एक वर्ष की ही होती है । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

38—श्री सुखपाल पान्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

अकबरपुर, राज्य कताई मिल में भ्रष्टाचार की जांच

39—श्री प्रमोद कुमार तथा सुखपाल पाण्डे—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली, तत्कालीन विधायक के 18-8-84 के पत्र, जो अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, पर डी० जी० पुलिस ने कोई सी० आई० डी० की जांच के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री नारायन दत्त—

दिनांक 18-8-84 का तो नहीं, दिनांक 25-8-84 का पत्र प्राप्त हुआ । मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

40—श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

फैजाबाद के ग्राम तारा खुर्द में मकर संक्रान्ति पर मेले का आयोजन

41—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खन्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद के थाना मालीपुर के अन्तर्गत ग्राम ताराखुर्द में क्या कोई मेला मकर संक्रान्ति के दिन लगता है ? यदि हां, तो यह मेला कब से किस भूमि पर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1983 को पत्रांक अ० शा० पत्र संख्या एस० टी० सी-37/83 द्वारा कोई जानकारी श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक, अकबरपुर को दी थी ? यदि हां, तो वह मूल पत्र क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इटावा, रठगांव मन्हौसी धुपकरीपुरा ओरों-मड़हादसपुर, चन्द्रपुर-बमरौलियां विधूना सम्पर्क मार्ग का निर्माण

42--श्री औसान सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि रठगांव मन्हौसी धुपकरीपुरा ओरों-मड़हादसपुर, जीवासर-सानी प्रख्यजैत, चन्द्रपुर-बमरौलिया विधूना (जनपद इटावा) सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराया गया है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूतपूर्व विधायकों की मृत्यु होने पर उनकी लाश को सरकारी व्यय पर निवास स्थान पर ले जाने की व्यवस्था

43--श्री सरदार सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1ले मंगल के लिए निर्धारित श्री रघुवीर सिंह यादव के अतारांकित प्र0सं0 54 के रूप में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेंशन पाने वाले भू0 पू0 विधायकों की मृत्यु अपने निवास स्थान से बाहर हो जाने पर उनकी लाश को उनके निजी निवास स्थान तक सरकारी खर्च से पहुंचाने पर सरकार जो विचार कर रही थी, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

सम्पूर्ण मामले पर विचार उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विधान मन्डल के किसी सदस्य का मृत्यु उनके निवास स्थान से बाहर किसी स्थान पर होने की दशा में उनके पार्थिव शरीर को, यदि उनका परिवार इस व्यय को वहन करने के लिये सक्षम न हो और सम्बन्धित जिलाधिकारी से इसके लिये अनुरोध किया जाय तो 500 रुपये तक की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शासकीय खर्च पर उनके निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ।

अल्मोड़ा जिले की ग्राम सभा गल्ली को रौलपकूना पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति

44--श्री सरदार सिंह--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र धौलादेवी जिला अल्मोड़ा की पेयजल योजना को सुव्यवस्थित किये जाने तथा उसके अधूरे कार्य को पूरा किए जाने के सम्बन्ध में सांसद श्री हरीश रावत का 2-6-1984 का पत्र, अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम को मिला ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित ग्राम सभा गल्ली, विकास खन्ड धौलादेवी को रौलपकूना पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में पेयजल से लाभान्वित किया गया था किन्तु इस योजना के स्रोत के पास स्थित ग्राम सिरोलागूंठ का स्रोत से ऊंचाई पर स्थित होने के फलस्वरूप योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सका । सिरोलागूंठ के ग्रामवासी इस स्रोत से पानी दिये जाने की मांग को लेकर पाइप लाइन में तोड़-फोड़ एवं विवाद उत्पन्न कर रहे हैं जिससे ग्राम गल्ली की पेयजल योजना में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।

उक्त विवाद अभी हल नहीं हो पाया है ।

अल्मोड़ा जिले की ग्राम सभा गूल्ली के ग्रामों को सिंचाई सुविधा की मांग

45--श्री सरदार सिंह--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि विकास खन्ड धौलादेवी जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा गूल्ली के लिए सिंचाई हेतु दाड़िमखेत गधेरे से पानी लेने का सर्वेक्षण हुए बहुत समय बीत गया है परन्तु अभी तक इसका कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी अनावश्यक विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने एवं सिंचाई के कार्य अविलम्ब शुरू करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, सांसद का 2-6-1984 का अधीक्षण अभियन्ता, अल्मोड़ा को कोई पत्र भी मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद अल्मोड़ा में धौलादेवी विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम सभा गूल्ली के ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दाडिमखेत गधेरे का सर्वेक्षण वर्ष 1981-82 में कराया गया था जिसे 17.30 कि0 मी0 लम्बी नहरों की प्रायोजना में सम्मिलित किया गया था। परन्तु योजना की लागत निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी।

कोई प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ और माननीय सांसद को अधिशासी अभियन्ता की ओर से उत्तर दे दिया गया था।

मथुरा जिले के गढ़ी महाराम में डकैतों से मुठभेड़ में श्री सोबरन सिंह की मृत्यु

46--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12, 13 मई, 1984 की रात्रि को गढ़ी महाराम, थाना बल्देव, जिला मथुरा के अन्तर्गत ग्रामीण एवं डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें सोबरन सिंह नामक युवक ने एक डकैत को मार दिया तथा स्वयं भी डकैत की गोली से मर गया था ? यदि हां, तो क्या शासन मृतक सोबरन सिंह की विधवा को आजीवन पेंशन व बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। दिनांक 12, 13 मई, 1984 की रात्रि को गढ़ी महाराम, थाना-बल्देव, जिला-मथुरा के अन्तर्गत ग्रामीण एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें सोबरन सिंह नामक युवक ने एक बदमाश को मार दिया तथा स्वयं भी बदमाश की गोली से मर गया था।

2--मृतक की विधवा को आजीवन पेंशन देने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा नियमानुसार विचार कर लिया जायेगा। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त विद्यालयों में बालकों के लिये कक्षा 6 तक तथा बालिकाओं के लिये कक्षा 10 तक शिक्षा निःशुल्क है लेकिन यदि जिलाधिकारी, मथुरा से मृतक श्री सोबरन सिंह के बच्चों को शिक्षा शुल्क से मुक्ति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो शासन द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जायगा।

मथुरा जिले में हत्याओं में वृद्धि

47–श्री सरदार सिंह––

क्या गृह मन्त्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1983 में हत्याओं का प्रतिशत बढ़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? आये दिन हो रही हत्याओं को रोकने के लिए शासन क्या कर रहा है ? क्या मन्त्री जी एक जनवरी, 1984 से जनपद में हुई हत्याओं का लेखा–जोखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरायन दत्त––

जी हां । इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्राम प्रधानों का चुनाव तथा आपसी रंजिश का होना पाया गया है । अपराधों को रोकने हेतु पुलिस द्वारा समय–समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की गई एवं पुलिस गश्त की समुचित व्यवस्था की गई । वर्ष 1984 में हत्याओं के कुल 112 अभियोग पंजीकृत किये गये ।

फर्रुखाबाद, मोहल्ला कोठापार्चा के सुशील कुमार द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रीता की हत्या

48––श्री सरदार सिंह––

क्या सरकार को जानकारी है कि 19 सितम्बर, 1984 को जनपद फर्रुखाबाद के स्थानीय मोहल्ला कोठापार्चा निवासी सुशील कुमार, जो कि जलकल विभाग में कार्यरत हैं, को स्वयं की पत्नी श्रीमती रीता (18 वर्ष) की हत्या के आरोप में बन्दी बनाया गया था ? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है ? शासन दहेज के अपराधों को रोकने के लिए कौन–कौन से कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 18–9–1984 को श्री सुशील कुमार दीक्षित, निवासी मोहल्ला कोठापार्चा फर्रुखाबाद को बन्दी बनाया गया था जो जलकल विभाग में कार्यरत नहीं थे । दिनांक 17–9–1984 को बादी श्री चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अभियुक्त सुशील कुमार दीक्षित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । दहेज के अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में शासन द्वारा उठाये गये कदमों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 157 पर ।)

49––श्री सरदार सिंह––

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

अलीगढ़ के थाना चन्डौस के उप निरीक्षक, श्री धीरज सिंह के विरुद्ध रिश्वत लेने का मुकदमा

50––श्री सरदार सिंह––

क्या गृह मन्त्री को जानकारी में है कि माह सितम्बर, 1984 में जनपद अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के सर्किल आफिसर ने थाना चन्डौस के उप निरीक्षक धीरज सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन ने दोषी उप निरीक्षक को क्या दन्ड दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

श्री मुरारी लाल, हाल निवासी नगला पदम, थाना चन्डौस, जिला अलीगढ़ द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को एक शिकायती–पत्र इस आशय का दिया गया कि सब इन्सपेक्टर श्री धीरज सिंह, उसके द्वारा

लिखाये गये अभियोग में सही विवेचना किये जाने हेतु 200 रु0 रिश्वत मांग रहे हैं । इस प्रार्थना-पत्र पर जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा ट्रैप डालने के आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा ट्रैप डाला गया और उप निरीक्षक श्री धीरज सिंह को गिरफ्तार करके निलम्बित किया गया । इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, सदर की सूचना पर थाना चन्डौस पर अभियोग, अन्तर्गत धारा 161 भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत किया गया । इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, खैर द्वारा की गई जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

आगरा के ईदगाह कुतुलपुर के श्री रामनाथ अग्रवाल को लूटने की घटना

51—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी में है कि दिनांक 19 सितम्बर, 1984 को थाना रकाबगंज, आगरा के अन्तर्गत ईदगाह कुतुलपुर निवासी श्री रामनाथ अग्रवाल को बदमाशों ने लूट कर घायल कर दिया था ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? विवेचना का परिणाम क्या है ? शासन इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है ।

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार ईदगाह कुतुलपुर निवासी श्री रामनाथ अग्रवाल को बदमाशों द्वारा लूट कर घायल कर दिये जाने की घटना दिनांक 18 सितम्बर, 1984 को थाना रकाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत घटित हुई थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है ।

संदर्भित घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग संख्या 539/84, अन्तर्गत धारा 394 भा0 दं0 वि0 की विवेचना से चार अभियुक्त प्रकाश में आये । इनमें से तीन अभियुक्तों को गवाहों द्वारा शिनाख्त न कर पाने के कारण धारा 169 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया तथा शेष अभियुक्त चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्दू, जिसके पास से लूटी हुई घड़ी बरामद हुई थी, के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 159 पर ।)

आगरा-मथुरा के मध्य पंजाब मेल के यात्रियों की लूट

52—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 सितम्बर, 1984 को आगरा-मथुरा के मध्य 5 डाउन पंजाब मेल में कुछ यात्रियों को लूटकर घायल कर दिया गया था ? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है ? क्या शासन ने पीड़ितों की मदद हेतु केन्द्र सरकार के रेल विभाग को संस्तुति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-9-84 को ट्रेन नं0 5 डाउन पंजाब मेल में कुछ यात्रियों को लूटा गया था । उक्त गाड़ी में प्रथम श्रेणी के कोच संख्या 3025 में रेलवे स्टेशन राजा मंडी से गाड़ी चलते समय 6 बदमाश चाकू कट्टे के साथ चढ़ गये और रेलवे स्टेशन रुनकला एवं कीटम के मध्य लूटपाट कर रेलवे स्टेशन कीटम पर उतर गये । इसमें एक यात्री कट्टे के फायर से घायल हो गया और लगभग 11,939 रुपया का सामान जवर, घड़ी, कपड़े नकदी आदि की लूट हुयी थी । लूट के सामान में से लगभग 6,939 रुपये की सम्पत्ति उसी दिन तीन अभियुक्तों से बरामद की गई । थाना जी0 आर0 पी0, मथुरा जंकशन पर अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना के

उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र सरकार के रेल विभाग को पीड़ितों की मदद हेतु कोई संस्तुति नहीं की गई है, क्योंकि इस प्रकार के आपराधिक मामलों में इस प्रकार संस्तुति किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के श्री भीम सिंह का पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी प्रत्यावेदन

53--श्री सरदार सिंह--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भीम सिंह आदि का पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रश्नकर्ता को संस्तुति के साथ माह अक्तूबर, 1984 में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में क्या-क्या मुख्य सुझाव थे और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

श्री भीम सिंह आदि के प्रत्यावेदन में मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे :--

(1) निर्धारित शुल्क में कमी की जाय,

(2) दो विषयों के स्थान पर चार विषयों में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाय,

(3) एक परीक्षक के स्थान पर दो परीक्षकों से पुनर्मूल्यांकन कराया जाय व उनके द्वारा प्रदान अंकों के औसत से अंक दिया जाय,

(4) 20 प्रतिशत अंकों के अन्तर को समाप्त किया जाय।

उपरोक्त सुझावों से सम्बन्धित प्रत्यावेदन को इस कार्य हेतु शासन स्तर पर गठित पुनर्मूल्यांकन समिति को संदर्भित किया गया एवं समिति की संस्तुति अब प्राप्त हो गयी है। शासन द्वारा उक्त संस्तुति पर विचार कर यथोचित निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

पी0 डब्ल्यू0 डी0 कालोनी, राजेन्द्रनगर, लखनऊ की सड़क एवं पार्क के सुधार हेतु शिकायती-पत्र

54--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 कालोनी, राजेन्द्रनगर, लखनऊ की सड़क तथा पार्क की समस्याओं के सम्बन्ध में श्री के0 के0 दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ का शिकायती-पत्र, दिनांक दिनांक 3 सितम्बर, 1984 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

नगर महापालिका, लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यह कालोनी अभी तक महापालिका को हस्तान्तरित नहीं हुयी है। अतः महापालिका द्वारा पार्क व सड़क के सुधार का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ की गली की पटाई

55- श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि न्यू श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ में मकान नं0 559-ख/75 क के तथा लक्ष्मी नारायण, राम आसरे, जगदीश तथा ढाब आदि के मकानों के बीच में जो गली उत्तर की ओर से जाती है काफी नीची होने के कारण कीचड़ युक्त रहती है जिससे वहां के निवासियों को आने-जाने में अत्यधिक असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली में मिट्टी डालकर अविलम्ब पिटाई कराने एवं खड़ंजा लगाने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

उक्त गली के प्रश्नगत भाग में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा मिट्टी डाल कर पटाने का कार्य करा दिया गया है। खड़ंजे का कार्य महापालिका द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई के मोहल्ला सराय थोक पूर्वी के श्री विशेश्वर दयाल मिश्र के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

56--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, निवासी--मोहल्ला सराय थोक पूर्वी, थाना कोतवाली, हरदोई के विरुद्ध जांच कराने के सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह, विधायक का पत्र गृह सचिव व महामहिम राज्यपाल को अप्रैल, 1985 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से तथ्य हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। संदर्भित पत्र में अंकित तथ्य निम्न प्रकार हैं :--

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, निवासी मोहल्ला सराय थोक पूर्वी, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई जो शारदा कनाल कार्यालय में कैशियर पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध एक मामला धारा 107/116 का परगनाधिकारी, हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है एवं थाना कोतवाली, हरदोई में दिनांक 12-8-84 को अपराध संख्या 356 तथा दिनांक 7-11-84 को अपराध संख्या 511 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की रिपोर्ट दर्ज है। क्षेत्र की पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध धारा 325 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करके भी विवेचना की जा रही है। पुलिस द्वारा अभी तक उनके कार्यालय को न तो सूचित किया गया और न ही उनके विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही की है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दिये गये थे। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मिश्रा के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय अ0 संख्या 356 धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया। अहस्तक्षेपीय अपराध होने के करण पुलिस द्वारा इनको विवेचना नहीं की गई, जो नियमानुकूल है। दिनांक 7-11-84 को मिश्रा के विरुद्ध गैर दस्तन्दाजी अपराध संख्या 511, धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 की सूचना अंकित कराई गई, जिसे डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 32, धारा 325/323/504 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित करके विवेचना के उपरान्त श्री मिश्र एवं अन्य 3 अभियुक्तों का आरोप-पत्र द्वारा चालान न्यायालय किया गया। श्री मिश्र के कार्यालय को पुलिस द्वारा सूचित कर दिया गया है।

लखनऊ, नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण के नियम

57--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका और लखनऊ विकास प्राधिकरण में ठेकेदारी में पंजीकरण के क्या नियम हैं ? महापालिका और लखनऊ विकास प्राधिकरण में ए0, बी0, सी0 श्रेणी का पंजीकरण शुल्क अलग-अलग क्या है और महापालिका और लखनऊ विकास प्राधिकरण में दि0 17-11-1984 तक कितने ठेकेदारों के पंजीकरण हुए ?

श्री नारायन दत्त--

लखनऊ नगर महापालिका में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु ठेकेदार से उनक

पता तथा स्वामित्व आदि के बारे में शपथ-पत्र लिया जाता है, जो नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित होता है । मुख्य अभियन्ता द्वारा संतुष्ट होने पर उन्हें तीन श्रेणियों यथा ए0, बी0 तथा सी0 में क्रमशः रु0 500, रु0 250 तथा रु0 125 की स्थायी प्रतिभूति जमा कराकर महापालिका में ठेकेदारी हेतु पंजीकरण किया जाता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकृत के नियम निम्नवत् हैं :—

(1) वह किसी अपराध में दण्डित नहीं है और उनके ऊपर किसी अपराध का वाद नहीं चल रहा है ।

(2) उसके पास तकनीकी एवं अतकनीकी कर्मचारियों की पूर्ण व्यवस्था है ।

(3) उसकी वित्तीय स्थिति उत्तम है ।

(4) उसने कार्यों को पूर्ण करने में सदैव विभाग को सहयोग दिया है तथा कभी भी उसे चेतावनी, दण्ड अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है ।

(5) उसने नियमित इनकम टैक्स का भुगतान किया है ।

इस वर्ष से आवेदकों से आय-कर बेबाकी प्रमाण-पत्र और उनकी वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में बैंक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है । जिसकी जांच पुलिस विभाग द्वारा कराई जाती है ।

महापालिका में पंजीकरण हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।

विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार है :—

	रु0
1—विशिष्ट "ए" श्रेणी	500
2—"ए" श्रेणी	400
3—"बी" श्रेणी	300
4—"सी" श्रेणी	200
5—"डी" श्रेणी	100

दिनांक 17-11-84 तक महापालिका में विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या 733 थी और विकास प्राधिकरण में 369 थी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों की मरम्मत

58—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के पुराने पार्कों की मरम्मत का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण करता है या लखनऊ नगर महापालिका ? यदि यह कार्य विकास प्राधिकरण का है तो दिनांक 17-11-84 तक कितने पुराने पार्कों की मरम्मत विकास प्राधिकरण द्वारा कराई गई ।

श्री नारायन दत्त—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा केवल उन्हीं पुराने पार्कों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य किया जाता है जो प्राधिकरण की सम्पत्ति है, शेष पार्कों की मरम्मत का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का नहीं है । दिनांक 17-11-84 तक 20 पार्कों की मरम्मत विकास प्राधिकरण द्वारा करायी गयी ।

लखनऊ, नगरमहापालिका के मार्ग प्रकाश विभाग में अधीक्षक का कथित पद

59--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका में मार्ग प्रकाश विभाग में अधीक्षक का पद भी सृजित हैं ? यदि हां, तो इस पद पर किसकी नियुक्ति की गयी हैं ? यदि अब तक नियुक्ति नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा वृन्दावन, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं के विरुद्ध कर्मचारियों का प्रदर्शन

60--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जून, 1984 को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व अभियन्ताओं की, अनियमितताओं व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी, मथुरा के सामने विशाल प्रदर्शन हुआ था ? और ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है तथा उन्हें प्रत्यावर्तन करके उनके पैतृक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को भेज दिया गया । ज्ञापन में उल्लिखित अन्य मांगों का सम्बन्ध विकास प्राधिकरण से नहीं था ।

श्री बी० बी० सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मथुरा का स्थानान्तरण

61--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बी० बी० सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (आर० ई० एस०), मथुरा अपनी कुल सेवा का अधिकतर अंश शिकायतों के बावजूद मथुरा में ही बिता रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त अधिकारी का अविलम्ब मथुरा से स्थानान्तरण करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

श्री बी० बी० सिंह, सहायक अभियन्ता अपने पूर्ण सेवा काल में दिनांक 27 अक्तूबर, 1972 से 18 जुलाई, 1978 तक एवं 30 अप्रैल, 1982 से 25 अप्रैल, 1985 तक जनपद मथुरा में कार्यरत रहे । श्री सिंह के विरुद्ध उनके जनपद मथुरा के कार्यकाल से सम्बन्धित कोई गम्भीर शिकायत प्राप्त नहीं हुयी ।

श्री सिंह पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर जनपद मथुरा से दिनांक 26 अप्रैल, 1985 के पूर्वाह्न में कार्यभार से मुक्त हो चुके हैं ।

मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत जल संस्थानों द्वारा सार्वजनिक नल लगाये जाने का मापदण्ड

62--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थानों द्वारा

सार्वजनिक नल लगाए जाने का क्या मापदण्ड है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि मलिन बस्ती सुधार योजना में सार्वजनिक नल लगाने का क्या मापदण्ड है ? दोनों मापदण्डों में अंतर का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल सम्पूर्ति नियम, 1968 के नियम 34 के अनुसार नलों के मध्य न्यूनतम दूरी 180 मीटर होनी चाहिये । जल संस्थानों द्वारा सार्वजनिक नल लगाने में इसी मापदण्ड का अनुसरण किया जाता है।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में 150 व्यक्तियों की जनसंख्या पर एक सार्वजनिक नल लगाये जाने का मापदण्ड शासन द्वारा निर्दिष्ट है ।

दोनों मापदण्डों में अन्तर का कारण यह है कि सार्वजनिक नल उत्तर प्रदेश जल सम्पूर्ति नियम, 1968 की नियम 34 में उल्लिखित मापदण्ड के अनुसार लगाये जाते हैं, जबकि मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में सार्वजनिक नल लगाये जाने का मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

श्री बी0 एल0 जैन, अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निलम्बन

64--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एल0 जैन, अवर अभियन्ता जब लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियुक्त थे, को वर्ष 1978 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उनको अभी तक चार्जशीट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी उनके निलम्बन अवधि के अवशेष देयों का भुगतान कराने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

श्री बी0 एल0 जैन, अवर अभियंता को वर्ष 1977 में निलम्बित किया गया था ।

जी हां, उनको चार्जशीट दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

सराय मली खां कन्धी टोला, अहोरी टोला, लखनऊ के नालों को पक्का करने की मांग

65--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सराय मली खां कन्धी टोला, अहोरी टोला, लखनऊ स्थित नालों को पक्का करने के लिए क्षेत्रीय जनता तथा सेक्टर वार्डेन कन्धी द्वारा नगर विकास मन्त्री एवं प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ को दिनांक 19-7-81, 17-2-82, 15-4-82, 20-4-82, 16-5-82, 23-6-82, 9-8-82, 25-8-82, 2-3-83, 19-2-83, 27-2-83, 6-4-83, 27-7-83, 18-11-83, 23-9-83, 28-12-83, 13-2-84, 23-2-84, 17-4-84, 19-5-84, 21-6-84, के पत्रों द्वारा अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां,

इस कार्य के लिए गत वर्ष एक आंगणन बनाया गया था, जो धनाभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका ।

65--श्री सरदार सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के वार्ड मिलावां, वार्ड कनौसी तथा वार्ड चन्दन नगर की सड़कों की मरम्मत हेतु आमंत्रित टेण्डर

66--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में वार्ड मिलावां, वार्ड कनौसी तथा वार्ड चन्दन नगर के विभिन्न मोहल्लों में वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में गली, खड़ंजे, सड़क सुधार मिट्टी भराई, नई सड़क बनाने के क्या-क्या कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुए तथा कौन-कौन कार्य पूर्ण कराए गये तथा कितने कार्य अभी भी अपूर्ण हैं ? उनका प्रत्येक वार्ड का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

श्री नारायण दत्त--

लखनऊ नगर महापालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में वर्ष 1983-84 में 92 कार्य और वर्ष 1984-85 में 150 कार्य स्वीकृत किये गये।

वर्ष 1983-84 के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 1984-85 में 138 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अवशेष कार्यों में 3 कार्य प्रगति पर हैं, एक कार्य स्थान उपलब्ध न होने के कारण नहीं कराया जा सका तथा शेष 8 कार्य धनाभाव के कारण नहीं कराए जा सके।

प्रत्येक वार्ड का वर्षवार कार्य का ब्योरा महापालिका के कार्यालय में देखा जा सकता है।

67--श्री सरदार सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपयुक्त कार्यों के लिए टेंडर कब-कब आमन्त्रित किये गये ? इसमें निम्नतम एवं अधिकतम टेंडर कितनी-कितनी धनराशि के थे तथा किस-किस ठेकेदार की कितनी धनराशि का कार्य स्वीकृत हुआ तथा कब-कब कार्य पूर्ण कराया गया ? अवधि के अन्दर कार्य न पूरा कराये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

उपरोक्त 242 कार्यों के लिये टेन्डर आदि का विवरण महापालिका कार्यालय में देखा जा सकता है।

ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया जिसमें किसी अधिकारी के कारण, कार्य समय से पूरा न हुआ हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में वार्ड मिलावां, वार्ड कनौसी तथा वार्ड चन्दर नगर के विभिन्न मोहल्लों में वित्तीय वर्ष 1979-80 व 1980-81 में गली, खड़ंजे, सड़क सुधार, मिट्टी भराई, नई सड़क बनाने के क्या-क्या कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुए तथा कौन कौन कार्य पूर्ण कराये गये तथा कितने कार्य अभी भी अपूर्ण हैं ? इनका प्रत्येक वार्ड का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

श्री नारायण दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

69--श्री सरदार सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कार्यों के लिए टेंडर कब-कब आमंत्रित किए गये ? इनमें निम्नतम एवं अधिकतम टेंडर कितनी-कितनी धनराशि के थे तथा किस-किस ठेकेदार को कितनी धनराशि का कार्य स्वीकृत हुआ तथा

कब-कब कार्य पूर्ण कराया गया ? समय के अन्दर कार्य न पूरा कराये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

70--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में वार्ड कनौसा तथा वार्ड चन्दर-नगर के विभिन्न मोहल्लों में वित्तीय वर्ष 1981-82 व 1982-83 में गली, खड़ंजे, सड़क सुधार, मिट्टी भराई, नई सड़क बनाने के क्या-क्या कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हुए तथा कौन-कौन कार्य पूर्ण कराए गये तथा कितने कार्य अभी भी अपूर्ण हैं ? इनका प्रत्येक वार्ड का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71--श्री सरदार सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपया करेंगे कि उपरोक्त कार्यों के लिए टेंडर कब-कब आमंत्रित किये गये ? इसमें निम्नतम एवं अधिकतम टेंडर कितनी-कितनी धनराशि के थे तथा किस-किस ठेकेदार को कितनी धनराशि का कार्य स्वीकृत हुआ तथा कब-कब कार्य पूर्ण कराया गया ? समय के अन्दर कार्य न पूरा कराए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हा, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्यालय, जल निगम के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं श्री मंगल प्रसाद का वेतन

72--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय जल निगम में कितने लिपिक हैं जो 16 सितम्बर, 1981 में प्रकाशित वरिष्ठता की सूची के अनुसार श्री मंगल प्रसाद से वरिष्ठ हैं ? क्या श्री मंगल प्रसाद को उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो इस दोषपूर्ण नीति के विरुद्ध वरिष्ठ लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? क्या कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर वरिष्ठ का वेतन निर्धारण करने सम्बन्धित मामला जल निगम संचालक बोर्ड के समक्ष दिनांक 28-7-84 एवं दिनांक 22-8-84 में आया था ? यदि हां, उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची के अनुसार मुख्यालय में श्री मंगल प्रसाद से 20 कनिष्ठ आलेख का प्रालेखक वरिष्ठ हैं ।

जब श्री मंगल प्रसाद, कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक के पद पर रहे, उन्हे उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु उनके तथा उनसे वरिष्ठ कुछ अन्य कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक के वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक के पद पर पदोन्नत होने के बाद श्री मंगल प्रसाद को पूर्व में वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक के पद पर की गयी अल्पकालीन स्थानापन्न सेवा का लाभ मिलने से उन्हें कुछ वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक से अधिक वेतन प्राप्त होने लगा था ।

नीति दोषपूर्ण नहीं थी, बल्कि कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

आवेदन-पत्रों द्वारा की गयी मांग वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं थी। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रश्न नहीं उठता।

इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

निर्णय ले लिया गया है, जिसके फलस्वरूप आवेदनकर्त्ताओं की मांग मान्य नहीं है।

शराब काण्ड में ट्रक संख्या यू0 टी0 सी0 9963 के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विधायक श्रीमती प्रेमवती तिवारी का पत्र

73--श्री सरदार सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-153 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्रीमती प्रेमवती तिवारी ने अपने दिनांक 10-1-1983 के पत्र में ट्रक संख्या यू0 टी0 सी0 9963 के मालिक के अवैध शराब कांड में ट्रक के शामिल होने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्रक तथा उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां। ट्रक के अवैध शराब कांड में सम्मिलित होने का कोई स्पष्ट दृष्टान्त प्रकाश में नहीं आया। अतः गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों का स्थायीकरण

74--श्री रणजीत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में पांच साल या उससे अधिक समय से कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों की अलग अलग संवर्गों में संख्या क्या है ? उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा उनके नियमितीकरण व स्थायीकरण पर आवश्यक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है तथा कब तक नियमितीकरण कर दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश जल निगम में पांच साल या उससे अधिक समय से कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों की अलग-अलग संवर्गों में कुल संख्या संलग्न विवरण अनुसार 2163 है।

उनके नियमितीकरण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और अब तक लगभग 79 प्रतिशत कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए पदों का आबंटन विभिन्न मंडलों को किया जा चुका है।

स्थायीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। नियमितीकरण अभिलेख देखकर शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किये जाने के लिए अधीक्षण अभियन्ताओं को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृ0 160 पर।)

जल निगम के हैंड पम्पों का प्रशासनिक नियन्त्रण

75--श्री रणजीत--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित

अता0 प्र0 सं0–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हैन्डपम्पों के लगाने का कितना प्रतिशत और कौन–कौन सा कार्य मैकेनिकल है ? क्या यह सही है कि जल निगम की सिविल शाखाओं व अभियन्ताओं द्वारा जल निगम का सम्पूर्ण कार्य जैसे सर्वेक्षण, नियोजन, अनुरक्षण, नलकूपों के निर्माण को छोड़कर समस्त निर्माण कार्य व प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य भी कराया जाता है ? यदि हां, तो हैंडपम्पों के निर्माण के कार्य को मैकेनिकल शाखा को न देने का औचित्य क्या है और उस सम्बन्ध में अब क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जैसे बुन्देलखंड, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी जनपदों के कुछ भागों में हैंड पम्प लगाने का कार्य शत–प्रतिशत बि0/या0 प्रकृति का है । क्योंकि इन हैंड पम्पों की बोरिंग रिग मशीन द्वारा की जाती है । प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां हैंड बोरिंग द्वारा कराया जाता है, हैंड पम्पों का कार्य मुख्यतया सिविल प्रकृति का है । यह सही है कि जल निगम की सिविल शाखाओं व अभियन्ताओं द्वारा सर्वेक्षण, नियोजन तथा समस्त सिविल कार्यों का अनुरक्षण एवं डिजाइन आदि कराया जाता है । परन्तु यह सही नहीं है कि समस्त अनुरक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण कार्य भी सिविल शाखाओं द्वारा ही कराया जा रहा है । जल निगम के अन्तर्गत सिविल प्रकृति के कार्यों का अनुरक्षण तथा सिविल शाखाओं का प्रशासनिक नियन्त्रण सिविल अभियन्ताओं द्वारा तथा मैकेनिकल शाखाओं का प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य मैकेनिकल अभियन्ताओं द्वारा ही कराया जा रहा है । हैंड पम्पों के निर्माण कार्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में मैकेनिकल प्रकृति के हैं, वहां वे मेकेनिकल शाखाओं द्वारा ही कराये जा रहे हैं । अतः इस संबंध में किसी अन्य आदेशों के निर्गत करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण एवं अभियन्ताओं के रिक्त पद

76—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण, सेलेक्शन ग्रेड, पदोन्नति, कोटे से पदोन्नति दिये जाने के कितने मामले अनिस्तारित पड़े हैं ? उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ताओं व उनसे ऊपर के विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं की कितनी–कितनी जगहें प्रत्येक संवर्ग में रिक्त हैं और उन पर उनकी नियुक्तियों के संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं के 332 पद स्थायीकरण हेतु रिक्त है । अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने हेतु इस समय कोई भी पद रिक्त नहीं है । द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर अब अवर अभियन्ताओं को 10 वर्ष की सेवा के बाद उच्च वेतनमान देय है एवं तदनुसार पात्र अवर अभियन्ताओं को उच्च वेतनमान दिया जा चुका है । किसी भी अवर अभियन्ता की पदोन्नति का मामला अनिस्तारित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ता का कोई पद इस समय रिक्त नहीं है । अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक संवर्ग) का एक पद, अधिशासी अभियन्ता (सिविल संवर्ग) के 33 पद तथा मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) का एक पद रिक्त है । अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक संवर्ग) तथा मुख्य

अभियन्ता (स्तर--1) के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने का मामला जल निगम के विचाराधीन है । अधिशासी अभियन्ता (सिविल संवर्ग) के 33 रिक्त पदों पर सहायक अभियन्ता (सिविल संवर्ग) से पदोन्नति करके नियुक्तियां की जानी हैं, किन्तु न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश होने के कारण इस संबंध में कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में मैकेनिकल अभियन्ताओं का अनुपात

77—श्री रणजीत --

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 2रे सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शासन द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 169 व 170 के उत्तर में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 20 प्रतिशत के अनुपात में मैकेनिकल अभियन्ताओं की नियुक्तियों के प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जा चुका है तो किन कारणों से अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं व अधीक्षण अभियन्ताओं की नियुक्तियों का अनुपात 1:5 न होकर भिन्न होने का क्या कारण है और उसे शासन की सिफारिशों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश जल निगम में निर्माण कार्यों पर नियुक्त मैकेनिकल अभियन्ताओं का अनुपात निम्नानुसार हैं :--

अवर अभियन्ता 15.4 प्रतिशत ।

सहायक अभियन्ता 16.9 प्रतिशत ।

अधिशासी अभियन्ता 18.8 प्रतिशत ।

अधीक्षण अभियन्ता 20.6 प्रतिशत ।

उपरोक्त अनुपात राज बिहारी समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों के लगभग अनुरूप है ।

उक्त समिति द्वारा 20 प्रतिशत का अनुपात केवल निर्माण कार्यों के लिये ही रखे जाने की संस्तुति की गई थी क्योंकि समिति की राय से सर्वेक्षण, अनुरक्षण तथा डिजाइन के कार्यों में वि/यां० अभियन्ताओं का योगदान बहुत कम माना गया है ।

चूंकि जल निगम में वर्तमान में कार्यरत सिविल तथा मैकेनिकल अभियन्ताओं की नियुक्तियों का अनुपात राज बिहारी समिति द्वारा संस्तुत अनुपात के लगभग अनुरूप है, अतः इस सम्बन्ध में किसी अन्य कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

शाहजहांपुर की नगरपालिका तिलहर में खड़ंजों, सड़कों, नालों की मरम्मत

78--श्री विनोद कुमार तिवारी--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका तिलहर में दिनांक 1-1-84 से 31-3-85 तक की अवधि में सड़कों, खड़ंजों, नालों एवं नालियों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कागजों पर दिखलाकर पालिका में अनुदान की धनराशि का भारी गबन हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि इस बीच जो कुछ निर्माण कार्य हुए हैं वे इतने निम्न स्तर के हुए हैं कि बनने के एक माह बाद ही नष्ट हो गये ? यदि हां, तो क्या शासन प्रदेश स्तर से जांच दल को भेजकर लाखों रुपयों के गबन व दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79--श्री राम सागर--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

बाराबंकी, ग्राम भुलभुलिया, मजरे सेमरावां, निवासी श्री राज बहादुर वर्मा द्वारा थाना कोठी में लिखायी गयी रिपोर्ट

80—श्री राम सागर—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी हैं कि जनपद बाराबंकी के थाना कोठी के ग्राम भुलभुलिया मजरा सेमरांव, निवासी श्री राज बहादुर वर्मा पुत्र श्री स्वयंवर के घर दिनांक 13/14-4-85 को रात्रि बदमाशों ने एक साथ हथगोला, कट्टा से फायर करके हमला किया और गृह स्वामी को घायल करके उनका तथा उनके भाई का घर लूट लिया जिसकी रपट थाना कोठी में भा0 द0 वि0 की धारा 395, 397 में लिखी गयी है ? यदि हां, तो अब तक पुलिस ने क्या कोई छानबीन व आवश्यक कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

दिनांक 13/14-4-85 की रात्रि में घटित घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राज बहादुर वर्मा पुत्र स्वयंवर, साकिन भुलभुलिया मजरे सेमरावां, थाना कोठी की सूचना पर मुकदमा अपराध सं0 56/85 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 कायम किया गया । वादी ने प्रथम सूचना में अंकित कराया कि उसे घायल करके उसका तथा उसके भाई का घर लूट लिये । विवेचना से मुकदमा झूठा लिखाया जाना पाय गया । अतः पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट विवेचना समाप्त कर दी गयी ।

नगर महापालिका, मेरठ तथा नगर-पालिका, हाथरस में जलकल अभियन्ता के रिक्त पद

81--श्री राम औतार मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं एवं टाउन एरियाओं में जलकल अभियन्ता श्रेणी-2 के कितने स्थान आज तक रिक्त पड़े हैं ? यह स्थान अभी तक न भरे जाने का क्या कारण रहा। तथा कब तक भरे जाने की आशा है ?

श्री नारायन दत्त--

नगर महापालिका, मेरठ तथा नगर-पालिका, हाथरस में जलकल अभियन्ता श्रेणी 2 का एक-एक पद रिक्त है । टाउन एरियाओं में जलकल अभियन्ता के पद नहीं होते हैं । इन दोनों पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की गई थीं, किन्तु सम्बन्धित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । इन रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने की आशा है ।

पौड़ी-गढ़वाल जिले के बनेखदिउसी मार्ग का निर्माण

82--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनेखदिउसी मोटर मार्ग का निर्माण कब पूरा किया गया और इस मार्ग के निर्माण पर अब तक किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कब-कब कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सत्य है कि यह मोटर मार्ग अभी तक मोटर यातायात के लिए सुलभ नहीं है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस मार्ग को मोटर यातायात हेतु कब तक सुलभ कराए जाने की सम्भावना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना वर्ष 1980-81 में 314 सामुदायिक विकास आयोजनागत-क-सामान्य-ख-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता के अन्तर्गत कराया गया जिसपर 4.62 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी । यह मार्ग अभी तक यातायात के लिये सुलभ नहीं हुआ है ।

इस मार्ग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता है । कार्य का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

पौड़ीगढ़वाल के स्कूल भवनों के लिये टयूबलर ट्रस्ट की आपूर्ति

83—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी द्वारा स्कूल भवनों के लिए टयूबलर सेट्स (ट्रस्ट) की आपूर्ति ली गयी है ? यदि हां, तो यह आपूर्ति किस फर्म्स से किसके आदेश से ली गयी है और इसके लिए कितना भुगतान किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि टयूबलर सैट (ट्रस्ट) की आपूर्ति से विद्यालय भवनों के निर्माण मूल्यों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, यह आपूर्ति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी गढ़वाल के अनुबन्ध संख्या 23-ईई/82-83, दिनांक 15-2-1983 मेसर्स मनीश इंडस्ट्रीज, कानपुर तथा अनुबन्ध संख्या 24 ईई/82-83, दिनांक 15-2-1983 के द्वारा उनके आदेश से मेसर्स दीपक इन्डस्ट्रीज, कानपुर से ली गई है । इसके लिये मेसर्स मनीश इन्डस्ट्रीज, कानपुर को 1,01,588·00 रुपये एवं मेसर्स दीपक इन्डस्ट्रीज, कानपुर को 1,01,588·00 रुपये कुल 2,03,176·00 (दो लाख तीन हजार एक सौ छिहत्तर रुपये) का भुगतान किया गया ।

टयूबलर ट्रस्ट विद्यालय भवनों पर लगाने से भवनों की निर्माण लागत में लगभग 1500 रु0 की वृद्धि हुई है किन्तु कार्य जल्दी सम्पादित हुये । पौड़ी जनपद में इमारती लकड़ी की कमी के कारण शीघ्रता के उद्देश्य से टयूबलर ट्रस्ट क्रय किये गये जो सभी विद्यालय भवनों पर लगा दिये गये हैं ।

अब कोई टयूबलर ट्रस्ट नहीं खरीदे जा रहे हैं, ताकि मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके ।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जिलों में मार्गों का निर्माण

84—श्री पूरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा, जनपद पिथौरागढ़ में सन् 1980 से सन् 1985 तक कितने मोटर मार्गों में कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा कितने मोटर मार्ग यातायात के लिए जारी कर दिए गए हैं, कितने मार्गों में कार्य रुका पड़ा है और कब तक पूरे कर यातायात के लिए जारी कर दिए जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले की नैथाना देवी पेयजल योजना के पुनर्गठन की मांग

85—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में नैथाना देवी पेय जल योजना के सुचारुरूप से कार्य न करने के कारण भिक्यासैण ब्लाक के कई ग्राम प्रधान व सामाजिक कार्यकर्ता 1984 में भूख हड़ताल पर बैठे थे ? उपरोक्त भूख हड़ताल के समय दिए गए आश्वासन पर कि जैनल कमराड मनिला देवी नई लिफ्ट पेय जल योजना शीघ्र बनवाई जावेगी, को कब प्रारम्भ किया जा रहा है ? इस नई पेयजल योजना में कुछ गांवों को सम्मिलित कर लिए जाने से नैथाना देवी पेयजल योजना में बच गांवों को पानी सुचारुरूप से उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री नारायन दत्त—

नैथानादेवी पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु जैनल कमराड पेयजल योजना को

मांग को लेकर फरवरी, 1985 में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे ।

नैथानादेवी ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन के अन्तर्गत जेनल से एक अतिरिक्त पंपिंग योजना का प्राक्कलन बनाये जाने के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य मई, 1985 में प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जी हां ।

पौड़ी गढ़वाल जिले के अदवाणी नाहसैंण मार्ग की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

86--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अदवानी नाहसैंण मोटर मार्ग के सुधार कार्य हेतु शासन द्वारा अब तक कितना व्यय किया गया है और इस मार्ग पर क्या-क्या सुधार कार्य करवाया गया है ? क्या इस निर्माण कार्य को करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं ? यदि हां, तो निविदायें कब-कब आमंत्रित की गयी हैं और इनका प्रकाशन किस-किस समाचार-पत्र में कब-कब किया गया है? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि इस मार्ग पर अभी भी स्थान स्थान पर गड्ढे हैं और मोड़ काफी तंग हैं जिसके कारण यातायात असुरक्षित रहता है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद पौड़ी गढ़वाल में अदवाणी नाहसैंण मोटर मार्ग के सुधार कार्य में 5/85 तक 13·94 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । मार्ग पर 7·2 कि0मी0 में (पार्ट द्वितीय) दीवार स्कपर इत्यादि तथा सौलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, बन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण पार्ट प्रथम पहाड़ कटान का कार्य नहीं हो पाया है, इस मार्ग पर निर्माण कार्य निविदायें आमंत्रित करने पर ही कराया गया । चूंकि कार्य की लागत जाब वाइज 1·00 लाख रु0 से कम थी अतः नियमानुसार इसका प्रकाशन समाचार पत्रों से नहीं कराया गया, परन्तु विभाग के पंजीकृत सभी ठेकेदारों को रजिस्टर्ड पत्र से निविदायें आमंत्रित करने की सूचना प्रेषित की गयी, इस मार्ग पर वर्तमान में कोई गढ्ढे नहीं है मार्ग के बहुत तंग भागों में दीवालों का निर्माण करने के फलस्वरूप मार्ग की पर्याप्त चौड़ाई प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप मोटरीय यातायात सुचारु रूप से चल रहा है । थोड़ी असुविधा मोड़ों के अर्द्धव्यास मानक से कम होने के कारण अवश्य है । मोड़ तभी ठीक किये जा सकेंगे जब वन विभाग से भूमि हस्तांतरित हो जायेगी ।

गढ़वाल वन वृत्त के प्रभागीय वनाधिकारी का स्थानान्तरण

87--श्री जगवीर सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल वन वृत्त में कितने प्रभागीय वन अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश इस वर्ष 1985 में हुए हैं किन्तु उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

गढ़वाल वन वृत्त में वर्ष 1985 में मई, 1985 (प्रश्न पूछने की तिथि) तक केवल एक प्रभागीय वनाधिकारी का स्थानान्तरण का आदेश हुआ । उन्हें 26-4-1985 के अपराह्न को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति

88--श्री फजलुल बारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982

से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नतियों में कितने अधिशासी अभियंताओं को सुपरसीड किया गया ? सुपरसीड किए गए अभियन्ताओं में से कितने अल्पसंख्यक वर्ग के हैं ?

श्री नारायन दत्त—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 1982 से अब तक अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर हुई नियमित प्रोन्नतियों में 37 (सैंतीस) अधिशासी अभियन्ता अवरूमित हुए जिनमें से कोई भी अधिकारी अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं हैं ।

बलिया के ग्राम रुस्तमपुर के श्री परशुराम सिंह के आग्नेयास्त्र लाइसेन्स का निरस्तीकरण

89—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री परशुराम सिंह पुत्र श्री राधा मोहन सिंह, ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया के आग्नेयास्त्र लाइसेन्स के विरुद्ध गैर कानूनी ढंग से जिला मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्री परशुराम सिंह को आग्नेयास्त्र लाइसेन्स निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व आयुक्त वाराणसी मन्डल के यहां से स्थगन आदेश प्राप्त है, जिसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को भी है ? यदि हां, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही निरस्तीकरण की कार्यवाही को न रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वर्णित स्थगन आदेश श्री परशुराम सिंह के आग्नेयास्त्र लाइसेन्स के निलम्बन आदेश के विरुद्ध पारित किये गये थे, जब कि जो कार्यवाही अब आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चल रही है वह प्रश्नगत लाइसेंस के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में है । इस विधिक कार्यवाही में शासन स्तर से हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है ।

ग्राम रुस्तमपुर, जिला बलिया के श्री समुन्दर के मुकदमों की वापसी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

90—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री समुन्दर, ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया का मुकदमा अपराध सं0 153/84, धारा 379, भा0 दं0 सं0, थाना बांसडीह, रोड, न्यायालय तृतीय अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बलिया के वापसी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-3-1985 न्याय (रिट) अनुभाग उ0 प्र0 शासन का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुकदमा अब तक वापस न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा की वापसी के सम्बन्ध में आदेश करने के पूर्व जिला मैजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त करनी होती है व गृह विभाग से परामर्श करना होता है । तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।

91—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम रुस्तमपुर, बलिया के श्री शेष गौड़ का उत्पीड़न सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

92—श्री रणजीत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री शेष गौड़, ग्राम रुस्तमपुर, ब्लाक दुबहड़, परगना जिला बलिया को गांव के

ही उप-प्रधान द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1984 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री गौड़ को उत्पीड़न से मुक्त कराने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

श्री गौड़ पर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के फलस्वरूप जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 115-सी के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग विचाराधीन है । प्रार्थी के उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के स्थायी कर्मचारी

93--श्री राम आसरे (हरदोई)---

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पति विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या इस समय कितनी है और उनमें स्थायी कर्मचारी कितने हैं ?

श्री नारायन दत्त---

राज्य सम्पत्ति विभाग में राज्य सम्पत्ति सम्वर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या 624 है । इसमें स्थायी कर्मचारियों की संख्या 392 हैं ।

विधायक निवासों में टेलीविजन की व्यवस्था

94--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निवासों में टेलीविजन की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो बिभिन्न विधायकों के निवासों में किन स्थानों पर टेलीविजन लगा हुआ है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

विधायक निवास-1, 2 पुराना, 3, 4 एवं 5 के कामन हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं । परन्तु विधायक निवास-1 के कामन हाल में साज-सज्जा की सामग्री एकत्र होने के कारण टेलीविजन सुरक्षित रख दिया गया है और विधायक निवास-2 पुराना का टेलीविजन खराब होने के कारण इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया 3, शाहनजफ रोड, लखनऊ को मरम्मत हेतु भेजा गया है ।

विधायक निवास-2 नया ब्लाक तथा विधायक निवास-6 (पार्क रोड) में कामन हाल अथवा उपयुक्त स्थान न होने के कारण टेलीविजन की व्यवस्था नहीं है ।

विधायक निवास-1 के स्टोर रूम की सामग्री

95--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को यह जानकारी है कि विधायक निवास-1 का स्टोर रूम विगत कई वर्षों से बन्द पड़ा है जिसमें कीमती सामान खराब हो रहा है ? यदि नहीं, तो इसकी जानकारी कर उस सामान की समुचित व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

वस्तुतः विधायक निवास-1 में दो स्टोर रूम हैं जिसमें साज सज्जा का सामान रक्खा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर स्टोर रूम खोलकर सामग्री रक्खी व निकाली जाती है । इस साज-सज्जा में निष्प्रयोज्य सामग्री भी है जिसके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

96—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां की गयीं ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों की पदोन्नतियां किन-किन पदों पर की गयीं ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

अनुसूचित जाति के श्री सालिक राम, टेलीफोन अटेन्डेन्ट की पदोन्नति टेलीफोन आपरेटर के पद पर की गई है ।

विधायक निवास के फ्लैटों का गैर विधायकों को आवंटन

97—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधायक निवासों में फ्लैट गैर विधायकों को भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो गैर विधायकों को यह फ्लैट दिये जाने से सम्बन्धित शासन की नीति क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

विधायक निवासों के फालतू कक्ष विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों आदि को अस्थायी रूप से उपलब्ध करा दिये जाते हैं ।

विधायकों की होटलों में की गयी आवासीय व्यवस्था

98—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया यह भी बत यँगे कि नव निर्वाचित विधायकों को लखनऊ के मशहूर होटलों में रहने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो होटलों का कुल खर्चा कितना आया और प्रति विधायक औसत कितना खर्च पड़ा ?

श्री नारायन दत्त—

जिन नव निर्वाचित विधायकों की आवासीय व्यवस्था विधायक निवासों में भूतपूर्व विधायकों द्वारा कक्ष रिक्त न किये जाने के कारण नहीं हो पायी उनकी अस्थायी व्यवस्था कतिपय स्थानीय होटलों एवं अतिथि गृहों में की गई है । सम्बन्धित बिलों के अनुसार दिनांक 10-3-1985 से 10-7-1985 तक का व्यय 2,38,305 रु0 आया है तथा प्रति विधायक औसत खर्च 3,972 रु0 आया है ।

यू0 पी0 भवन, दिल्ली, नैनीताल क्लब, नैनीताल की आय एवं व्यय

99—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि यू0 पी0 भवन दिल्ली, नैनीताल क्लब, नैनीताल में वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत आवासीय कमरों से आमदनी की कितनी धनराशि प्राप्त हुई और इन स्थानों पर विभिन्न मदों में कितना खर्च हुआ ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली तथा नैनीताल क्लब, नैनीताल में किराये की आय तथा विभिन्न मदों पर व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

आय		व्यय	
	लाख रु0		लाख रु0
		उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली--	
उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली	2.50	1--नियमित कर्मचारियों का वेतन	3.33
नैनीताल क्लब, नैनीताल	5.32	2--दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन	1.62
		3--बिजली-पानी	1.86
		4--टेलीफोन	2.93
		5--इन्टरकम	0.06
		6--कपड़ों की धुलाई	0.38
		7--स्टेशनरी, क्राकरी, कटलरी, फर्नीचर, लैलिन वर्दी आदि	0.75
		8--गृह कर	2.17
		9--अनुरक्षण	3.05
		कुल व्यय ..	16.15
		नैनीताल क्लब, नैनीताल	
			लाख रु0 में
		1--नियमित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	2.44
		2--दैनिक वेतन कर्मचारियों का वेतन	1.37
		3--बिजली एवं पानी	6.89
		4--टेलीफोन	1.31
		5--क्राकरी एवं "कन्यूमेबिल आइटम"	0.60
		6--साज-सज्जा	2.17
		7--अनुरक्षण	14.14
		8--विशेष मरम्मत	1.90
		9--विविध	0.52
		कुल व्यय ..	31.34

राज्य सम्पत्ति विभाग, विधायक निवासों के कैन्टीनों की संचालन व्यवस्था

100--श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निवासों में स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कैन्टीनों का संचालन मैनेजर द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी कैन्टीन का संचालन मैनेजरों द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

विभिन्न विधायक निवासों में राज्य सम्पत्ति विभाग की कैन्टीनों की संचालन व्यवस्था अधिकारी के अधीक्षण में मैनेजर द्वारा किया जाता है ।

बरेली नगर में विधान सभा के उप चुनाव में पुलिस द्वारा की गयी ज्यादती

101--डा० दिनेश जोहरी--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 24-4-85 को बरेली नगर के विधान सभा के उप चुनाव में पुलिस ने विपक्षी दलों व उनके कार्यकर्त्ताओं पर बहुत ज्यादतियां कीं तथा उनके निर्दोष कार्यकर्ताओं को बन्द कर दिया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-4-85 को बरेली नगर के विधान सभा के हुये उप चुनाव में पुलिस द्वारा विपक्षी दलों व उनके कार्यकर्ताओं पर कोई ज्यादती नहीं की गई और न ही निर्दोष कार्यकर्ताओं को बन्द किया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

102--श्री विजय सिंह राणा--

[दिनांक 12-7-85 को अता० प्र० सं० 64 द्वारा स्थानान्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग को आगरा बिचपुरी-अछनेरा मार्ग का हस्तान्तरण

103--श्री विजय सिंह राणा--

क्या सा० नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में जिला परिषद् के आगरा बिचपुरी-अछनेरा मार्ग का कोई भाग सा० नि० विभाग को हस्तान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो शेष भाग का हस्तान्तरण क्यों नहीं हो सका ? क्या उसे भी सा० नि० वि० को हस्तान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आगरा, श्यामों-नगला सबला मार्ग का निर्माण

104--श्री विजय सिंह राणा--

क्या सा० नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में श्यामों से नगला सबला तक स्वीकृत मार्ग के सम्बन्ध में उनके पत्र सं० 2810/बी० आई० पी० 83, दिनांक 5-9-83 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई है, मार्ग पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कितना भाग पूर्ण हो गया है और कितने मार्ग पर अभी कार्य नहीं हो सका है ? कार्य प्रारम्भ न होने और अब तक कार्य पूरा न होने के क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

संबंधित अधिकारियों से प्रश्नगत मार्ग के संबंध में आख्या प्राप्त कर स्थिति ज्ञात की गई ।

मार्ग पर कार्य मार्च 1983 में प्रारम्भ हुआ ।

कुल 9 कि0 मी0 लम्बे प्रइनगत मार्ग के कि0 मी0--1 में चेनेज 850 से 950 (100 मी0), कि0 मी0–2 में चेनेज 1.625 से 1.700 (75 मी0), तथा कि0 मी0–5 व 6 में चेनेज 4.550 से 5.200 (650 मी0) कुल 825 मी0 लम्बे भाग को छोड़कर शेष भाग में स्वीकृति के अनुसार मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

छूटे हुए भागों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

आगरा, ककुआ–कबूलपुर मार्ग और पापूपुरा–करभना मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की मांग

105—श्री विजय सिंह राणा --

क्या सर्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की तहसील खारा के अन्तर्गत मण्डी समिति के धन से सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाई गयी सड़कों, ककुआ–कबूलपुर मार्ग और पापूपुरा–करभना मार्ग को सा0 नि0 वि0 अपने यहां स्थानान्तरित कर रहा है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त --

जी नहीं ।

दूसरे विभागों के मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की जाती ।

फिरोजाबाद, कोठला चुंगी चौराहा पर पुलिस एवं लोकदल के कार्यकर्त्ताओं के बीच विवाद

106—श्री विजय सिंह राणा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अर्द्ध शा0 प0 सं0 2425 डी–आठ/12–84-ए० क्यू0–84, गृह पुलिस अनुभाग–12, दिनांक 16 अप्रैल, 1984 के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इस सन्दर्भ में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायन दत्त--

सन्दर्भित शासकीय पत्र में उल्लिखित मामले की मैजिस्टीरियल जांच से यह पाया गया कि दिनांक 27/28 मार्च, 1984 की रात्रि को फिरोजाबाद के कोठला चुंगी चौराहे पर लोकदल कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के मध्य जो विवाद हुआ था वह पूर्व नियोजित नहीं था अपितु यह अप्रत्याशित और आकस्मिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया का परिणाम था । उक्त जांच से किसी कर्मचारी विशेष या कार्यकर्ता विशेष को इस प्रकरण के लिये दोषी नहीं पाया गया ।

प्रतापगढ़, अजीत नगर के श्री गंगा बख्श सिंह के यहां आगजनी की घटना और नामजद अभियुक्त को दिया गया रिवाल्वर का लाइसेन्स

107—श्री राम आसरे (हरदोई)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा बख्श सिंह, ठेकेदार, 38–प अजीतनगर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ के आवास पर दिनांक 12–10–1981 को कुछ व्यक्तियों द्वारा एक समूह होकर आग लगा दी गयी थी जिसमें श्री सिंह ने थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 913/81 की धारा 147/448/436/440/511/353 आई0 पी0 सी0 दर्ज कराई थी ? इस मामले में विवेचना–

धिकारी द्वारा नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध क्या गिरफ्तारी व कुर्की की कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी नहीं ।

अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध करने के प्रमाण एकत्रित किये जा रहे हैं एवं दायित्व निश्चित होने के आधार पर, यथेष्ठ प्रमाण मिलने पर ही गिरफ्तारी की जायगी ।

108—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या इस मामले से सम्बन्धित किसी नामजद व्यक्ति ने पुलिस की संस्तुति के आधार पर एक रिवाल्वर का लाइसेन्स प्राप्त किया है ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा क्या श्री सिंह ने अपनी सुरक्षा हेतु अप्रैल, 1984 में कोई प्रार्थना—पत्र गृह सचिव व गृह राज्य मन्त्री महोदय को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

पुलिस की संस्तुति के आधार पर नहीं परन्तु परगना मजिस्ट्रेट की संस्तुति के आधार पर एक नामजद व्यक्ति श्री रमेश चन्द्र सक्सेना को लाइसेन्स दिया गया ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा, ग्राम कांटली के श्री धर्मानन्द कानडपाल की पत्नी श्रीमती भगवती देवी द्वारा आत्महत्या

109—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के ग्राम कांटली निवासी, श्री धर्मानन्द कानडपाल की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी को वर्ष 1983 में उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण आत्म हत्या करने एवं उसके पति द्वारा बिना पुलिस को सूचित किये श्रीमती भगवती देवी के शव को दाह संस्कार करने विषयक कितने शिकायती—पत्र उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक को प्राप्त हुए हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रकरण पर सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी (श्री घनश्याम नारायण पाठक) द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 8—8—1983 को जिलाधीश, अल्मोड़ा को दी गयी उस पर कोई वैधानिक कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी कौन हैं ?

श्री नारायन दत्त—

इस प्रकरण की जांच राज्य अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

हरदोई जिले के ग्राम बांसा को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

110—श्री राम आसरे (हरदोई)—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम बांसा को टाउन एरिया में परिवर्तित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन टाउन एरिया बनाये जाने की दिशा में कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री नारायन दत्त—

ग्राम बांस, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई को टाउन एरिया में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में जनता अथवा जन—प्रतिनिधियों से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण उक्त ग्राम को टाउन एरिया में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में मांग प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा ।

वाराणसी के शिवानी नगर कालोनी के सड़क का निर्माण

111—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापलिका स्थित शिवानी नगर कालोनी की सड़क निर्माण के लिए ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां, तो ठेका कब दिया गया और अब तक उक्त निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की मांग

112—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के मुख्यालय पर मुन्सिफ अदालत एवं आवास की इमारतें पिछले दो वर्षों से तैयार खड़ी हैं परन्तु मुन्सिफ न्यायालय, तहसील मुख्यालय पर अब तक स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ? सरकार उपरोक्त न्यायालय को तहसील मुख्यालय पर कब तक स्थानान्तरित करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन का कब्जा 3 जनवरी, 1985 को लिया जा चुका है । वास्तव में इस निर्माण कार्य में कई त्रुटियां रह गयी हैं, जिन्हें ठीक करने के लिये राजकीय निर्माण निगम को लिखा गया है । परन्तु अभी तक कई त्रुटियां दूर नहीं हुई हैं ।

तहसील तिलहर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हो गया है और उसे परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है । न्यायालय/कार्यालय के स्टाफ, उपस्कर व कार्यालय व्यय हेतु वित्तीय सहमति प्राप्त होने पर वहां पर न्यायालय की स्थापना शीघ्र कर दी जायेगी ।

स्टेडियम के निर्माण की मांग

113—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 3रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0—174 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने हेतु जमीन प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

निःशुल्क भूमि का उपलब्ध न होना विलम्ब का कारण है ।

114—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

एटा जिले की काली नदी पर एटा—गंजडुंडवारा मार्ग पर पुल निर्माण

115—श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में काली नदी पर सेतु निगम द्वारा एटा—गंजडुन्डवारा मार्ग पर सेतु बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 8 जनवरी, 1985 द्वारा दी जा चुकी है ।

सेतु निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[19-1-82 को अता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर के ग्राम बलुआ के श्री राम चरितर का पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

117—श्री हर्षवर्धन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम चरितर हरिजन भू0 पू0 सैनिक, निवासी ग्राम बलुआ, थाना कम्पेयरगंज, जिला गोरखपुर का पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध एक पत्र फरवरी, 1985 के मध्य में गोरखपुर के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ ? क्या उक्त पत्र के सन्दर्भ में पुनः एक पत्र श्री राम चरितर ने मार्च के अन्तिम सप्ताह में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । जांच से शिकायती पत्र में अंकित आरोप निराधार पाये गये ।

रुदौली-बखीरा मार्ग के छपिया-घाट पर आमी नदी पर पुल निर्माण

118—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 5-10-81 रुधौली बखिरा मार्ग पर छपिया घाट का पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी, हां ।

रुदौली-बखीरा मार्ग पर छपिया घाट पर आमी नदी के ऊपर पुल निर्माण की स्वीकृति 21.60 लाख रुपये की लागत पर शासनादेश सं0 4670 ई/23 सा0 नि0 अनु0-11-100 ई/84, दिनांक 24-9-84 में प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के लेखा सहायकों द्वारा लेखाकार के कर्तव्यों का निर्वहन

119—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में ऐसे कितने लेखा सहायक हैं जो किसी परियोजना के कार्य स्थल पर एक लेखाकार के समकक्ष उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तथा उनके नाम तथा वर्तमान तैनाती का स्थान क्या है ? क्या उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाने का विषय निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने समय से तथा इस विषय को निश्चित करने में अभी तक कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त—

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में ऐसे चार लेखा सहायक हैं जो निगम की क्षेत्रीय इकाइयों में, लेखाकार न होने के कारण एक लेखाकार के समकक्ष उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वह कर रहे हैं । उनके नाम व तैनाती के

स्थान निम्नवत् हैं :—

क्रम सं0	लेखा सहायक का नाम	तैनाती का स्थान
सर्वश्री—		
1	एस0 के0 बाजपेयी	शाहजहांपुर
2	बी0 पी0 दुबे	वाराणसी इकाई—1
3	ए0 के0 मेहरोत्रा	प्रतापगढ़
4	एस0 सी0 अग्रवाल	डी0 टी0 सी0 इकाई नई दिल्ली—1

उक्त लेखों सहायकों को वित्तीय लाभ दिये जाने का प्रश्न निगम के प्रबन्ध के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति

120—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण के कितने ऐसे अवर अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं जो कि अपने मूल पैतृक विभाग (सा0 नि0 वि0) में अभी तक विभागीय व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण स्थायी नहीं हो सके हैं तथा जिनकी नियमतः दो वेतन वृद्धियां देने के बाद अगली वेतन वृद्धियों के मिलने पर रोक लगी है किन्तु राजकीय निर्माण निगम में ऐसे अवर अभियन्ताओं को न केवल प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा निगम का उच्च वेतनमान दिया जा रहा बल्कि सहायक स्थानिक अभियन्ता या उससे उच्च पद देकर अधिकाधिक अधिकार एवं शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं ? ऐसे अवर अभियन्ताओं को निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर लेना कहां तक उचित है तथा इनमें से कितनों के विरुद्ध पैतृक विभाग में कोई जांच लम्बित है तथा उन्हें निर्माण निगम को सेवा में तथा निर्माण निगम के वेतनमान देकर समायोजित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री नारायन दत्त—

ऐसे मात्र तीन अवर अभियन्ता राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं परन्तु उन्हें निगम में पदोन्नति, उच्चतर वेतनमान, अथवा अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं । उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता अवश्य दिया जा रहा है उक्त तीनों अभियन्ताओं के विरुद्ध सावजनिक निर्माण विभाग में कोई जांच लम्बित नहीं है । अतः निगम में प्रतिनियुक्ति पर उन्हें लिए जाने में कोई अनौचितता प्रतीत नहीं होती है । शासन के निर्देश हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपलब्ध फालतू अवर अभियन्तओं को ही राजकीय निर्माण निगम स्थायी रूप से संविलयन हेतु अथवा अस्थायी नियुक्ति हेतु लेंगे।

बस्ती जिले में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

121—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना में बस्ती जनपद के लिए वर्ष 1983-84 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल धनराशि 304 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था जिसमें से चालू योजना पर स्वीकृत धनराशि 167.35 लाख तथा नई योजना ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि 136.65 लाख रुपया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी वर्ष 1983-84 के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

और उनकी प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सत्य है कि नई योजना में 210 कि0 मी0 नए कार्यों पर मिट्टी डालने तथा 144 कि0मी0 पर सर्फिंग का कार्य किया जाना था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इसकी भी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री नारायन दत्त---

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती के ग्राम पथरा बाजार के स्व0 श्री सुखराम कांस्टेबिल के स्थान पर श्री श्रीराम की नियुक्ति की मांग

122--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कांसटेबिल स्व0 श्री सुखराम के भाई श्री श्रीराम पुत्र स्व0 चौथी लाल निवासी ग्राम पथरा बाजार, जनपद बस्ती को वारिस के आधार पर भाई के स्थान पर पुलिस विभाग में भर्ती किए जाने हेतु संस्तुति सहित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 5 अक्तूबर, 1983 शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त विषय में अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 4027 आ0 पत्र-10-1200 (184)/83 गृह पुलिस अनु0 10, दि0 30 दिसम्बर, 198 द्वारा प्रश्नगत मामले में आवश्यक कार्यवाही किए जाने की सूचना भी प्रश्नकर्ता को दी गई है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सन्दर्भ में आज तक विभाग द्वारा कौन सी आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

जी हां । उपरोक्त विषय में अर्ध-शासकीय पत्र सं0 4207 आठ-10-1200(184)/83, गृह(पुलिस)अनुभाग-10, दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रश्नगत मामले में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की सूचना भी प्रश्नकर्ता को दी गई थी ।

"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" के अन्तर्गत कुटुम्ब की परिभाषा में भाई नहीं आता । अतः स्व0 सुखराम कांस्टेबिल के भाई श्रीराम को उक्त नियमावली के प्राविधानों का लाभ देकर पुलिस विभाग में भर्ती किया जाना सम्भव नहीं है । इसकी सूचना माननीय विधायक को अ0 शा0 पत्रांक 4625/आठ-10-84-1200-(184)/83, दिनांक 18 सितम्बर, 1984 के अनुसार दी जा चुकी है ।

बाराबंकी के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला चिकन महल के श्री राहत अली की भूमि पर अवैध कब्जा

123--श्री फालुदवारी--

प्रथम सत्र 84 के 3रे गुरुवार के लिए अता0 प्र0 संख्या 131 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बाराबंकी के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला चिकना महल के निवासी स्व0 राहत अली पुत्र स्व0 श्री जुल्फिकार अली के प्लाट संख्या हाल 3033-34 (पुराना नं0 1432) पर किसी खड़ंजा का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इस अवैध निर्माण को समाप्त कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124--श्री औसान सिंह--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

नैनीताल के रामनगर मोहल्ला गूलर पट्टी एवं जोगीपुरा में हत्या एवं बलात्कार

125—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 6-11-83 की रात को रामनगर जनपद नैनीताल में 2 व्यक्तियों की हत्या तथा 14 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार व लूटपाट पुलिस थाने के एक किलोमीटर दूरी में हुई है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 6/7-11-83 की रात को थाने से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित जनपद नैनीताल मे कस्बा रामनगर के मोहल्ला गूलर पट्टी में सर्वश्री रसीद खां व शहादत खां तथा थाने से लगभग दो किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम जोगीपुरा में श्री धन सिंह के मकानों में हत्या, लूट तथा बलात्कार की तीन घटनाएं घटित हुई। इन तीनों घटनाओं के सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अलग-अलग अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उपरोक्त तीनों घटनायें खानाबदोश (बवरिया) जाति के लोगों द्वारा किया जाना पाया गया।

दिनांक 17-11-83 को दो अभियुक्त बन्दी बनाये गये जिन्होंने उपरोक्त तीनों घटनाओं में अपने दो अन्य साथियों सहित सम्मिलित होना बतलाया। इन गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के पास से उपरोक्त घटनाओं में लूटी गई कुछ सम्पत्ति को भी बरामद किया गया। एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई तथा शेष एक अभियुक्त का कोई पता न चल सकने के कारण उसके विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तीनों घटनाओं से सम्बन्धित अभियोगों में गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप-पत्र न्यायलय भेजा गया है।

126—श्री काशी सिंह ऐरी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ, नगरमहापालिका के डालीगंज पुल, फैजाबाद मार्ग, हनुमान सेतु से विष्णुपुरी तक अवैध कब्जा

127—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका, डालीगंज पुल से फैजाबाद मार्ग, राम सागर मिश्र नगर तक तथा हनुमान सेतु से विष्णुपुरी तक तथा विश्वविद्यालय कुर्सी मार्ग तक कुल कितने स्थायी/अस्थायी अनधिकृत कब्जे कुल कितने क्षेत्रफल में हैं? इस सन्दर्भ में श्री जसवन्त सिंह विष्ट द्वारा भेजे गये दिनांक 1-5-84 के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में अवैध कब्जों की कुल संख्या 682 है और इसका अनुमानित क्षेत्रफल 14640 वर्ग फीट होगा।

महापालिका द्वारा काफी संख्या में अतिक्रमणों को हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमायूं विकास निगम द्वारा शहर फाटक के निकट चिनखोली में स्लाइटर प्लान्ट की कथित स्थापना

128—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि कुमायूं विकास निगम ने शहर

फाटक के पास चिनखोली में 12 करोड़ का स्लाइटर प्लान्ट लगाने हेतु अगस्त–सितम्बर, 1983 में अपनी संस्तुति सरकार को भेजी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

129—श्री काशी सिंह ऐरी—

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पर्वतीय विकास विभाग में स्वायत्त प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग

130—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर नियन्त्रण हेतु किसी स्वायत्त प्रशासनिक इकाई के न होने के कारण अनेक प्रकार की अनुशासनिक खामियां आती हैं? क्या सरकार इस अनुशासनिक कमजोरी को दूर करने हेतु पर्वतीय विकास विभाग में स्वतन्त्र अनुशासनिक सेल का शीघ्र गठन करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

पर्वतीय विकास विभाग का गठन सचिवालय स्तर पर किया गया है और सचिवालय के अन्य विभागों के समान अनुशासन के सम्बन्ध में शासन के सामान्य नियम तथा सचिवालय मैनुअल के उपबन्ध इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। अतएव पृथक से किसी अनुशासनिक सेल अथवा स्वायत्त प्रशासनिक इकाई का गठन व्यावहारिक एवं वैधानिक नहीं होगा।

अल्मोड़ा के ग्राम रिखाड़ी की प्राइमरी पाठशाला का निर्माण

131—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिक्यासैंण में ग्राम रिखाड़ी में बन रहे प्राइमरी पाठशाला भवन तथा उसके क्रीड़ांगन का निर्माण कार्य विगत पांच वर्षों से भी पूर्ण नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों? इस कार्य को तुरन्त पूरा कराने के लिए क्रमशः क्या–क्या कदम उठाए गए हैं, कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय जिलों में कृषि, पशु एवं फलोद्यानों के बीमा योजना की मांग

132—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय जनपदों में अभी तक खेती (कृषि) पशु तथा फलोद्यानों की बीमा योजना चालू नहीं की गयी है? क्या सरकार अतिशीघ्र उपरोक्त बीमा योजना प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

पर्वतीय जनपदों में नैनीताल के मैदानी भाग में धान तथा गेहूं पर फसल बीमा लागू है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत क्रय कर पशुपालकों को वितरित किए जाने वाले पशुओं का ही बीमा कराया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में फलोद्यानों की कोई भी बीमा योजना लागू नहीं है क्योंकि ऐसी कोई योजना प्रदेश के किसी भी भाग में अभी लागू नहीं है ।

133--श्री काशी सिंह ऐरी—

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 165 के अन्तर्गत स्थानान्तारित] ।

पिथौरागढ़ के चमोली तथा उत्तरकाशी में नमक के मूल्य में वृद्धि

134- श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ (विशेषकर तहसील धारचूला) चमोली तथा उत्तरकाशी के सीमान्त क्षेत्रों में नमक तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं अत्यन्त ही मंहगी (नमक 5 रुपए से 8 रुपए प्रति किलो तक) है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां आवश्यक उपभोक्ता सहकारी संघ दुकानों द्वारा उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठायें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र में हिसालू किल्मोड़ा, मेहल, काफल, बोढ़, घिंघारू आदि फलों को उन्नतशील किये जाने की मांग

135—श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में हिसालू किलमोड़ा, मेहल, काफल, बोढ़, घिंघार, च्यूरा जंगली सेब (म्यूर्ल-गिलौन, नैफले, रिटिपिले, परिओं) पांगर ग्वाल काकड़ी, तैंड आदि फलों की प्रजातियों को और अधिक उन्नतशील बताने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या उपरोक्त फलों व कन्दों के उन्नतशील बीज पौधे सरकार द्वारा बिक्री हेतु वहां के विकास केन्द्रों में सुलभ कराए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

पर्वतीय क्षेत्र में हिसालू किल्मोड़ा, मेहल, काफल, बोढ़, घिंघारू, जंगलीसेब आदि फलों की प्रजातियों को और अधिक उन्नतिशील बनाने के लिये उद्यान एवं फल उपयोग विभाग द्वारा अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । ये अधिकांश जंगली झाड़ियां हैं । पर्वतीय क्षेत्र में प्रर्याप्त नमी तथा गहरी मिट्टी वाले उपयुक्त स्थानों पर च्यूरा के वृक्ष वन विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं ।

इनके उन्नतशील बीज व पौधों की बिक्री अनुसन्धान के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने पर निर्भर करेगी ।

राजकीय इन्टर कालेज, थल, जिला पिथौरागढ़ के भवन का निर्माण

136--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय इन्टर कालेज थल, जनपद पिथौरागढ़ के मुख्य भवन अध्यापक व कर्मचारी आवास के लिए नए भवन पिछले कुछ वर्ष पूर्व बनाए गये थ ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्रमशः कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? अब तक आवासीय भवनों को अध्यापकों या कर्मचारियों के न रहन का क्या कारण है ? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

राजकीय इन्टर कालेज, थल जनपद पिथौरागढ़ के मुख्य भवन का निर्माण कार्य 1979 में पूर्ण हो चुका है तथा भवन विद्यालय के प्रयोग में है । मुख्य भवन निर्माण कार्य पर 5.35 लाख

रुपया व्यय हुआ है। अध्यापक तथा कर्मचारी आवास के 8 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 18 निर्माणाधीन हैं। इन आवासीय भवनों पर मई 1985 तक 13.48 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। पूर्ण हुये 8 भवनों में अध्यापक रह रहे हैं।

अल्मोड़ा जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनौला का भवन

137--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ग्राम सभा तरस्यौड़, पत्रालय पिलखोली वि0 ख0 ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा के द्वारा दिनांक 12-9-1984 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनौला के भवन निर्माण में स्थान की कमी विषयक वैकल्पिक प्रस्ताव जिलाधिकारी, अल्मोड़ा या जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा द्वारा प्राप्त हुए? यदि हां, तो इन बिन्दुओं पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी एवं मसाले के बीजों का सम्वर्द्धन एवं उत्पादन

138--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि कश्मीर प्रान्त के नकेसर तथा अन्य स्थानीय शाक-भाजी, मसाले व कन्दमूल को उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में सुगमता से पैदा कर वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार जम्मू कश्मीर समेत भारत के प्रत्येक पहाड़ी प्रान्तों से शाक-सब्जी, मसाले व अन्य उपयोगी पौधे व कन्द मूल के बीज वहां की जलवायु अनुरूप उत्तराखण्ड के क्षेत्रों में रोपित प्रसारित करने की योजना बनाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप तराई विकास निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम के सहयोग से पछेती फूलगोभी तथा बन्द गोभी आदि का बीज पैदा कराया जा रहा है तथा आलू एवं सब्जी बीज सम्वर्द्धन तथा प्रमाणीकरण योजना के अन्तर्गत प्रमाणित सब्जी बीजों का उत्पादन भी कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त हल्दी, अदरख आदि मसाले की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर के अन्तर्गत नियुक्ति करने के लिये कोष्ठ (सेल) बनाने की मांग

139--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में "हिल कैडर" के अन्तर्गत नियुक्तियों हेतु बने कोष्ठ (सेल) हेतु राज्य सेवा आयोग को किन-किन विभागों हेतु चयन करने के आदेश दिये हैं? शेष विभागों हेतु यह चयन प्रक्रिया कब तक अपनाई जायगी? यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति का कौन सा मानक तय किया है?

श्री नारायन दत्त--

पर्वतीय क्षेत्र में हिल कैडर के अन्तर्गत नियुक्तियों हेतु कोष्ठ (सेल) बनाने की कोई परिकल्पना नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, सिंचाई, ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास), कृषि एवं भूमि संरक्षण, प्राविधिक शिक्षा

तथा पशुपालन सेवाओं में एक निर्दिष्ट स्तर तक सेवाओं का उपसंवर्ग गठित करने के आदेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी कर दिये गये हैं। इन सेवाओं में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराने और पदों को भरने की कार्यवाही की व्यवस्था सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विचार क्षेत्र में है और गठित उप संवर्गों में, सम्बन्धित विभागीय सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर, आवश्यकतानुसार आयोग को अधियाचन भेजकर चयन कराया जा सकता है।

देहरादून एवं पौड़ी गढ़वाल में निजी वीडियो सेट के प्रदर्शन से प्राप्त मनोरंजन कर

140—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वित्त मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी व देहरादून में पिछले 4 वर्षों में वर्षवार कुल कितने निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से कुल कितना मनोरंजन-कर व अन्य राजस्व की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार को हुई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सूचना निम्न प्रकार है :—

देहरादून

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में निजी वीडियो सेटों के कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुये।

वर्ष 1983-84 में दो निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 17,285.73 मनोरंजन कर के रूप में तथा 450 रुपये अन्य राजस्व प्राप्त हुई।

वर्ष 1984-85 में दो निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 16,498.75 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 450 अन्य राजस्व की प्राप्त हुई।

पौड़ी-गढ़वाल

विगत चार वर्षों में किसी भी वीडियो सेट को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस नहीं दिया गया। अतः कोई मनोरंजन कर व अन्य राजस्व की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं हुई।

अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं टेहरी गढ़वाल तथा चमोली में वीडियो सेट के प्रदर्शन से प्राप्त मनोरंजन कर

141—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल तथा चमोली में पिछले 4 वर्षों में वर्षवार कुल कितने वीडियो सेट से सार्वजनिक प्रदर्शन से कुल कितनी मनोरंजन-कर व अन्य राजस्व की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार को हुई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सूचना निम्न प्रकार है :—

उत्तर काशी

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुये। वर्ष 1983-84 में 8 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 28,651 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 1,645 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 1984-85 में 9 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 69,617 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 5,025 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है।

टेहरी गढ़वाल

वर्ष 1981–82 तथा 1982–83 में वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुये। वर्ष 1983–84 में दो वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 6,375 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 150 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 1984–85 में दो वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 11,737.17 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 300 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है।

चमोली

वर्ष 1981–82 तथा वर्ष 1982–83 में वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुये। वर्ष 1983–84 में 12 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 13,183.30 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 5,400 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 1984–85 में 10 वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 74,730.12 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 4,500 अन्य राजस्व की प्राप्ति हुई है।

142--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा तथा नैनीताल में पिछले 4 वर्षों से वर्षवार कुल कितने निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से कुल कितनो मनोरंजन-कर व अन्य राजस्व उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुए?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सूचना एकत्र की जा रही है।

143--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में पिछले 4 वर्षों में वर्षवार कुल कितने निजी वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन से किस दर से कुल कितने मनोरंजन-कर व अन्य राजस्व की प्राप्ति उ0 प्र0 सरकार को हुई? क्या यह सत्य है कि एक ही प्रदेश व एक ही जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक वीडियो पर लगने वाला कर भिन्न दर से लगाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके मानक व कारण क्या हैं? क्या सरकार इन जनपदों की बिखरी जनसंख्या को देखते हुए उपरोक्त राजस्व में छूट देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1981–82 तथा वर्ष 1982–83 में निजी वीडियो सेटों के कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुए।

वर्ष 1983–84 में 12 निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये ,04,592.20 मनोरंजन कर के रूप में तथा रुपये 5,325.00 अन्य राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।

वर्ष 1984–85 में 14 निजी वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 1,61,300.30 मनोरंजन-कर के रूप में तथा रुपये 8,650 00 अन्य राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।

जी हां। इसका कारण यह है कि वीडियो को अस्थायी सिनेमा की भांति माना गया है और इस पर अस्थायी सिनेमा के नियम लागू हैं। नियमानुसार जो वीडियो जिला मुख्यालय या उसकी बाहरी सीमा से आठ किलोमीटर के भीतर स्थित हैं या जो कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र हो जिसमें उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 के अधीन लाइसेंस प्राप्त कोई स्थायी सिनेमा हो या जो उसकी बाहरी सीमा से आठ किलोमीटर के भीतर स्थित हो, पर मनोरंजन कर, टिकट की बिक्री के आधार पर वसूल किया जाता है। उपरोक्त से भिन्न स्थिति में वीडियो पर अन्तर्वर्ती सिनेमा की भांति जनसंख्या के आधार पर, 10,000 तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 1,000.00 प्रति सप्ताह तथा 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित वीडियो सेट के

सार्वजनिक प्रदर्शन से रुपये 2,000.00 प्रति सप्ताह की दर से एकमुश्त कर वसूल किया जाता है। इन जनपदों में वीडियो सेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन को राजस्व में छूट देने का प्रश्न सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है।

पिथौरागढ़ में वीडियो द्वारा फिल्म प्रदर्शन एवं मनोरंजन-कर सम्बन्धी नियम

144--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वीडियो मनोरंजन कर के सम्बन्ध में तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 28-3-84 का पत्रांक एफ0/1663/84, दिनांक 31 मार्च, 1984 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित समस्याओं में बिन्दुवार क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओ० प्रकाश रिछारिया--

जी हां। संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :--

बिन्दु 1, 2 व 5--

वीडियो को अस्थायी सिनेमा की भांति माना गया है और इस पर अस्थायी सिनेमा के नियम लागू हैं नियमानुसार जो वीडियो जिला मुख्यालय या उसकी बाहरी सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं या जो कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र हो जिसमें उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अधीन लाइसेंस प्राप्त कोई स्थायी सिनेमा हो या जो उसकी बाहरी सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित हो, पर मनोरंजन-कर टिकट की बिक्री के आधार पर वसूल किया जाता है। उपरोक्त से भिन्न स्थिति में वीडियो पर अन्तर्वर्ती सिनेमा की भांति जनसंख्या के आधार पर, 10,000 तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 1,000 रुपये प्रति सप्ताह तथा 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित वीडियो सेट के सार्वजनिक प्रदर्शन से 2,000 रुपये प्रति सप्ताह की दर से एकमुश्त मनोरंजन-कर वसूल किया जाता है।

बिन्दु 3--

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के अनुसार अस्थायी सिनेमा को लाइसेंस प्राधिकारी एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसी स्थान पर फिल्म प्रदर्शन की अनुमति दे सकते हैं। यही नियम वीडियो द्वारा फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर लागू हैं।

बिन्दु 4--

दर्शकों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन की व्यवस्था नियमानुसार अस्थायी सिनेमाओं की भांति वीडियो के लिए भी आवश्यक है।

बिन्दु 6--

वीडियो के माध्यम से फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अवैध प्रदर्शन को रोकने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को असीमित अधिकार दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है।

चमोली के रूप कुण्ड को राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करने की मांग

145--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद चमोली में रूप कुण्ड नामक एक ऐतिहासिक सुरम्य स्थल है ? यदि हां, तो इसकी ऐतिहासिक रमणीयता को देखते हुए सरकार इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करते हुए यहां की ऐतिहासिक वस्तुओं व दुर्लभ वनस्पतियों को पूर्ण

संरक्षण प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां । परन्तु यहां से प्राप्त अवशेष पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं । अतः इनको संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट तथ पौड़ी गड़वाल के नैनी-डांड का लिए पेयजल योजना की मांग

146--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सल्ट, जनपद अल्मड़ा तथा विकास खंड नैनीडांडा, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 52 जल अभावग्रस्त गांवों में कोई पेयजल की सामूहिक योजना सन 1980-81 में या उसके बाद स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो इस मूल योजना से कितने गांवों को पानी दिया जा चुका है ? कितने गांवों में पानी दिया जाना शेष है ? इन शेष गांवों में कब तक पानी पहुंचा दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ की पेयजल योजनाएं

147--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ को वर्ष 1983 तक निर्मित पेयजल योजनाओं में से किन-किन योजनाओं में सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं है, इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से इन पेयजल योजनाओं पर विगत एक वर्ष से अधिक समय पर नियमित पानी न आने पर भी सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त किन-किन असफल योजनाओं को सम्बन्धित ग्रामों से कितना जलकर वसूल किया ? सरकार ने इन जनपदों में नियमित जल आपूर्ति करने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1983 तक निर्मित ऐसी योजनाओं के नाम जिनमें सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा उनके कारण संलग्न सूची में अंकित हैं ।

ऐसी योजनाएं जिनमें पानी चालू नहीं था उनके ग्रामों मे जलकर वसूल नहीं किया गया ।

शासन द्वारा क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय पेय जल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन करके प्राथमिकता सूची बनायी गई है, जिसके आधार पर मरम्मत किया जा रहा है ।

ऐसी पेयजल योजनायें जिनके स्रोत का स्राव कम हो गया है उनके पुनर्गठन या करने के लिए प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं ।

जी हां ।

अल्मोड़ा, जैन्ती ग्राम समूह पेयजल योजना की मरम्मत

148--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड लमगड़ा के अन्तर्गत जैन्ती पेयजल योजना कालोगाड़ी में कब कितनी धनराशि से बनाई गयी ? इस योजना को 1978-79 में मोरनौला-जैन्ती मोटर मार्ग बनने से हुई टूट-फूट की मरम्मत आदि के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से कुल कितनी धनराशि दी गयी ? सरकार द्वारा उपरोक्त पेयजल योजना को ठीक कर सुचारु रूप से चलाने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

†छापी नहीं गयी ।

श्री नारायन दत्त---

जैन्ती ग्राम समूह पेयजल योजना का प्राक्कलन वर्ष 1973-75 में 4·135 लाख रु0 का बनाया गया था। पुनः योजना के मूल प्रस्तावों में परिवर्तन तथा मजदूर सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण वर्ष 1976-77 में योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन 8·12 लाख रु0 का विरचित एवं स्वीकृत किया गया।

मोटर मार्ग बनने से हुई टूट-फूट की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को कोई धनराशि नहीं दी गयी।

पूर्व में व्यय की गई धनराशि तथा टूट-फूट की मरम्मत आदि को सम्मिलित करते हुए योजना को पुनरीक्षित किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 10·78 लाख रु0 है। अब तक दो ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अल्मोड़ा जिले की बजला ग्राम समूह योजना का फर्जी मस्टर रोल

149---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि बजला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 12·50 लाख रुपए में से 1·50 लाख रुपया फर्जी मस्टररोल द्वारा भुगतान किया गया तथा काशीपुर जल निगम द्वारा अल्मोड़ा जनपद में सल्ट क्षेत्र में अत्यधिक भ्रष्टाचार किया गया? क्या सरकार इस विषय में उच्च स्तरीय विस्तृत जांच कराकर दोषी अधिकारियों को कठोर दन्ड देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त---

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

'शक्ति' सार साप्ताहिक, अल्मोड़ा द्वारा 'पूर्वांचल केशरी जन्म शताब्दी स्मारिका' के प्रकाशन हेतु दी गयी कथित धनराशि

150---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 'शक्ति' साप्ताहिक अल्मोड़ा के संस्थापक सम्पादक तथा अखबार के अन्तिम सम्पादक स्वर्गीय श्री बदरी दत्त पान्डे की स्मृति में प्रकाशित हो रही 'पूर्वांचल केशरी जन्म शताब्दी स्मारिका' के प्रकाशन हेतु कितनी धनराशि किस व्यक्ति को शासन ने दी है?

श्री हुकुम सिंह---

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार शासन द्वारा इस निमित्त कोई धनराशि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गयी है।

151---श्री काशी सिंह ऐरी---

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम गाड़ी एवं पाखुड़ा में पागल कुत्ते के काटने की घटना

152---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1983 में ग्राम पाखुडा ग्राम गाड़ी पत्रालय उप्रेड़ी, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में कितने व्यक्तियों एवं जानवरों को पागल कुत्तों के काटने के फलस्वरूप मृत्यु हुई है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां पर कुत्ते के इंजेक्शन रानीखेत सिविल अस्पताल में क्यों उपलब्ध नहीं थे और उसके

लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

माह दिसम्बर, 1983 में ग्राम पासुड़ा ग्राम गाड़ी में कुत्तों के काटने से किसी भी व्यक्ति तथा जानवर की मृत्यु नहीं हुई थी। माह दिसम्बर, 1983 में सिविल अस्पताल रानीखेत में प्रचुर मात्रा में ए0 आर0 बी0 उपलब्ध थी। अतः जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इलाहाबाद, लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारियों का सेलेक्शन ग्रेड

153—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के कार्यालय में कितने अनुभाग अधिकारियों को अभी तक सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है जबकि उसी कार्यालयों में उसी संवर्ग के अन्य अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त —

लोक सेवा आयोग कार्यालय के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में सलेक्शन ग्रेड के केवल 3 पद ही स्वीकृत हैं अतः 24 अनुभाग अधिकारियों के कुल पदों में से 21 को सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सका है। उक्त संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के अतिरिक्त और कोई पद नहीं है अतः किसी अन्य अधिकारी को सलेक्शन ग्रेड दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तराखंड) से युवकों का पलायन

154—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दि0 20-5-1984 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रश्नकर्ता ने पूरे पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तराखंड) में हो रहे पलायन के कारणों की जांच और उसके समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग के गठन की मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे जांच आयोग का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

पहाड़ों से युवा वर्ग से पलायन के संबंध में श्री जसवंत सिंह बिष्ट तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 20-5-1984 प्राप्त हुआ था। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये जो नयी रणनीति बनायी है उसके अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है कि सामान्य शिक्षा के बजाय तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाय। नये तकनीकी पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भ किये जा रहे हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे या किये जाने वाले उद्योगों एवं व्यवसायों अथवा स्वतः रोजगार के लिये स्थानीय कुशल कर्मियों की उपलब्धि हो सके।

शासन पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता की ओर जागरुक है। अतः किसी उच्चस्तरीय जांच आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र (उत्तराखंड) में विकास कार्यों के मूल्यांकन की मांग

155—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 20-5-1984 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रश्नकर्ता ने सरकार से पूरे पर्वतीय क्षेत्र (उत्तराखंड) में स्वतन्त्रता के बाद से अब तक विकास कार्यों में किए गए सरकारी खर्चे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय

आयोग बैठाकर वहां हो रही उन्नति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय आयोग बैठाकर वहां की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करेगी ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

पर्वतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से अब तक विकास का मूल्यांकन एक उच्च स्तरीय आयोग द्वारा किये जाने के विषय पर तत्कालीन माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह बिष्ट का दिनांक 20-5-1984 का पत्र प्राप्त हुआ था। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मूल्यांकन राज्य योजना आयोग/राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। अतएव मूल्यांकन हेतु पृथक आयोग गठित करने का औचित्य नहीं पाया गया।

पर्वतीय क्षेत्र ज्योलीकोट में जैतून के पौधों की विकास योजना

156--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के दिनांक 26-6-1984 के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1909 में ज्योलीकोट के तत्कालीन उद्यान अधीक्षक, श्री नार्मन मिल ने ब्राउलिया यूरोप या (जैतून) के पौधे तैयार कर वर्ष 1910 से वर्ष 1915 के बीच रामगढ़ बिन्दयर, मुक्तेश्वर, देवलधारी, चौबटिया, नैनीताल आदि इलाकों में लगाई पुनः स्व0 सागे द्वारा वर्ष 1953 में यूरोप से जैतून की नई यूरोपीय नस्ल मंगाकर लगाई गयी, जो दोनों पूरी तरह असफल रहीं ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में विश्वबैंक की मदद से यूरोप से जैतून के पेड़े मंगाने की 40 करोड़ रुपये की योजना की सफलता के लिए सरकार ने किन-किन उद्यान विशेषज्ञों से मांग की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्थानीय सफल जैतून प्रजातियों को भारतीय तकनीक से विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1909 से 1915 के बीच ज्योलीकोट तथा आस-पास के क्षेत्र में अचारवाली किस्म के जैतून के पौधे लगाये गये, जो सफल नहीं हुये परन्तु वर्ष 1953 में यूरोप से आयातित जैतून के तेल एवं अचार वाली किस्में जो ज्योलीकोट (नैनीताल) तथा मुनसयारी (टिहरी) के राजकीय उद्यानों में लगायी गयी थी, पूर्णतः सफल रहीं। पर्वतीय क्षेत्र में जैतून एवं अन्य फलों की खेती के विकास हेतु इटली सरकार के सहयोग से 2.41 करोड़ रु0 की योजना इटली के विशेषज्ञों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के जनपद नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, एवं उत्तरकाशी क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं उनकी संस्तुति के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु इटली के विशेषज्ञों द्वारा योगदान दिया जा रहा है।

स्थानीय जैतून की जंगली प्रजाति के वृक्षों पर उन्नत जैतून की किस्मों का ढांचा रोपण कर इनका विकास औद्यानिक कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया गया है।

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ में, घोड़ा, टट्टू, कुटीर की बुकिंग

157--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 1-5-1984 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ में घोड़ा, टट्टू कुली के लिए 'बुकिंग

करने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर, यह कार्य सरकार से अपने हाथों में लेने का आग्रह किया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री नारायन दत्त--

जनपद उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों के लिये घोड़ा टट्टू व कुली के लिये बुकिंग व्यवस्था जिला परिषद् उत्तरकाशी द्वारा की जाती है तथा जनपद चमोली में स्थित केदारनाथ मार्ग में यह व्यवस्था क्षेत्रीय विकास समिति ऊखीमठ द्वारा की जाती है ।

चूंकि यह व्यवस्था सुचारुरूप से चल रही है अतएव शासन द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नैनीताल झील सुरक्षा दीवार की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

158--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल झील के चारों ओर सुरक्षा दीवार का कार्य मात्र चौथाई पूरा कर छोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी का दिनांक 1-5-1984 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कब कितनी धनराशि को किस विभाग ने स्वीकृति दी और कार्य पूरा न कराए जाने के क्या कारण थे ? क्या सरकार इस कार्य को अविलम्ब पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

नैनीताल झील के चारों ओर सुरक्षा दीवार तथा क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 1980-81 में रुपये 9·46 लाख की स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की गई थी परन्तु विगत वर्षों में झील का जल स्तर अधिक वर्षा के कारण कम नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण कार्य कराया जा ना सम्भव नहीं हो पाया । झील का जल स्तर यदि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है तो यह कार्य वर्ष 1985 में पूरा किया जा सकेगा ।

श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ के पुजारियों का वेतनमान

159--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के दिनांक 1-5-84 के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के पुजारियों का वेतनमान मात्र रु0 305-390 है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर समिति के अधिष्ठान में कार्यरत पुजारियों का वेतनमान रुपये 305-390 को उनके पद और गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए वेतनमान रुपये 360-620 के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं ।

160--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री बद्रीनाथ मंदिर की आय एवं व्यय

161--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बद्रीनाथ मंदिर में वित्तीय वर्ष 1979-80 से 1984-85 में क्रमशः किन-किन स्रोतों से कुल कितनी आय हुई और क्रमशः किन-किन मदों पर कुल कितना खर्च हुआ ? इस समय कुल कितनी धनराशि किस-किस रूप में जमा है ?

श्री नारायन दत्त--

श्री बद्रीनाथ मंदिर में वित्तीय वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक क्रमशः निम्नलिखित आय तथा व्यय हुआ है :--

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
1--1979-80	22,99,686·36	26,94,129·16
2--1980-81	26,27,411·87	29,93,665·30
3--1981-82	26,17,115·12	24,86,701·87
4--1982-83	33,30,838·22	25,18,766·30
5--1983-84	31,19,480·99	67,60,919·07
6--1984-85	47,62,892·84	39,23,726·73

2--श्री बद्रीनाथ मंदिर में सामान्यतः आय (1) राज्य सरकारों तथा विविध संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों से प्राप्त अनुदान (2) यात्रियों द्वारा भेजे गये मनीआर्डर्स, व्यक्तिगत दान, जीर्णोद्धार हुंडी पात्र तथा मंदिर कोष के अंशदान से होती है। इस आय से श्री बद्रीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठान व्यय, प्रचार प्रसारण, भूमि अध्याप्ति, सम्पत्ति के रख-रखाव आदि पर व्यय किया गया है।

3--वर्तमान में श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर के "निधि कोष" के सामान्य कोष में दिनांक 31-3-1985 को रुपये 63,06,491·16 अवशेष था, जिसमें रुपये 11,99,956·44 विभिन्न बैंकों में नगद जमा है तथा रुपये 51,06,534·72 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तथा विभिन्न प्रतिभूतियों के आय में विनियोजित हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु मंदिर गया है, जिसमें रुपये 10,08,869·14 दिनांक 31-3-1985 तक अवशेष है, जो धनराशि भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक श्री बद्रीनाथ धाम में जमा है।

केदारनाथ मंदिर की आय एवं व्यय

162--श्री काशी सिंह ऐरी--

यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री केदारनाथ मंदिर में वित्तीय वर्ष 1979-80 से वित्तीय वर्ष 1984-85 तक क्रमशः किन-किन स्रोतों से कुल कितनी आय हुई और क्रमशः किन-किन मदों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ? इस समय कुल कितना धन किस रूप में जमा है ?

श्री नारायन दत्त—

श्री केदारनाथ मंदिर में वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक रकम गूठ, भूमि/भवन, किराया, विश्राम गृह, पूजा, प्रतिभूतियों की बिक्री, प्रतिभूतियों से सूद, ऋण की वसूली, सोना चांदी का विक्रय, अग्रिम धन की वसूली एवं जीर्णोद्धार आदि मदों से होने वाली वर्षवार आय तथा वेतन, दस्तूरात भोग पूजा, वार्षिक मरम्मत, नव निर्माण, प्रतिभूतियों का क्रय आदि में होने वाले वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय	व्यय
	रु0	रु0
1979-80	6,82,032.12	7,12,775·76
1980-81	8,36,130.80	8,01,096·75
1981-82	9,38,032.46	8,56,249·04
1982-83	8,80,063.52	9,06,253·13
1983-84	11,61,249.79	11,32,500·10
1984-85	14,85,303,71	14,76,350·09

दिनांक 31-3-1985 को मंदिर के सामान्य कोष में रुपय 1,58,656·55 अवशेष हैं। यह धनराशि मंदिर कोष में तथा भारतीय स्टेट बैंक में जमा है। इसके अतिरिक्त रुपये 4,10,415.75 प्रतिभूतियों के रूप म विनियोजित है।

केदारनाथ मन्दिर के गौरी कुन्ड-रामबाड़ा मार्ग

163—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को भूतपूर्व विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के 1-5-1984 के पत्र द्वारा केदारनाथ द्वारा 5-6 वर्ष पूर्व गौरी कुन्ड से रामबाड़ा तक के 6 कि0 मी0 मोटर मार्ग हेतु टेंडर लिए जाने के बाद कार्य अधूरा छोड़कर अब केवल जीप योग्य मार्ग बनाये जाने की जानकारी मिली ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? किन कारणों से अधूरा छोड़कर केवल जीप योग्य सड़क बनाई जा रही है ? क्या सरकार इस मोटर मार्ग को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

गौरी कुंड से रामबाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 1974-75 में स्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया। कालान्तर में घाटी के पर्यावरण के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग के निर्माण का परित्याग कर दिया गया। यात्रियों की सुविधा के लिये गौरी कुंड से रामबाड़ा तक पदल मार्ग का सुधार एवं चौड़ा करने के कार्य को स्वीकृति दी गयी है। यह पैदल मार्ग ही रहेगा।

पर्यावरण संतुलन एवं परिस्थिति की संरक्षण की दृष्टि से मोटर मार्ग निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

164—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दिनांक 12-9-84 में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 द्वारा उत्तरित ।]

अल्मोड़ा के तड़ाग ताल क्षेत्र में की गयी रैली से सम्बन्धित ज्ञापन

165—श्री काशी सिंह ऐरी —

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तड़ाग ताल क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा में की गयी रैली के सम्बन्ध में वहां के जनता के ज्ञापन के साथ तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 25-5-84 का पत्र उन्हें मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री न रायन दत्त—

तड़ाग ताल क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा में की गई रैली के विषय पर वहां की जनता के ज्ञापन के साथ तत्कालीन विधायक श्री जसवंत सिंह बिष्ट का प्रश्नगत दिनांक 25-5-84 का पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है । यदि उक्त पत्र व ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाय तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

विकास खंड, चौखुटिया के अन्तर्गत नगाड़ पेयजल योजना, जूनियर हाई स्कूल तथा बांध सम्बन्धी ज्ञापन

166—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा के लोगों द्वारा दिए ापन के साथ तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 25-5-84 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । विकास खंड चौखुटिया के लोगों द्वारा दिये ज्ञापन के साथ श्री जसवंत सिंह बिष्ट, तत्कालीन विधायक का पत्र, दिनांक 25-5-84 प्राप्त हुआ था । ज्ञापन में नगाड़ की असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु एक पंम्पिंग सेट के लगाने तथा जूनियर हाई स्कूल नगाड़ को पूर्ण मान्यता दिये जाने एवं नगाड़ नदी में बन्ध निर्माण के बिन्दु उठाये गये थे, जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दिनांक 22-6-84 को दे दिये गये थे । माननीय सदस्य को भी दिनांक 22-6-84 को कृत कार्यवाही की सूचना दे दी गई थी ।

अल्मोड़ा, लैलू गांव के प्रधान का ज्ञापन

167—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लैलू गांव, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम प्रधान के ज्ञापन के साथ भू0 पू0 विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 25-5-84 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

लैलू गांव, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम प्रधान के ज्ञापन के साथ भू0 पू0 विधायक, श्री जसवंत सिंह बिष्ट का प्रश्नगत दिनांक 25-5-84 का पत्र उपलब्ध नहीं हो रह हैं । यदि उक्त पत्र व ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाय तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

168--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा, सरयू नदी की कथित माइक्रो हाईडिल योजना

169--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में सरयू नदी पर कौन-कौन सी माइक्रो हाइडिल योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

कोई नहीं । नदी का ब्यड-स्लोप बहुत कम है ।

170--श्री काशी सिंह ऐरी--

[दिनांक 12-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित ।]

171--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

कपकोट-शामा-तेजम मार्ग का निर्माण

172--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शामा तेजम (अल्मोड़ा) मोटर मार्ग का निर्माण कब आरम्भ हुआ है, उक्त मार्ग के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है और कब तक मार्ग पूर्ण हो जाना था ? अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री नारायन दत्त--

कपकोट-शामा-तेजम मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 1955 में आरम्भ हुआ था। उक्त मार्ग के लिये रु0 13.68 लाख की स्वीकृति दी गयी थी । इसे पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 1961-62 रखा गया था और वर्ष 1965 में यह मार्ग पूर्ण हो गया । उस समय तक इस मार्ग पर कुल 13.65 लाख व्यय किये गये थे ।

पिथौरगढ़ के थल-बरडगाड़ सड़क का निर्माण

173--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में बरडगाड़ से स्टेशन तक की सड़क का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो इससे पूर्व इस सड़क को किस संस्था ने कब और किसके माध्यम से बनाया ? क्या उपरोक्त व्यक्ति को उसके कार्य का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सन्दर्भ में निवर्तमान विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 1-5-84 का पत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दिये जाने की मांग

174--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-8-84 को मुख्य मंत्री निवास पर पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों में वहां के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिलाने के सम्बन्ध में श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज, संयोजक गढ़वाल समानान्तर कांग्रेस (ई) कमेटी (पौड़ी गढ़वाल) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त---

जी नहीं । इस प्रकार का कोई प्रतिनिधि मंडल दिनांक 28-8-84 को मुख्य मंत्री जी से मिला प्रतीत नहीं होता । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री दरबार सिंह के लखनऊ आगमन पर व्यय की गयी कथित धनराशि

175--श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री दरबारा सिंह ने विगत मई, 1984 में एक राजनैतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लखनऊ में निवास व भ्रमण किया ? यदि हां, तो इनको कोई राजकीय सुविधा दी गयी ? यदि हां, तो इस प्रकार क्रमशः किन-किन मदों में क्रमशः कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री नारायन दत्त---

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री दरबारा सिंह के विगत मई, 1984 में लखनऊ आगमन पर शासन के व्यय पर उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गयी ।

तराई क्षेत्र के हल्द्वानी में असामाजिक तत्वों द्वारा लूट की घटना

176—श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या मुख्य मन्त्री को भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के पत्र, दिनांक 4-5-84 जिसकी प्राप्ति स्वीकृति पत्र सं0 एम0/418/4 सी0 एम0-2/84-22/84 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनु0-2, दिनांक 21-5-84 द्वारा उक्त श्री बिष्ट को भेजी गयी है, के द्वारा तराई क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां ।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दो सिक्खों द्वारा हल्द्वानी से चार किलोमीटर दूर सिटी बस में की गयी लूट से सम्बन्धित मामले में थाना लालकुआं पर अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके तत्काल विवेचना की गयी । हर सम्भव प्रयास के बावजूद स्थानीय पुलिस को माल व मुल्जिमान का पता नहीं लग सका जिसके कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

बरेली कारपोरेशन बैंक, शाखा रुद्रपुर में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना रुद्रपुर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया विवेचना में सफलता न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, हल्द्वानी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर, दिनांक 14-4-84 को उक्त बैंक में हुई घटना के सम्बन्ध में थाना हल्द्वानी पर अभियोग अन्तर्गत धारा 380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गयी । पकड़े गये एक अभियुक्त ने विवेचना के दौरान अपने दूसरे साथी का नाम व पता बतलाया, जिसकी जांच से कोई तस्दीक नहीं हो पायी । पकड़े गये अभियुक्त का चालान न्यायालय किया जा चुका है ।

असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गयी है ।

अल्मोड़ा व रानीखेत में शराब बन्दी आन्दोलनकारियों पर लाठी चार्ज

177--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तराखंड में शराब बन्दी आन्दोलनकारियों का एक शिष्ट मण्डल निवर्तमान विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उनके संयुक्त सचिव (श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी) से दिनांक 25-4-85 को मिला था ? क्या उसी दिन आन्दोलनकारियों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिकारी को सम्बन्धित ज्ञापन दिया था, जिसकी प्राप्ति संख्या एम0/4/7/49/सी0 एम0 2/84 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनुभाग-2 एनेक्सी भवन, लखनऊ द्वारा मिली ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्न में बताया गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है । जांच से ज्ञापन में अभिकथित यह बात सत्य नहीं पायी गयी कि दिनांक 5 व 12 अप्रैल, 1984 को अल्मोड़ा में महिलाओं पर एवं 14-4-84 को रानीखेत में पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया । उक्त तिथियों में उक्त स्थानों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । दिनांक 12-4-84 को सोमेश्वर में अवश्य उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी एवं उसके समर्थक तत्वों के विरुद्ध विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जनहित में युक्ति युक्त बल प्रयोग किया था और कानूनी कार्यवाही की थी । आन्दोलन के सम्बन्ध में बन्दी बनाए गये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले लिये गये हैं और वे जेल से मुक्त हो चुके हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता (प्राविधिक) तथा मानचित्रकार का वेतनमान

178--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं (प्राविधिक) मानचित्रकार को समयबद्ध वेतनमान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता (प्राविधिक) तथा मानचित्रकार को दिनांक 1-5-84 से समयबद्ध वेतनमान (समयमान वेतनमान) के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड निम्नवत् स्वीकृत किये जा चुके हैं जो सम्बन्धित पदधारकों को उनके द्वारा 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अनुमन्य होंगे :--

सेवा संवर्ग	सेलेक्शन ग्रेड
	रु0
अनर्ह मानचित्रकार-1	510-675
अनर्ह मानचित्रकार-2	400-615
अर्ह मानचित्रकार	515-860
अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	690-1,420

पिथौरागढ़, लोहाघाट बाराकोट मार्ग के निर्माण में हुई क्षति

179--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट बाराकोट मोटर मार्ग के 12वें किलोमीटर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान जिला उद्यान अधिकारी, राजस्व रिकार्ड की खतौनी व नक्शा समेत पूर्ण

आख्या प्राप्त होने पर भी 76–77 निर्माण के दौरान हुयी क्षति रु0 86,055.60 (छियासी हजार पचपन रुपए तथा साठ पैसे) क्षतिपूर्ति तब की गई थी ? यदि हां, तो इसमें से कितनी धनराशि दे दी गयी है व कितना मलबा उठाया जा चुका है ? शेष कार्य अति–शीघ्र पूर्ति हेतु क्या–क्या आवश्यक कार्य–वाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता (प्राविधिक) लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

180––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 77 से स्थायी पदों के विरुद्ध प्रोन्नत अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के स्थायीकरण एवं लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ विषय पर प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग व्यवस्थापन (ध) वर्ग द्वारा कोई कार्य–वाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग व्यवस्थापन (ध) वर्ग द्वारा वर्ष 1977 से तदर्थ प्रोन्नत अवर अभियन्ता (प्राविधिक) को लोक सेवा आयोग से नियमित चयन कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई । जहां तक स्थायी–करण की कार्यवाही का सम्बन्ध है, यह आयोग से नियमित चयन होने के पश्चात् ही सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रानीखेत में आई0 टी0 आई0 खोलने का प्रस्ताव

181––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा की रानीखेत तहसील में कोई आई0 टी0 आई0 खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? वर्ष 85–86 में रानीखेत के अन्तर्गत कहां–कहां आई0 टी0 आई0 खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां ।

वर्ष 1985–86 में रानीखेत तहसील (मुख्यालय) तथा दोला में ब्रान्च आई0 टी0 आई0 खोले जाने का प्रस्ताव है ।

तवाघाट लिपुलेख मार्ग का निर्माण

182––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग का निर्माण कब कितनी धनराशि से प्रारम्भ हुआ था ? इस मोटर मार्ग में कालापानी तक जीप योग्य मोटर मार्ग, गब्यांग से बन्दी तक मोटर योग्य मार्ग कब, कितनी धनराशि से निर्मित हुआ था, इस मोटर मार्ग को कहीं–कहीं पर बनाने तथा अभी तक पूरा न करने के क्या कारण हैं ? उक्त महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त––

तवाघाट से लिपुलेख मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ था अपितु थारचूला से गब्यांग मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 1961 में रु0 200.00 लाख की लागत का स्वीकृत हुआ था, जिसमें गब्यांग से बूंदी तक मोटर मार्ग सम्मलित है । लिपुलेख से काला पानी जीप योग्य नहीं अपितु पैदल मार्ग रु0 2.32 लाख की लागत से वर्ष 1961–62 में पूर्ण हुआ था । गब्यांग बूंदी तक मोटर मार्ग का आंशिक निर्माण वर्ष 1961 व 1962 में किया गया, जिसमें 7.67 लाख व्यय हुये थे ।

इस मोटर मार्ग का निर्माण वर्ष 1962 में अक्तूबर–नवम्बर के आस–पास सैन्य अधिकारियों के आग्रह पर

स्थगित कर दिया गया था। इस मोटर मार्ग को उल्टे सिरे से नहीं बनाया था, बल्कि तवाघाट से गढ्यांग तक चार प्रभागों में कार्य अलग-अलग हाथ में लिया गया था।

इस मार्ग के तवाघाट से जिप्ती प्रभाग में 22.2 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1982 में आरम्भ किया गया। परन्तु वन भूमि का हस्तान्तरण सा0 नि0 वि0 को न होने के कारण निर्माण कार्य स्थगित है।

पिथौरागढ़ के असकोट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण

183—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ अस्कोट कस्बे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए गांव वालों ने 120 नाली भूमि पंजोकृत की है ? यदि हां, तो किन-किन परिवारों को किस दर से क्षतिपूर्ति/मुआवजा कब दिया गया ? क्या सरकार असकोट के आसपास की बंजर भूमि पर ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट नामक स्थान ोगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माणार्थ गांव वालों का 101 नाली 9 मुट्ठी भूमि अध्याप्त की गयी है। इस संस्थान हेतु अध्याप्त की गयी भूमि के प्रतिकर के रूप में रु0 1,10,580=54 की धनराशि का भुगतान किया गया है। भुगतान का विवरण संलग्न† है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्थल का निरीक्षण कर आगणन बनाया जा चुका है और उस पर शासन द्वारा भवन निर्माणार्थ प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में अब उक्त अर्जित भूमि को छोड़कर अन्य बंजर भूमि पर संस्थान का भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है।

184—श्री काशी सिंह ऐरी—

[तीसरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली में जाड़ों में जनता का पलायन

185—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली के किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव की जनता पूर्ण या अपूर्णरूप से जाड़ों में अपने मूल आवास छोड़कर ग्रीष्म स्थलों में चले जाते हैं ? सरकार ने इन परिवारों को स्थायी आवास व परम्परागत कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में रेशम उद्योग की स्थापना

186—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कौन-कौन सी रेशम उद्योग योजनायें इस समय कार्यरत हैं ? इनका क्रमशः क्षेत्रफल क्या है ? इसमें क्रमशः कितने-कितने मजदूर कार्यरत हैं और इनमें विगत पांच वर्षों में क्रमशः कितनी हानि या लाभ हुआ ? सरकार ने इन उद्योगों की प्रगति मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री नारायन दत्त—

जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में रेशम उद्योग से सम्बन्धित दो योजनायें चल रही हैं :—

(1) शहतूत रेशम उत्पादन योजना।

(2) टसर रेशम उत्पादन योजना।

1—जनपद अल्मोड़ा में रेशम/टसर उद्योग 7·80 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित है।

2—जनपद पिथौरागढ़ में रेशम/टसर उद्योग 28·5 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित है।

जनपद अल्मोड़ा की योजना में लगभग 18 नियमित कर्मचारी हैं। योजना के अन्तर्गत कोई नियमित मजदूर कार्यरत नहीं हैं। जनपद पिथौरागढ़ की योजना में लगभग 19 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

जहां तक इन योजनाओं के हानि-लाभ का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि रेशम उद्योग एक प्रसार योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना है।

सरकार ने इन योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों हेतु बोनस प्रदान किया है और दैनिक भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरें भी बढ़ाई हैं। इन जनपदों में छठी पंचवर्षीय योजना में प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
1—रेशम कोया उत्पादन (किग्रा0)	1874·95	2080·90
2—टसर कोया उत्पादन (सं0)	33,946	23,143

प्रश्न ही नहीं उठता है।

187—श्री काशी सिंह ऐरी—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लोहाघाट-पंचेश्वर मार्ग के मलवे का मुआवजा

188—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि 13 वर्ष पूर्व बने लोहा घाट पंचेश्वर मोटर मार्ग में 18 कि0 मी0 से 22 कि0 मी0 के बीच के मलवे के मुआवजे हेतु परगनाधिकारी की रिपोर्ट सं0 मेमो रा0 अ0 (मुआवजा), दिनांक 6 अगस्त, 1983 द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोहाघाट को भेजा गया और 4 सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 को परगनाधिकारी के पत्रांक ज्ञाप रा0अ0, दिनांक 1 अगस्त, 1984 द्वारा कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई? सरकार के तत्सम्बन्धी मुआवजे के तुरन्त भुगतान हेतु अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त—

लोहाघाट-पंचेश्वर मोटर मार्ग के मलबे के मुआवजे के लिए श्री रुद्र दत्त कलोनी द्वारा वर्ष 1983 में पहली बार विभाग को लिखा गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद मुआवजे के कागजात अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सा0 नि0 वि0 लोहाघाट द्वारा जनवरी, 1985 में अधीक्षण अभियन्ता को भेजे गये थे, जिसे उनके द्वारा स्वीकृत कर दिया गया तथा अधिशासी अभियन्ता लोहाघाट द्वारा मुआवजे का भुगतान मार्च, 1985 में किया जा चुका है।

पिथौरागढ़ के क्वीटी-मुनस्यारी मार्ग का निर्माण

189—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद

पिथौरागढ़ में बबीटी से मुनस्यारी तक का मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ ? इसमें कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? विगत पांच वर्षों में इसके रखरखाव हेतु किन-किन मदों पर क्रमशः कुल कितने रुपये वार्षिक खर्च हुए ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मार्ग में बबीटी से मुनस्यारी तक एक गुहा मार्ग (टनल) निर्माण कर समय, धन, उर्जा की बचत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1959 में प्रारम्भ हुआ ।

निर्माण कार्य वर्ष 1974 में पूरा हुआ । इसके निर्माण में कुल 68·83 लाख रु० व्यय हुये ।

विगत पांच वर्षों में इसके रख-रखाव पर निम्न प्रकार व्यय हुये :—

वर्ष	रु० (लाखों में)
1980-81	0·70
1981-82	4·28
1982-83	4·43
1983-84	2·63
1984-85	0·88
योग ..	12·92

बबीटी से मुनस्यारी तक गुहा मार्ग (टनल) के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

पिथौरागढ़ के तवाघाट-नारायण नगर मार्ग का निर्माण

190—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट-नारायण नगर मोटर मार्ग (38·023 कि०मी० लम्बा) शासन द्वारा कब कितनी धनराशि में स्वीकृत किया गया ? इस मार्ग में अब तक कितनी धनराशि क्रमशः किन-किन मदों में खर्च की गई है ? सरकार ने इस मार्ग को प्राथमिकतानुसार अतिशीघ्र बनाने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के फालतू वाहन एवं संयंत्र

191—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा सा० नि० वि० के कुल ऐसे कितने वाहन व संयंत्र हैं जो एक ही स्थान पर एक वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़े हैं ? ऐसे वाहनों को ठीक करने या अतिशीघ्र नीलाम करने की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार ऐसे वाहनों को ठीक या नीलाम करने के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कर्त्तव्यहीनता की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़, थल-मुनस्यारी मार्ग पर रामगंगा नदी पर लोहे की रस्सी का पुल

192—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग विकास खण्ड में थल मुनस्यारी मार्ग पर रिगुनिया पुल के पास रामगंगा के ऊपर आर-पार जाने के लिए लोहे

की पतली रस्सी पर ताऊंला का निर्माण रि उड़ी गांव वासियों ने स्वयं अपने खर्चे पर किया है ? यदि हां, तो इस अस्थायी व्यवस्था की जगह स्थायी झूला पुल बनाने के लिए सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक . यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, यह सत्य है कि ग्रामवासियों ने रामगंगा नदी के ऊपर आर-पार जाने के लिए लोहे की पतली रस्सी पर ट्रोली टाइप साधन अपने आप बना रखा है। रिउड़ी ग्राम से नीचे थल की ओर 1.5 कि0 मी0 पर नौलड़ा नामक स्थान पर सा0 नि0 वि0 द्वारा झूला पुल का निर्माण पिछले वर्ष 1984-85 में कराया जा चुका है जो यातायात के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र के निवासियों को रामगंगा नदी को पार करने की समस्या उक्त नव निर्मित झूलापुल से हल हो जाती है। अतः रामगंगा नदी पर इतने निकट दूसरे झूला पुल का निर्माण व्यवहारिक नहीं है।

पिथौरागढ़ की चर्मा नदी पर गढ़कोट और जाखधौलेत पर झूले का पुल

193--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट के पास चर्मा नदी पर डीडीहाट के जाखधौलेत से जौरासी पैदल मार्ग पर गढ़कोट और जाखधौलेत के बीच झूले का पुल निकटस्थ इस्कबर कब कितनी धनराशि से निर्मित किया गया ? इस झूले के पुल की स्लिप व पूरे इस्कवर के अति अल्प समय में बह जाने व टूट जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत झूला पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण 2.74 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1983 में पूर्ण हुआ।

प्रश्नगत स्कपर का निर्माण 2,000 रु0 की लागत पर पुल के साथ ग्राम धौलेत के लिए निर्मित पहुंच मार्ग पर एक नाले पर किया गया। यह स्कपर नाले में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल की डेकिंग स्लैब को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कपर नाले की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ, क्षति के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं हैं।

पिथौर गढ़ के थल असकोट मार्ग का निर्माण

194--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में थल-असकोट मोटर मार्ग पर थल से 20 कि0 मी0 दूरी के पास एक फर्लांग से ज्यादा दूरी कम करने वाला कार्य वर्षों से कुछ कार्य न किए जाने के कारण अधूरा पड़ा है ? यदि हां तो इस कार्य में कितने रुपये की धनराशि कब व्यय की गई थी, किन कारणों से इसे छोड़ दिया गया था ? सरकार इसे तुरन्त पूरा कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत मोटर मार्ग के थल-अस्कोट प्रभाग में कि0 मी0 311 में घाटी कटिंग में लगभग 285 मी0 मार्ग अधूरा पड़ा है।

इस कार्य पर वर्ष 1978-79 में 53,000 रु0 व्यय किये गये।

धनाभाव के कारण इसे अधूरा छोड़ दिया गया। धन के उपलब्ध होने पर इसे पूरा किया जायेगा।

अल्मोड़ा के ग्राम ढोका पट्टी बिचल्ला के श्री बचे सिंह की धराट (पनचक्की) को हुई क्षति

195--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बचे सिंह इत्यादि ग्राम

ढोका पटटी बिचल्ला, चौकोट, पत्रालय मटचेला तह0 रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की आजीविका का मुख्य स्रोत उनका घराट (पनचक्की) छोटयाल-स्याल्दे मोटर मार्ग के कारण 1975-76 में दब गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निवर्तमान विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 9-10-84 का पत्र उन्हें मिला और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक पूर्ण क्षतिपूर्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

श्री बचे सिंह के प्रश्नगत घराट को वर्ष 1975-76 में मार्ग निर्माण के कारण जो थोड़ी सी क्षति हुई थी, उसे विभाग द्वारा उसी समय ठीक करा दिया था और घराट तक पानी चला दिया गया था।

हां, पत्र मिला। चूंकि घराट में जो थोड़ी बहुत टूट-फूट 1975-76 में हुई थी वह विभाग द्वारा ठीक करा दी गई थी, अतः अब किसी प्रकार की क्षति-पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के स्टोर में चूने का स्टाक

196--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आर0 ई0 एस0 के स्टोर में लाखों रुपये का चूना बेकार पड़ा हुआ है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है ? यदि हां, तो यह चूना कब क्रय किया गया और उसमें से कितना चूना इस्तेमाल हुआ ? स्टोर में जो लाखों रुपये का चूना बेकार पड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद फैजाबाद स्थित ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा स्टोर में मु0-55-300 रु0 की लागत का 85.079 मी0 टन चूना उपलब्ध है। इसकी उपयोगिता के संबंध में परीक्षण के लिए कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1981-82 में 188.29 मी0 टन एवं 1982-83 में 200 मी0 टन चूना (कुल 388.29 मी0 टन) विभिन्न निर्माण कार्यों के निमित्त क्रय किया गया था जिसके विरुद्ध 303.211 मी0 टन चूने का उपभोग निर्माण कार्यों में किया जा चुका है।

अधिक मात्रा में निर्माण-सामग्री क्रय करने के निमित्त तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जांच में उत्तरदायी पाये गये थे जिसके विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रगति में है।

तहसील अकबरपुर, फैजाबाद में दरबन झील के पानी से फसलें नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 30 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 31 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें से मैंने 8 को स्वीकार किया है। माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त, माननीय श्री बचन सिंह, माननीय श्री गया प्रसाद वर्मा, माननीय श्री सुखपाल पाण्डे, माननीय डा0 दिनेश जौहरी, माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ व माननीय श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी जी की सूचनाओं को स्वीकार किया गया है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हमारा भी एक था।

श्री अध्यक्ष--

आज तो इतना ही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में स्थित दरवन झील पहले से ही उस क्षेत्र के निवासियों के लिए समस्या बनी हुई थी। सिंचाई विभाग द्वारा उसमें कई नहरों का पानी गिरा दिये जाने के परिणाम स्वरूप यह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है और रामनगर जमदरा, चांदपुर, जलालपुर, हाथपाकड़, दरवन-चांदपुर, महमूदपुर, संग्रामपुर, नकटहा, रामदास पट्टी, लोकापुर तथा पहवाई ग्रामों की कृषि योग्य अधिकांश भूमि जलमग्न हो गयी है और वहां के किसानों की फसलें हर साल पानी में डूब जाने से बरबाद हो जाती हैं। नहर विभाग और राजस्व विभाग द्वारा हर रबी और खरीफ में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण किया जाता है और भूतकाल में प्रभावित किसानों को सिंचाई विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति भी दी जा चुकी है। इस प्रकार का एक सर्वेक्षण नहर तथा राजस्व विभाग द्वारा 1984 की क्षति के बारे में किया गया था लेकिन उसके बावजूद प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी तथा कुछ अन्य मांगों को लेकर दिनांक 10-7-1985 से जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता श्री राम अदालत वर्मा, मूक हड़ताल कर रहे हैं। शासन के उपेक्षात्मक रवैया से जनाक्रोश बढ़ रहा है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से दरवन झील की बाढ़ से प्रभावित किसानों को अविलम्ब क्षति-पूर्ति का भुगतान करने तथा इस झील से प्रतिवर्ष होने वाली जन व धन की हानि का स्थायी निराकरण करने की मांग करता हूं।

(अगली सूचना पढ़ने वाले सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सत्ता पक्ष की ओर से दो सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

एक सदस्य--

हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण है उसको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, यह उचित नहीं है। वह बोल रहे हैं, आपका खड़ा होना मुनासिब नहीं है। आप बैठ जाइये।

लखनऊ स्थित विधायक आवास के दैनिक भोगी कर्मचारियों का वेतन घटाने आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि चालू माह से विधायक आवासों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जैसे चौकीदार, फर्राश, लिफ्टमैन, रबीपर, आदि जिन्हें अभी तक मात्र 9 रु० प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। वह इस निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद घटाकर 8.50 रु० कर दी गई है। दैनिक वेतन पर कार्यरत इन मजदूरों का शोषण का एक उदाहरण एक यह भी है कि 3 वर्ष से क्या 5-7 वर्ष से अधिक काल से सेवारत नौकर अभी भी स्थायी न होकर दैनिक पगार पर हैं। इन्हें साप्ताहिक छुट्टियां भी नहीं मिलती मान्यवर, यह माननीय विधायकों की सेवा कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में योगदान देते हैं पर उनकी सेवा के नाम पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन की यह उपेक्षा सर्वथा चिंता की बात है। अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर माननीय राज्य सम्पत्ति विभाग के मंत्री से कांय हैं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम इन पर भी लागू किया जाय। जिसके अनुसार महंगाई तथा 16 रु0 65 पैसे दैनिक मजदूरी तथा 240 दिनों से अधिक कार्य करने वाले सभी को तुरन्त स्थायी किया जाय।

आगरा जनपद के दीवानी अदालतों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करता हूं। आगरा स्थित दीवानी कचेहरी में दिनांक 4 जुलाई, 1985 को नकल के एक जरूरी सवाल को लेकर वहां के बाबुओं और वकीलों के बीच मारपीट व झगड़ा हुआ। फलस्वरूप जिला जज के अधीनस्थ समस्त न्यायालय उसी दिन से बंद कर दिये गये हैं और तेरह दिन व्यतीत होने पर भी आज तक बंद हैं। हजारों महत्व-पूर्ण मामलों के निर्णय रुके पड़े हैं। जरूरी अभिलेखों की नकल तक वादी प्रतिवादी नहीं ले सकते। अभियुक्तों की जमानत लेने व रिमांड देने का काम जिला जज, मथुरा को सौंप दिया गया गया है। इससे जिला आगरा की जनता को भारी अपव्यय और परेशानी उठानी पड़ रही है। जन भावनाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध लगातार जनपद आगरा के समस्त न्यायालय बंद होने से जनता में भारी क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस माननीय सदन के माध्यम से आगरा के दीवानी न्यायालयों को तुरन्त खोलने की मांग करता हूं और इस प्रकरण में दोषी व्यक्ति भी दंडित किये जांय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने इसको नियम 51 में दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। आगरा में दीवानी के न्यायालय बंद हैं। यह इतना महत्वपुर्ण मामला है कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार वहां गये और उन्होंने आदेश किया कि न्यायालय अनिश्चित काल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो जमानत या अन्य मामले हैं उनकी जांच और निपटारा मथुरा के सत्र न्यायाधीश करेंगे। आगरा की जनता मथुरा को न्याय पाने के लिये जायेगी यह बड़ी कठिन स्थिति है। इसको नियम 51 में स्वीकार करना चाहिये और इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं नियम 51 पर आऊंगा तब इसे देखूंगा।

(श्री गया प्रसाद वर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मुझे सुन लें। आगरा जनपद में....

श्री अध्यक्ष--

माननीय गया प्रसाद जी, आप जरा रुक जांय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आगरा जनपद में दीवानी न्यायालय इस सरकार की अक्षमता के कारण जिला जज ने बंद कर दिये हैं और यह आरोप लगाया है कि शासन इतना अक्षम है कि हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है इसलिये हम दीवानी की अदालतें खोलने में अक्षम हैं। उनकी असुरक्षा की वजह से दीवानी की अदालतें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्द हैं और तमाम वादों को मथुरा लाकर चौपट किया गया है। यह पहला आवसर है कि न्याय पालिका असुरक्षा की वजह से ताला बंदी करके घर पर बैठी है। मुख्य मंत्री जी की जानकारी में 4 जुलाई से यह मामला है लेकिन वह कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार की अक्षमता का यह पहला नमूना है। इन अदालतों के न खुलने का एक ही मामला सामने आया कि जब रिश्वत देने के लिये वहां के अधिवक्ताओं ने मना कर दिया तो बलपूर्वक, वहां के अफसरों ने रिश्वत के लिये झगड़ा किया और अदालतें बंद भी हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी तत्काल अदालतों को खुलवाकर वादकारियों को राहत देने का काम करें। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे

पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों को आरक्षण न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रया प्रसाद वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारी 18 प्रतिशत नियुक्त किये जाते हैं, उसी के तहत पुलिस विभाग में भी थानाध्यक्ष की भी नियुक्तियां करने का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन संविधान का उल्लंघन करके हर जनपद में 10 प्रतिशत ही थानाध्यक्षों की नियुक्तियां की जानी हैं, जिससे हरिजनों में भारी रोष व्याप्त है। उदाहरण के लिए जनपद इटावा में 21 थाने हैं, जिसमें कोतवाली जसवन्तनगर को छोड़कर किसी भी थाने में अनुसूचित जाति का कोई थानाध्यक्ष नियुक्त नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उक्त नियम को कड़ाई के पालन कराने का निर्देश दें ताकि हरिजन थानाध्यक्ष उपेक्षित न हों।

सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बरती गयी अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखमाल पाण्डे—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नांकित विषयों पर आकर्षित करना चाहता हूं:—

अस्थायी खण्ड नं0 2, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के अधिशासी अभियंता श्री रस्तोगी ने कुछ मस्टर रोल मजदूरों से लम्बे रकम लेकर अस्थायी नियुक्ति का आदेश-पत्र दे दिया और दो माह का वेतन भी भुगतान किया, मस्टर रोल के मजदूर 1972 से तथा कुछ बाद में मस्टर रोल पर कार्यरत थे। एक सम्बन्धित लिपिक से पैसे के बंटवारे में रस्तोगी से उक्त मामले में झगड़ा हुआ अधिशासी अभियंता के लिपिक को 26 जून 1985 को कमरे में बन्द कर शराब में जहर मिला कर रुपया न पाने के कारण मारा-पीटा लिपिक को अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। डाक्टर और अधिकारी ने मामले को दबा दिया मस्टर रोल पर उक्त विभाग में कार्यरत मजदूर जिनकी अस्थायी नियुक्ति की गयी थी, उनको दो माह का वेतन भी भुगतान किया था, वेतन देना बन्द कर दिया है। पुनः मस्टर रोल पर कार्य करने का आदेश दिया गया है सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों में घोर असन्तोष फैला हुआ है। अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाय। मजदूरों के वेतन के भुगतान की व्यवस्था कराई जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

मोहल्ला बान खाना बरेली निवासी श्री वीरेन्द्र पाल की मृत्यु में पुलिस की साजिश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के माध्यम शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बरेली नगर के बानखाना मोहल्ले में 11-7-85 को प्रातः साढ़े छः बजे एक नवयुवक वीरेन्द्र पाल पर कुछ लोगों ने प्राण-घातक हमला किया। बरेली के उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय, महावीर सिंह जिसकी वीरेन्द्र पाल से दुश्मनी थी, एवं अपराधियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं, ने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके घायल वीरेन्द्र पाल का अस्पताल में उचित इलाज नहीं होने दिया जिसके कारण रात दस बजे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त उप-पुलिस अधीक्षक अभियुक्तों को बराबर संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण नामजदयुक्त भी खुले आम घूम रहे हैं और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गयी, जिसके कारण बरेली नगर की जनता में भारी क्षोभ, निराशा एवं रोष का वातावरण व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रति अविलम्बनीय प्रश्न की ओर तुरन्त कार्यवाही हेतु मांग करता हूं।

राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय, डुमरियागंज, बस्ती का इण्टरमीडिएट परीक्षा फल घोषित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षाफल में व्यापक गड़बड़ियां की गयी हैं। इण्टरमीडिएट का जो परीक्षाफल घोषित हुआ है, उसमें अधिकांश लड़के-लड़कियों का नतीजा अपूर्ण घोषित किया गया है। सभी लड़के लड़कियां परेशानी की हालत में घूम रहे हैं, कोई पुरसाहाल नहीं है। पिछले वर्ष राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरियागंज, बस्ती के सभी बालिकाओं का हाई स्कूल का परीक्षाफल अब तक नहीं घोषित किया गया, इससे सम्पूर्ण प्रदेश के अभिभावक एवं छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त बस्ती जनपद के लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है।

मैं आपकी अनुमति से शासन से मांग करता हूं कि सभी अपूर्ण परीक्षाफल तत्काल ठीक कराकर घोषित किया जाय और राजकीय कन्या विद्यालय डुमरियागंज की हाई स्कूल की छात्राओं का पिछले वर्ष का परीक्षाफल तत्काल घोषित किया जाय।

जनपद सीतापुर में नारायण पैलेस सिनेमा को नगर-पालिका क्षेत्र में घोषित न किये जाने तथा उसके मालिक द्वारा मनोरंजन कर न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, सीतापुर नगरपालिका क्षेत्र में नारायण पैलेस सिनेमा हाल लगभग 6 माह से चल रहा है। सिनेमा हाल के मालिक मनोरंजन कर नहीं दे रहे हैं उनका कथन है कि सिनेमा हाल नगर पालिका की परिधि में नहीं आता। इसी सिनेमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाल के आगे कृषि उत्पादन मण्डी समिति है जो नगर पालिका को टैक्स अदा करती है तथा सिनमा हाल के पास के अन्य व्यापारी भी टैक्स दे रहे हैं। सिनेमा मालिक मनोरंजन कर न देकर हजारों रुपये प्रतिमाह की बचत कर रहे हैं। जिसके कारण शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। सीतापुर जिले के अधिकारी इसमें सिनेमा मालिक का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए शासन अविलम्ब नगर पालिका क्षेत्र की सीमा घोषित करे जिससे कि यह स्पष्ट हो जाये कि किस क्षेत्र में सिनेमा हाल बना है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ?

(व्यवधान)

नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल 301 में आपने स्वीकार किया था मिर्जापुर में अकाल की स्थिति है। उसकी स्वीकृति के बारे हमको कोई सूचना नहीं मिली दूसरी बात मिर्जापुर में मैंने अकाल के संबंध में लिख कर दिया था जबकि उसमें "गंगा नदी की बाढ़" लिख दिया है। मान्यवर, मिर्जापुर में लोग चकवर की पत्ती और साल के बीज खा रहे हैं। 56 जनपद में पानी बरस रहा है। हमारे मिर्जापुर में दस जुलाई तक वर्षा नहीं हुई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल की जगह पर बाढ़ न लिखें अकाल ही लिखें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार किया।

(व्यवधान)

श्री बाबूलाल--

मान्यवर, आपका 301 की सूचना स्वीकार करने का मापदंड क्या है ? आपके पास जो चार बार हाजिरी दे दे उसका स्वीकार हो जाएगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 301 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, उसमें यदि 200 शब्द से एक भी अधिक होता है उसे आप अस्वीकार कर देते हैं चाहे वह जितनी महत्वपूर्ण सूचना हो। जिसमें लोग मर जाते हैं या पुलिस मार देती है ऐसी सूचनाओं को यह कहकर कि 200 शब्दों से इसमें एक अधिक है इसलिए ग्राह्य नहीं करूंगा, यह अन्याय है। मेरी आपसे प्रार्थना है मान्यवर 26 तारीख को फिरोजाबाद के सरपौली गांव में धुप सिंह जब अपना गल्ला लेकर जा रहा था.....

श्री अध्यक्ष--

आपकी व्यवस्था अस्वीकार हुई।

(व्यवधान)

विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विधायकों को निजी आवास उपलब्ध कराये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 6 सूचनाएं प्राप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई हैं मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ जो, आप क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री मालिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर 83–84 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री श्री ब्रह्मदत्त ने कहा था कि माननीय सदस्यों के लिये हम यह प्राविधान कर रहे हैं कि उनका निजी भवन हो और उसके लिये उन्हें लोन दिया जायेगा और उस समय जो हमारे मंत्री अम्बार रिजवी साहब थे उन्होंने कहा आप लोग 10–10 हजार रुपया जमा कर दें। आवास समिति बन गई 10–10 हजार जमा किया गया लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। समिति की सैकड़ों बैठकें हो चुकी हैं। अफसर लोग इसमें दौड़ा रहे हैं। अगर अधिकारियों का मसला होता तो अब तक तय हो गया होता और मकान भी बन गये होते। 10 हजार रुपया जमा किया गया लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं औचित्य का प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट वक्तव्य दें और घोषणा करें कि क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और कब तक कार्यवाही हो जायेगी।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, सम्भवतः माननीय सदस्य अवगत हैं कि इस सम्बन्ध में विधान-परिषद् के सभापति की अध्यक्षता में एक समिति कार्य कर रही है। उसकी दो तीन बैठकें हो चुकी हैं। कुछ भूमि देखी जा चुकी है। समिति इस बात को देख रही है कि कौन सी भूमि का चयन हो सकता है ऐसा नहीं है कि भूमि का चयन नहीं हुआ। कहीं कोर्ट का स्टे है, कहीं अदालती कार्यवाही की सम्भावना है। जो भूतपूर्व माननीय सदस्यों का रुपया जमा है उनके लिये कुछ न कुछ कार्यवाही की जायेगी। इसमें भूमि की समस्या है।

श्री यदुनाथ सिंह—

मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का प्रश्न आ रहा है आप क्यों परेशान हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

हम चाहते हैं कि गोमती नगर में हम लोगों को दे दिया जाय'

(व्यवधान)

श्री नारायन दत्त—

गोमती नगर समिति में देखा है।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अधिकारियों को एक मकान के एलाटमेन्ट में 50–50 हजार रुपया मिलता है। जो स्टे लिया गया है यह अधिकारियों ने अपनी पैरवी से करवाया है। अगर अधिकारी पहल करते तो एक पेशी में सुप्रीम कोर्ट से मामला समाप्त हो जाता। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें।

विधायक निवास 5 की व्यवस्था अधिकारी श्रीमती मीरा कुमारी के साथ विधायक द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में सदन का कार्य स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 110 के उपनियम 2 के तहत इस उपवेशन को स्थगित करने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषन का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

किस नियम में बोल रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

में नियम 110 के तहत बोल रहा हूं । जब आप ही इस तरह सवाल करेंगे तो हम लोगों के लिये काम करना असम्भव हो जायेगा । मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है कि आज सदन के जितने माननीय सदस्य है वह असुरक्षित हैं, जितने काम करने वाले कर्मचारी हैं वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । इसी महीने की 12 तारीख को विधायक निवास 5 को केयरटेकर श्रीमती मीरा कुमार के साथ सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने सशर्त इस्तीफा दे दिया है ।

(शेम-शेम की आवाज ।)

मान्यवर, यह दुर्व्यवहार माननीय क्षममंत्री एवं श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी की उपस्थिति में किया गया ।

(व्यवधान)

सारे विधायक निवासों के केयरटेकर्स ने ज्वाइन्ट मेमोरेन्डम राज्य सम्पत्ति अधिकारी को दिया है । यह स्थगन का प्रस्ताव मुझे इसलिये पेश करना पड़ रहा है क्योंकि

(व्यवधान)

2 दिन से नियमों के अन्दर अनवरत प्रयास करने के बाद आपका ध्यान में इस समस्या की ओर आकर्षित न कर सका । मुझे निजी जानकारी है कि मुख्यमन्त्री जी के संज्ञान में यह सारी बातें हैं । अगर सुरक्षा की कोई समुचित कार्यवाही न हुई तो केयरटेकर्स व उनके अधीनस्थ सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षा के बारे में कोई आश्वासन दिलवायें ।

*मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य फैजाबाद ने जो बात कहीं है उसके सन्दर्भ में एक विनम्र आग्रह माननीय सदस्य से जो कि पार्लिय मेन्टेरियन भी हैं और पहले भी उन्होंने संसद में काफी योगदान दिया है उनसे भी आग्रह करूंगा । श्रीमन्, सारे आवास का प्रश्न हैं । एक तरफ भूतपूर्व विधायक हैं और एक तरफ विधायक हैं । एक मानवीय दृष्टिकोण से सबको हटाया भी नहीं जा सकता है । सभी के आगे कभी न कभी भूतपूर्व लगता है इस राजनीति के उतार चढ़ाव में । हम सभी नये विधायकों को भी जगह दे रहे हैं तो सब को सामन्वित करने की चेष्टा शासन की ओर से हो रही है । इस चेष्टा में शासन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको योगदान देना पड़ता है । यह बात सही है कि जो हमारे विधायक निवास के अधिकारी हैं, उनको क्षोभ हुआ है । मैं सभी सम्मानित विधायकों से और सभी से यह आग्रह करूंगा कि इस आवास के प्रश्न पर ही ज्वर आते है, कभी क्रोध भी आता है लेकिन इसका समाधान करना चाहिए । क्योंकि विधायक का स्टेटस अपना अलग है और अधिकारी का स्टेटस बिलकुल दूसरा है । हमको उन्हीं से काम लेना है और नाराज होना भी है तो दूसरी तरह से । जहां तक हड़ताल की बात है, हड़ताल इसमें नहीं होगी । इसमें सुरक्षा का पूरा प्रयास किया जायेगा । मुझे स्वयं इस घटना का दुख है और मुझे उम्मीद है कि इस वातावरण को एक शान्तिपूर्ण और सही ढंग से हल करने का सहयोग सरकार को मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

में स्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी--

मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमन्त्री जी के बाद में आपको आवश्यक नहीं समझता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायं । मैं जिसको बुलाऊंगा वही बोलेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी --

मैं स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह कान्ड जो है यह हमारे विधायक निवास नम्बर 5 का है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग एक साथ बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं विधायक निवास नं0-5 में रहता हूं । पिछली जो आवास आवंटन करने वाली कमेटी थी, उसका मैं सदस्य था । गुफरान साहब थे । बुधपाल जी के नाम यहां कमरा था । पिछली कमेटी में उन्होंने चाहा था कि यहां से उन्हें दारुलशफा में निवास दे दिया जाय । निवास उन्हें दे दिया गया । उन्होंने वहां भी ले लिया और विधायक निवास के कमरा नं0 5 में भी नाजायज कब्जा किये रहे अबकी बार हम लोग फिर चुन कर आए तो वह कमरा बुधपाल जी के नाम था उसे एक कांग्रेस (इ) के एक सदस्य के नाम आवंटित कर दिया गया। उन्होंने एक बार जाकर कब्जा ले लिया । वहां की जो व्यवस्थाधिकारी हैं वे बहुत ही शालीन और डिसिप्लिन्ड महिला हैं । अपने कार्य में ठीक हैं, भ्रष्टाचार नहीं करती हैं । किसी के खिलाफ गलत इल्जाम लगाना गलत है । ये लोग 12 तारीख को अपने दल बल के साथ वहां गये और महिला व्यवस्थाधिकारी से वे शब्द कहे जो मैं यहां कह नहीं सकता । ये गुन्डई करने लगे हैं । आप इस पर जांच कमेटी बना दें । मुख्य मन्त्री जी इतने शालीन हैं कि लीपा-पोती करने में माहिर हैं । व्यवस्थाधिकारी में गलती है तो उसे निकलवा दें या फिर मेम्बर की गलती हो तो उसे पार्टी से निकाल दें । यह गुन्डई नहीं चलेगी । विपक्ष का कोई हो या सत्ता पक्ष का, न्याय होना चाहिये । वह आज ही हमारे फ्लैट पर आई । वहां के जो सत्ता पक्ष के या दूसरे वहां रहने वाले विधायक हैं उनके बयान लिये जायं । यहां गुन्डा राज हो गया है । जहां चाहें ताला तोड़ लें । जहां चाहें प्रवेश कर लें । कुछ कहें तो कहते हैं कि पुराने चीफ मिनिस्टर मकान नहीं छोड़ते तो हम क्यों न रहें । इसका निदान क्या है । इसका निदान करना चाहिये । अनधिकृत रहने वालों से तुरन्त खाली करावें । पुलिस से खाली करावें या मिलिट्री से खाली करावें । इस गुन्डई से हमारा सर शर्म से झुक जाता है । मुख्य मन्त्री जी इस तरह से लीपा-पोती से काम नहीं चलेगा । या तो कुर्सी से चले जायं या उत्तर प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की स्थिति ठीक करावें, या इस्तीफा देकर चले जायं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप सब बैठ जायं, मैं खड़ा हूं जो मेरी इजाजत के बिना बोलेगा, उसका एक शब्द लिखा नहीं जायेगा ।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी बिन कोई पूर्व सूचना दिये हुए, एक प्रस्ताव का रूप लेकर, एक प्रकरण का उल्लेख किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने माननीय सदस्यों की गरिमा के अनुकूल एक सुझाव आपके सामने रखा। लेकिन, इसी प्रकरण में कुछ तिवारी जी ने आरोप सदन में लगाये और माननीय राम सरन जी ने कुछ आरोप माननीय सदस्य श्री बुधपाल जी पर लगाये। मेरा आपसे आग्रह यह है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सदन के माननीय सदस्य पर आरोप लगाये हैं, उनका नाम ले र आरोप लगाये हैं, इसलिए उनको भी आप मौका दे दें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का।

*श्री बुधपाल सिंह "खुर्जावाले"—

मान्यवर, मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि पिछले सदन में भी मैं विधायक था। उस समय आवास समिति में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि जो पार्क रोड स्थित फ्लैट है उसको स्टैंडर्ड आवास माना जाय। वह भी तय हुआ था कि जो विधायक दारुलशफा स्थित छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, वह 2 फ्लैट रख सकते हैं।

इस तरह से पिछली विधान सभा से 2 फ्लैट मेरे पास चले आ रहे हैं। इस बार भी मैं विधान सभा का सदस्य चुन लिया गया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नयी विधान सभा के गठन के बाद मुझे इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली कि मेरे पास एक फ्लैट रहेगा अथवा दो ही रहेंगे। न ही इस तरह को कोई नोटिस आयी थी कि मैं विधायक निवास-5 वाला फ्लैट अपने पास रखना चाहता हूं अथवा विधायक निवास 2 वाला फ्लैट। 25 तारीख को जब मैं लखनऊ आया था, यहां आने के उपरान्त मुझे टेलीग्राम मिला कि मेरी मां का देहान्त हो गया है। मैं तुरन्त अपने बच्चों को लेकर, जिनका कि मैंने दाखिला लखनऊ स्थित कान्विन ताल्लुकेदार कालेज में करा दिया है, अपने गृह जनपद गया। 11 तारीख को तेरहवीं थी। 12 तारीख को सदन का सत्र होना था। मुझे सूचना मिली कि विधायक निवास-5 स्थित मेरे फ्लैट का सामान पता नहीं कहां फेंक दिया गया है।

(शेम-शेम की आवाजें)

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस घटना की बाबत एवं अधिकारियों की साजिश की बाबत लिखित रूप से एक सूचना आपको 12 तारीख को ही उपलब्ध कर दी थी। मैंने अपनी स्थिति का जिक्र करते हुए आपसे यह अपेक्षा की थी कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी अधिकारी/कर्मचारी हों, उनको दण्ड दिलाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस साजिश से बचने के लिए, उन अधिकारियों/कर्मचारियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित पत्र भी दिया। मेरे विरुद्ध अखबार में छपवाया भी गया। मान्यवर, इस तरह से जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उससे दूसरा घिनौना कृत्य कोई नहीं हो सकता। मैं अपमान से सदस्य नहीं रहना चाहता हूं। अगर इसी तरह की बातें होती रहीं, तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकता हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखित रूप में दिया है। यह अधिकारियों की साजिश है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें की गयी हैं। इसी के तहत मैंने अपना जो विधायक निवास नं0 2 में फ्लैट था, वह भी छोड़ दिया है। मेरे पास इस समय कोई भी आवास नहीं है। मैं झोपड़ी में रह कर जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सेवा करूंगा । राज्य सम्पत्ति विभाग से मुझे घृणा हो गई है । मैं कहता हूं कि इसमें राज्य सम्पत्ति अधिकारी का भी हाथ है । मैं आपका यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने इस घटना को जिस तरह से तूल दिया है, उससे यही प्रतीत होता है कि इसमें विरोधी दल का भी हाथ है ।

(शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, आज मेरी मां दुनियां में नहीं है । भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश से यह गलत खबर फैलाई गई है । मैं चाहता हूं कि एक कमेटी का गठन किया जाय, जो इसकी जांच करे । जो दोषी पाया जाय उसे दण्ड दिया जाय । यदि मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरी सदस्यता समाप्त की जाय यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसको दण्ड दिया जाय ।

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप सब लोग बैठ जायं । कोई भी बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, इस मामले की जांच करवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत ही गम्भीर मामला है । माननीय सदस्यों के रहने के सम्बन्ध में आवास का मामला है । मैं चाहूंगा कि आपने जो विषय उठाया है, उसे अस्वीकार करते हुये, आप लोगों के लिए जो आवास समिति बनाई गई है, इसे उसे सुपुर्द करें । वह यह देखें कि इस तरह की घटनायें दुबारा उत्पन्न न हों ।

(अत्यधिक शोर)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का जो प्रश्न सर्वश्री यदुनाथ सिंह, हरीश चन्द्र, राजेन्द्र गुप्त, राम असरे (हरदोई) और श्री राम लखन जी के आये हैं, उन सबको मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(मद संख्या 7 पुकारे जाने पर) ।

श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये किन्तु श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ श्री विजय सिंह राणा आदि के प्रयास से वापस चले गये ।

उत्तर प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित 13 विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खंड (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित 13 विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खंड (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक इस नियमावली और संविधान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जो हमारा सदन है, इसमें दिया हुआ है कि जब यह व्यवस्थित होगा, इसकी परिभाषा भी दी हुई है मान्यवर, उस समय की कार्यवाही नियमित मानी जायेगी। जिस समय एक माननीय सदस्य बीच में आ गये उस समय यह सदन इन-आर्डर नहीं चल रहा था। तो माननीय यदुनाथ सिंह जी के सदन के फ्लोर पर आने के बाद की जो कार्यवाही है वह नियमित नहीं मानी जानी चाहिये। आपको तो उस समय सदन स्थगित कर देना चाहिये था समस्या का समाधान निकालना चाहिये था। तो मान्यवर, उस बीच की कार्यवाही अवैध है और माननीय शिक्षा मंत्री जी को उसे दुबारा प्रस्तुत करने के लिये कहें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन की नियमावली है उसी के तहत यह सदन संचालित होता है। यह बार-बार नियमावली और संविधान का हवाला देते हैं न जाने कहां इसमें लिखा है, न जाने कौन सी नियमावली का हवाला दे रहे हैं। जब आपने एजेन्डे के आइटम को पुकारा और शिक्षा मंत्री जी खड़े हो गये, प्रस्ताव रखा गया तथा वोटिंग भी हो गई, सारी की सारी कार्यवाही अंकित हो गई, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सा इन-आर्डर हो गया, इसमें यह सदन इन-आर्डर कहां से हो गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न उठाया गया है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं।

(श्री यदुनाथ सिंह के पुनः खड़े होकर बोलने पर तथा श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जो आपकी आज्ञा होगी उसका हम सब पालन करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक निवासों में दूषित वातावरण के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री मुलायम सिंह यादव---

लेकिन माननीय यदुनाथ सिंह जी ने जो बात कही उसमें बल है। दारुलशफा में क्या हो रहा है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शराबखोरी आदि जो प्रश्न हैं वह हम लोगों के आचरण के विपरीत हैं, हम लोगों का सम्मान गिरता जा रहा है। किन परिस्थितियों में आप उनकी बात नहीं सुन पाये वह एक अलग बात है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दारुलशफा के बारे में जो बातें हो रही हैं, जो रुकी नहीं जा सकतीं, अगर इनका कोई इलाज हो तो उसे देखने की जरूरत है। हम लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा गिर रही है।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि दारुलशफा में यह सब हो रहा है, स्तर गिर रहा है और यह बात सही है तो मैं अवश्य चाहूंगा कि आपके कक्ष में हम सब बैठ जायं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी माननीय विधायक से कुछ कहें क्योंकि प्रत्येक माननीय विधायक की प्रतिष्ठा भी रखनी है। इसमें दल का सवाल नहीं है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी प्रतिष्ठा रखें और इसका निर्णय स्वयं करें कि किसको आने दें और किसको न आने दें। शासन के लिये यह बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जरा देर में आरोप लग जाता है कि पुलिस ने ऐसा किया।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

दारुलशफा की हालत बहुत खराब है, वहां पर झगड़े होते हैं।

श्री नारायण दत्त---

मैं आग्रह करूंगा कि सभी सम्मानित सदस्य यहां पर हैं, हम स्वयं देख लें अपने-अपने यहां ताकि विधायक निवास की महत्ता बनी रहे। शासन द्वारा हर एक के घर में जाना और कुछ कहना कठिन होता है। इसलिये इस प्रश्न पर यह तय किया है कि विधायकों के आवास के सम्बन्ध में आप जो निर्णय देंगे, मान्य होगा।

(श्री यदुनाथ सिंह के पुनः खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मेरा औचित्य का प्रश्न बनता क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष--

इस सिलसिले में मैं अपने कक्ष में....

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी कोई भी बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह--

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल। मुझे

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अफसोस है कि आपके दल के माननीय विधायक इस प्रकार बिना अनुमति के बोल रहे हैं । कृपया इनको शान्त करें ।

(नेता, विरोधी दल के आग्रह पर श्री यदुनाथ सिंह के बैठन पर)

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इस सिलसिले में एक बैठक माननीय नेता, सदन, माननीय नेता, विरोधी दल की बुलाऊंगा और प्रयास यही रहेगा, कि जितने निवास हैं माननीय सदस्यों के उसमें आराम से रहने की व्यवस्था हो और भविष्य में शिकायतें न हों ।

कार्य स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाएं

(1 बजकर 12 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । माननीय राजेन्द्र गुप्त, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा माननीय किरन पाल सिंह की सूचना उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, माननीय हर्षवर्धन, माननीय राम गोविन्द चौधरी तथा माननीय रघुबर दयाल की सूचना यूरेनियम की जानकारी विदेशियों को उपलब्ध कराने के विषय में है, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय राकेश धर त्रिपाठी तथा माननीय जवाहर सिंह की सूचना दिनांक 14-7-1985 को इलाहाबाद में पुलिस द्वारा श्री निषाद की हत्या के सम्बन्ध में है, माननीय सत्य प्रकाश विकल तथा श्री दिनेश जौहरी की सूचना प्रदेश में पेयजल, स्ट्रीट लाइट तथा सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में है,

माननीय विजय सिंह राणा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा के सम्बन्ध में, माननीय रामनरेश यादव और माननीय शारदा प्रसाद शुक्ला की आलू की लागत मूल्य किसानों को न मिलने के सम्बन्ध में, माननीय मित्रसेन, माननीय राम चन्द्र बक्श सिंह की जिला पूर्ति कार्यालय, कानपुर में सीमेन्ट के घोटाले के सम्बन्ध में, श्री माता प्रसाद पांडेय की सुल्तानपुर में कुख्यात डकैत महंथू को एक मन्त्री की सिफारिश पर नौकरी देने के सम्बन्ध में, माननीय यदुनाथ सिंह की निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में, माननीय पूर्य प्रताप शाही व माननीय हरिश्चन्द्र व माननीय अवनीश कुमार की दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण सरकारी गल्ले के अभाव से उत्पन्न समस्या के बारे में तथा माननीय सत्यपाल सिंह की प्रदेश में भयंकर महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई हैं ।

***श्री राजेन्द्र गुप्त—**

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं केवल दो-चार बातें कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, मैं समझता हूं कि वह प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है । आप देखें मान्यवर कि इस वर्ष इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल 40 फीसदी और हाई स्कूल का परीक्षाफल 50 फीसदी आया है जो कि अपूर्ण है । इसी प्रकार से 1984 के बहुत से परीक्षार्थियों के परीक्षाफल आज तक नहीं निकले हैं । इसके अतिरिक्त प्राईवेट परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अभी नहीं निकला है, इससे पूरे प्रदेश में बहुत ही अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है, छात्रों में बहुत ही असन्तोष है । इन्टरमीडिएट के छात्रों को मार्कशीट अभी तक आयी नहीं है, लोग उसे लेने के लिये इलाहाबाद बोर्ड के पास भाग रहे हैं । इलाहाबाद बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वहां जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है उसकी मार्कशीट फर्जी बनाकर दे दी जाती है । वहाँ पर पैसे का बाजार गर्म है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के जो इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें छात्रों को प्रवेश मिलने में मार्कशीट न प्राप्त होने के कारण बाधा पैदा हो रही है । इससे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

माननीय, किसी सूचना की ग्राह्यता के लिये तीन शर्तों का होना जरूरी होता है । पहली यह कि घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की और तत्काल की घटित हुई होनी चाहिये । माननीय, रेजल्ट अपूर्ण हैं और यह तत्काल की घटित घटना है । दूसरे सूचना सार्वजनिक महत्व की होनी चाहिये तो मान्यवर, इससे प्रदेश के लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों का हित जुड़ा हुआ है । तीसरे घटना का शासन से सीधे सम्बन्ध होना चाहिये तो माननीय, इन्टरमीडिएट बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा निदेशक पदेन होता है और वह सरकार के आदेशों से काम करता है । मेरी सूचना ग्राह्यता की तीनों शर्तों को पूरा करती है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का इससे प्रश्न बनता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें । हजारों छात्रों के भविष्य का प्रश्न है । मार्कशीट न मिलने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में, टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स में या इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश मिलना दुरूह हो गया है और प्रतिभावान बच्चों का इस तरह से एक वर्ष नष्ट हो जायेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

इस पर माननीय दो घन्टे की चर्चा करा दें, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक विषय पर एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय, इस पर दो घन्टे की या तो चर्चा करा दें सदन की कार्यवाही को रोक कर या फिर इसके लिये अलग से समय निश्चित कराकर इस पर चर्चा करा दें । इस पर चर्चा हो जाय ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह—]

माननीय, इस पर मैंने कल भी दिया था और आज भी दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का अगर रिजल्ट आप देखें तो आज वह 39 फीसदी है । दुनिया में इतने बच्चे किसी भी देश में नहीं बैठते हैं, जितने कि इस परिषद में बैठते हैं, यह एक रिकार्ड है । माननीय, बोर्ड की लापरवाही के कारण यहां पर बहुत से बच्चे फेल होते हैं । 50 हजार बच्चों का परीक्षाफल रोक दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अन्धकार में पड़ गया है । इलाहाबाद में परिषद के सामने अभिभावकों और छात्रों ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया । यह भ्रष्टाचार अभी से नहीं बल्कि अनवरत रूप चला आ रहा है । यह बड़ा ही अहम मसला है । 50 हजार बच्चों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है । गणित के स्थान पर बाइलोजी में नम्बर दिये गये हैं और बाइलोजी के स्थान पर गणित में नम्बर चढ़ा दिये गये हैं । जो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करा दें और इस सदन की एक कमेटी बना दें और आप इसकी जांच करा लें । यह मामला इसी साल का नहीं है पिछले साल भी 2 लाख लड़कों का परीक्षाफल रोका गया था । यह बड़ा ही अहम मसला है, आप चर्चा करा दें और सदन की एक कमेटी बना दें जो इस मामले की जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे ।

*श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, यह बड़ा ही अहम मामला है। यह जो माध्यमिक परिषद् है, इसको इतने छात्रों की परीक्षा लेना सम्भव नहीं है और अफसोस की बात है कि इतने बच्चों का परीक्षाफल घोषित करने में यह बोर्ड सक्षम नहीं रह गया है। इस कारण संशय होना स्वाभाविक है। वहां के कर्मचारी अभिभावकों से पैसा लेकर रिजल्ट निकलवाते हैं और इसी कारण वह देरी करते हैं। गत वर्ष भी बहुत बड़ी संख्या में परीक्षाफल रोका गया था और उसको निकलवाने के लिये अभिभावकों से रुपया लिया गया। इसलिये यह स्पष्ट है कि वहां के लोगों ने परीक्षफल को घोषित कराने का अपना धन्धा बना लिया है। अभिभावकों से वह पैसा लेते हैं। तब कहीं जाकर नतीजा घोषित करते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का बयान पढ़ा था कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल विदहेल्ड का प्रतिशत कम रहा है, 8 प्रतिशत है। परीक्षाफल घोषित न होने से उन बच्चों के प्रवेश की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि जब तक परीक्षाफल घोषित नहीं हो जाता है तब तक के लिए उन छात्रों के लिए कालेजों में प्रवेश का प्राविधान रखा जाये नहीं तो हजारों बच्चों का भविष्य अन्धकार में पड़ जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके प्रवेश की गारन्टी अवश्य लें। उनके एडमिशन की लास्ट डेट समाप्त न की जाये। मैं मांग करूंगा कि अनेक वर्षों से परीक्षाफल रोके जा रहे हैं, यह बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, इसको कम से कम 4 हिस्सों में बांट दिया जाये जिससे सुविधापूर्वक कार्य हो सके और हजारों बच्चों का जो भविष्य अन्धकार में पड़ा रहता है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसको बन्द किया जाये। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

सदन के सदस्यों की जो भावना है, उस पर मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं। माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए एक घंटे की चर्चा के लिये इसको स्वीकार करता हूं कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार करता हूं।

श्री हर्ष वर्धन—

माननीय, उत्तर प्रदेश सरकार की जानकारी में यह है कि ललितपुर के पास सोराई नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा संचालित राक फासफट परियोजना चल रही है। इस राक फास्फेट परियोजना के पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री दलेला ने राक फास्फेट शुद्धीकरण हेतु आई० ई० एल०, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, को उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की किन्तु तब तक दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। आई० ई० एल० ने राजस्थान के उदयपुर के एक स्थान में इस कार्य हेतु दो प्वाइंट लगाये जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अस्वीकार करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कनाडा की एक फर्म 'मैंड कैम' से सम्पर्क किया। सम्बन्धित फर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु सहमत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए कि भारत में यह तकनीक उपलब्ध है, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर कनाडा की उक्त फर्म ने यहां पर रहने तथा ट्रांसपोर्ट के खर्च पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रस्ताव किया किन्तु उसे भी अस्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अधिकारियों से साठ-गांठ कर इसके पश्चात् उक्त फर्म के दो कनाडियन अधिकारी—श्री एम० चिनेक एवं श्री एस० श्रीवनसान मई, 1985 में लगभग एक सप्ताह तक 8 मई से 13 मई तक सर्वेक्षण के लिये सोराई स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के डी०जी०

एम0 कैम्प में जहां यूरेनियम के 'कोर बोक्स' रखे थे, रुके रहे। ये विदेशी उस स्थान तक भी गये जहां यूरेनियम की ड्रिलिंग का कार्य चल रहा था। उन्होंने राक फास्फेट ड्रिलिंग का कोई कार्य नहीं किया और न उसका कोई सैंपल लिया। इस तरह से दो विदेशी नागरिकों का एक सप्ताह तक वहां रहना और इसकी कोई जानकारी वहां के डी0 एम0 के0 को होने पर कार्यवाही न होना एक रहस्यमय बात है। इसी बीच कनाडा के ये दो व्यक्ति एटामिक इनर्जी कमीशन के विशेषज्ञों की देखरेख में उत्तर प्रदेश सरकार के डी0 जी0 एम0 के सौराई स्थित कैंप में सुरक्षित रखे हुए 500 किलोग्राम यूरेनियम लेकर कनाडा चले गये।

मान्यवर, सारे तथ्य इस प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित की जानकारी में हैं, उद्योग सचिव की जानकारी में हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की आगे की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा दें। उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को विदेशियों के हाथ में दे दे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री हर्ष वर्धन जी ने सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित किया है जो हमारी सुरक्षा के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इस यूरेनियम को लेकर कनाडा के दो व्यक्ति यहां आये और उद्योग मंत्री और उद्योग सचिव की देखरेख में हमारी सारी जानकारी गोपनीय ढंग से करके इतना कीमती सामान लेकर बाहर चले गये यह बड़ी लज्जास्पद बात है। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि भारत में कितना यूरेनियम है उसकी सुरक्षा के लिये, सारी विदेशी शक्तियां इस पर लगी हुई हैं। इस मामले में श्री गोपीनाथ दीक्षित और उद्योग सचिव ने सारी जानकारी इन विदेशी एजेन्सियों को दी जो भारत में आकर पैसा खर्च करके इस तरह से जासूसी करते हैं। यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिये खतरनाक हो सकती है। यह बड़ा अहम मसला है। इसलिए हमारी मांग है कि आप इस पर सदन में चर्चा कराएं। मैं उद्योग मंत्री गोपीनाथ दीक्षित के खिलाफ और उनके सारे सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करता हूं। उन्हें मंत्रि-परिषद् से अलग करने की हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिये आप इस विषय पर सदन में चर्चा करने का समय दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, यह जो यूरेनियम के सम्बन्ध में जो प्रश्न यहां पर आया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और लोक महत्व का सवाल है। इस घटना से पूरे प्रदेश की जनता और राजनीतिक लोगों में इस बात का भय व्याप्त हो गया है कि कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार सी0 आई0 ए0 की गिरफ्त में तो नहीं आ गई है। सी0 आई0 ए0 का हमारे देश में पूरा जाल बिछा हुआ है तो क्या यह सरकार गुप्तरूप से उनको सूचना भेजने का काम तो नहीं कर रही है। इनके जो सोराई ललितपुर में प्रोजैक्ट मैनेजर हैं वह 4-5 साल अमेरिका में रह आये हैं और उनके माध्यम से यह काम हो रहा है। दो विदेशी नागरिक 4-5 दिन तक वहां रहे और उसकी जानकारी सरकार तक नहीं हुई वहां से यूरेनियम एवं अन्य सामान लेकर वापस चले गये जो यूरेनियम हमारे सुरक्षा के काम में आता। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हिन्दुस्तान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। कहने को यह सरकार कहती है कि हम राजीव गांधी के अनन्य भक्त हैं लेकिन दूसरी तरफ उसके राज्य को इस तरह से खतरे मोल लेने का काम कर रहे हैं। यह सब काम सी0 आई0 ए0 के साथ घुल-मिल कर किये जा रहा है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज सदन की सारी कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय । अगर इस सरकार की थोड़ी सी भी इज्जत होती तो इस मामले को लेकर इस्तीफा दे देती । दो विदेशी यहां आये और ऐसे महत्वपूर्ण सामान को लेकर वापस चले गये इनको जानकारी तक नहीं हुई । इस प्रकार विधान सभा चलाने से कोई फायदा नहीं है जबकि हमारे प्रदेश और देश को खतरा हो जाय और हम बैठकर बजट पर चर्चा करें । जब हमारे देश, प्रदेश की जनता ही नहीं रह जायेगी और यहां का यूरेनियम दूसरे देशों में चला जायेगा और उससे वह हमारे देश को उड़ाने का काम करेंगे तो यह बजट किसके लिए पास करेंगे । इसलिए यह अति महत्वपूर्ण विषय है । मान्यवर, आप तो देशभक्त रहे हैं और देश की आजादी में आपका योगदान भी रहा है इसलिए आप अपने अधिकार का प्रयोग कर आज की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मित्रसेन जी, आप बैठें ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मुझे दो मिनट चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, जो आपके अति अनुशासित और नियंत्रित सदस्य हैं उनके लिये यही निर्देश आप देंगे और हमें बोलने नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप किस सिलसिले में बोलना चाहते हैं ?

श्री मित्रसेन—

मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा क्या मान्यवर, जो आपके अति अनुशासित और नियंत्रित सदस्य हैं उनके लिये यही निर्देश आप देंगे और हमें बोलने नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप किस सिलसिले में बोलना चाहते हैं ?

श्री मित्र सेन—

जो मैंने कार्य–स्थगन का प्रस्ताव दिया है उस पर ।

श्री अध्यक्ष—

अभी दूसरा मसला चल रहा है । आप बैठ जायं । माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए यह जो विषय अभी उठाया गया है इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूं ।

अब माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी का इलाहाबाद की पुलिस के सम्बन्ध में है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इस समय इलाहाबाद के नागरिक अपने आपको बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । इलाहाबाद की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनको संरक्षण दे रही है और निरपराध लोगों को पकड़ कर बंद करती है और फिर पैसा लेकर छोड़ती है और जो गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाता है उसको पीट–पीट कर मार देती है । अभी 15 तारीख की सुबह एक गरीब दिनेश निषाद और कमलेश निषाद को कीटगंज थाने की पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको इतना मारा कि 10 बजे दिनेश निषाद की मृत्यु हो गई । मान्यवर, दिनेश निषाद का कोई आपराधिक चरित्र नहीं रहा है जब वहां की जनता को इस बात का पता लगा तो यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया और पूरे इलाहाबाद के नागरिकों ने कोटगंज थाने को 10–15 हजार लोगों ने घेर लिया, मातायें और बहनें वहां पहुंच गयीं । स्थिति की गंभीरता को देखते हुये वहां के अधिकारियों ने पहले तो मामले को रफा–दफा करने का प्रयास किया लेकिन जब जनता लगातार सबेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक धरना दिये रही तो उन्होंने 4 पुलिस कर्मियों

के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया किन्तु जैसा दंड संहिता का नियम है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिये तो गिरफ्तारी नहीं हुयी न जेल भेजा गया बल्कि उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया । कोटगंज थाने के ए0ओ0 के सामने घटना हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, न कोई कार्यवाही हुई । इलाहाबाद में बड़े लोगों को बचाने के लिए भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भतीजे के इशारे पर एक झूठे केस में मुकदमा दायर कर दिया । वहां निरपराध लोगों को पकड़-पकड़ कर पीटा जाता है और निरपराध की हत्या थाने में कर दी गयी किन्तु अपराधियों को चूंकि मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसलिये वहां की जनता में असंतोष और उत्तेजना है । इलाहाबाद बैंक में 12 लाख की चोरी हो गयी किन्तु उसका आज तक कोई पता नहीं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् में 4 लाख रुपये गायब हो गये उसका कुछ पता नहीं लगा, रोज डकैती और राहजनी वहां हो रही है । यह सब होने का कारण है कि वहां की पुलिस को अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है । यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो दूसरे प्रदेशों में जैसी हिंसा फैल रही है वैसी ही इलाहाबाद में फैलेगी । इसलिय इस महत्वपूर्ण मामले को स्वीकार करें और सदन की कार्यवाही तत्काल रोककर इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्य की भावना को सुना । मैं इसको सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूं । शेष जितनी सूचनायें हैं सबको अस्वीकार करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, सुल्तानपुर में कोई व्यवस्था नहीं है । वहां एक डकैत, अपराधी श्री महंत सिंह है जिसको सेसन जज, जौनपुर ने 1978 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बहाल रखा किन्तु एक नवजवान मंत्री जो सुल्तानपुर के हैं उनको 1980 में बूथ कैप्चर करके जिताया, इसलिये उस अपराधी को शाहपुर जंगल में वन विभाग में 1-6-80 को चौकीदार के पद पर रखवा दिया और उसको दो साल बाद स्थायी करवा दिया । एक तरफ तो वह सजा पाये हैं और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी खजाने से पिछले मई-जून तक वेतन लेता रहा । उसके आतंक से डरकर 25 परिवार मेरे घर पर आये थे कि इसको जेल में होना चाहिए । मैं आरोप लगाता हूं कि उस डकैत से विधायक तक असुरक्षित हैं । शर्म की बात है कि मंत्री के प्रभाव से अपर जिलाधिकारी ने पिछली तारीखों को उसको चरित्र प्रमाण-पत्र दिया कि उसका चरित्र अच्छा है । वहां के बी0 डी0 ओ0 ने भी उसको अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है जबकि उसको जेल में जाना चाहिए था । हमारे पास सारे पत्र हैं । ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शासन को निदेशित करें कि उसके एक नवयुवक मंत्री जो उस कुख्यात डकैत को अपने संरक्षण में रखते हैं उसको जेल भिजवायें ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोग बैठ जाएं, मैं किसी को नहीं सुनूंगा. आप कृपा करके बैठ जाइये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात आप सुन लीजिये। वहां पर शासन द्वारा वितरित चीनी और मिट्टी का तेल किसी को भी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठ जाएं। जो कुछ आप बोलेंगे लिखा नहीं जाएगा। मैंने निर्णय दे दिया है आपकी सूचना सुनने के बाद....

(व्यवधान)

कृपया आप बैठ जाएं।

श्री हरिश्चन्द्र—

मैंने अपने जनपद की गम्भीर समस्या के बारे में आपको कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था ....

(व्यवधान)

वहां सारे लोग परेशान हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री मित्रसेन—

मुझे आप सुन लें, मैंने भी दिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

सारे प्रदेश की वितरण प्रणाली ठप्प हो गयी है, सरकारी गल्ले की दुकानों पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब बजट चर्चा पर सबको बोलने का मौका मिल रहा है, आप बैठें....

(व्यवधान)

आप समझदार व्यक्तियों में से हैं, कृपया बैठें।

श्री विजय सिंह राणा—

मेरी आप कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आप हमारी कोई सूचना स्वीकार करते हैं और न अपनी बात कहने का मौका देते हैं, जबकि आप दूसरे सदस्यों की नियम 301 में भी सुनते हैं और नियम 56 में भी सुनते हैं सबमें सुनते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं।

(डा0 बंगाली सिंह का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रघुबर दयाल जी, क्या आप बजट पर बोलना चाहते हैं बोलें। मैंने बजट पर बोलने के लिए बुलाया है। मद नं0 9। आप जितने भी खड़े हैं, जो भी बोलेंगे नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य बराबर खड़े रहे)

श्री अध्यक्ष—

मैंने रघुबर दयाल जी को बुलाया है। आपसे तो हम यह आशा नहीं रखते हैं। अब नहीं, अब बैठें।

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल (हमीरपुर)—

किसी सदस्य के प्रश्न को आप द्वारा नियम 301, 51 और 56 सब में स्वीकार कर लिया जाता है और हमें बोलने का जरा भी मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न नहीं उठता, मैंने जो अस्वीकार कर दिया है।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननवर, कम से कम नये सदस्यों को आप सुनने की कृपा करें। नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मैंने बड़ी गंभीर समस्या के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। मुझे मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननवर, हम खड़े होने का शौक नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हमें खड़े होना पड़ता है। आप हमारी बात नहीं सुनते हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा। मैंने राणा जी को बोलने के लिये कहा है।

श्री विजय सिंह राणा--

माननवर, यह सही है कि नियम 301, नियम 51 तथा 56 के अन्तर्गत सूचनायें आप स्वीकार करेंगे और जिसको चाहेंगे बुलवायेंगे। यह आपका अक्षुण अधिकार है जिसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो सूचना नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार की जायगी वही सूचना नियम 51 या नियम 56 में नहीं ली जायगी ऐसा प्राविधान है। यहां अभी एक सूचना नियम 301 में पढ़ दी गयी और उसी पर नियम 56 म चर्चा होती रही। तो मैं चाहता हूं कि जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था है उसको कायम रखना चाहिए। एक ही सूचना अगर नियम 301, नियम 51 या नियम 56 में ली जाएगी तो दूसरे लोगों को अपनी बात कहने का मौका कैसे मिलेगा। मैंने नियम 301 में दिया लेकिन आपने अस्वीकार कर दिया। नियम 51 में अस्वीकार कर दिया। नियम 56 में जो भयंकर समस्या है उत्तर प्रदेश में सूखे की भयंकर स्थिति है। मुख्य मंत्री जी ने 6 जून को यहां पर घोषणा की कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत जितनी वसूलियां हैं वह स्थगित कर दी जायेगी और किसानों को राहत देने के लिये राहत कार्य किये जायेंगे। लेकिन इस घोषणा पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मेरी सूचना महत्वपूर्ण थी लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। जो सदस्य चुनकर आये हैं हर एक की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेदारी है। हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। यह व्यवस्था हो जायेगी कि एक ही आदमी कहे जायेगा तो कैसे काम चलेगा। आप देखें वही आदमी कल भी बोले और आज भी बोले तथा कल भी बोलेंगे। क्या हमें जनता ने वोट नहीं दिया है, क्या हम चुनकर नहीं आये हैं? आपसे अलग भी मिलकर हम कह चुके हैं। तो माननवर, इस पर आप व्यवस्था दें यही मेरा निवेदन है।

श्री मित्रसेन--

माननवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो मैं कोई बात नहीं सुनूंगा।

श्री मित्रसेन--

माननवर, व्यवस्था का सवाल है।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कोई बात नहीं लिखी जायेगी आप बोलते रहें ।

श्री मित्रसेन—

[× × ×]

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

आज हर जिले में चीनी, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है । सारी वितरण प्रणाली बेकार हो गयी है । सारी वितरण प्रणाली ठप्प हो गयी है ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर ।)

(व्यवधान)

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इनके चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण की जो प्रणाली है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर, वह ठप्प हो गयी है । फरवरी के महीने से लेकर आज तक 25 फीसदी वितरण सिर्फ हुआ है । मान्यवर, न तो मिट्टी का तेल मिल रहा है और न चीनी मिल रही है, यहां, तक कि ईद और होली के अवसर पर चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण नहीं हो सका है । मान्यवर, शादी और ब्याह के अवसर पर इन्होंने सामान्य कोटे की चीनी और मिट्टी के तेल को बांट दिया, जिससे आम जनता को चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिल सका । जनता में हाहाकार मचा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को बुला लिया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

आपको बजट पर बोलने का अवसर मिलेगा । आप सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये ।)

श्री विजय सिंह रमा—

मान्यवर, हमारे प्रश्न पर व्यवस्था तो दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर विचार करूंगा, जो आपका सुझाव है, मैं देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सभी माननीय सदस्य बैठ जायं, मैंने माननीय रघुबर दयाल वर्मा को बुला लिया है । आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा ।

वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा†

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपने बजट पर सामान्य चर्चा के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनके साथियों को कल भी सुना । विरोधी दल के नेता ने सामान्य बजट पर अपने आंकड़ों के सहित प्रदेश की दुःख और व्यथा को सामने रखने का प्रयत्न किया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान देश के राज्यों का हिसाब लगाया जाय, तो कर्ज–भार में सबसे पहले नम्बर पर उत्तर प्रदेश आता है । यदि हिन्दुस्तान भर में भिखारियों की संख्या देखी जाय, तो उत्तर प्रदेश का पहला नम्बर आता है । उत्तर प्रदेश में भिखारियों की सबसे ज्यादा संख्या है । यदि मान्यवर, फिर हम यह मिलावें कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कितने हैं और सारे देश में राज्यवार बेरोजगार कितने हैं, तो हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों की तुलना में बेरोजगारों की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है । यदि हम भूख से मरने वालों की तुलना करें कि हिन्दुस्तान में कितने लोग भूख से मरे, तो सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का भूख से मरने वालों का है । उत्तर प्रदेश की भूख से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है । उत्तर प्रदेश इसमें भी अपना पहला स्थान रखता है ।

इसके बाद यह विचार करें कि इस बजट के बाद हमारे पेट के लिए हमारे मुंह के लिए क्या मिला । तो हमें यह महसूस करना पड़ेगा बड़े दुःख के साथ कि फिर भी हमारा पहला स्थान आता है पीने के पानी के संकट के बारे में, उत्तर प्रदेश में पानी के लिए लोग तरस–तरस के, तड़प–तड़प के मर रहे हैं । तो उसमें भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है । तो मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति है । इस भयावह स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान सरकार न सक्षम है और न उसकी दृष्टि इस ओर है कि उसको ठीक करने के लिए बजट में कोई मौलिक

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†दिनांक 15 जुलाई, 1985 की कार्यवाही से ।

परिवर्तन या ऐसे आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादित कर देते, जिससे गरीबों की जेब में पैसा आता है ।

(इस समय 1 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए ।)

और अमीरों की जेब से पैसा जाता। मैं एक पेशकश उदाहरण के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने तथ्य रखना चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी ने और उनके सचिवों ने कहा था कि हम मितव्ययता बरतने का काम करेंगे, लेकिन जो आय-व्यय की ब्योरेवार पुस्तिका प्रस्तुत की गयी है उसमें मंत्रियों और विशेष सचिवों के कार्यालयों की सजावट का ही इतना खर्चा आया है । मान्यवर, जहां पहले एक सोफा था अब उनको बढ़ाकर, उनकी संख्या को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है । वहां कालीन और डेकोरा की कारपेट से साज-सज्जा की गई है । मान्यवर, एक तरफ तो कमरों को डेकोरा की कारपेट से और कालीनों से सुन्दर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक औसत व्यक्ति की आमदनी लगा लें, एक औसत व्यक्ति की आमदनी कितनी है, इसका हिसाब लगाया जाए तो औसत उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आमदनी मात्र 120 रुपये है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे अगर प्रति औसत व्यक्ति की आमदनी निकाली जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रति औसत व्यक्ति की मासिक आय 120 रुपये पड़ती है । इस आमदनी पर हम हिसाब लगाएं पांच आदमियों के परिवार में एक दिन में एक आदमी पर कितना खर्च खाने पर आता है । इसके अलावा आप देखें कि मंत्रियों की तनख्वाह, आई0ए0एस0 अधिकारियों की तनख्वाह क्या है । मान्यवर, पांच आदमियों के परिवार में यदि औसत आमदनी वाले व्यक्ति का रोज का हिसाब लगाया जाय तो 1 रु0 20 पैसा पड़ता है । 1 रु0 20 पैसे में पांच आदमियों के जीवन का निर्वाह होता है और उसी दिन कालीन और डेकोरा की कारपेट को सजावट मंत्रियों के कमरों में होती है उस पर हमारे मंत्रिपरिषद् के लोग उत्तर प्रदेश की दशा सुधारने की बात करते हैं । वह उत्तर प्रदेश की दशा सुधारने का संकल्प जो है इसमें कितना विरोधाभास है इसको मैं बताना चाहता हूं । यदि आप कारागारों में जाएं तो प्रति बन्दी पर औसतन 6 रुपया पड़ता है और आप उत्तर प्रदेश के परिवारों को देखें, उनका जीवन स्तर देखें कि कितने लोग गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है, इसका अगर आंकलन किया जाये तो जो हमारी टोटल आबादी है उसके 51 परसेन्ट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जीवन व्यतीत करते हैं । 44.4 परसेन्ट लोग शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । ग्रामीण अंचल के दूर-दराज के अंचलों में आप देखें । रोजाना की एक औसत व्यक्ति की आमदनी क्या है । उत्तर प्रदेश के बजट में कलम घिस्स लोगों की तनख्वाह क्या है इसको आप देखें । इनको एक-एक हजार से ऊपर तनख्वाह मिलती है । उत्तर प्रदेश के बजट में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है । इस बजट में बंधुआ मजदूरों, गरीब मजदूरों के लिए प्राविधान होना चाहिये था जो नहीं है । दूर-दराज के अंचल में जाकर आप देखें बांदा का जिला है । चम्बल जमुना के अंचलों में आप चले जायें तो एक आदमी दिन भर में दो या सवा दो रुपये कमा पाता है । वह महीने भर में सिर्फ 65 रुपये कमा पाता है ' यही उन भूमिहीन

किसानों का हाल है। जो जीर्णशीर्ण हालत में हैं जिनके पास न पहनने के लिए कपड़े हैं न भोजन है। एक टाइम भोजन मिलता है। एक दिन में जो वह भोजन करता है अगर भोजन का आंकलन किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 60–65 रुपये की आमदनी मालिक है उसका खाने का खर्च निकाला जाय तो 30–35 प्रतिशत अपनी आमदनी का वह खाने पर खर्च करता है। और 70 प्रतिशत शादी–विवाह और मकान आदि पर खर्च करता है। देहात का व्यक्ति 20–25 पैसे का भोजन करके अपना जीवन बिता रहा है। हमारे मंत्रिगण और सचिव जो इस बजट को लाये हैं अपने खर्च का हिसाब देखें तो मालूम होगा कितना अन्तर है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया ने कहा था जब तक हमारे प्रदेश और देश के खर्च की सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा कि इतने से ज्यादा खाने पर खर्च नहीं किया जा सकता है तब तक उन गरीब लोगों के मुंह में कुछ जाने वाला नहीं है। गरीब जो नंगा है वह नंगा ही रहेगा जो भूख से मर रहा है वह मरता रहेगा और मंत्रीगण तथा सचिवों के कक्षों की सज–सज्जा होगी तथा उसमें डेकोरेटेड कारपेट जरूर डाली जायेगी। समाजवाद की कल्पना करने वाले लोग इस बजट में आय–व्यय का ब्योरा देखने के लिए प्रस्तुत किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का निकम्मा और लड़–खड़ाता हुआ नेतृत्व इतना अक्षम साबित हुआ है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को 568 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करने को मिला था जबकि पंजाब का लड़ाकू नेतृत्व 1169 रुपया प्रति व्यक्ति ले गया। कहां पंजाब को 1169 रुपया प्रति व्यक्ति मिला और उत्तर प्रदेश को 568 रुपया प्रति व्यक्ति मिला। लेकिन हमारे यहां बैठे स्वास्थ्य मंत्री जी कहेंगे कि हमने बहुत प्राप्त कर लिया। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अपनी भव्यता को छोड़कर जन-सेवा की ओर ध्यान दें, जनता की मुसीबतों की तरफ ध्यान दें, तो जो हमारा प्रदेश है जिसमें देश के अन्य प्रदेशों से भिखारियों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है, महंगाई की कगार में घुसता हुआ प्रदेश, जिसमें भूख से मरने वालों की संख्या अधिक है, इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में मांगों के लिए लड़कर अपने प्रिय नेता से जिसके लिए आप सब कुछ करने जा रहे हैं 16 हजार करोड़ से बढ़ कर आप सहायता प्राप्त करते। इसके बजाय उसको काट कर आपकी मांग कम कर दी गई और आपका जो 6 प्रतिशत का आंकड़ा था वह घटकर 5 प्रतिशत रह गया। इसके बाद भी आप कहेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश की बहुत तरक्की कर दी।

मेरा निवेदन है कि आप पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखें, इसमें उत्तर प्रदेश का भाग अन्य प्रदेशों से बहुत कम रहा है। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औसत आय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था और 6ठीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औसत 692 रुपये प्रति व्यक्ति थी और उत्तर प्रदेश 567 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। जबकि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1169 रुपये है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पैमाने पर योजनाओं के नाम पर, गरीबी के के नाम पर, भूख से मरने वालों के नाम पर उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है।

माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के बाद जो स्थिति हमारे सामने प्रति व्यक्ति औसत की आई है उस हिसाब से हमारे प्रदेश की हालत दिनोंदिन गिरती जा रही है। राष्ट्रपति जी ने जब राज्यों के गवर्नरों को आहूत किया था और हमारे प्रधानमंत्री को भी आहूत किया तो उसमें 3 बातें कही गयी थीं और उसमें एक पर बहस चलने लगी थी आरक्षण के मसले पर। माननीय, इसमें

में कहना चाहता हूं कि आरक्षण की धारा संविधान की धारा 16 और संविधान की धारा 15 है और इसके तहत पिछड़े लोगों को उठाने का संकल्प और वादा किया गया था। मान्यवर, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आयी थी लेकिन उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसके बाद दूसरा शासनकाल आया भाई मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया। उसकी रिपोर्ट आने पर सारे देश में बबंडर मच गया। लेकिन उस पर भी बाद में कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया उन्होंने 22-23 जातियों को पिछड़ी जाति घोषित किया और उन्होंने इन जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपन मैनीफेस्टो में यह कहा था कि हम पिछड़ी जातियों को भी सामाजिक व शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की सुविधा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में आरक्षण पर गृह युद्ध भड़क रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से आप कब तक प्रदेश की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं छेदी लाल साथी आयोग के गठन को किसने बल दिया था। छेदी लाल साथी आयोग की सिफारिश थी कि देश से जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए, उस पर कानून बने और संविधान में आवश्यक संशोधन हो जिससे अस्पृश्यता की भावना मिटे। ठीक इसी तरह से जाति और वर्ण व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए। जैसे लोग अपने नाम के आगे त्रिपाठी लगा बैठे फिर पंडित शब्द लगा लेते हैं जैसे पं0 लोकपति त्रिपाठी तो फिर उन पर भी मुकदमा चले। मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

अब में शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि बेसिक विद्यालयों की बड़ी दुर्दशा है। आज तमाम तरह कि शिक्षा प्रणाली चल रही है मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश में समाजवाद लाने की भावना है तो देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाय। मान्यवर, मैं अपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस मुठभेड़ें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। दस्यु मुठभेड़ में जितने लोगों को मरा हुआ दिखाया गया है उनमें 371 डकैत मारे गये और 4,457 गिरफ्तार हुए और 2,967 आग्नेयास्त्र बरामद हुए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1,564 मुठभेड़ों के अवसर पर मरने वाले कितने सूचीबद्ध डकैत थे।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ। इस सदन में बोलने के लिए नेता सदन और नेता विरोधी दल का कोई समय निश्चित नहीं है और बाकी नेता विरोधी दल के अलावा जितने भी नेता हैं उनको 25 मिनट का समय। और दूसरे मंत्रियों को 25 मिनट, और शेष सदस्यों को 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कृपया समय का ध्यान रख कर ही बोलें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर जो चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का सुअवसर दिया। मान्यवर, प्रस्तुत बजट को जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया तो उसका अवलोकन करने और सुनने से पूर्ण विश्वास होता है कि इस प्रदेश के विकास में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जहां तक विकास का सवाल है, हमारी सरकार ने हमेशा विकास की योजनाएं दीं, चाहे वह

जिला योजना हो, चाहे स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम हो, चाहे स्वतः रोजगार योजना हरिजन बस्तियों और सामान्य बस्तियों का विद्युतीकरण हो या सड़कों का निर्माण । यह अवश्य है कि बजट जब जिला स्तर पर जाता है और इसके द्वारा कार्य सुनिश्चित होता है तो अगर इसकी सही माने में देख रेख न होगी, कार्यान्वियन न होगा, तो जिस आशय से बजट दिया जाता है, उस अनुपात से निर्माण कार्य या विकास कार्य नहीं हो पायेगा । लेकिन, कोई भी सरकार हो, उसका इरादा, उनकी नेक नीयती, उसके कार्यक्रम पर देखी जाती है । आज जब हम देखते हैं तो हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किस सीमा तक हुआ, यह सबकी नजर में है । देहातों में ट्यूबवेल पर लाइट के अलावा बिजली के लट्टू नहीं दिखाई पड़ते थे । हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण और सामान्य बस्तियों में विद्युतीकरण जो हुआ, उसकी सूची हम लोगों से मांगी गयी है । न केवल सत्ता पक्ष, विपक्ष के भाई भी ध्यान दें, उन्हें सत्यता से परे रहकर ऐसी बात अपने भाषण में नहीं कहनी चाहिये । उन्हें स्वीकार करना चाहिये कि हमारी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है । जहां तक सड़कों की बात है, उसके लिये इस बजट में भी प्रस्ताव है, उस ग्राम में जहां की आबादी संख्या 1500 तक है, उन्हें प्रथम चरण में मुख्य सड़क से मिलाने के लिये मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है । उसके बाद उन गांवों को लिया जा रहा है जहां 1000 से 1498 तक की आबादी है । इस प्रकार मुख्य सड़कों से जोड़ने का हमारा यह प्रस्ताव है ।

माननीय, एक चीज की तरफ मैं अनुरोध करूंगा कि विकास की जो योजनाएं दी जाती हैं, हमारे गोण्डा जनपद का दुर्भाग्य है कि पश्चिमी तरफ की जो योजनाएं होती हैं वह बाराबंकी की तरफ पश्चिमी इलाके में आ जाती हैं और पूर्वी तरफ की योजनाएं बस्ती तक रह जाती हैं और हमारा गोण्डा और बहराइच अधर में त्रिशंकु की भांति लटका रह जाता है । माननीय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गोण्डा जनपद भी इसी प्रदेश का एक मुख्य अंग है, उसके विकास की ओर ध्यान दिया जाय । उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि गत 24 अक्टूबर 1984 को गोण्डा जनपद में मुख्य मंत्री जी एक पुल का शिलान्यास करने गये थे, उस समय उनसे गोण्डा में एक स्टेडियम की मांग की गयी थी । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दे दिया था । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे गोण्डा नगर के जिला मुख्यालय के लिये एक स्टेडियम को बजट में सम्मिलित कर लिया जाय । उद्योग के क्षेत्र में जनपद गोण्डा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की इकाई अवश्य दी गयी है और उसका कार्य मनकापुर में चल रहा है । उसके साथ 20 पूरक उद्योग लगने हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसमें 10 पूरक उद्योग जिला मुख्यालय पर लगाये जायं और 10 जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगाये जायं । इसके लिये तुरन्त ही आदेश होने चाहिये ।

इसके साथ ही साथ में यह भी अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक जनपद में एक इंडस्ट्रियल इस्टेट कायम किया जाय । निजी उद्योगपति उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लेकिन जमीन के अभाव में उन्हें वह सुविधा नहीं मिल पाती है । जनपदों में तमाम बंजर-ऊसर जमीन पड़ी हुई है, उसका सुधार किया जाय तो जमीन की दिक्कत नहीं आयेगी । इंडस्ट्रियल इस्टेट कायम होने से निजी उद्योगपति भी प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं । विधायकगण मांग करते हैं कि विद्यालय खुलें । विद्यालय खुलने की मांग के बाद भवन की बात आती है । माननीय, आप देहातों में देखें, बिना भवन के विद्यालय चल रहे हैं । बिना अध्यापक के भी

विद्यालय चल रहे हैं। अगर कहीं भवन बने भी हैं, तो उसकी छत गिरी पड़ी है, उसके खम्भे पड़े हैं। या कहीं-कहीं छत चू रही है, जिस कारण लड़के बाहर बैठते हैं इस डर से कि पता नहीं कब वह गिर पड़े। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार पहले यह सुनिश्चित कर ले कि हमारी आर्थिक क्षमता इतनी है, हम इस विद्यालय के भवन का भी निर्माण कर सकेंगे, तब ही उन विद्यालयों की स्थापना की बात सोची जाय। अन्यथा मात्र विद्यालय खोल देने से कोई फायदा नहीं है।

अभी विपक्ष के एक भाई ने बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि शिक्षा पद्धति में आज तरह-तरह के स्कूल खुल गये हैं। मान्यवर, आप लखनऊ में ही देखें लखनऊ में ही कितने तरह के स्कूल खुले हैं। कोई कैथेड्रल है, कोई लामार्टीनियर है। हमारी सरकार ने उनको मान्यता भी दी है। लेकिन, अगर हमारे आपके बच्चे उसमें प्रवेश लेना चाहें, तो वहां तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि माननीय मंत्री और सचिवों के, प्रवेश के लिये, कहने पर भी उपेक्षा होती है। जब कि सरकार ने मान्यता दी हुई है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि वहां खास वर्ग के बच्चों का, बिना टेस्ट लिये ही प्रवेश ले लिया जाता है। इस तरह से मान्यवर, जो यह बहुत तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है, उस पर हमें कोई न कोई अंकुश लगाने की बात सोचनी होगी ताकि एक तरह की शिक्षा प्रणाली चल सके। इस पर विचार होना चाहिये और इसका कार्यान्वयन होना भी बहुत आवश्यक है।

हमारे विपक्षी भाईयों ने बहुत सी बातें कहीं आलोचना की दृष्टि से। पहले जब यह सरकार की आलोचना किया करते थे, उस समय तो ऐसा कहने का उन्हें हक था जब सत्ता पक्ष में नहीं थे। वह पौने तीन साल शासन में रहे। इनके कार्यकाल में हुए कार्यों को यदि देखा जाय तो विदित हो जायेगा कि किस तरह की स्थिति विद्यमान थी। जब जनता पार्टी की हुकूमत चल रही थी, तो जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। लोग मिट्टी का तेल, डीजल आदि लेने के लिये जाते थे, घंटों लाइन में खड़े रहने पर भी उन्हें डीजल मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता था और अलग पुलिस के डंडे बरस जाते थे। वे बेचारे मिट्टी के तेल का लालटेन लेकर वापिस चले आते थे। अब लाइन जरूर लगती है लेकिन इस आशा से कि उनको सामान उपलब्ध हो जायेगा और वह उपलब्ध होता है।

अभी एक विपक्ष के भाई ने बात कही माननीय मंत्रियों के कमरे सुसज्जित होने एवं कारपेट आदि उपलब्ध होने की। मान्यवर, वे काफी बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति लगते थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो प्रोटोकाल में व्यवस्था होती है, उसी के अनुसार सारी व्यवस्था होती है। खर्चा घटाने की बात है और साथ ही आय बढ़ाने की बात है ताकि विकास के कार्य ज्यादा से ज्यादा हो सकें। आय के स्रोतों को बढ़ाने के सुझाव भी यहां पर होने चाहिए। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कुछ खर्चों में जरूर कमी की जा सकती है। विधायक निवासों पर हर माननीय विधायक को एक शृंगारदान दिया गया है उस शृंगारदान की मांग नहीं की गई अपितु बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही थी कि एक लेट्रिन व बाथ-रूम दे दिया जाय क्योंकि हम लोगों के निवासों पर काफी भीड़ रहती है, जिससे काफी दिक्कत पैदा होती है। जिस चीज की मांग होती है, उसे नहीं दिया जाता है अपितु वे चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिनकी मांग नहीं की जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री उपाध्याय जी, आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जांय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दिया जाय । मैं अपनी बात समाप्त कर लूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको 10 मिनट का समय दे दिया है जो समाप्त हो चुका है । कृपया आप बैठ जायं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, आपने समय नहीं दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । दुबारा जब बोलने के लिए खड़ा हूंगा, आप ख्याल रखियेगा ।

(2 बजकर 21 मिनट)

श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री नारायन दत्त तिवारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उससे मुझे बड़ी निराशा हुई । निराशा इसलिए हुई क्योंकि किसी भी अच्छी सरकार का जो बजट होता है, प्रगतिशील सरकार का जो बजट होता है, वह कोई जोड़ और घटाव का हिसाब नहीं होती है, वह कोई सिर्फ बैलेन्स-शीट नहीं होती । मान्यवर, किसी प्रगतिशील सरकार का जो बजट होगा उसमें दिशा का बोध होगा । उसमें पता चलेगा कि सरकार की क्या इच्छायें और क्या आकांक्षायें हैं। अपने प्रदेश के समाज को किस ढंग से बनाना चाहती है और अपने समाज में कैसी व्यवस्था लागू करना चाहती है। दूसरा किसी भी अच्छी सरकार के बजट से यह भी ज्ञात होगा कि वह इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन-किन कार्यक्रमों को लाना चाहती हैं और समाज में व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति करने के लिए उसके क्या-क्या इरादे हैं। मान्यवर, यह जो बजट पेश हुआ है, उसमें कोई इस प्रकार का दिशा बोध नहीं होता। इस बजट से कहीं भी यह आभास नहीं होता कि इस सरकार की मंशा उस व्यवस्था पर चोट करने की है, जो व्यवस्था हमारे समाज में असमानता को बढ़ा रही है, जो व्यवस्था भोगवाद प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार और दूसरी सामाजिक बुराइयों को पैदा कर रही है। चारों तरफ भोगवाद की प्रवृत्ति है। पूरी तरह से समाज भोगवाद में इस समय लिप्त है। सरकार की जो नीतियां हैं, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इन्हीं नीतियों का यह दुष्परिणाम है कि आज हमारे समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वह दहेज की हों, चाहे वह दूसरी हों, चाहे असमानता फैलाने वाली हों, इन्हीं गलत नीतियों के कारण हैं, गलत बजटिंग के कारण हैं।

मैं नारायन दत्त जी से उम्मीद करता था, चूंकि उनकी सोच किसी जमाने में एक समाजवादी सोच रही है कि उनके मार्फत ऐसा बजट आयेगा, उसमें कुछ ऐसी बात होगी, जो यथास्थित व्यवस्था को तोड़ेगी, यथा-स्थित व्यवस्था को खत्म करेगी। एक ऐसी व्यवस्था बनाने का विचार रखेगी, एक ऐसा सोच रखेगी, जिससे हमारे समाज में आज जो मौजूदा व्यवस्था है, उसमें सुधार आये ।

दूसरी बात मैं यह भी मानता था कि माननीय नारायन दत्त तिवारी के सामने पद और प्रतिष्ठा का अब कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत पद मिल गये, प्रतिष्ठा मिल गई, आदर सत्कार मिल गया। यह सही है कि अगर वह किसी व्यवस्था को, मौजूदा स्थिति को तोड़ने के लिए संकल्प लेकर आते तो उनके सामने दिक्कतें आ सकती थीं लेकिन पद का अब मोह न होने के कारण उनका सामना करने में कोई दिक्कत नहीं । दो-दो बार मुख्य मंत्री बन

लिए, केन्द्र में भी रह लिए। श्रीमन्, पहले तो मेरा यही कहना है कि जो मौजूदा बजट है वह सिर्फ एक बैलेन्स–शीट है इसको बजट कहना भी अनुचित होगा क्योंकि इससे कोई नई दिशा, कुव्यवस्था को तोड़ने हेतु कोई संकल्प दिखाई नहीं देता। दूसरी बात अगर हम यह मान भी लें कि कुछ बुनियादी बातों को लागू नहीं कर सकते तो ऐसा भी तो बजट हो सकता था जो कुछ भलाई करने वाला होता। गरीबों की गरीबी दूर होती तो भी संतोष व्यक्त किया जा सकता था लेकिन इसमें कोई बुनियादी तथ्य तो है ही नहीं इसके अतिरिक्त 1985–86 के बजट से तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं 50 फीसदी की तादाद में, उनकी गरीबी दूर करने का कोई संकल्प इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परम्परा जो बना ली है घाटे का बजट पेश करने की। इससे भीख मांगने में केन्द्र से क्या सहूलियत होगी?

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बावजूद सारे विरोधों के, मैं विरोध पक्ष की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता मिले, हम साथ देने को तैयार हैं लेकिन यह बात कतई पसन्द नहीं है कि घाटे का बजट लाकर हम भीख मांगें या पैसा लेने की बात सोचें क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो बाजार में साख गिरती है सरकार की, दूसरी मुद्रास्फीति होती है और जिन कामों में पैसा लगाया जा सकता था उसका भी मौका नहीं मिलता। इसलिए घाटे के बजट की जो व्यवस्था है उससे आम जनता का बड़ा भारी नुकसान होता है।

मान्यवर, इस बजट में 178·60 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया गया है। यह मामूली बात नहीं है। आजादी के 15 वर्षों के बाद तक भी उत्तर प्रदेश का पूरा बजट 100 करोड़ रुपये का नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 178·60 करोड़ रु0 का घाटा अपने बजट में दिखाया है। अगर केन्द्र से भीख नहीं मिलती है तो क्या होगा? क्या यह मितव्ययिता से इसको पूरा कर लेंगे? असम्भव है। जो इन्होंने व्यवस्था चालू कर रखी है, जिस ढंग से भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस ढंग से देश में प्रदेश में टेलीविजन की संस्कृति, कम्प्यूटर की संस्कृति लागू कर रहे हैं उससे यह बात असम्भव है कि 178·60 करोड़ रु0 का घाटा मितव्ययता से खत्म कर देंगे। 32 करोड़ रुपये का जो इन्होंने अतिरिक्त संसाधन से आय का प्राविधान किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि उससे आम जनता पर बोझ भी नहीं पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी जो 146 करोड़ रुपये बचता है उसका क्या होगा? इस सरकार की यह प्रवृत्ति है कि जितनी लोकतंत्र की संस्थायें हैं, उनको किसी तरह से कम करते चले जाइए, खत्म करते चले जाइए। कर लगाने का, टैक्स बढ़ाने का, किराया बढ़ाने का इस सदन को पूरा अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस सरकार की प्रवृत्ति है कि बजट के मौके पर ऐसा दिखाइए कि हमसे अच्छी कोई सरकार नहीं होगी जो जनता पर टैक्स नहीं लगाती। अच्छी सरकार की छबि बनाने के लिए, अपना चेहरा साफ रखने के लिए कोशिश यह करते हैं कि बजट के मौके पर कोई टैक्स न लगे और उसके बाद टैक्स लगा दो, बसों का किराया बढ़ा दो। यह प्रवृत्ति इस बात की द्योतक है कि मौजूदा सरकार अपने इन तरीकों से माननीय सदन की जो गरिमा है, जो उसके अधिकार हैं, उनका हनन करती चली जा रही है, उनको खत्म करती चली जा रही है।

आपसे निवेदन है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश आप लगायें और इस बात की हिदायत स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि बजट आने के बाद किसी भी प्रकार

से टैक्स या बसों का किराया या और मद में पैसा बढ़ाने की अनुमति इस सरकार को न दी जाय। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा।

जो बजट आया है उसमें 1799·94 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा 3583·98 करोड़ रुपये का आयोजनेतर पक्ष में अनुमति है, यानी दूने से ज्यादा फर्क है। अपने प्रदेश में जहां समस्या है लोगों को रोजगार देने की, जहां समस्या है नयी-नयी योजनाओं को चालू करके रोजी-रोटी मुहैय्या कराने की, उस प्रदेश में अगर आयोजनेतर पक्ष में आयोजनागत पक्ष से दूना खर्चा हो तो यह शर्म की बात है। अगर आयोजनेतर खर्चा बढ़ता जायगा और आयोजनागत में कमी होगी तो उन योजनाओं का पैसा नहीं मिलेगा जिनके चलते प्रदेश में तरक्की हो सकती है। इस तरह से प्रदेश की 50 प्रतिशत जनता, जो गरीबी की रेखा से नीचे है। उसको राहत नहीं मिल सकती है। माय्वर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत अच्छे-अच्छे आंकड़े दिये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनके बजट भाषण के आंकड़ों को आप देखें तो आप पायेंगे कि उनको जहां सहूलियत हुई वहीं उन्होंने उस सन् के आंकड़ों से तुलना क के आपको दिखा दिया कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम पैदावार को बढ़ा रहे हैं, हम गरीबी को कम रहे हैं। कोई एक सन् को आधार मान कर उन्होंने अपने बजट भाषण में आंकड़ों की तुलना नहीं की है। कहीं 1979-80 से तुलना की है तो कहीं 1980-81 से तुलना की है और कहीं 1970-71 से भी तुलना की है। वे किसी एक वर्ष को आधार मानकर नहीं चले हैं।

माय्वर, अपने प्रदेश की जो इस समय चालू भावों के आधार पर हमारी आमदनी है उस पर आप गौर करें कि प्रति व्यक्ति की आय 1272 रु0 है। पश्चिमी बंगाल में 1551 रु0 और पंजाब की प्रति व्यक्ति आमदनी 2768 रु0 तथा महाराष्ट्र की 2294 रु0 है। माय्वर, इस बारे में एक बात को और ध्यान से समझना चाहिए कि आंकड़ों का बड़ा भारी जंजाल है। इनको जिसमें सहूलियत हुई इन्होंने उस सन् से तुलना करके तरक्की दिखा दी। तुलना अपने से करके तरक्की नहीं दिखानी चाहिए बल्कि दूसरे राज्यों से तुलना करके तरक्की के पैमाने को देखना चाहिए जितने संसाधन के जरिये हमारे पड़ोसी राज्यों ने तरक्की की है क्या हमने भी उतने ही संसाधनों के जरिये से उतनी तरक्की हासिल की है? ठीक है, सन् 1980 की तुलना में हम आज आगे बढ़े हैं लेकिन यह जो 1980 से 1985 के बीच का समय है इसमें हमने जो संसाधन पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किये हैं, हमने जो अपने प्रदेश की जनता के पैसा को इकट्ठा करके आयोजनाओं को बढ़ाया है, उनके आधार पर हमने जो तरक्की की है तुलना में दूसरे राज्यों ने कितनी तरक्की की है? माय्वर, सिर्फ बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों को छोड़कर बाकी हिन्दुस्तान के सारे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय से उत्तर प्रदेश के आम आदमी की आमदनी कम है।

माय्वर, यह सरकार खेती की बात बहुत करती है। माय्वर, इस प्रदेश के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है उसको यह सरकार नहीं समझ पायी है। वह यह है कि अपने प्रदेश में जो कर्मकार हैं यानी जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं वह 3 करोड़ 22 लाख 97 हजार हैं उनमें से 2 करोड़ 41 लाख 35 हजार कृषि पर निर्भर हैं। मेरा कहना यह है कि इस सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि वह प्रदेश और देश तरक्की कर ही नहीं सकता जिसमें काम करने वाले कुल 3 करोड़ 22 लाख 97 हजार में से 2 करोड़ 41 लाख 35 हजार लोग

खेती पर निर्भर हों, तो वह प्रदेश या देश तरक्की कर ही नहीं सकता है। आप चाहे जितनी योजनायें क्यों न बनायें, जब तक आप के यहां खेती पर इतना भार रहेगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, 1955 में उत्तर प्रदेश में 74 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे और आज 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हो गये हैं, तो कैसे यह प्रदेश तरक्की कर सकता है। यह प्रदेश किन आधारों पर तरक्की कर पायेगा, जब कृषि पर इतने लोग आधारित हैं, 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। मान्यवर, 2 करोड़ 41 लाख और 35 हजार लोग खेती के काम पर निर्भर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सरकार से, अगर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कहें कि खेती पर से भार कम किया जाये। होता यह है कि आंकड़ों के जाल में आपको फांस दिया जाता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की भोली-भोली सूरत है मासूमियत का अन्दाज और उनकी मृदु वाणी है वह आपको समझा देते हैं और आप समझ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो खेती पर जो बोझ है उसको कम करें।

मान्यवर, तरक्की का दूसरा पैमाना ऊर्जा है, शक्ति है। जब मनुष्य काम करता है, तो वह बिना शक्ति के काम नहीं कर सकता है। जिस देश और प्रदेश के पास जितनी ताकत होगी, जितनी ऊर्जा होगी, उतना ही वह देश और प्रदेश तरक्की करेगा। हमारे यहां ताकत, ऊर्जा की 4 हजार मेगावाट से ज्यादा क्षमता है, लेकिन 1100, 1200, 1400 और 1500 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन होता है हमारे यहां बिजली की खपत प्रति व्यक्ति इतनी कम है, जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। जम्मू और कश्मीर आपसे इस मामले में आगे हो सकता है और दूसरे प्रदेश भी आगे हो सकते हैं। आप देखें, उत्तर प्रदेश में 1981-82 में कुल 87 किलो वाट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत रही है, पंजाब में 125, पश्चिम बंगाल में 124, राजस्थान में 102, उड़ीसा में 125, तमिलनाडु में 194 और महाराष्ट्र में 248 किलोवाट बिजली की खपत है। केवल पहाड़ी राज्यों को छोड़कर आप सभी राज्यों से इस मामले में पीछे हैं। कैसे तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है कि 1980 की तुलना में तरक्की कर रही है, लेकिन तरक्की का माप दन्ड क्या है। आप पुलिस को बढ़ा दें, थानों को बढ़ा दें, अस्पतालों को बढ़ा दें, तो यह तरक्की की निशानी नहीं है। यह बात आप अपने मंत्री जी से कहें और उनको समझायें। आज उत्तर प्रदेश में चोरी और डकैती बढ़ती चली जा रही है और आपके मंत्री यह जबाब देते हैं कि थाने बढ़ा दिये हैं, पुलिस बढ़ा दी गयी है। तो यह तरक्की का पैमाना नहीं है।

मान्यवर, तपेदिक से उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोग ग्रसित हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह रोग क्यों बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मैं कहना चाहूंगा कि यह रोग उत्तर प्रदेश में पहले नम्बर पर है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट का समय रह गया है।

श्री कौशिक रमा शंकर—

आपने 25 मिनट का समय दिया था और 2.22 बजे बोलना मैंने प्रारम्भ किया था। 10 मिनट तो कम से कम दे ही दें।

(व्यवधान)

माननीय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कोई तरक्की का मापदण्ड नहीं है । तरक्की का मापदंड अस्पतालों की संख्या को बढ़ा देना नहीं है बल्कि तरक्की का मापदन्ड यह है कि उत्तर प्रदेश में तपेदिक से ग्रसित होने वाले मरीजों की तादाद कम हो, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या घटे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे । सिपाहियों और थानेदारों की संख्या बढ़ाना तरक्की का मापदन्ड नहीं है । हमारे यहां लूट, राहजनी, कत्ल की वारदातें कम हों, झगड़े कम हों यह तरक्की का मापदन्ड होता है । माननीय, यदि इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश की बड़ी भयावह स्थिति है । मुख्य मंत्री जी आंकड़े बहुत देते है कि हमारे यहां उपज बढ़ती जा रही है । अवश्य बढ़ती जा रही है, 50 वर्षों से बढ़ती चली जा रही है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया हमारे प्रदेश में जहां कुल धान की औसत उपज 11.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी वहीं जम्मू कश्मीर की 15.83, पंजाब की 28.16, हिमांचल की 13.04, केरल की 15.76 और हरियाणा की 17.61 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । यह स्थिति आती है ।

ऊर्जा के मामले में जो स्थिति है उससे आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं । इस सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं । जो आपका यह बिजली बोर्ड है उस पर राज्य सरकार का 3197 करोड़ 32 लाख रुपया बकाया है और जो बाजार का लोन है वह 825 करोड़ 39 लाख रुपया है । ब्याज जो सरकार को उसे देना है वह 932 करोड़ 24 लाख रुपया है । जो रेवेन्यू एरियर्स हैं वह 262 करोड़ है । 40 फीसदी आपकी बिजली में छीजन है जिसमें चोरी भी शामिल है । किसी भी प्रदेश में 12/13 फीसदी से ज्यादा लाइन लास नहीं हैं लेकिन आपके यहां लूट मची हुई है और इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं ।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे यहां 136 इंडस्ट्रीज नई बनाने के आशय पत्र प्राप्त हुये हैं । यह खुशी की बात है कि 2 हजार करोड़ रुपये से बनने वाले कारखाने सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे । यानी 2 हजार करोड़ रुपये से प्रसन्न हैं । 200 करोड़ रुपये के लगभग प्रति वर्ष बैठा । यदि 20/25 करोड़ रुपये की हैसियत वाली इंडस्ट्री मानी तो ।

एक संस्कृति आपकी पार्टी ने दी है कंम्प्यूटर की संस्कृति, उसे इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं मानेंगे । वह तो सबसे पहले मानेंगे । हमारे यहां गजरौला में एक 25/30 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा कारखाना है जहां से काम होता है । इस कारखाने में सिर्फ 150 लोगों को रोजगार मिला है । यही होगा । जो आप संस्कृति बना रहे हैं, जिस ढंग से आप देश को ले जाना चाहते हैं उसमें यही होगा कि कारखाने खुलेंगे लेकिन कंप्यूटर संस्कृति से ग्रसित होकर उनमें केवल 100/100 और 50/50 लोगों को ही नौकरी दे पायेंगे । आज लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं । आज आप कह दीजिये कि 8, 10 लड़कों की भर्ती करनी है तो देखिये कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है । माननीय विधायक जानते हैं कि अगर बी0 ए0 या एम0 ए0 की कहीं भर्ती हो रही है तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं आप अपने घर अपने गांव से ही ले लीजिये कि क्या स्थिति होती है । तो आप ऐसी स्थिति में कंप्यूटर संस्कृति ला रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर उसके आगे क्या परिणाम होंगे उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं ।

आप उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात भले ही सोचें लेकिन वह आगे कैसे बढ़ेगी । बिजली आप देते नहीं आपके सरकारी अधिकारी हर इंडस्ट्रियलिस्ट को यह मानकर चलते हैं

कि यह बदमाश है, यह बेईमान है। आप बिजली देंगे नहीं दूसरी और कोई सुविधायें देंगे नहीं तो क्यों कोई उद्योग यहां लगायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जब मुझे उधर बैठने का मौका मिला था मैंने चाहा कि इसे ठीक करूं हमारे यहां औद्योगिक अल्कोहल पर आधारित इंडस्ट्री लगाने के लिए 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज डयूटी देनी पड़ती है जबकि दूसरे प्रदेशों में अल्कोहल देने पर 40 पैसे प्रति लीटर इक्साइज डयूटी देनी पड़ती है...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ आपने काफी कह दिया है।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। इसको बराबर करन से भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब दूसरे प्रदेशों से कंपटीशन करना है तो उनसे कम रखें। महाराष्ट्र 20 पैसा प्रति लीटर एक्साइज डयूटी लेता है और आपके यहां 60 पैसा है जबकि अल्कोहल आपके यहां सबसे ज्यादा होता है केवल महाराष्ट्र आपके बराबर आता है। इन सब कारणों से हमारे यहां कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है।

अन्त में एक बात कहकर खत्म करता हूं। हमारे प्रदेश का प्रशासनिक व्यय बढ़ता चला जा रहा है आज 50 रु0 प्रति व्यक्ति वह खर्च है। एक ही जिले में 7–7, 8–8 ए0 डी0 एम0 मौजूद हैं और कमिश्नर अलग बैठे हुए हैं। कमिश्नरों की आवश्यकता अंग्रेजों के समय में थी जब वह सरकार सोचती थी कि कहीं कोई बगावत न हो जाय और तब आवागमन के साधन नहीं थे रेल, मोटर आदि नहीं थे लिहाजा एक डिविजन में एक कमिश्नर बैठाया जाता था जो वहां के काम को देखता था। आज आप तमाम ए0 डी0 एम0 बढ़ाते चले जा रहे हैं आप जानते हैं कि एक ए0 डी0 एम0 रखने पर और कितना व्यय होता है उसके लिए स्टेनो, चपरासी, पानी पिलाने के लिए अलग से एक आदमी तथा गाड़ी आदि देनी होती है। ए0 डी0 एम0 (सप्लाई) भी मौजूद हैं और वहीं पर डी0 एस0 ओ0 भी मौजूद हैं। जब 51 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो उन पर 50 रु0 प्रति व्यक्ति प्रशासनिक व्यय आप क्यों कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखें। चूंकि समय कम है वैसे बात तो बहुत सी करनी थी मगर मैं यहीं पर खतम करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में हमारे सम्मानित विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है कि इसमें टैक्स नहीं लगाये गये, बहुत इमेज साफ है, इसलिए इनको पछतावा हो रहा है। इन्होंने बहुत सी बातें कहीं। आंकड़ों के जाल में उलझाने की कोशिश किया। कल विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे थे हमने देखा कि वह आंकड़े कैसे रख रहे थे। चीनी के बारे में उन्होंने कहा लेकिन चीनी की मात्रा नहीं बतायी। उन्होंने कितना उत्पादन 1980 में था और कितना आज है उसको नहीं बताया उन्होंने बताया कि देश में कितना परसेन्टेज उस समय उत्पादित होता था उत्तर प्रदेश में और आज कितना उत्पादित होता है। छोटी सी बात है, आप आंकड़े ऐसे दे रहे हैं जैसे महाराष्ट्र या गुजरात या कहीं पर चीनी का उत्पादन बढ़ गया तो इससे सकल उत्पादन में हमारा परसेन्टेज कम हो गया। तो आप मात्रा नहीं बतायेंगे परसेन्टेज बतायेंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से विधान सभा में आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। हम चाहते हैं

कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप सही सुझाव लेकर आवें। आप सही निर्देश दें और इस सदन के माध्यम से सरकार को सहयोग देकर ऐसी प्रणाली की स्थापना करें जिसमें उत्तर प्रदेश विकास कर सके। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि हमें जो केन्द्र से कम सहायता मिली है उसमें मित-व्ययिता अपनाकर हम विकास की दर को कायम रखेंगे।

मान्यवर, मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। मैं जिस जिले से चुनकर आता हूं वह 250-300 किलोमीटर लम्बा छ जिला है। वह हिन्दुस्तान के किसी छोटे स्टेट के बराबर जिला है, वह मिर्जापुर जिला है। मान्यवर, हम बहुत अमीर और धनी हैं लेकिन आज वहां की जनता बेरोजगारी व भूख का सामना कर रही है। बहुत से गांवों में पेयजल का प्रबन्ध नहीं है। हमारे मिर्जापुर में जो खनिज सम्पदा है उसका कायदे से उत्खनन नहीं हो रहा है। हमारे यह राजगढ़ क्षेत्र में अहरौरा में बाक्साइट का खदान है जिससे फिटकरी बन सकती है। हमारे मिर्जापुर के राजगढ़ में मोरंग बिछी रहती है जिससे स्पंज आइरन की फैक्टरी लग सकती है लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां फायर-क्ले और एन्डुल साइट मिलती है जो पाटरी उद्योग में काम आती है। लेकिन जो चुनार का पाटरी उद्योग है वह 100 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। आज भी निर्यात के स्तर के बरतन नहीं बन पाते हैं। हमारे यहां इंसूलेटर बनने के लिए क्वार्टज और फैलेस्पायर की आवश्यकता होती है वह दक्षिणांचल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहां पर उच्च शक्ति वाले इंसूलेटर और छोटी क्षमता वाले इंसूलेटर की फैक्टरी लगाई जा सकती है लेकिन कुछ नौकरशाही और अधिकारियों की गलती के कारण आज से 10 साल पहले सर्वेक्षण हुआ था। 15 साल पहले सर्वेक्षण हुआ है। हमारे यहां, कीमती-कीमती खनिज मिलने की रिपोर्ट यहां पर पड़ी हैं, लेकिन उनका उपयोग करके वहां पर कारखाने नहीं लगाए जाते हैं।

हम कहना चाहते हैं आपसे कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की खुशहाली और तरक्की हो सके तो हमें कम से कम खनिज सम्पदा के बारे में पूरी जानकारी करनी होगी और इनके माध्यम से, इनकी सहायता से हम अपना विकास करें, इसकी ओर चलें। हमारे यहां अहरौरा में पर्याप्त बाक्साइट है, उसकी खदान होने की सूचना आज से 8/9 साल पहले लोगों ने दिया, सर्वेक्षण करके दिया, लेकिन बाक्साइट से जो फेरिक एलम बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं उसके कारखाने लगाने की दिशा में सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमारी यू0 पी0 गवर्नमेंट इसे बाहर से मंगाती है, लेकिन वहां पर इसके प्लान्ट आज तक नहीं लगाए जा सके। अन्य भी बहुत सी चीजें हैं, जिनकी रिपोर्ट यहां पर पड़ी हैं। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मिर्जापुर की खनिज सम्पदा के बारे में पूरी की पूरी रिपोर्टस मंगाई जाएं।

आज मैं कहना चाहता हूं कि उससे पूरे प्रदेश को सहायता मिलेगी, देश के विकास में सहायता मिलेगी। अभी हम से एक अच्छे भू-वैज्ञानिक बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया है कि मिर्जापुर में यूरेनियम भी मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वह 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत अपने यहां चरितार्थ होती है। सन् 1973 की यहां रिपोर्ट आई हुई है लेकिन आज तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है कार्य-वाही नहीं हुई है।

प्रदेश के विकास में जहां अन्य तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है,

उसमें उस समय यह भी देखा जाय कि हमारे किसान, हमारे मजदूर किन दैनिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे मिर्जापुर में तहसीलें बनी हैं। हमारे यहां ऐसे भी गांव हैं जहां से तहसील तक पहुंचने में दो दिन डेढ़ दिन लगते हैं। हमारे यहां मधुपुर सुकृत का इलाका है, जहां पर सवेरे आदमी चलता है ट्रक पर। यह पहले नारायनपुर चार घंटे में आयेगा। उसके बाद उसको रात हो जाती है तहसील पहुंचते पहुंचते। उस 16/17 गांवों के बगल में आधे घंटे की दूरी पर एक राबर्ट्सगंज तहसील है, लेकिन उन गांवों को उस तहसील से नहीं जोड़ा जाता है। जबकि इसके लिए वहां की जनता बहुत दिनों से मांग कर रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह फाइल भी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश शासन के विचार के लिए पड़ी है, राजस्व मंत्री के विचार के लिए पड़ी है। आप जरा उन किसानों की हालत सोचिये, उन मजदूरों की बात सोचिये, जो तहसील आने के लिए एक दिन में आते हैं, एक दिन में जाते हैं और एक दिन अटेन्ड करते हैं। इन तीन दिनों में वह क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, यह आपने क्या कभी सोचा है? मैं अपने शासन से, अपने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और मधुपुर सुकृत के 16 गांवों को राबर्ट्सगंज तहसील में जोड़ा जाय। अन्त में मैं एक बात और कहकर बैठ जाऊंगा। मान्यवर, हमारे मिर्जापुर शहर की आबादी करीब 2 लाख है। हमारे यहां इंटर में मात्र 240 लड़कियां ही पढ़ सकती हैं, एक साल में। वहां पर सिर्फ दो कालेजों को इंटर कालेज की मान्यता प्राप्त है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और वहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल को इंटर तक करके वहां की लड़कियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करें। इसी के साथ ही जो बजट उत्तर प्रदेश शासन का आया है मैं उसका समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री मनोहर लाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस बजट के सिलसिले में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी चतुरता के साथ, आंकड़ों का मुखौटा लेकर यह बजट प्रस्तुत किया है। करोड़ों गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं जिनकी तरफ अभी माननीय सदस्य मिर्जापुर ध्यान आकर्षित कर रहे थे, उन गरीब किसानों, लोगों की तरफ ध्यान न देते हुये जिस चतुराई के साथ आंकड़ों का सहारा लेते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसकी निन्दा करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, किसी भी बजट में, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि उस बजट में कर लगे या नहीं लगे यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उस बजट के तहत सरकार ने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिये क्या प्रयास किया है, सरकार ने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया है या नहीं यह बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इस बजट को इस अपेक्षा के साथ देखें तो हमको बड़ी निराशा होती है। हम देखते हैं कि जिस तरह से गांव का पटवारी होता है, जो बहुत ही चालाक होता है, अगर उस पटवारी की तुलना हम आदरणीय मुख्य मंत्री जी से करें, बहुत अदब के साथ, तो इसमें दो राय नहीं होगी।

एक छोटी सी कहावत है। एक पटवारी जो पूरे गांव को परेशान करता है, किसी के खेत किसी के नाम और किसी की जमीन किसी के नाम कर देता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कहना पड़ता है "नाप जोख ज्यों की त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों।" तो मान्यवर, आंकड़े ज्यों के त्यों हैं तो फिर सारा प्रदेश डूबा क्यों यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछना चाहता हूं । मान्यवर, एक पटवारी था जो अपने गांव से तीर्थ यात्रा पर अपनी बीबी, बच्चों और सामान के साथ जा रहा था । रास्ते में नदी पड़ी । पटवारी ने सोचा नदी पार करने के लिये नाव पर पैसा खर्च न करें और अगर नदी की गहराई निकाल लें, नाप जोख करके कि कितनी गहराई है तो पैसा नहीं खर्च होगा और नदी पार हो जायेंगे । उसने गुनिया निकाली और नाप-जोख की तो मालूम हुआ कि नदी की गहराई साढ़े तीन फिट है । उसने सोचा कि नदी पार करना मुश्किल नहीं है । उसने अपनी बीबी से कहा कि बच्चों को कंधे पर बैठा लो । उसने खुद सामान लिया और नदी पार करने लगा । नदी गहरी थी जैसे ही उसकी बीबी ने नदी पार करनी चाही वह बच्चों के साथ नदी में बह गयी । पटवारी तैरना जानता था वह वापस आ गया । वापस आकर उसने दोबारा गुनिया निकाली, नाप जोख के इंस्ट्रूमेंटस निकाले और फिर से नदी की गहराई नापी लेकिन दोबारा भी नदी की गहराई साढ़े तीन फिट निकली । तो उसने कहा कि "नाप जोख ज्यों की त्यों, पूरा कुनबा डूबा क्यों" ठीक उसी तरह से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके आंकड़े ज्यों के त्यों लेकिन सारा प्रदेश डूबा क्यों ।

आज सारे प्रदेश के अंदर भुखमरी है, सारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है । जो यह सारे प्रदेश के अंदर भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है इसका कारण क्या है । माननीय मुख्य मंत्री जी जो युवा प्रधान मंत्री जी के प्रमुख शिष्यों में हैं 21वीं सदी में प्रदेश को ले जाने की बात कह रहे हैं । वह दिवा स्वप्न देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने का। उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को देखते हुये हम आगे बढ़ रहे हैं इक्कीसवीं सदी की तरफ। हमारा जो सूचना विभाग है हमारे सूचना विभाग ने उत्तर प्रदेश की सारी गलियों की दीवारों पर पोस्टर लगाये जिसमें लिखा था कि "हम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं ।" लेकिन स्वर्णिम भविष्य की तरफ नहीं, बल्कि हम भ्रष्टतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं । लेकिन उसके लिये सूचना विभाग ने सारे प्रदेश के अन्दर यह पोस्टर लगवा दिये थे । इसमें मैं अपना समय नहीं व्यतीत करना चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय, जिस चतुराई से हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उन्होंने पौने 200 करोड़ घाटे का बजट पेश कर दिया । उनका यह बिल्कुल निराशजनक बजट है । इससे हमारे जो गांव के रहने वाले भूखे और नंगे लोग हैं, हम लोग विधान सभा के अन्दर बैठे हुए हैं, लेकिन हम उधर के माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि चुनाव के समय जब आप लोग पहुंचते थे, तो उन किसानों से, उन गांव के लोगों से, जिनको अखबारों के जरिये से कोई सूचना नहीं मिल पाती है, जिनको यह पता नहीं है कि हमारी भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए और आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर इतना खाद्यान्न है कि हम विदेशों को खाद्यान्न भेज रहे हैं ।

एक तरफ यह मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे माननीय सदस्य, मिर्जापुर यह कह रहे हैं कि भूख से मिर्जापुर में लोग मर रहे हैं । बिल्कुल सही है, लोग महुआ खा रहे हैं, पेड़ की छाल खा रहे हैं । अगर आपको विश्वास न हो। तो दिल्ली में राजीव गांधी से पूछ आइये। अभी मध्य प्रदेश में वह गये थे, एक आदिवासी से भूसा के बारे में उन्होंने पूछा कि इसे क्यों रखे हो, तो उन्होंने कहा कि माननीय राजीव गांधी जी जब हमको खाने को नहीं मिलता है, तो हम लोग भूसा खा लेते हैं । दूसरी तरफ शेखी बघारते हैं कि हमारे यहां कोई भूखा नही मरता है । एक तरफ तो ये दावा करते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है,

हम विदेशों को भेज रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं, चाहे वह मिर्जापुर हो या बुन्देलखंड का जिला हो, वहां पर लोग पेड़ों की छाल खाने के लिये मजबूर हैं। महुआ का एक फल होता है, जिसको गुल्लू कहते हैं, उसको खाने के लिए लोग मजबूर हैं। आज हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अनाज खूब पैदा हो गया है। मैं उन आंकड़ों की तरफ न जा कर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुख्य मंत्री जी इस बजट की तरफ यह ध्यान दिये होते कि हमें प्रदेश के अन्दर सिंचाई की क्षमता बढ़ाना है, बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, बेरोजगारी प्रदेश के अन्दर खत्म करना है, तो अच्छे-अच्छे उद्योग-धंधों के जरिये से हम गांवों की गरीबी खत्म कर सकते हैं। आप 40 करोड़ का सौ करोड़ का उद्योग लगा दीजिए, लेकिन आटोमेटिक मशीन के जरिये से 100-150 आदमी से ज्यादा काम नहीं मिल सकता है और अगर हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगायेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सकेगा। यह आप करें या न करें, यह मेरा सुझाव है।

सन् 1935 में लार्ड मैकाले ने इस देश की शिक्षा को बढ़ाया है, सिर्फ क्लर्कों की पूर्ति के लिए। उसके बाद हमारा देश आजाद हो जाने के बाद, हमारे देश के महारथियों ने इस देश के नवजवानों को डिग्रियां लेने के लिए, बल्कि चपरासी बनाने के लिए शिक्षा बना रखा है। शिक्षा के बारे में यह सरकार ही नहीं इससे पहले की भी सरकार और केन्द्र सरकार बराबर यह कहती है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दो प्रकार की शिक्षा चल रही है। एक गरीब किसानों के बच्चों के लिए है और दूसरी ओर पब्लिक के लिए है, अमीरों के लिए है। आप देखें जो गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं वह टाट-पट्टी पर बैठते हैं। स्कूलों की हालत क्या है इसको आप देखें। मान्यवर, जो लोग गांव से आते हैं वह अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, उनके यहां भी शिक्षा की यही हालत है टाट-पट्टी पर बच्चे बैठते हैं। स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन यहां आकर बजट की तारीफ करते हैं और कहते हैं बजट बहुत अच्छा है। मान्यवर, मैं उन्नाव जनपद अभागे उन्नाव जनपद से चुनकर आया हूं जो कानपुर और लखनऊ के बीच में 40 साल से पिस रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, हमारे यहां कोई उद्योग नहीं लग सका है....

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री मनोहर लाल--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(3 बजकर 15 मिनट)

श्री कमाल अहमद रिजवी--

मान्यवर, पहली मर्तबा मैं सन् 1952 में यहां चुनकर आया था आज 33 वर्ष हो गये चाहे मैं इस माननीय सदन का सदस्य रहा होऊं या न रहा होऊं, मैंने बजट भाषण को हमेशा पढ़ा है। मान्यवर, सन् 1952 में जो बातें कही गई थीं कि गरीबी को बढ़ाने वाला पूंजीवादी को बढ़ाने वाला और किसान विरोधी बजट है वही बातें आज 33 वर्ष बाद सुनने में आई है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा जो रूप रेखा रखी, उस पर चर्चा करते हुए एक भाई ने कहा कि अगर ऊर्जा की बढ़ोत्तरी की बात कही गई होती, अगर गरीबी को दूर करने की बात कही गई होती और बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई होती तो हम उससे सहमत होते शायद इन्होंने बजट

की स्पीच को, बजट के भाषण को पढ़ा नहीं, सुना नहीं जो कागज बांटे गये उसको देखा नहीं। यह बड़ी ही खुशी की बात है जैसा बता। कि पैदावार के क्षेत्र में काश्तकारो के क्षेत्र में 6 प्रतिशत की विकास दर रही है। यह संतोषजनक बात है, जो दिशा उन्होंने दी यह खुशी की बात है पहली मर्तबा भिन्न दिशा दी गई है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा, जो टैक्स की बात कही गई कि टैक्स नहीं लगे, तो यह अच्छी बात है लेकिन अगर टैक्स लगे भी होते तो बुरी बात नहीं थी। यदि प्रदेश की खुशहाली बनाने के लिए टैक्स लगाने की जरूरत है तो टैक्स लगने चाहिए, जरूर लगाने चाहिए पीछे नहीं हटना चाहिए यह वह चीजें हैं जिनसे सुधार किया जाता है पूरे प्रदेश में।

मान्यवर, हमारे यहां शारदा सहायक योजना चल रही है उसमें हमारे जनपद को लाभ नहीं है। इससे सब जगह सिंचाई के लिए पानी जाता है, लेकिन हमारे जिले को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है नहर में सीपेज है। मान्यवर, हजारों एकड़ भूमि बेकार हो गई है सीपेज की वजह से, मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि जो भूमि सरकार नहर के लिए एक्वायर कर चुकी है उसी तरह सीपेज की जमीन को भी एक्वायर कर लिया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जो स्कीमें हैं कारखाने लगाने, इण्डस्ट्री लगाने की उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से भी परामर्श होता हो तो एक बात उचित नहीं मालूम होती है कि एक ही मंडल के तीन जिलों बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में साढ़े 13 सौ करोड़ के कारखाने लगा दिये जायं और बहुत सी जगहें हो सकती है जहां इनको लगाया जा सकता था। साढ़े 13 सौ करोड़ के तीन कारखाने एक ही कमिश्नरी में लगा दिये जायं यह उनके साथ न्याय है या नहीं लेकिन दूसरों के साथ अन्याय जरूर है। इस तरह के इमबैलेंसेज को दूर होना चाहिये लखीमपुर में एक भी इन्डस्ट्री नहीं है। आश्वासन तो तमाम दिये गये कि हर जिले में कोई न कोई इन्डस्ट्री होगी। हमारे ईंट के भट्ठे जरूर हैं, क्रेशर लगे हैं। लेकिन वह गवर्नमेंट की देन नहीं है। क्या इसी को इन्डस्ट्री कहते हैं। इस तरह की जो विषमता है इसको जिलेवार दूर होनी चाहिये। खुशहाली की जो दूसरी स्कीमें हैं उनको लागू करना चाहिये चाहे उसके लिये टैक्स लगाना पड़े। अगर बिना टैक्स लगाये काम चल जाय तो अच्छा है नहीं तो टैक्स लगाना चाहिये।

दूसरी बात जो इस बजट के अन्दर है यह हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट हो उससे कुछ लाभ मिले मुनाफा हो। जनता के आर्थिक उत्थान के लिये क होना चाहिये। विकलांगों, बेवाओं, अ मायों के लिये पेंशन दी जाती है इसमें सहड़ी सी वृद्धि की जाय। क्योंकि इसकी योग बढ़ी है। जो असहाय व्यक्ति उनकी सहायता होनी चाहिये। यह ब अच्छी बात है। माननीय मुख्य मंत्री म जी ने एक बात की ओर संकेत किया है कि आज दुनिया अपनी प्रगति कम्प्यूटर के युग में कर रही है। इलेक्ट्रानिक के युग में दुनिया जा रही है और हमारे विरोध पक्ष के भाई बैलगाड़ी के युग की बात कर रहे थे। हमारे मुख्य मंत्री ने इस बजट में इलेक्ट्रानिक के पुर्जों की, तकनीकी साइंस की बात इस बजट में की है तो यह प्रदेश आगे बढ़ सके। हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य कैसे इस नतीजे पर पहुंच गये कि खुशहाली के लिये, ग़रीबी दूर करने के लिये इस बजट में कोई गुंजायश नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माइनारटीज के लिये वित्त कमीशन बनाया है, जिससे जो पीछे है, जो असहाय है, उनके लिये योजनायें बने। उन तमाम लोगों के लिये जो असहाय हैं जिनको हमारे सहारे की जरूरत है, उनके लिये इन योजनाओं को स्वीकृत करना चाहिये। इस बजट में वह तमाम चीजें मौजूद हैं

जिससे हम इस प्रदेश को जरूर आगे बढ़ायेंगे ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। बजट के सम्बन्ध में इधर और उधर के माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनको मैं कई वर्षों से सुनता चला आ रहा हूं और जिन लोगों ने यह बजट पेश किया है उनको कोई अपना दोष नहीं है, उनकी कुर्सी तथा आंख पर चश्मा ऐसा है कि वे ऐसा ही बजट पेश करने को मजबूर हैं ।

माननीय नारायन दत्त तिवारी जी किसी जमाने में इधर बैठते थे तो लाल टोपी लगाया करते थे और टोपी बदलते-बदलते उधर चले गये और टोपी सफेद हो गयी । मान्यवर, जब वह इधर बैठते थे तो इतनी तीव्र आलोचना बजट की करते थे कि इतनी शायद ही कोई करता था । माननीय हुकुम सिंह जी इधर बैठते थे तो बड़ी तीव्र आलोचना करते थे उधर बैठे हैं तो तारीफ करने में कोई कसर नहीं उठा रहे हैं ।

मुझे कहना यह है कि बजट में हम सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इस देश और प्रदेश की संरचना खास ढांचे में की जायेगी लेकिन वैसा नहीं है । बजट तो हमारा दर्पण है । मान्यवर, यह तो आप मान कर चलिये कि जब तक उत्पादन के साधन व्यक्ति के हाथ में होगा या समाज में तय नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है । इस देश की संरचना पूंजीवादी ढांचे के अन्दर हो रही है । इसलिए आर्थिक विषमता बढ़ रही है । कमाने वाले लूटे जाय और निकम्मे लोग मौज-मस्ती करते जायं ऐसी परम्परा बन गयी है इस देश की । जब तक इस देश में अर्थ की मान्यता होगी और अन्य मान्यतायें टूट जायेंगी । आज इस देश में जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है । आज जो मंत्री 4 दिन के लिये बनते हैं कैसी लूट मचाते हैं, उसका नक्शा आपके सामने पेश नहीं किया जा सकता है । जिस मंत्री के बारे में आप चाहे देख लें चाहे वह नियुक्तियों में हो चाहे ट्रान्सफर में हो । शायद ही कोई बचता हो जिसका चेहरा काला न हो जाता हो, जिसके हाथ रंग न उठते हों । इसलिए आज प्रश्न आर्थिक समाज का है उसका दामन बच नहीं सकता है । चाहे हम शिक्षा विभाग देखें, चाहे विद्युत् विभाग देखें, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग देखें, चाहे सिंचाई विभाग देखें जितने भी विभाग हैं उन सब के कार्यकलापों का गुणगान करें तो कर नहीं पायेंगे । जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं मान्यवर, इन आंकड़ों से हमारी गरीब जनता को मिलता ही क्या है ।

इसी तरह से एक शिक्षा विभाग की थोड़ी सी बात आपके सामने कह दूं । हम देखते हैं कि हमारे गांवों के बच्चे एक तरफ तो पेड़ों की छया में पढ़ते हैं उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है और दूसरी तरफ प्रौढ़ों को पढ़ाने की योजना बनी हुई है और करोड़ों-करोड़ों रुपया प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर खर्च किया जा रहा है । बड़े-बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्तियां कराकर लाखों-लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्यों चल गयी है कुछ पता नहीं । इस तरह से अनुत्पादक हमारी सरकार का खर्चा करने का मतलब अपने लोगों के भरण-पोषण करना है । जहां तक शिक्षा का सवाल है दोहरी शिक्षा की नीति है । गरीब का बच्चा चपरासी, मास्टर या क्लर्क होगा और बड़े अधिकारी का बच्चा पढ़कर अधिकारी होगा और नारा लगाते हैं कि गरीबी दूर करेंगे । जब गरीब के बच्चों और अमीर के बच्चों की जिंदगी में समाज में कोई सामंजस्य नहीं है, उनमें आप फर्क कायम किये हुये हैं, तो अमीर-गरीब की खाई को

आप नहीं पाट सकेंगे । आप जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं ।

विधान सभा में चर्चा होती है, माननीय सदस्य समझते होंगे कि इस चर्चा का असर व्यवस्था पर होगा, लेकिन कोई असर नहीं होगा । उधर के माननीय सदस्य बजट की तारीफ करते हैं, और फिर रोना रोते हैं, पता नहीं क्या और क्यों रोते हैं ? सही बात क्यों नहीं कहते हैं ? रोना भी रोते हैं और तारीफ भी करते हैं । सीने पर हाथ रखकर सोचें क्या यह बजट जनता के लिए कुछ कर पायेगा । इस बात के महत्व को आप हाउस के बाहर क्यों नहीं कह सकते । यह सरकार इस प्रदेश की जनता की अमीरी-गरीबी की विषमता दूर नहीं कर सकती । इस प्रदेश की जनता की अधिकतर, मांग, बुनियादी समस्याओं की हैं । मैं बताना चाहता हूं कि महज एक खामख्याली हैं । आप देखें कि गांव के गरीब बच्चे कथरी ओढ़े मर जाते हैं । उनको इलाज के लिए मामूली चूरन तक नहीं मिलता, जबकि राजीव जी के बच्चे को अमेरिका का इंजेक्शन लगाया जायगा । उनको छींक आ जाय या जुकाम हो जाय तो अमेरिका और लन्दन से इलाज होता है और हमारे गांव के गरीबों के बच्चों को कोई चूरन देने वाला नहीं है । यह विकास की गति है । हम लोग समझते हैं माननीय, कि अदालत में न्याय मिलेगा लेकिन वहां भी वकील लोगों की जेब देखकर वकालत करते हैं । पैसा लिया जाता है । न्यायालयों में भी बेईमानी होती है । हद हो गई है, माननीय, यह शासन किसके लिए है । कुछ चुने हुए लोगों के लिए है और उन पूंजीपतियों के लिए है जिनसे ये पैसा लेते हैं । यह शासन प्रदेश की जनता के लिए नहीं है । मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय, माननीय मित्रसेन यादव जी यहां के एक वरिष्ठ सदस्य हैं । सदन की यह परम्परा रही है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था है, जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में कहा है, किसी विशेष जजमेंट के बारे में नहीं कहा है ।

श्री मित्रसेन—

सत्य यहां कहा जाय या बाहर, इनको भी कभी न कभी स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रदेश की सरकार ने अपने आदमियों का खाना-पीना चलाने के लिए निगमों की व्यवस्था कर दी है । हमारे प्रदेश में 58 निगम हैं । उनके कार्य-कलाप आप देखें तो मालूम होता है कि कोई ऐसा विभाग है जिसको कोई गम नहीं है । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन निगमों में लूटा-खसोटा जा रहा है और निगमों का कोई गम नहीं है । यह निगम सफेद हाथी हो गए हैं और करोड़ों रुपयों की पूंजी खाते जा रहे हैं । हमारा कहना है कि हमारे हिन्दुस्तान के दो-तीन प्रदेशों को छोड़कर और सारे प्रदेशों की स्थिति भी उत्तर प्रदेश से बेहतर है । किसी भी बात का परसेंटेज देख लें । बसों को ही देख लें, हर प्रदेश की बसों का किराया उत्तर प्रदेश के किरायों से कम होगा । हर प्रदेश में कर कम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पर करों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है । किसानों को उनकी लागत का दाम भी नहीं मिल रहा है । यह जो हमारा बजट है, न तो यह किसान हितैषी है और न मेहनतकश मजदूरों के हित में है और न ही प्रदेश की विकास की किसी दिशा को इंगित करता है । इस बजट को पूंजीपतियों का या भले ही किसी ऐसी संस्था का बजट मान लें जो अपना विकास करना चाहता है ।

इसे आम जनता के विकास का बजट नहीं कहा जा सकता है ।

मान्यवर, प्लानिंग विभाग के जरिये गांव में कुछ विकास का काम किया जाता है । प्लानिंग विभाग में नये-नये पद सृजित करके तमाम आई0 ए0 एस0 आफिसरों को बैठाया जा रहा है । परियोजना निदेशक को बिठाकर एक नया कार्यालय खोला गया है । कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी का काम शुरू किया है । इस तरह से अनुत्पादक योजनाओं पर खर्चा ज्यादा है और उत्पादक योजनाओं पर खर्चा कम । मान्यवर, 1984-85 का जो पुनरीक्षित बजट रखा गया था, उसकी बाबत मैं कहना चाहता हूं कि व्यय के लिये मूल बजट में अनुमानित था 4 हजार करोड़ और पुनरीक्षित है 6,270·17 करोड़ । यह इनका अनुमान है । मान्यवर, आप देखें दुगने तिगुने से भी बढ़ जाता है ।

श्री अधिष्ठाता:--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बजट से प्रदेश को कोई दिशा नहीं मिलेगी । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पूरन सिंह--!

मान्यवर, सम्मानित अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं विकास पुरुष पं0 नारायन दत्त तिवारी और उनके मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कर रहित बजट प्रस्तुत किया है ।

अभी हमारे कुछ विपक्षी भाई बोल रहे थे कि बजट कर रहित हो अथवा कर वाला बजट हो उसका कोई औचित्य नहीं है । अगर कर रहित है, तो भी विरोधी पक्ष से उसे क्या लेना देना है । उसे कर रहित बजट से हमारे प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि घाटे की पूर्ति के लिए किन संसाधनों का प्रयोग किया है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि अल्प बचत के माध्यम से उसको बढ़ावा देकर, उससे मिलने वाले हिस्से के, हम घाटे की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे । वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । जहां एक ओर अल्प बचत के बढ़ावे से, प्रदेश को हिस्सा अधिक मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लोगों में बचत भावनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । अभी-अभी हमारे एक मित्र उधर से कह रहे थे कि श्री नारायन दत्त तिवारी जी विरोध पक्ष से वहां पहुंच गये और श्री हुकुम सिंह जी भी विरोध पक्ष से वहां पहुंच गये और बजट प्रस्तुत करने लगे । उसकी तारीफ करने लगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष में बैठकर, यहां के अनुभवों के आधार पर, अगर उसमें कुछ कमियां थीं, या खामियां हो सकती थीं, वहां पहुंच कर उनमें सुधार लाकर उन्होंने इस सुन्दर बजट को प्रस्तुत किया । इसमें तो विरोधी माननीय सदस्य श्री मित्र सेन यादव जी को सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी ।

मान्यवर, मैं दुर्गम पर्वतीय जिले से आया हूं । पर्वतीय क्षेत्र के लिए इस बजट में एक अरब 77 करोड़ रुपय का प्राविधान किया गया है, जिसमें 1 अरब 8 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार का अंशदान है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को इस सदन को तथा इस देश के युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को और केन्द्र सरकार को पर्वतीय क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई व धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वहां की जटिल समस्याओं को देखते हुए इतना बड़ा अंशदान दिया ।

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सालयों, प्राइमरी पाठशालाओं आदि कई चीजों की आवश्यकता है। पेयजल की आवश्यकता है, जिसके लिए यह सरकार कटिबद्ध है और पूरे मनोयोग से उसे पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन अधिकारी स्तर पर कुछ कमियां रह जाती हैं, जिनका उल्लेख यहां पर करना मैं उचित समझता हूं। जैसे यहां से जिलों में चिकित्सकों की नियुक्ति होती है, विभिन्न ब्लाकों में चिकित्सकों की नियुक्ति होती है लेकिन वहां का जो मुख्य चिकित्साधिकारी होता है, वह उन्हें मुख्यालय पर ही सम्बद्ध कर देता है, फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को चिकित्सा की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, उससे वह वंचित रह जाती है। इसलिए मैं सरकार से विनम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिले में किसी भी अधिकारी को ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए जिसे वह चाहे उसे अपने यहां सम्बद्ध कर ले

मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुमायूं मंडल का रहने वाला हूं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये दोनों जिले चीन की सीमा से मिले हुए हैं। इन जनपदों में हमको पहले सब्सिडी दी जाती थी। पर आज आठों पर्वतीय जनपदों को इस सबसिडी का लाभ दे दिया गया है जिस कारण रानीखेत, अल्मोड़ा धारचूला, मरचूला और पौड़ी-गढ़वाल में कोई भी आदमी उद्योग लगाने नहीं जायेगा। वह रेल हेड को देखेगा सुविधा के लिए वहीं पर उद्योग लगाना चाहिए जैसे काशीपुर, कोटद्वार देहरादुन आदि-आदि। मैं चाहता हूं कि आप इस सुविधा को दीजिए परन्तु सबको नहीं दीजिए केवल विशुद्ध पर्वतीय व पिछड़े जिलों को दीजिये।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में बजट का जो प्राविधान किया गया है, मेरा आप के माध्यम से सरकार से कहना है कि उसका उपयोग व्यवहारिक आधार पर किया जाय। जो मैदानी क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से पर्वतीय जिलों में आ गये हैं उनमें इस केन्द्रीय अंशदान को खर्च न किया जाय, क्योंकि वे पूर्व से ही विकसित हैं।

मान्यवर, केन्द्र सरकार एक सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर हमको देने जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसकी स्थापना चौबटिया रानीखेत जो कि सरकारी उद्यान भी है, में की जाय क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी यह इसके लिए माफिक है। मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय श्री नारायन दत्त तिवारी जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द, जयभारत।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्तमान सरकार को लगभग एक साल पूरा हो गया है। मैं अपने सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के साथियों से बड़े निष्पक्ष भाव से पूछना चाहता हूं कि एक साल के दरमियान वर्तमान मुख्य मंत्री ने अथवा इस मंत्रि मंडल ने कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठाया है, जिसे अंगुली पर गिना जा सके। उदाहरण के लिए गरीब किसानों का लगान माफ करना, अन्त्योदय योजना, कोई भी काम नहीं हुआ बल्कि तिवारी जी की सरकार भाग्य के भरोसे ढुलक रही है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा तो ड्राइवर ने कहा कि हुजूर मैं उतर जाऊं। मंत्री जी गुस्सा हो गये और कहा कि क्यों। तो उसने कहा कि हुजूर यह कार है सरकार नहीं जो भाग्य के भरोसे चले। आपका मंत्रि मण्डल में इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

भी विश्वास नहीं रहा जितना ड्राइवर के शब्दों में व्यक्त किया गया। 17 विभाग हैं आपके पास, अगर भरोसा होता मंत्रि मण्डल पर तो 17 विभाग न लिये होते। सारे हमारे सदस्य कहते हैं कि प्रदेश पीछे है, लेकिन नहीं बहुत सी बातों में आगे है। केन्द्र से कर्जा लेने में जो आप पर लदा हुआ है....

(व्यवधान)

माननीय हुकुम सिंह जो, जो आप कल तक यहां से कहा करते थे, यह है आपके विकास का परिचायक, दूसरी तरक्की- जितने ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं उतने किसी भी प्रदेश में नहीं। भुखमरी से कितने आदमी मर अहे हैं- सारे हिन्दुस्तान के किसी सूबे में उतने नहीं हैं। यह विचार मेरे नहीं, अर्थ-शास्त्रियों के हैं कि 17 हजार करोड़ रु0 की सातवीं पंचवर्षीय योजना थी और 11 हजार करोड़ रुपया मिला। अर्थ-शास्त्रियों के विचार हैं कि 1990 में जिस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा पिछड़ेपन में क्योंकि 6 हजार करोड़ रुपया का घाटा, जो भीख मांगी थी औ नहीं मिली राजीव गांधी के पास से। जिस नेता की तरफदारी करते हैं आप लोग अभी तक उनकी नीति पर योजना बनी। अगर चौधरी चरण सिंह के विचारों पर योजना बनायी गयी होती, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये होते तो वस्तव में उत्तर प्रदेश आगे होता। लेकिन दुर्भाग्य है। प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से 5 प्रधान मंत्री इस प्रदेश ने दिये लेकिन प्रदेश के लिये कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नेहरू जी ने बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये-कहां किये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। क्यों ? क्योंकि वहां पर कच्चा माल मिलता है, आवागमन के साधन हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। बड़े उद्योग लगा नहीं सकते और छोटे उद्योगों की तरफ, चौधरी चरण सिंह की नीति की तरफ आप का ध्यान गया नहीं और उसका अजाम हुआ कि पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो पंजाब की प्रति व्यक्ति आय थी 175 रुपये और उस समय उत्तर प्रदेश की आय थी मात्र 25 रुपये।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर 531 रु0 प्रति व्यक्ति आय थी पंजाब की तो उत्तर प्रदेश की आय थी 279 प्रति व्यक्ति, रुपया, छठी पंचवर्षीय योजना में 1,179 रु0 प्रति व्यक्ति पंजाब की आय थी, हमारे प्रदेश की 567 रु0 थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब की आय 3000 रु0 से ऊपर जायगी और अन्य राज्यों की आय 886 रु0 से ऊपर जायगी तो हमारी आय 600 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगा। इसमें भी पिछड़े रहेंगे। यह प्रदेश 1990 में सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जायेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी गये केन्द्र से मदद लेने के लिये तो सबसे बड़ी कटौती की गयी बिजली विभाग में। आज उसका अन्जाम यह है कि बिजली विभाग के ऊपर 32 अरब रुपये का कर्जा है। आपकी क्षमता 4000 मेगावाट से ऊपर होनी चाहिये, जो कि 1100 मेगावाट ही रही है। यह 40 प्रतिशत भी नहीं है। इसका परिणाम यह है कि 4-5 घण्टे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आप ट्यूबवैल लगा रहे हैं, लेकिन बिजली मिल नहीं रही है। जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के जमाने में जब बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे ट्यूबवेल की हार्सपावर में कटौती की थी।

आज यदि मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करते कि हम बिजली पूरी नहीं दे पा रहे हैं इसलिए किसानों से कम पैसा लेंगे तो यह एक क्रान्तिकारी कदम होता। आज आपने दिखा दिया कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बिजली पर टैक्स लगायेंगे, स्टैम्प पर टैक्स लगायेंगे,

तो इसका भी असर गरीब जनता पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और पूरा मंत्रिमण्डल आज सदन को इस बात का विश्वास दिलाये कि बजट का लेखा-जोखा इस बात का द्योतक होगा कि पूरे साल के अन्दर कोई भी टैक्स या किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी। अगर यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी कर दें तो मैं समझता हूं कि इस सरकार का एक बहुत बड़ाकदम होगा। लेकिन जो घाटा आपको बजट पर पड़ रहा है, उसका कोई रास्ता नहीं है। ओवरड्राफ्ट आपका बन्द हो गया, आखिर आप क्या करेंगे ? मितव्ययता की बात कही गयी। आज आपके सचिवों के कमरों के अन्दर उनके आफिस के अन्दर कौन से कम कीमती कालीन और फर्नीचर हैं, जो आज आप साज सज्जा पर 7 लाख रुपये खर्च करेंगे।

मुझे निश्चित जानकारी मिली है कि हमारे मन्त्री जी जो "अम्बेसेडर" कार पर चल रहे हैं, इसको बदलकर "कन्टेसा" को खरीदा जा रहा है, "एयरकूल्ड" गाड़ियां होंगी। यही इनकी मितव्ययता का सबूत है जिसके बल पर गरीब जनता को राहत प्रदान करेंगे। बांदा के अन्दर 2 रु0 का एक गिलास पानी बिक। लखनऊ के अन्दर आप कहते हैं कि सड़कों का निर्माण किया। अच्छी खासी सड़कें थीं स्टेशन रोड पर, वे तुड़वायीं और इन्जीनियरों के खाने-पीने का इन्तजाम किया। दूर-दराज के इलाकों में यदि अपने सड़कों का निर्माण कराया होता तो प्रदेश को तरक्की हुई होती, लेकिन लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा काशीपुर और रायबरेली को चमकाने का मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। शाहजहांपुर में आज विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं। 11 तारीख को शाहजहांपुर बन्द किया, जुलूस निकाले गये। विद्यार्थी तोड़-फोड़ के रास्ते पर चल रहे हैं। वहां पर स्ट्राइक हुई, भूख हड़ताल चल रही है। इसका कारण यह है कि शासन ने आश्वासन दिया था कि मुक्ष आश्रम डिग्री कालेज में बी0 काम0 की कक्षायें खोलेंगे। वहां के विद्यार्थियों ने भी इसके लिये काफी पैसा इकट्ठा किया, लेकिन शासन ने कुछ नहीं किया। जब तक दो-चार मरेंगे नहीं, शासन के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी।

तो मुझे आपके माध्यम से केवल यह कहना है कि गेहूं की पैदावार हमारे प्रदेश में जो हुई उसके सम्बन्ध में आपका इरादा था 270 टन पैदा करने का जब कि उसके खिलाफ पैदावार 303 हजार टन हुई। जिस किसान ने आपको इतनी गेहूं की पैदावार दी उसे बदले में आपने तल्खी दी।

इसी तरह से सन् 1982-83 तक हमारे प्रदेश से शक्कर निर्यात हुआ करता था आज उसी का अन्जाम है कि हम इतनी महंगी शक्कर इस समय पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी इस नीति का क्या परिणाम होगा। किसान गेहूं बोना छोड़ देगा जैसे कि उसने गन्ना बोना कम कर दिया है। इस तरह से आपका प्रदेश खाद्यान्न के लिये मजबूर हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

जनाबेआला, आम चुनाव के बाद यह पहला बजट हमारे मुख्य मन्त्री जी ने, जो कि वित्त मन्त्री भी हैं, उन्होंने यहां इस सदन में पेश किया है और हम उनको इसके लिये मुबारकबाद देते हैं कि उनके बजट में जो कि सिर्फ एक फायदे का है बल्कि उन्होंने इसमें कोई नये टैक्सेज भी नहीं लगाये हैं। कहा जाता है कि यह बजट किसानों के खिलाफ है, यह बजट गरीबों के खिलाफ है लेकिन हमें देखना यह है कि जो टैक्सेज

लगाने का जो सवाल उठता है कि टैक्स किस तरह से लगाये जायं, किस तरीके से जनता से रुपया वसूल किया जाय जो कि योजनाओं में विकास के लिये काम आ सके। तो हमारे वित्त मन्त्री ने इसे सोचा है, गौर किया है और सही फैसला किया है। तब इस बजट को पेश किया है। इस वक्त बजट में कोई टैक्स लगाना प्रदेश के लिये ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रदेश की इस वक्त जो हालत है गरीबी की वजह से कि गरीब आदमी तकलीफ में है। इसमें कोई शक नहीं कि चन्द अमीर खानदानों के जो कि अपना काम आसानी से चला सकते हैं, मिडिल क्लास का आदमी इस समय टैक्स बरदाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि जब हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो फिर हजारों योजनाएं किस तरीके से पूरी होंगी। जिन पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उससे कैसे हम अपने गरीब भाइयों को फायदा पहुंचा सकें, इसको देखना है।

इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि हमारी योजना पूरे तरीके से सफल नहीं हो रही है। हमारी योजना पूरी नहीं हो रही हैं, इनसे जो हमको उम्मीद थी, ये योजनाएं हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रही हैं इसकी वजह है कि हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी गरीबी को बढ़ाती जा रही है। तरक्की के साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है। चाहे इधर से बैठने वाले सदस्य हों और चाहे उधर के बैठने वाले सदस्य हों, सब जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि इस देश की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चाहे जिस राजनीतिक पार्टी के लोग हों, क्या वे अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन की बाबत लोगों से बात करते हैं या नहीं ? क्योंकि यह ऐसी समस्या है जो तरक्की के रास्ते में रुकावट है। गांव वाले इस बात को नहीं समझते हैं, वे समझते हैं कि बच्चे उनका धन हैं। जितने बच्चे होंगे उतनी ही वे उनके काम में मदद करेंगे। इसलिये इसके सम्बन्ध में बहुत ही बोल्ड पालिसी इस्तेमाल करनी होगी। क्योंकि जब तक प्रदेश की आबादी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस योजना को आगे चलायें।

जनाबेआला, किताबों में, रिपोर्टों में बहुत से आंकड़े देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जितने रुपये प्रदेश की तरक्की पर खर्च हो रहे हैं, उनके नतीजे संतोषजनक हों। जब कि नतीजे सन्तोषजनक होने चाहिये।

इसलिये हमें यह सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ायें। 146 करोड़ रुपये से कुछ अधिक का घाटा इस बजट में है। इसको पूरा करने के लिये लोगों के दिलों में यह चिन्ता है कि इसे किस तरह से पूरा किया जायेगा, लेकिन जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि सेल्स टैक्स और रेवेन्यू के जो अन्य एरियर्स हैं, अगर उनको वसूल कर लिया जाये तो यह घाटा पूरा हो सकता है। हमको चाहिये कि सरकार को इस बारे में मदद करें ताकि यह घाटा पूरा हो सके। इसमें राजनीतिक लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास रोज लोग सिफारिश के लिये आते हैं कि उनका टैक्स माफ कर दिया जाये या अभी न वसूला जाये और हम उनकी सिफारिश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। सब लोग जानते हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे प्रदेश में उद्योग तो हैं, लेकिन जितने लगने चाहिये उतने नहीं हैं।

मान्यवर, मैं जिला हरदोई की बाबत कहना चाहती हूं। यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर इतने उद्योग धन्धे नहीं हैं जितने कि होने चाहिये। मान्यवर, सन्डीला का जो क्षेत्र है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में 15,000 एकड़ जमीन है, जिसके बारे में मैं बराबर कहती रही हूं कि उसको इन्डस्ट्रियल एरिया बना दिया जाये। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत कोशिश के बाद उसको इन्डस्ट्रियल एरिया बना दिया गया है, लेकिन वहीं 3-4 उद्योग ही अभी तक लग पाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगी कि वह मेहरबानी से कोशिश करें कि केन्द्र से कोई बड़ा उद्योग सन्डीला क्षेत्र, जिला हरदोई में जरूर लगाया जाय। इससे हजारों बेरोजगार लोग काम में लग जायगे और उससे वहां की जनता को भी फायदा होगा। अब वह जमाना चला गया है, बुनिया तरक्की कर रही है और लोग केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। सभी लोग, गांव के लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और वह शहर म आकर रह रहे हैं और इसलिये शहरों में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसलिए और भी जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनके रोजी कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके प्राप्त हो सकें। इसलिए एक दो बात कहकर अपना भाषण खत्म करती हूं। आपने थोड़ा टाइम दिया है।

मान्यवर, हमारे सन्डीला में गवर्नमेन्ट गर्ल्स इन्टर कालेज है, लेकिन उसका कोई भवन नहीं है, कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा प्रदेश हमारा है और वहां पर लड़कियों के स्कूल का भवन न हो। मैं कहना चाहती हूं कि शिक्षा विभाग वहां के भवन की कोई न कोई व्यवस्था जल्दी करे और रुपया दे। वहां पर जमीन तथा अन्य सभी चीजें मौजूद हैं परन्तु रुपया न होने के कारण भवन नहीं बन पा रहा है, इस चीज के लिये मैं बराबर कोशिश कर रही हूं। इसके साथ ही संडीला गेदौरा रोड पर जेसू खेड़े गांव के करीब पुल बनाना बहुत आवश्यक है। जनता इसकी बहुत ज्यादा मांग कर रही है।

दूसरी चीज एक और है कि हमारे यहां पर 30 पलंग वाला अस्पताल मन्जूर हुआ है, उसका निर्माण किया जाये और उस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाये। मैं बहुत सी बाते कहना चाहती थी, लेकिन समय की कमी के कारण कह नहीं सकी। इन शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री विक्रमादित्य पांडेय—

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा का यह दूसरा दिन है। 12 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जो इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने 146.40 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया और यह क्लेम भी किया कि हमारा यह बजट समाजवादी है, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है और गरीबों का हितकर है। इस प्रकार का बजट प्रत्येक वर्ष सदन के सामने लाया गया और इसी प्रकार के सब्जबाग दिखाये गये। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से इस तरह के बजट लाये जाने लगे तभी से इस इस प्रदेश की अधोगति शुरू हुई है। अगर आप इसे देखें तो आपको मालूम होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय विकास की दृष्टि से इस प्रदेश की स्थिति तीसरे नम्बर की थी और आज अगर हम यहां के विकास को देखें तो इसकी स्थिति नीचे से तीसरे स्थान की है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि 1970-71 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 446 रुपये थी जो 1982-83 में 1439 रुपये हुई। निश्चित रूप से ये आंकड़े हमें यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ रही है। जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा आमदनी के बढ़ने के साथ-साथ अगर हम औसत आय को भी देखें तो निश्चित रूप से वह भी बढ़ती हुई दिखाई देती

है । लेकिन पर्टिकुलरली यदि आप किसी वर्ग विशेष को देखें किसी व्यक्ति विशेष को देखें तो आपको अन्तर दिखाई देगा कि हम प्रगति की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि अधोगति की तरफ जा रहे हैं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश भारत की कुल आय 1970-71 में इस प्रकार थी--उत्तर प्रदेश की कुल आय 4,256 करोड़ रुपये तथा भारत की कुल आय 34,235 करोड़ रुपये थी । ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रदेश की कुल आय राष्ट्रीय आय का 12.4 प्रतिशत थी । इसी प्रकार 1981-82 में उत्तर प्रदेश की कुल आय बढ़कर 5 871 करोड़ रुपये हुई जब कि भारत की आय 49,887 करोड़ रुपये हुई । इस प्रकार हमारी कुल आय 1981-82 में भारत सरकार की तुलना में 11.8 प्रतिशत हुई । निसंदेह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है लेकिन लेकिन भारत की तुलना में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम हुई है ।

इसी तरह से मान्यवर, आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1970-71 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 486 रुपये थी और भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय 633 रुपया थी । इस तरह से उत्तर प्रदेश की आय रुपया 147 कम थी । 1981-82 में यह आय उत्तर प्रदेश की 522 रुपये हो गई जब कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 720 रु0 थी । इस तरह से उत्तर प्रदेश की आय भारत की आय से 198 रुपये कम हो गई । श्रीमन्, सरकारी पक्ष इस तरह का ढिंढोरा पीटता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है लेकिन ये आंकड़े बतलाते हैं कि आय कम हो रही है । एक चीज और कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष प्रगति का दावा करता है और विरोध पक्ष हमेशा इसकी आलोचना करता है । हमें ऐसा मालूम होता है कि सत्तापक्ष की स्थिति ठीक नहीं है । हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाये, भैंस करे पगुरी । यह भी कहा जाता है कि--

कर फूलेल को आचमन,
मीठे कहत सराह,
रे गन्धी मति मन्द तू,
इतर दिखावत काह ।

तो ऐसे लोगों के सामने कहने से कोई लाभ नहीं है । हम कहते हैं कि सदैव आप गलत करते जा रहे हैं और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं । लेकिन आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं । आप कहते हैं कि हमारी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है और मुख्य मंत्री जी यह दावा करते हैं कि अगर हम इस बजट के आधार पर काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे और समाजवाद की दिशा में बढ़ेंगे ।

मान्यवर, ये समाजवाद की बहुत बात करते हैं लेकिन वह किस प्रकार होगा समझ में नहीं आता । समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन समाज के नियंत्रण में होता है, उसका वितरण समाज में सब की आवश्यकता के अनुसार होता है । क्या इनके समाजवाद में है नहीं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका जो यह बजट है उसमें समाजवाद का कहीं नामो निशान नहीं है । यह समाजवादी बजट नहीं है । इनके पिछले आकड़ों को देखें 1980-81 में टाटा की कुल पूंजी 1,538.97 करोड़ रुपया था वह 1983-84 में बढ़ कर 2,672 40 करोड़ हो गयी । इसी प्रकार बिड़ला की पूंजी 1980-81 में 1,437 करोड़ थी वह बढ़ कर 1983-84 में 2330 करोड़ हो गयी । आप देख रहे हैं कि पिछले तीन सालों में जो हमारे देश के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जैसे टाटा, बिड़ला और डालमियां आदि उनकी पूंजी दूनी हो गयी और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो गांव में रहने वाले गरीब आदमी हैं, रिक्शा चलाने वाला है या झोपड़ी में रहने वाला है उसकी स्थिति में गिरावट आई है । क्या आपके समाजवादी बजट से गरीबों

की स्थिति में भी इसी तरह से सुधार हुआ है जैसा धनिकों के। श्रीमन्, इसको देखने से आपको निराशा ही होगी। यहां पर जो भाई दर्शक दीर्घा में बैठे हैं जो गावों से आये हैं उनको भी आपकी बातों से निराशा हो रही है। वे कहते हैं कि यहां पर इधर-उधर की ही बातें होती हैं। क्या विधान सभा में इसी प्रकार की बात होती है। क्या इस प्रकार प्रदेश को चलाया जा सकता है।

मेरी दृष्टि में आपका जो बजट है वह किसी भी प्रकार समाजवादी नहीं है। वह गरीबों को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। जब से इस प्रकार का बजट आने लगा है तभी से प्रदेश के विकास में गिरावट आयी है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मेरा बलिया जिला है। आपको याद होगा कि एक बार हमारे संसद सदस्य विश्वनाथ गहमरी थे। उन्होंने पूर्वांचल के पिछड़ेपन की बात संसद में उठाई थी और उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए वह रो पड़े थे। उनके साथ बहुत से संसद सदस्यों ने भी उनकी बात को सुन कर रोना शुरू कर दिया था। थोड़े दिनों बाद डा0 लोहिया संसद में आये पं0 जवाहर लाल जी से उन्होंने उनसे कहा कि आप प्रगति का ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन आपकी प्रगति इसके विपरीत दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक व्यक्ति 3 आने पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इस पर बहस हुई और बताया गया कि 3 आने पर बसर नहीं कर रहे हैं बल्कि वह 6 आने पर बसर कर रहे हैं। क्या आप के समाजवादी बजट की यही देन है? आप गरीबों की भलाई करने की बात करते हैं, उनके समन्वित विकास की बात करते हैं लेकिन टाटा बिड़ला आदि का विकास कर रहे हैं। जब हमारे गहमरी जी ने पूर्वांचल के पिछड़ेपन का प्रश्न उठाया तो उस पर एक पटेल आयोग की स्थापना हुई। पूर्वांचल के विकास के लिए बहुत सी बातें हुई। उसके लिए अनेक निगम बनाये गये लेकिन इसका कोई लाभ यहां के लोगों को नहीं मिला। जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है उससे भी पूर्वांचल के जिले देवरिया, बलिया, गाजीपुर मिर्जापुर आदि को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इन पिछड़े हुए जनपदों में कोई विकास का काम नहीं होने जा रहा है। यहां तक कि जिन पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए स्व0 प्रधान मंत्री जी ने जो योजनायें चलाई थी और उद्घाटन भी किया था उसके लिए भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है। हमारी बलिया नगर पालिका की 175 56 लाख की सीवर योजना बनायी गयी थी लेकिन उसके लिये भी इसमें कुछ प्राविधान नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हालत है बजट में कोई मेडिकल कालेज या टेकनिकल कालेज बनाने की बात नही की गयी है। आज भी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टी नही है, विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है दूसरी तरफ आप कनवेन्ट एजूकेशन की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम इंसेट से पढ़ायेंगे, दूरदर्शन देंगे। मेरी समझ से यह बात ठीक ऐसी ही है जैसे कि फ्रांस में गदर हुआ, वहां के लोग भूखों मर रहे थे तो वहां की रानी ने कहा था कि ये केक क्यों नही खा लेते हैं। जहां पढ़ने के लिये टाट-पट्टी भवन एवं अध्यापक नहीं हैं वहां कहा जा रहा है कि दूरदर्शन से पढ़ायेंगे। यह गरीब लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिये कहा जा रहा है। उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। अतः आप सही बात नहीं कह रहे हैं। इस लिए मैं मांग करता हूं कि यह बजट जो समाजवाद के रूप में धोखा देने के लिये आया है उसकी सदन घोर निंदा करे।

(4 बजकर 15 मिनट)

श्री राम भजन लाल--

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का विरोधी दल बहुत

ही गैर जिम्मेदार हैं। जो तरक्की देश ने किया है जिससे सारा संसार प्रभावित है और जो राजनयिक आते हैं वह हमारे देश की तारीफ करते हैं। हमारी खेती, उद्योग, बिजली, सड़कें, नहरें और बांधों आदि चीजों की तरक्की हो रही है लेकिन विरोधी पक्ष कहता है कि तरक्की नहीं हो रही है। तो इस सम्बन्ध में मैं एक फारसी की शेर सुनना चाहता हूं :

गर न बीनद बरोज शपरा चश्म,

चश्मये आफताब रा चे गुनाह।

यदि चमगादड़ को सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है तो वह उसको बुरी मालूम होती है। तो इसमें सूर्य की क्या गलती है। हमारी चारो तरफ उन्नति हुई है। देश में खेती की ऐसी स्थिति है जिससे हरित क्रान्ति आयी है। जिसका सारा संसार लोहा मानता है। मैं मानता हूं कि पहले जब हम स्वतंत्र हुये थे तो देश की 35 करोड़ आबादी थी और देश में लोग भूख से मरते थे, बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता था लेकिन आज 72 करोड़ की आबादी है तो सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हैं और बाहर को गल्ला भेजने की स्थिति में हैं। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे देश के अंदर न बनाई जाती हो। आंकड़ों की बात देहात का गरीब नहीं समझता है। देहात के लोग समझते हैं कि हमारी सूरत किस प्रकार बदली है। हमारे देश में गेहूं, धान, चना आदि सारी चीजों की पैदावार बढ़ी है इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि विरोधी दल गैर जिम्मेदाराना तौर पर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है लेकिन इन्हें उसकी कोई खूबी नहीं दिखाई देती है। बल्कि यह निपुण हैं हाथी को चूहा और चूहे को हाथी बनाने में, दिन को रात और रात को दिन तक यह बना सकते हैं। इसलिए जिस तरह यह सच्चाई पर परदा डाल रहे हैं वह देश के लिए बहुत ही घातक है। यदि इनको बाहर भेज दिया जाये और जैसा नक्शा यहां पेश कर रहे हैं वैसा नक्शा वहां पेश करेंगे तो बाहर के लोग समझेंगे कि भारत कंगाल हो गया है। अफसोस है कि जब सारा संसार हमारे देश से प्रभावित है तो यह इसको क्यों नहीं मानते हैं। हालांकि यहां बहुत सी कमियां हैं इसको कहने में मैं बुरा नहीं मानता हूं। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं—

जुज आंकस नदानम निकोखाह मन

कि रोशन कुनद बरमन आइबमन।

विरोधी दल को निगाह में हमारा हुनर कांटे की तरह खटकता है। तो इसको हम बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि मैं उस आदमी को अपना हमदर्द समझता हूं जो हमारी कमियों को रोशन करे। लेकिन हम यह चाहते हैं कि वही कमियां वास्तव में कही जायं जो हों, तो अच्छा होगा। हमारी हर तरफ से तरक्की हुई है, परकैपिटा इनकम बढ़ी है, बीमारियां समाप्त हुई हैं, हैजा, चेचक का नामो-निशान नहीं रह गया है।

आप जो कहते हैं कि गरीबी बढ़ी है, तो आप देहात से वाकिफ नहीं हैं, जहां मैं रहता हूं वहां चलकर देखें। वहां देखिए 8 रुपया और 10 रुपया मजदूरी मजदूर लेता है। हमने वह जमाना देखा है जब कि हिन्दुस्तान का गरीब किसान जब अपना बोरियां और डेलवा आदि लेकर घर वापस आता था, तो महाजन उसका गल्ला तौल ले जाता था। उसके घर में गल्ले का एक दाना भी नहीं रहने पाता था और वह भूखों मरने की दशा में पहुंच जाता था। मजबूरी में खाने के लिए वह ककड़ी, महुआ, सांवा, कोदों और कोकनी आदि बोता था। उसका तो आजकल आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। वह तालाबों का पानी पीता था, गन्दे से गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर होता था। जिसके फलस्वरूप मलेरिया जोरों से फैलता था, जिसमें घर-घर लोग और पूरे के पूरे

परिवार के लोग चारपायी पकड़ लेते थे। ताउन चलता था जिसमें गांव के गांव साफ हो जाते हैं, सैकड़ों हजारों लोग एक-एक दिन में मर जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वह सब गम्भीर बीमारियां आज खत्म हो गई हैं और देश के हर आदमी में, गरीब आदमी में बीमारी को सहन करने की ताकत आ गई है। हमारे देश ने जो तरक्की की है 37 सालों में, संसार का कोई दूसरा देश नहीं है, जो इतनी तरक्की कर सका हो।

हमारे यहां डिक्टेटरशिप नहीं थी, बहुत ही लचीला, बहुत ही नम्र जनतन्त्र रहा है, उसके चलते हमने इतना अधिक तरक्की की है और वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। रूस दूसरे तरीके से बढ़ा है, अमेरिका दूसरे तरीके से बढ़ा है और इंग्लैंड व जर्मनी का भी यही हाल रहा है। हमारे देश का जनतन्त्र इतना मजबूत है कि हम उस पर फख्र कर सकते हैं। जब हम आजाद हुए, तो हमारे इर्द-गिर्द के देश आजाद नहीं हुए थे और आजाद होते गये, उनके साथ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाया है। हमने जितनी तरक्की की है, संसार में उसकी कोई मिसाल नहीं है। अंग्रेजों के समय में जहां हम साइकिल भी नहीं बना सकते थे, आज ट्रैक्टर तक और अन्य बड़ी-बड़ी मशीनें बनाते हैं। हमारे देश के अन्दर शक्कर का उत्पादन, गल्ले का उत्पादन, धान और गेहूं का उत्पादन सब बढ़ा है। यही नहीं पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया है और इस वक्त का भारत तरक्की की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे देशों की लाइन में आ गया है जिन पर हमें फख्र है। दुनियां का कोई भी विरोधी दल इस तरह से गैर जिम्मेदार नहीं होता है, जिस तरह से आप लोगों का यहां है। इंग्लैंड में और जर्मनी में भी विरोध पक्ष है, लेकिन वह सही को सही और गलत को गलत कहता है, लेकिन आप बात को इस तरह कहते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि देश दिवालिया हो गया है, देश कंगाल हो गया है। भारत का भविष्य तो उज्ज्वल है। उस समय ढाई साल की आपकी हुकूमत हुई थी, गन्ने की कीमत थी तीन रुपया और वह खेतों में जलाया गया था। आपको हमने अच्छी तरह से आजमा लिया है, देख लिया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक ही पार्टी का बराबर शासन रहे, लेकिन हम विवश हैं। जो भी पार्टियां हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन 38 साल तक अकेले कांग्रेस ही हुकूमत करती रही, लेकिन आप में इतनी योग्यता नहीं है, ऐसे कर्म नहीं हैं कि आप देश में हुकूमत चला सको। ढाई साल के थोड़े शासन में जनता ने जो नमूना देखा, वह बहुत ही मायूस करने वाला, हतोत्साहित करने वाला था। उसके चलते हमने यह समझा है कि अगर हमारी पार्टी न हो तो देश को कोई बचा नहीं सकता है। यह देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा।

*श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, आपने जो बजट पर चर्चा करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय नेता सदन, तिवारी जी बड़े ही सौम्य और सरल स्वभाव के हैं लेकिन उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे उनके हृदय की बातों पर एक रोशनी पड़ती है। इतना भ्रमात्मक और गुमराह करने वाला बजट आज तक कभी भी, किसी भी सरकार ने पेश नहीं किया है। मान्यवर, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान दुनिया में तीन देशों को छोड़कर सबसे गरीब देश है उसी तरह से यह दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रदेश भी 3 गरीब प्रदेशों में से एक है। इसका एक कारण यह है कि देश में कांग्रेस पार्टी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार शुरू से रही है जिससे हमारा देश और हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन गरीब होता चला जा रहा है। हकीकत में हमारे कांग्रेसी भाई मानते हैं कि देश की हालत बहुत खराब है। वह पीछे बैठकर यह बात कहते हैं लेकिन यहां पर आकर बजट की तारीफ ही करते हैं। आज आप तरक्की की बात करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि गांव म रहने वाले लोग जिसमें 60 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको ठीक तरह से भोजन नहीं मिलता है। अगर हमारे कांग्रेसी भाई हिम्मत करें तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करके किसी भी गांव में तलाशी ले लें तो उसमें 60 फीसदी परिवार ऐसे मिलेंगे जिनके घर रोटी तो होगी लेकिन दाल नहीं होगी।

आज हालत यह है और आप तारीफ कर रहे हैं बजट की। जब देश के रहने वाले 60 फीसदी लोग जो गांव में रहते हैं उनको ठीक तरह से भोजन नहीं मिलता है तो तरक्की कहे की। लेकिन एक ऐसा आतंक है हमारे कांग्रेस भाइयों पर कि वह मन की बात भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से मथुरा और वृन्दावन में किराये पर कीर्तन करने वाले लोग रहते हैं जिनको रोटी दे दो और कीर्तन करवा लो उसी तरह के हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी राजीव गांधी का कीर्तन करने बैठे हैं। देश से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है केवल राजीव गांधी जी का कीर्तन करेंगे। इनको इस मुल्क की खबर नहीं है। इनको उस मालिक की खबर है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है, पूजा से कोई मतलब नहीं है। जो मालिक भोजन दे रहा है उसका कीर्तन करते हैं, देश से कोई वास्ता नहीं है।

एक सदस्य—

आप किसका कीर्तन करते हैं।

श्री बाबू राम यादव—

मैं तो जनता की सही बात आपके सामने कहना चाहता हूं। जिस हिन्दुस्तान के 60 फीसदी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है और उसके बावजूद सरकार चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना को, जबकि सरकार के पास भूमिहीनों की सूची ही नहीं है कि कितने भूमिहीन हैं; पिछले 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक हमारे यहां हुई, शिक्षा मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं। मैंने पूछा कि आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बढ़ावा देने आये हैं, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना में जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा करने आये हैं, कितने लोगों को इस योजना में रोजगार दिया गया है उसकी जानकारी करने आये हैं तो मुझे बतायें कि आपके पास भूमिहीनों की सूची है या नहीं। मेरी इस बात पर सारे के सारे अफसर मौन थे, मंत्री जी मौन थे।

श्रीमन्, जब इनके पास इन व्यक्तियों की सूची ही नहीं है तो उनको रोजगार देने की आप गारन्टी कैसे दे सकते हैं। इस तरह से मखौल बनाया जा रहा है, इन योजनाओं का पैसा बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेतागण अपनी सुख-सुविधा के लिए लूट रहे हैं। गरीब भूखा-नंगा आज भी भूखा ही पड़ा है। इस तरह से यह रोजगार गारंटी योजना का मखौल बनाया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा का भी मखौल बनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में दो तरह के मापदण्ड हैं। एक गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक अमीरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अमीर के बच्चों को पढ़ाने के लिये, जिसे पब्लिक स्कूल कहते हैं, उन्हें सारी सुविधायें दी जा रही हैं, अच्छे फर्नीचर्स हैं, अच्छी लाइब्रेरी हैं, अच्छे अध्यापक हैं, दूसरी तरफ किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, हमसे पहली बार हमारे कांग्रेस दस्य चर्चा कर रहे थे कि कहीं विद्यालय हैं, तो

भवन नहीं हैं और कहीं-कहीं पर अध्यापक भी नहीं हैं ।

मान्यवर, विद्यालय का भवन नहीं है अध्यापक भी नहीं हैं, तो फिर विद्यालय काहे का ? हमारे क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं, जिसमें 300 छात्र हैं और एक अध्यापक हैं अगर एक मिनट भी एक अध्यापक एक लड़के को टाइम देना चाहे, तो भी नहीं दे सकता । पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का और एक गांव का पढ़ा हुआ लड़का एक ही कम्पटीशन में बैठाये जाते हैं । कितना अन्याय है, हमारे गांव के लड़के न कभी कलेक्टर हो सकते हैं और न एस० पी० हो सकते हैं और जब प्रशासनिक कुर्सियों पर हमारे लोग नहीं बैठेंगे, तो गांव के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा । दुर्भाग्य है देश का कि देश को आजाद हुए 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी केवल 27 फीसदी लोग साक्षर हो पाये हैं 73 फीसदी लोग आज भी बेपढ़े हैं । इसके अलावा मैं चर्चा करना चाहता हूं अनौपचारिक शिक्षा की । हमारे जो शिक्षा मन्त्री जी हैं, उन्होंने डी० आई० ओ० एस० से पूछा कि कितने केन्द्र आपके जिले में चल रहे हैं ? मैंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई केन्द्र नहीं चल रहे हैं ।

आज मैं चैलेंज देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वीकार करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अन्दर एक भी अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र नहीं चल रहा है, सब कागजों पर खाली लिखा पढ़ी है, कैसे सुधरेगी शिक्षा की दिशा ? एक तरफ तो सब्जेक्ट पढ़ाये जा रहे हैं, दूसरी तरफ अध्यापक दिये नहीं जा रहे हैं । पिछले वर्ष हाई स्कूल की कक्षाओं में सामान्य विज्ञान आवश्यक कर दिया गया कम्पलसरी कर दिया गया लेकिन आज तक पूरे प्रदेश में कोई अध्यापक नहीं दिये गये । कौन पढ़ायेगा सामान्य विज्ञान को ? इस तरह से मखौल बनाया जा रहा है शिक्षा का । इस तरह से मखौल बनाया जा रहा है योजनाओं का और बड़े-बड़े लीडर एवं अधिकारी अपनी जेब में भरते चले जा रहे हैं । गांव के लोग बेरोजगार हो गये हैं भूखों मरने के कगार पर हैं । कृषि इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है । कृषि जो मुख्य पेशा हमारा है इसका मखौल बनाकर बरबाद किया जा रहा है । हमारे कृषि मन्त्री किसान के बेटे हैं लेकिन वह चूंकि कांग्रेस में बैठे हुये हैं इसलिए वह किसान की बात नहीं कर सकते । राजीव जी की कीर्तन मंडली में ये भी मर्ती हो गये हैं । जब हमारी तरफ थे, तो मान्यवर, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे । खेती पर काम आने वाली चीजें जो किसानों के काम में आती हैं, प्रत्येक दिन महंगी होती चली जा रही हैं ।

आज हम मांग करते हैं कि धान गेहूं, आलू आदि के दाम बढ़ाओ, तो कहते हैं कि आम व्यक्ति को अनाज नहीं मिल पायेगा । किसान को बिजली सस्ती मिले, किसान को पानी, बीज सस्ता मिले, खाद सस्ती मिले, किसान के ट्रैक्टर सस्ते हों, किसानों के काम में आने वाली जो भी चीजे हों सस्ती मिले, तो खाद्यान्न के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं, किसान सुखी हो जायेगा । सिंचाई का हाल यह है कि सारे प्रदेश में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं । प्रतिदिन ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन मान्यवर, परसों आगरा में जो मीटिंग हुई थी उसके तहत और भी जानकारी मिली । आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी ट्यूबवेल काम में नहीं लाए जा रहे हैं । क्योंकि वह खराब पड़े हुए हैं । मान्यवर, मेरी एक इंजीनियर साहब से बात हुई थी मैंने उनसे पूछा था कि प्रदेश में सरकारी ट्यूबवेल आठ दिन में क्यों खराब हो जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से आदेश है कि जितने डुप्लीकेट सामान हैं वह खरीदो । मान्यवर, तो जिस बेयरिंग पर दो सौ रुपये का खर्चा आता है वह आठ सौ रुपये में लगाई गई है चौगुने रुपये लगे हैं, लेकिन ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं । इतने घटिया किस्म के सामान लगाए गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामनरेश शुक्ल--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट पर बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन जब देखा कि गंगा के प्रदूषण, गंगा की जो गन्दगी है उसको दूर करने का प्राविधान इसमें है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन तभी करूंगा जब बजट की तारीफ करूंगा । गंगा हमारी आदिकाल से पवित्र और पुनीत नदी है । इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि वाराणसी, हरिद्वार ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर शुद्धिकरण आरम्भ होगा यही नहीं जमुना का भी प्रदूषण दूर करने की व्यवस्था की जा रही है । गंगा का प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया था कि उसको दूर करने की आवश्यकता थी ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

हां जमुना का भी प्रदूषण दूर किया जायगा, यह इंगित किया गया है । जहां यह इस बजट का संबन्ध है अगर विपक्ष इससे निराश हुआ है तो इस साल के बजट से निराश हुआ है ।

(विपक्षी सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

बजट विपक्षी सदस्यों की समझ में नहीं आया । विपक्ष ने सोचा था कि जब बजट आएगा तो खूब गाली देने का मौका मिलेगा ।

(व्यवधान)

जब उन्हें बजट में कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिसके लिए वह हल्ला मचाते कोई कमी नहीं दिखाई दी तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा बजट सचमुच नहीं पेश हुआ, जिसको आप समझ नहीं पाए । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर प्रतिक्रिया जो विपक्ष की तरफ से प्रकट की गई वह कहीं एक बजे कहीं दो बजे व्यक्त कर दी गई थी । जबकि बजट पांच बजे पेश हुआ था, लेकिन अखबारों में अगले दिन ही प्रतिक्रिया आ गई थी । मान्यवर, तो पहले से ही अन्दाजा लगा लिया गया था कि यह-- यह कमी होगी । ऐसा करना सही बात नहीं है । जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, तो इसमें स्कूलों की संख्या को बढ़ाने, बालिकाओं के स्कूलों की संख्या को बढ़ाने, यही नहीं आप देखेंगे योजनाबद्ध तरीके से गरीबी दूर करने की बात कही गई है ।

मैं आपको बताऊ अगर अर्थशास्त्रियों की राय को लेकर चलिए तो उनका यह कहना होता है कि आप दस मील तक किसी सवारी से चले जाएं और सड़कों पर, रास्तों पर देखें कि लोग किस तरह से जा रहे हैं । लेकिन जितने पैदल जा रहे हैं । हमको मालूम है जिन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने आजादी के पहले की गरीबी को देखा है । किस तरह से लोग रहते थे । 40-50 मील से लोग पैदल आते थे, बदन पर कपड़ा नहीं होता था । 10 मील चले जाइये 100 में से 90 के बदन पर कपड़ा नहीं रहता था । 100 में 90 पैदल जाते थे । आज 10 मील चले जाइये एक भी आदमी पैदल नहीं मिलेगा । अगर उनके कपड़ों को देखा जाय तो उनके बदन पर वह चीथड़े नहीं हैं जो हुआ करते थे । इसके अतिरिक्त मित्रसेन यादव ने कहा कि जब तक उत्पादन व्यक्ति और समाज में तय नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है । व्यक्ति और समाज के झगड़े में कि किसके पास उत्पादन रहे आपने दुनिया को उस जगह पहुंचा दिया कि कब उड़ जायेगा निश्चित नहीं । भारत व्यक्ति और समाज के झगड़े में नहीं पड़ता । भारत चाहता है कि उत्पादन हो और शान्ति तथा आराम से लोग जिन्दगी बसर कर सकें ।

मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने प्रोत्साहन का प्रोवीजन बहुत किया है नसबन्दी में, परिवार कल्याण कार्यक्रम में। लेकिन जब तक प्यूनिटिव नहीं होगा कि दो बच्चे से जो ज्यादा पैदा करेंगे उनकी तनख्वाह कम हो जायेगी या लगान बढ़ जायेगा तब तक इस पर रोक नहीं हो सकती है और आबादी बढ़ती चली जायेगी। इसलिये इस पर कुछ ट्युटिव होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि क्या हो लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिये। ताकि आबादी की समस्या को रोका जा सके। एक बात और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र को सई नदी दो भागों में बांटती है। सई नदी के ऊपर पूरबगांव में पुल बनना चाहिये जब तक यह पुल नहीं बनेगा दोनों ब्लाक जुड़ नहीं सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी कन्या पाठशाला हाई स्कूल तक नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 कन्या पाठशाला एक गढ़वारा में और एक सगरा में होना चाहिये। दूसरी चीज हमारे यहां नहर की बहुत समस्या है। हमारे यहां नहर में सीपेज इतना अधिक हो रहा है कि उससे खेती बरबाद होती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि यह समस्या इलाहाबाद में भी होगी। प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में सीपेज के कारण खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये इसकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिये जब तक सीपेज का समाधान नहीं होता खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का प्रस्ताव जो माननीय मुलायम सिंह की तरफ के आया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसे वापस ले लें :

श्री घनराज यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यह बजट किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है। यह बजट मात्र एक सड़क पर जिस तरह से अनियमित कोई सवारी जा रही हो उसी तरह से यह मान्यवर, नारायन दत्त तिवारी जी की सवारी जा रही है बिना ड्राइवर के। मान्यवर, किसानों की बात मैंने पढ़ी है और अच्छी तरह से पढ़ी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों की बात की गयी है लेकिन पूरे बजट में किसानों को उचित मूल्य दिलाने का कोई जिक्र नहीं है। अभी उत्पादन की बड़ी प्रशंसा की गयी है कि उत्पादन बढ़ा है, इसमें किसानों का हाथ तो है लेकिन क्या यह सरकार किसानों को मुनासिब मूल्य दिलवा पायी है। 157 रुपये की घोषणा की है लेकिन शायद ही कोई ऐसा खरीद केन्द्र रहा हो जिसमें 5 रुपये, 7 रुपये और 10 रुपये प्रति कुन्तल तक रिश्वत न ली गयी है। हम लोग दौड़ते रहे अखबार छपते रहे, शिकायतें होती रहीं लेकिन यह सरकार जिसका प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है, अत्याचार रोकने में असमर्थ रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं शासक दल से कि आपके उत्तर प्रदेश में दाम है 157 रुपये लेकिन 150 रुपये भी दाम नहीं मिल पाये। आपके यहां की अपेक्षा मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम काफी ऊंचे हैं, आपके बिहार में 200 रुपये से ऊपर के दाम हैं क्या सत्तारूढ़ दल की समझ में यह बात आई कि यह केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करें कि अनाज पर लगे क्षेत्रीय नियन्त्रण को हटा दें।

(शोर)

अगर सरकार किसानों के लिए ऐसा करती तो यहां के किसानों को मुनासिब दाम मिलता और उधर बैठे हुए लोगों

को बिना मेहनत किये प्रशंसा मिलती। इतना छोटा सा काम नहीं किया है और न बजट में उल्लेख है। इसी तरह से कुछ नहर प्रणालो का जिक्र है। सरजू नहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोन्डा, बस्ती, बहराइच और गोरखपुर को सींचने वाली नहर है। उसको पैसा नहीं दिया जाता है। उतना पैसा दिया जाता है जितनी खोदाई होती है उतना बरसात की वजह से उसकी पटाई होती है। इस नहर को पैसा इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वह जनता रिजीम में स्वीकृत हुई थी। मान्यवर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ का उल्लेख मात्र इसके प्राइमरी स्कूलों में टी0 वी0 से पढ़ाने का है। मान्यवर, यह भी लिखा गया होता कि जितने स्कूलों में टी0 वी0 लगाये जायेंगे उसमें बच्चों के बैठने को व्यवस्था भी की जायगी। विद्यालय भवन बनाये जायेंगे एक देहाती कहावत है "पीठ पर लत्ता पान खाय अलबत्ता" जगह तो है नहीं बैठने के लिए और लगायेंगे टी0 वी0।

इसी तरह के प्वाइन्ट वाइज सुन लीजिए एक जिला पुनर्गठन समिति बनी हुई है। 4-6 जिलों को विभाजित करने के लिए जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या हुआ? बस्ती जिले की जो 28 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, वह भी पुनर्गठन को पंक्ति में है। उस पर विचार हुआ है लेकिन इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। बस्ती जिले को अलग-अलग दो भागों में विभाजित किया जायेगा जिससे उत्तर प्रदेश का शासन का नियंत्रण जिले पर ठोक से रह सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय अनौपचारिक शिक्षा की बात है। अनौपचारिक शिक्षा पर करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है गरीबों की गाढ़ी कमाई का। यह अनौपचारिक शिक्षा सोलहों आना बोगस है और उसमें एक भी आदमी नहीं पढ़ पा रहा है। उसमें अफसर रिश्वत ले रहे हैं और उनके ही आदमी उसमें तनख्वाह पा रहे हैं। न लालटेन जलती है और न तेल ही आता है, सारा पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है। एक भी आदमी अनौपचारिक शिक्षा से पढ़ नहीं पा रहा है। एन0 आर0 ई0 पी0 की बात है और भूमि हीन गारंटी योजना की बात है।

मान्यवर, वह एन0 आर0 ई0 पी0 योजना नहीं अफसर योजना है। वह ठेकेदारी योजना है। आपकी सरकार एक भी सड़क ठेकेदारों के बिना नहीं बनवा सकती है। आप एन0 आर0 ई0 पी0 का ड्रामा खत्म कीजिए। सीधे ठेकेदारी कर दीजिए, तो कुछ हो पायेगा। उसमें इस समय तो न ठेकेदार की जिम्मेदारी है और न अफसर की। आपके कर्मचारियों में इतना बल नहीं है कि खुद सड़क बनवा सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज न तो कांग्रेस की हुकूमत है और न मुख्य मन्त्री या किसी अन्य मन्त्री की। चारों ओर अफसरशाही और पुलिस का राज है। औसान सिंह जो, विधायक इसके उदाहरण हैं जब पुलिस विधायकों को नहीं छोड़ती तो आम जनता को क्या छोड़ेगी। इसी पुलिस ने आपकी प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी।

मान्यवर, इसी तरह से समाज कल्याण की बात है। आज जो भी सुविधायें यहां से दी जाती हैं अपंगों को, अंधों को या अन्य कमजोर लोगों को, इन लोगों को, कोई भी सुविधा नहीं मिलती। मान्यवर, इस बजट की मैं घोर निंदा करता हूं। आपका स्वास्थ्य विभाग है, इसमें ट्रान्सफर होते हैं और फिर रुक जाते हैं। मेरे क्षेत्र के विकास खन्ड बर्डपुर में स्वास्थ्य के डाक्टर गुप्ता जी हैं। इनका ट्रान्सफर होता है और रुक जाता है पुनः ट्रान्सफर हुआ है मन्त्री जी से निवेदन है कि फिर न रोक दीजियेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद देता हूं।

श्री किशोरी लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं इस बात के लिए कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जो ने जो बजट पेश किया वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है और उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। विपक्ष के लोग भले ही उसकी आलोचना करें, लेकिन यह उनका कर्तव्य है। वे अपने कर्तव्य का पालन करें, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं पर्वतीय अंचल का रहने वाला हूं। जनपद देहरादून उस पर्वतीय अंचल के जिलों में शामिल है। उस दूरदराज पर्वतीय अंचल के निर्धन गरीबों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गयी है अपने बजट के माध्यम से। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सड़कों की ओर भी विशेष ध्यान दिया है। यह तय किया गया है कि अब 1500 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा और उसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। लेकिन, उसकी तरफ हमारे विपक्षी दल का ध्यान नहीं जा रहा है।

मान्यवर, देहरादून जनपद का 1/16 हिस्से में नहरें, नालियां, नदियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इनके लिये सरकार को एक वृहद योजना बनानी चाहिये। जिससे हजारों एकड़ जमीन जो हर वर्ष बांढ़ आदि की चपेट में आ जाती है, उसको तटबन्ध आदि बनाकर रोका जा सके। तटबन्ध बन जाने से हजारों हेक्टेयर जमीन बचायी जा सकती है। पास की बची हुई भूमि पर पेड़ आदि लगाकर उसे और अच्छा किया जा सकता है। भूमि के बचाव से, अधिक उपज के कारण भविष्य में आमदनी की सुविधा भी बढ़ सकेगी।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ-साथ हमारे युवा प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी का आभारी हूं जो उन्होंने हमारे यहां प्रदूषण को रोकने के लिये लक्ष्मण झूले से हरिद्वार तक 1.20 करोड़ रु0 का धन स्वीकार किया है और एक बड़ी अच्छी परम्परा कायम की है। जिसमें भारत के कोने-कोने से आये हुए नागरिक प्रदूषण रोकने के लिये वहां किये गये उपायों को भी देख सकेंगे।

मान्यवर, देहरादून जनपद प्रदेश में सबसे अच्छा पढ़े लिखे जनपदों में माना जाता है और जिसका स्थान प्रदेश में अग्रणी है। लेकिन, पूरे जनपद में कोई एग्रीकल्चर का विषय किसी भी इंटर कालेज में नहीं है। निकट भविष्य में एग्रीकल्चर फारेस्ट्री गढ़वाल में शुरू होने वाली है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों को भी तभी यह सुविधा मिल सकेगी जब वहां के स्कूलों में एग्रीकल्चर का विषय चालू किया जाय। मुझे आशा है कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री सुखपाल पाण्ड, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री गया प्रसाद वर्मा की श्री महबूब बख्श, सामाजिक कार्यकर्ता, आगरा की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या-विषयक सूचना को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। शेष को अस्वीकार किया है।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
16 जुलाई, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)।

प्रार्थी सुरजन सिंह मनचन्दा पुत्र सरदार सुरदल सिंह, गोविन्दगंज, थाना सदरब, जिला शाहजहांपुर का पत्र, दिनांक 13-2-1985 की प्रतिलिपि जो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को सम्बोधित है।

विषय :--"दहेज के कारण हत्या"।

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री सुरेन्द्र कौर की शादी आगरा निवासी राजेन्द्र पाल सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी मकान नं0 7/105, छीपी टोला, थाना रकाबगंज, आगरा के साथ दिनांक 5-2-1985 को की थी, शादी शाहजहां-पुर से हुई थी और शादी के बाद डोली उसी दिन यहां से दोपहर में करीब 1.30 बजे रवाना हुई थी सुरेन्द्र कौर यहां से आगरा अपने पति व अन्य परिवार वालों के साथ गई थी।

दिनांक 8-2-1985 के शाम के करीब 4.30 बजे प्रार्थी को टेलीफोन से सूचना आगरा से मिली कि सुरेन्द्र कौर का एक्सीडेंट हो गया है प्रार्थी घबरा गया और उसी समय अपने पुत्र सोहन सिंह व पत्नी के साथ आगरा के लिए रवाना हो गया और आगरा दिनांक 9-2-1985 को प्रातःकाल पहुंचा और सोहन सिंह के घर पर जाकर मिला तो सुरेन्द्र कौर का शव पड़ा मिला उन्होंने बताया कि कल दोपहर को गुरुद्वारा, गुरू का ताल, आगरा से राजेन्द्र पाल सिंह व सुरेन्द्र कौर को लेकर गया था और वहां कुएं में गिर जाने से मर गयी है और वहां से लाश हम लोग घर पर ले आये डाक्टर को भी दिखाया था उसने कहा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और आपको इस कारण सूचना दी गई। प्रार्थी ने शव को देखा तो मालूम यह होता था कि उसकी हत्या की गई है और जिस्म भी नीला था। मुंह से खून आ रहा था और नाक में रुई दी हुई थी। प्रार्थी को विश्वास है कि उसको दहेज न मिलने के कारण उसकी हत्या इस प्रकार की गई है वह आत्म हत्या करने वाली लड़की नहीं थी वह एम0 ए0, बी0 एड0 पास थी। यहां पर शादी के बाद उसके घर वालों ने दहेज में फ्रिज की भी मांग की थी जिसके लिए प्रार्थी ने मना कर दिया था। जिस कारण वह नाराज भी हो गये थे। हलांकि प्रार्थी ने अपनी हैसियत से अधिक दहेज शादी में दिया था।

दिनांक 9-2-1985 को राजेन्द्र पाल सिंह की घरवाली व रिश्तेदार अमरजीत सिंह व उसका भाई जो कि एल0 आई0 सी0 में किसी अच्छे पद पर हैं जो कि राजेन्द्र पाल सिंह के मकान के पास ही रहते हैं तथा इन्हीं के द्वारा रिश्ता शादी का तय किया गया था प्रार्थी को घेर रखा और थाने रिपोर्ट को नहीं जाने दिया, धमकी भी दी और शव का दाह संस्कार भी जल्दी-जल्दी में कर दिया और प्रार्थी को जबरदस्ती शाहजहांपुर भेज दिया। प्रार्थी फिर दोबारा आगरा 11-2-85 को गया और इस घटना के बारे में गुरुद्वारा, गुरु का ताल, आगरा में गया और अधिक जानकारी ली तथा उस कुएं पर भी गया जिसमें सुरेन्द्र कौर का गिरना बताया गया तथा शव निकाला गया। यह कुआं गुरुद्वारा की बिल्डिंग से करीब एक फर्लांग की दूरी पर है तथा रास्ता भी ठीक नहीं है व निर्जन स्थान पर है यह भी मालूम हुआ कि राजेन्द्र पाल सिंह अपने परिवार के साथ घटना से एक दिन पहले भी इस गुरुबारे के दर्शन के लिए आये थे और दूसरे दिन दुबारा राजेन्द्र पाल सिंह अपने पत्नी सुरेन्द्र कौर को अकेले में इस निर्जन स्थान पर ले जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहां पर यह भी मालूम हुआ कि लड़की की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इन सब कारणों से प्रार्थी को पूरा यकीन हो गया कि उसकी हत्या की गई है। प्रार्थी के वहां जाने की सूचना राजेन्द्र पाल सिंह व उसके परिवार वालों को मिल गई थी और फिर प्रार्थी को धमकी दी तथा रिपोर्ट नहीं लिखाने दी। प्रार्थी बहुत

परेशान व घबराया हुआ था और वापिस शाहजहांपुर आने पर विवश हो गया इस कारण प्रार्थी आगरा में रिपोर्ट न लिखा सका। प्रार्थी फिर शाहजहांपुर वापिस दिनांक 12-2-85 को पहुंचा तथा यह प्रार्थना-पत्र भेज रहा है।

आगरे में जाने पर वह घटना के स्थान को देखकर व शव आदि को देखकर प्रार्थी को पूरा यकीन हो गया है कि सुरेन्द्र कौर की दहेज के कारण जानबूझ कर कुएं में गिरा कर हत्या की गई है। और प्रार्थी को रिपोर्ट भी नहीं करने दी प्रार्थी के लिए आगरा एक नया स्थान था।

अतः प्रार्थना है कि इस घटना की सही जांच की जावे तथा रिपोर्ट लिखकर राजेन्द्र पाल सिंह व उसके परिवार वालों के विरुद्ध बाद जांच कानूनी कार्यवाही की जावे।

विद्यार्थी परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

वित्तीय वर्ष 1985-86 में पेयजल से लाभान्वित किये जाने वाले सम्भावित ग्रामों का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	सुगारखाल	27	बेनली
2	तिमली	28	नबद रियातल्ला
3	सेंधार	29	मड़ो गांव
4	कुंजोली	30	डडोली तल्ली
5	सैर गांव	31	धारकोट
6	काफरोड़ा	32	सेराकांडई
7	कोलिन्दा मल्ला	33	ओदयांव
8	गुरफली	34	गिवांली
9	भरारी घाट	35	मवान मल्ला
10	करकोट	36	मेहर गांव तल्ल।
11	पसोली	37	कोला
12	बुंगीधार तल्ला	38	कुंज
13	बुंगीधार मल्ला	39	भुकन्डी
14	सुगरिया बड़ा	40	आमकाटल
15	ग्वीन तल्ला	41	नली खेत
16	कढ़ोला	42	गरकोट
17	डुंगी तल्ली	43	मूनी पुंआरी
18	डुंगी मल्ली	44	मूनी सकरी
19	कठूड़	45	मूनी अकरी
20	बुनारीति	46	भेंठगांव
21	कोट कांडई	47	धुनो मनोहर
22	वारिथ बड़ेथ	48	कम्बाल
23	सुनार गांव	49	बहली
24	धारी गांव	50	स्यालिगा
25	रोरबड़ा	51	कटल
26	सौटी	52	टडली

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
53	चन्द्रापाला
54	झतरो
55	कांडावल्ला
56	घोटा तल्ला
57	बमोली
58	दाबड़
59	एरालो
60	तूनां
61	सिलारी
62	बागी
63	दाल
64	किमार
65	भुनेथा
66	गुरेथा
67	नैलग्गा कांडई
68	पोखरी
69	मैन्डानी
70	बल्सा मल्ला
71	बिरमुखी खोली
72	बंगार
73	सिखाना
74	किमगांव
75	बऐला मल्ला
76	धुतिन्डा पल्ला
77	चरपानी
78	आमखोली
79	खसोली पल्ली
80	डुंगो तल्ली
81	डुंगो मल्ली
82	नाले पल्ली
83	अटाली
84	डोन रियालसार
85	बसोली मल्ली
86	दुमलोट
87	पुन्डेथ
88	व्यासी तल्ली
89	धनचौरा
90	पुन्डोरी
91	उत्तरासू
92	ग्व ड़
93	कोठी गू ंठ
94	धारी गू ंठ
95	पोखरी
96	जखणी
97	चिर्थू
98	पिपलकोटी
99	बैंजवान गांव
100	उरमोला
101	गोदी
102	देवार
103	भवन
104	गैंड
105	जवाड़ा
106	गखड़ा मल्ला
107	मखड़ा तल्ला
108	छतूड़ा
109	नौगठंव
110	जगसारी
111	नौवगांव बालखू
112	सैनार
113	पिनपैनी
114	तुन्डेड़

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
115	भलाऊं	146	पणियां वल्ला
116	नाव्	147	बनाखिल
117	रिगवाड़गांव	148	भुणका पल्ला
118	मरगांव	149	कठैत गांव
119	कोला	150	देवल
120	जयकड़ी	151	आंखसैरा
121	गरोड़ा	152	जैण्टा
122	उखलेट	153	डुंगीपंथ
123	क्यार्द तल्ला	154	गजेलीसेरा
124	क्यारी	155	डुंगरा
125	जयकोला	156	गोसियाल
126	भिमोलालग्गानाप	157	चौखाल
127	जखोलू	158	सनखोली
128	जनसारी	159	सेम
129	मुंडी माफ	160	धरी गांव
130	मल्ली	161	हरकन्डो
131	रैंदूल	162	सुमाड़ी
132	भैंसरों	163	कोला
133	रछुलो	164	चौड़मल्ला
134	सुराड़ो	165	चौड़तल्ला
135	थपलियाल गांव	166	बड़ा जगुड़
136	डोका	167	झगरवां
137	घोल्डी	168	ऋषि
138	खन्डी गांव	169	बालियों
139	भंडारो गांव	170	छानियूं
140	नौगांवलग्गाबाड़ा	171	मरोड़ा
141	बाड़ा	172	खालखेत
142	मटगांव	173	माई
143	जसकोट	174	स्यालंगो
144	सिन्डी	175	ओडागाड़
145	पणिया पल्ला	176	बजवाड़

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर।)

श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये द्वितीय सत्र 1985 के पहले मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के सम्बन्ध में संस्थावार संकलित प्रवेश विवरण :--

क्रमांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	वर्ष 1984 में वास्तविक प्रवेश		दिनांक 1 जनवरी, 1985 को छात्रों की संख्या	
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय पालीटेकनिक, काशीपुर (नैनीताल)	1--केमि0 इंजी0	15	14	10	11	10
		2--कृषि अभि0	15	14	11	7	11
		3--यांत्रिक अभि0	30	32	25	26	27
		4--सिविल अभि0	45	48	21	52	22
			105	108	67	96	70
2	राजकीय पालीटेकनिक, गोचर (चमोली)	1--सिविल अभि0	45	46	47	53	45
		2--इलेक्ट्रानिक्स	15	09	08	08	07
		3--फार्मेसी डिप्लोमा	40	36	..	36	..
			100	91	55	97	52

3 राजकीय पालीटेकनिक, उत्तर काशी	1—सिविल अभि0	45	51	42	45	32
	2—फार्मेसी	40	37	27	36	27
	3—विद्युत्	30	10	07	10	06
	4—स्टेनोग्राफी	30	32	14	24	14
		145	130	90	115	79
4 राजकीय पालीटेकनिक, द्वाराहाट, (अल्मोड़ा)	1—सिविल	30	31	27	31	30
	2—फार्मेसी	40	40	09	39	39
	3—स्टेनोग्राफी	30	27	24	23	25
		100	98	60	93	94
5 राजकीय पालीटेकनिक, लोहा घाट (पिथौरगढ़)	1—सिविल	45	43	30	42	30
	2—विद्युत्	30	22	..	14	..
	3—स्टेनोग्राफी	30	32	27	32	27
		105	97	57	88	57
6 राजकीय पालीटेकनिक, नरेन्द्र नगर (टेहरी गढ़वाल)	1—विद्युत्	30	23	20	15	19
	2—इलेक्ट्रानिक्स	30	26	21	26	20
		60	49	41	41	39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।)

	रु0
1--परिक्रमा राधा कुंड मार्ग में विद्युतीकरण व्यय	1,39,000·00
2--परिक्रमा मार्ग में सड़क निर्माण पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा	3,60,342·47
3--बैरियरों की व्यवस्था पर व्यय	24,000·00
4--यात्रियों की सुविधा सुरक्षा मेलों पर हुए व्यय	1,31,752·00
5--सफाई मजदूरों के वेतन पर व्यय	36,670·12
6--विद्युत् बिलों का भुगतान व्यय	78,596·01
7--टाउन एरिया गोवर्धन के कर्मचारियों का वेतन व्यय	2,75,000·00
8--ठेकेदारों पर बकाया रकम की नालिस कोर्ट फीस	22,646·05
9--यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं मेलों पर व्यवस्था व्यय	1,78,424·46
10--सोडियम लाइट परिक्रमा मार्ग एवं नगर में ट्यूब लाइट क्रय आदि	38,806·70
11--पेशाब घर निर्माण यात्रियों की सुविधा को	17,071·52
12--यात्रियों हेतु पाखाना निर्माण	80,000·00
13--सड़क व खड़ंजा निर्माण यात्री मार्ग	22,284·00
14--विद्युतीकरण परिक्रमा मार्ग जतीपुरा व्यय	1,66,592·00
15--स्टैन्ड पोस्ट परिक्रमा राधा कुंड मार्ग	18,000·00
16--विज्ञापन व्यय	4,879·60
17--विविध व्यय	1,363·00
योग . .	15,95,427·93

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

दि मथुरा डिस्ट्रिक्ट रायफल एसोसियेशन, मथुरा द्वारा आयुध लाइसेंसधारियों से वसूल किये गये शुल्क का वर्षवार विवरण :—

वर्ष	प्राप्त शुल्क
1	2
	रु0
10 दिसम्बर, 1956 से 31 मार्च, 1957 तक	4,645·00
1957–58	1,775·00
1958–59	4,275·00
1959–60	4,695·00
1960–61	922·75
1961–62	1,219·54
1962–63	13,188·39
1963–64	6,830·00
1964–65	2,561·61
1965–66	4,406·60
1966–67	8,207·00
1967–68	4,799·85
1968–69	2,084·35
1969–70	09 33·50
1970–71	2,240·85
1971–72	415·30
1972–73	6,479·50
1973–74	4,470·00
1974–75	1,685·00
1975–76	3,329·00
1976–77	4,940·09
1977–78	2,765·00

1	2
	रु0
1978–79	21,440·00
1979–80	15,060·00
1980–81	6,805·00
1981–82	5,970·00
1982–83	4,890·00
1983–84	9,180·00
1984–85	10,220·00
योग ..	1,68,533·24

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर।)

मोती झील कालोनी के ईडी–73 से ईडी–97 तक के भवनों के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 1984 तक की वांछित सूचना :—

क्रमांक	आवास संख्या	आवंटी का नाम	आवंटन की तिथि
1	2	3	4
1	ईडी–73	(1) श्री रवि प्रकाश कँशवार	28–6–1980
		(2) श्री एच0 बी0 सिंह	9–11–1981
2	ईडी–74	(1) श्री आर0 एस0 वर्मा	28–6–1980
3	ईडी–75	(1) जूनियर इंजीनियर, मोतीझील कालोनी	30–5–1981
4	ईडी–76	(1) श्री जी0 वी0 सिंह	28–6–1980
		(2) श्री एल0 एन0 त्रिपाठी	22–10–1983
5	ईडी–77	(1) एच0 एल0 दोहरे	28–6–1980
6	ईडी–78	(1) श्री महेन्द्र सिंह	11–3–1981
7	ईडी–79	(1) श्री आर0 सी0 सिन्हा	28–6–1980
8	ईडी–80	(1) आर0 ए0 खान	28–6–1980
9	ईडी–81	(1) श्री ए0 सी0 श्रीवास्तव	28–6–1980
10	ईडी–82	(1) श्री ए0 खान	24–1–1981
11	ईडी–83	(1) श्री उमेश कुमार	19–8–1980
12	ईडी–84	(1) श्री पी0 सी0 दीक्षित	28–6–1980
13	ईडी–85	(1) श्री एस0 सी0 सक्सेना	21–11–1980
14	ईडी–86	(1) श्री एस0 एच0 श्रीवास्तव	28–6–1980
		(2) श्री बसन्त बैन्जामिन	17–2–1982
15	ईडी–87	(1) श्री नारायण प्रसाद	28–6–1980
16	ईडी–88	(1) श्री के0 के0 तिवारी	28–6–1980
17	ईडी–89	(1) श्री राम कुमार	24–1–1981
18	ईडी–90	(1) श्री डी0 पी0 श्रीवास्तव	28–6–1980

1	2	3	4
19	ईडी–91	(1) श्री एस0 एन0 तिवारी	28–6–1980
		(2) श्री राम सेवक पाण्डे	21–11–1981
20	ईडी–92	(1) श्री सी0 के0 सक्सेना	30–5–1981
		(2) श्री बी0 के0 श्रीवास्तव	13–4–1982
21	ईडी–93	(1) श्री ए0 के0 सिंह	29–7–1980
		(2) श्री दीप चन्द्र	19–5–1982
22	ईडी–94	(1) श्री गोविन्द सिंह	28–6–1980
		(2) श्रीमती कमर फातिमा	2–2–1982
23	ईडी–95	(1) श्री आई0 एस0 माथुर	28–6–1980
24	ईडी–96	(1) श्री राम बली राम	24–1–1981
25	ईडी–97	(1) श्री एच0 के0 एन0 निगम	28–6–1980
		(2) श्री ए0 हुसैन	10–2–1981

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38पर ।)

नकल एफ0 अ:ई0 आर0 नं0 439 मु0 अ0सं0 494 धारा 306 आई0 पी0 सी0, दिनांक 17-9-1984 पी0 एस0 को0 फ0 बाद जनपद-फर्रुखाबाद ।

ता0 घटना व समय—17-9-1984 समय 2 या 2 1/2 बजे करीब ।

ता0 सूचना व समय--17-9-1984 समय 15·30 बजे ।

घटना स्थान--मोहल्ला कोटापार्चा इनका तिकोना फासला 4 फर्लांग पश्चिम ।

वादी -श्री चन्द्र प्रकाश द्विवेदी पुत्र श्री आनन्द बिहारी लाल सा0 मु0 नुनहाई पी0 एस0 को0 फर्रुखाबाद ।

प्रतिवादी--सुशील कुमार दीक्षित पुत्र श्री बिशम्भर नाथ नि0 मो0 कोटापार्चा पी0 एस0 को0, फर्रुखाबाद ।

विवेचक--एस0 आई0, श्री श्याम सुन्दर सिंह, पी0 एस0 कोतवाली, फर्रुखाबाद ।

नकल तहरीर वादी

सेवा में श्रीमान् इन्सपेक्टर साहब थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, निवेदन है कि मैं मोहल्ला नुनहाई में मकान नं0 4/107, म रहता हूं एवं मैं जल-कल विभाग में कार्यरत हूं मैंने अपनी पुत्री रीता आयु लगभग 18 वर्ष की शादी लगभग 29-5-1983 को सुशील कुमार दीक्षित पुत्र श्री विशम्भर नाथ दीक्षित, निवासी कोटापार्चा को दस्त दस्तूर परम्पराओं के अनुसार की, जिसमें मेरी लगभग 4,0000 रु0 व्यय किया था । शादी के विषय के अतिरिक्त मेरे पिता श्री आनन्द बिहारी द्विवेदी ने एक प्लाट का वसीयतनामा मेरी पुत्री के नाम कर दिया था । परन्तु इतना करने के बावजूद भी श्री सुशील कुमार मेरा दामाद सन्तुष्ट नहीं था। और मेरे पिता मेरी पत्नी राजवती तथा मुझसे प्लाट बनाने के लिए मुझसे पैसा मांगता था और करीब एक माह पूर्व सौ रुपये खर्चे के लिए मेरी पत्नी राजरानी से मांगे थे । जब उसने नहीं दिये तो वह नाराज हो गया और मेरी पुत्री को घर से लिवा ले गया और कहा कि मैं इस घर में कभी भी पानी तक न पियेंगे । इसी बात को लेकर सुशील राय दामाद मेरी पुत्री कों तंग किया करता था । मकान के तीन मंजिल पर नीचे से पानी मंगवाया करता था । कहीं घर में किसी से न मिलने देता था । लड़की परसों दिनांक 5-9-1984 को दावत पर मेरे घर पर आई थी और वह स्वयं नही आया था । लड़की ने मुझको एवं मेरी पत्नी को सुशील द्वारा उत्पीड़न किये जाने की बात बतलाई थी और फिर घर से अपनी ससुराल चली आई थी । मेरी पुत्री अपने पति के व्यवहार से दुखी थी । उत्तीड़न से तंग आकर आज दिनांक 17-5-1984 को लगभग 2 या 2 1/2 बजे करीब मेरी पुत्री ने मिट्टी तेल छिड़ककर अपनी आत्म हत्या कर ली एवं ऐसे पति ने बचाया भी नहीं । उसी मकान में रहने वाली पुष्पा देवी, राधा देवी तथा मिथलेश ने किवाड़ खोलकर उसे बचाने की कोशिश की तो वह जलकर मर चुकी थी सूचना पाकर म एवं मेरी स्त्री एवं मेरे पिता मौके पर गये घटना की जानकारी हुई मेरी पुत्री जलकर मर चुकी है । जिसका शव कमरे में पड़ा है । कृपया जांच करने का कष्ट कर एवं मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जावे । प्रार्थी चन्द्र प्रकाश द्विवेदी पुत्र श्री आनन्द बिहारी लाल, 4/107, नुनहाई, फर्रुखाबाद 17-9--1984 थाना-कोतवाली जिला फर्रूखाबाद ।

लेखक--एफ0आई0आर0एच0सी0/100, महावीर प्रसाद, एच0 एम0 ।

सत्य प्रतिलिपि

नोट--बहवाले रपट नं0 2 समय 13·15, दिनांक 4-9-1984 को धारा 306 आई0 पी0 सी0 से धारा 302 आई0पी0सी0 में तरमीम किया गया ।

विवरण

(1) विवाहित नवयुवतियों द्वारा उनके विवाह के प्रथम 10 वर्षों की अवधि में आत्म हत्या के प्रयासों या संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की घटनाओं को पुलिस द्वारा गभीरता पूर्वक देखा जाय तथा तत्परता से कार्यवाही की जाय ।

(2) इस प्रकार की घटनाओं की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा न की जाय।

(3) जिन मामलों में पोस्ट मार्टम किया जाय वह दो चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जाय ।

(4) बिना पोस्टमार्टम कराये शव के अंतिम संस्कार की अनुमति न दी जाय, अन्यथा यदि पोस्टमार्टम न कराया गया हो तो पुलिस द्वारा "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र दिये जाने पर ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाय ।

(5) पुलिस द्वारा उक्त आशय का "कोई आपत्ति नहीं", प्रमाण-पत्र तब तक न दिया जाय जब तक कि मृत महिला के शव को उसके माता-पिता अभिभावकों या घनिष्ठ सम्बन्धियों द्वारा देख न लिया जाय।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर ।)

नकल एफ0 आई0 आर0 नवम्बर 508, अपराध संख्या 539, धारा 394 भा0 द0 वि0, थाना रकाबगंज, आगरा ।

दिनांक व समय घटना	..	18–9–84, समय 7–45 पी0 एम0 ।
दिनांक व समय सूचना	..	18–9–84, समय 23–00 ।
घटना स्थल, दिशा व दूरी	..	इन्डियन आयल डिपो के निकट 2 कि0, मी0 पश्चिम ईदगाह ।
वादी	..	श्री रामनाथ अग्रवाल पुत्र श्री बंगाली मल अग्रवाल, निवासी 34/168, ईदगाह, कुतुलपुर, थाना रकाबगंज आगरा ।
प्रतिवादी गण	..	3–4 व्यक्ति, नाम–पता अज्ञात, सूरत शिनाख्त ।
घटना का विवरण	..	नकल तहरीर हिन्दी वादी, दिनांक 18–9–84 ।

सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना रकाबगंज आगरा,

निवेदन है कि मैं, रामनाथ अग्रवाल पुत्र श्री बंगाली मल अग्रवाल, निवासी 34/168, ईदगाह, कुतुलपुर आगरा आज दिनांक 18–9–84 को सायंकाल 7–45 बजे अपने घर से वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा को जा रहा था तथा साथ मेरे पिता जी भी थे कि इन्डियन आयल डिपो के करीब जब मैं आया तो 3 या 4 आदमी एकदम सामने आये और मेरा स्कूटर पकड़ लिया और मुझसे 6000/–, घड़ी, अंगूठी, साथ में मेरे पिताजी की घड़ी व 5/– छीन लिए और मुझको चार चाकू मारे, जो मेरे शरीर में––एक छाती के पास, एक बांह पर, एक कलाई व एक अंगुली पर लगा है । जब यह लोग लूट–पाट व मुझे मार रहे थे उसी समय राधेश्याम मित्तल, 2/118, नामनेर, आगरा और महावीर सिंह बघेल, 34/165, ईदगाह, कुतुलपुर आ गये और उन्हें देखकर वह भाग गये । मैंने व गवाहों ने बिजली के बल्ब की रोशनी में अच्छी तरह देखा है, जिन्हें सामने आने पर पहचान सकता हूं । अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाय । मैं अपना मेडिकल करा चुका हूं तथा साथ में मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर दी है ।

ह0/एस0 डी0	..	रामनाथ अग्रवाल पुत्र श्री भगवान अग्रवाल, 34/168, ईदगाह, कुतुलपुर, आगरा, दिनांक 18–9–84 ।
नोट	..	मैं का0, क्लर्क कुंवरजी लाल प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर हिन्दी वादी चिक हाजा पर शब्द बशब्द अंकित की गई है ।
लेखक	..	एफ0 आई0 आर0 का0 मु0 189 कुंअरजी लाल 18–9–84 गोपाल प्रसाद गौतम, एच0 एम0, 28–1–85 ।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का संलग्नक

वर्ग	क्रम-संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	2	3	4
प्रथम	1	चौकीदार	901
,,	2	गेटकीपर	10
,,	3	स्टोर मुंशी	13
,,	4	खलासी/रनर	5
,,	5	स्वीपर/जमादार	4
,,	6	बेलदार	1
,,	7	मीटर रीडर/बिल वितरक	1
,,	8	लाइनमैन	3
,,	9	लैब ब्वाय	2
,,	10	पेट्रोल मैन	6
,,	11	सर्वे मुंशी	1
,,	12	कुक/रसोइया	1
,,	13	हेल्पर	78
,,	14	क्लीनर/ट्रक क्लीनर	13
,,	15	जे0 डी0 एव0	17
,,	16	पम्प अटेन्डेन्ट	183
,,	17	फिल्टर अटेन्डेन्ट	5
,,	18	वाटर मीटर अटेन्डेन्ट	7
,,	19	मोटर बोट ड्राइवर	11
,,	20	मोटर बोट मैन	1
,,	21	बोट मैन	1
,,	22	माली	4
,,	23	बेल्डर	4

1	2	3	4
द्वितीय	24	वर्क अटेन्डेण्ट	248
,,	25	सर्वे मिस्त्री	1
,,	26	वर्क मिस्त्री	11
,,	27	वर्क मुंशी	3
,,	28	वर्क सुपरवाईजर	1
,,	29	रिग ड्रीलर	13
,,	30	सहायक ड्रीलर	16
,,	31	कम्प्रेशर चालक	12
,,	32	ओ0 पी0 यूनिट ड्राइवर	3
,,	33	फिटर	227
,,	34	पाईप लाईन मिस्त्री	21
,,	35	हेड पाईप लाईन मिस्त्री	3
,,	36	पाइप लाइन इन्सपेक्टर	7
,,	37	पम्प आपरेटर	260
,,	38	फिल्टर आपरेटर	4
,,	39	इले0 कम मैकेनिक	42
तृतीय	40	वर्क सुपरवाइजर	24
,,	41	वर्क मिस्त्री	2
,,	42	हेड इले0	1
,,	43	हेड मेकेनिक	1
,,	44	स्पेशल वेल्डर	1
		कुल योग ..	2163

20 वि0 सभा—9-9-85--813 प्र0 (पी0 डी0)